इरकॉन 42 उत्कृष्ट वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट
2017–18

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

विज़न

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

i) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

ii) सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

विषय सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	3
अध्यक्ष का संबोधन	5-6
निदेशक की रिपोर्ट तथा इसके परिशिष्ट:	
निदेशक की रिपोर्ट	7-31
सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट	32-39
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	40-47
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	48-62
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	63-66
वार्षिक रिटर्न का उद्धरण (फॉर्म सं.एमजीटी-9)	67-75
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं.एओसी-2)	76-80
निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध	81-84
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	85
स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण:	
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	88-96
तुलन पत्र	97-98
लाभ और हानि का विवरण	99
रोकड़ प्रवाह विवरण	100-101
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	102-103
वित्तीय विवरणों के नोट - नोट सं 1 से 54	104-180
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	181
समेकित वित्तीय विवरण:	
फॉर्म एओसी-1 (सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं)	184-185
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	186-190
तुलन पत्र	191-192
लाभ और हानि विवरण	193-194
रोकड़ प्रवाह विवरण	195-196
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	197-198
वित्तीय विवरणों के नोट - नोट सं 1 से 58	199-282
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	283-284

निदेशक मंडल

(14 सितम्बर, 2018 तक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस.के.चौधरी

पूर्णकालीन निदेशक

श्री एम.के.सिंह
निदेशक (वित्त)

श्री दीपक सबलोक*
निदेशक (परियोजना)

अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

श्री राजीव चौधरी

श्री वेद पाल
(22.11.2017 से)

स्वतंत्र निदेशक

श्री अविनीश माटा

प्रो. वसुधा
वी. कामत

डॉ.सी.बी.वेंकटरमण
(28.09.2017 से)

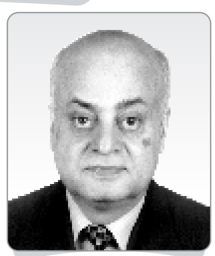

श्री अशोक कुमार गंजू
(08.03.2018 से)

श्री एन.एस.रैना
(17.10.2017 से)

* 16.07.2018 से निदेशक (कार्य) के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
दूरभाषः 91-11-29565666, फैक्सः 91-11-26522000/26854000
ई-मेलः info@ircon.org, वेबसाइटः www.ircon.org
सीआईएनः यू45203डीएल1976जीओआई008171

कंपनी सचिव

सुश्री रितु अरोड़ा
(04.01.2018 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

मुख्य बैंकर

- इंडियन ओवरसीज बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- एचडीएफसी बैंक

अध्यक्ष का संबोधन

(दिनांक 14.09.2018 को 42वीं वा.सा. बैठक में)

गणमान्य शेयरधारकों,

कंपनी की 42वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इरकॉन के लिए यह वर्ष परिवर्तन का वर्ष रहा, जिसके दौरान हमने न केवल व्यावसायिक विकास, लाभप्रद्ता, उत्पादकता और आर्डर बुक को सुदृढ बनाए रखा है बल्कि भारत सरकार द्वारा धारित कंपनी के आंशिक विनिवेश के माध्यम से कंपनी के सूचीकरण की प्रक्रिया भी आरंभ की है।

वित्तीय विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2017-18 व्यावसायिक विकास की दृष्टि से उत्कृष्ट वर्ष रहा है।

- आपकी कंपनी की कुल आय/ टर्नओवर में 26.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2016-17 में 3,254 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 4,123 करोड़ रुपए हो गया है तथा कर पश्चात लाभ में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो समवर्ती अवधि के दौरान 369 करोड़ रुपए से बढकर 391 करोड़ रुपए हो गया है। प्रचालनों से कुल आय में लगभग 95 प्रतिशत यथा 3,896 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिसमें से 15.43 प्रतिशत यथा 601 करोड़ रुपए विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुई है।
- समेकित आधार पर, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 4,212.40 करोड़ रुपए का टर्नओवर तथा 411.62 करोड़ रुपए के समेकित करपूर्व लाभ रिकार्ड किया है।
- कंपनी ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 95.15 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और अब प्रदत्त शेयर पूंजी के 103 प्रतिशत यथा 97.25 करोड़ रुपए की राशि के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव है। इसप्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश 192.40 करोड़ रुपए होगा, जो प्रदत्त शेयर पूंजी का 204 प्रतिशत तथा कर पूर्व लाभों का 49.22 प्रतिशत है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश के पश्चात वर्ष 2017-18 के लिए शेयरधारकों का संचित लाभांश 1,492.31 करोड़ रुपए है।
- वर्ष के दौरान, प्राधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ रुपए से बढा कर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपकी कंपनी ने प्रति शेयर 386.72 रुपए के मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति महोदय के 49,28,426 इक्विटी शेयरों का बायबैक किया था, जिसकी राशि 190.59 करोड़ रुपए है।शेयरों के बायबैक के परिणामस्वरुप, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी दिनांक 26 दिसंबर 2017 को 98.98 करोड़ रुपए से कम होकर 94.05 करोड़ रुपए हो गई है।

समझौता ज्ञापन का निष्पादन

सुदृढ समग्र निष्पादन के साथ, आपकी कंपनी को 4 वर्षों के अंतर के पश्चात वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन हेतु उत्कृष्टता रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

भारत सरकार, डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में इरकॉन के शेयरों के सूचीकरण की घोषणा के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूर्व प्रदत्त शेयर पूंजी के लगभग 10.53 प्रतिशत के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस प्रस्ताव से इरकॉन को कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी और सम्पूर्ण राशि भारत सरकार के पास जाएगी, तथापि, इसे स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी शेयरों के सूचीकरण का लाभ प्राप्त होगा।

इश्यु/ऑफर के खुलने की तिथि 17 सितंबर 2018 तथा बंद होने की तिथि 19 सितंबर 2018 है। बीआरएलएम के परामर्श से भारत सरकार और कंपनी द्वारा ऑफर के लिए प्राइस बैंड 470 से 475 रुपए प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। पात्र कर्मचारियों और रिटेल व्यक्तिगत निवेशकों को ऑफर मूल्य पर प्रति शेयर 10 रुपए की रियायत प्रदान की गई है। बोली 30 इक्विटी शेयरों के लॉट आकार में की जा सकती है। कंपनी के दिनांक 28 सितंबर 2018 को सूचीबद्ध होने की आशा है।

प्रचालनिक विशेषता

वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने बांग्लादेश में दो विदेशी परियोजनाएं और भारत में तीन परियोजनाएं आरंभ की हैं। आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2018 को अब तक विश्वभर में 24 से अधिक देशों में 127 से अधिक परियोजनाओं तथा भारत के विभिन्न राज्यों में 380 परियोजनाओं को पूरा किया है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत में 6,160 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर ग्यारह परियोजनाएं प्राप्त की हैं। बांग्लादेश, थाइलैंड, नेपाल, तर्की, घाना, श्रीलंका तथा मलेशिया में संविदाएं प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात, कंपनी ने भारत में अनेक परियोजनाएं प्राप्त की हैं, जिनमें से मुख्य परियोजना 1,865 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के लिए गुजरात राज्य में एनएचएआई से एचएएम आधार पर आठ लेन के वडोदरा किम एक्सप्रेस-वे (पैकेज-II) के निर्माण की परियोजना है।

आपकी कंपनी ने अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम के भुगतान के प्रति बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में 4.3 हेक्टियर माप के भू-खंड पर वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को पट्टा धारण अधिकारों के अंतरण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के साथ दिनांक 26 मार्च 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपनी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन आरएलडीए से अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत के समतुल्य राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

आर्डर बुक

31 मार्च 2018 को हमारी आर्डर बुक 22,407 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2018 में हमारे कुल प्रचालनिक राजस्व का लगभग छह गुना है, और हम विश्वास करते हैं कि यह हमारे सुदृढ राजस्व प्रोफाइल को प्रदर्शित करता है।

हम विश्वास करते हैं कि आर्डर बुक स्थिति में विकास हमारी परियोजनाओं के सफल निष्पादन के हमारे ट्रैक रिकार्ड का परिणाम है, जिसके कारण नई परियोजनाओं के लिए हमारी सफलतापूर्वक बोली तथा इसे प्राप्त करने की हमारी क्षमता बढी है। औसत आकार के हमारे नए आर्डरों के विकास और साथ ही साथ परिवहन, इंजीनियरिंग तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में हमारी विविध व्यावसायिक गतिविधियों ने किसी विशिष्ट उद्योग से संबंधित जोखिमों को कम किया है, और साथ ही साथ विविध व्यवसाय क्षेत्रों में प्रचालनों की सहक्रियताओं से लाभ प्राप्त करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को निष्पादित करने के हमारे ट्रैक रिकार्ड ने हमें लागत में वृद्धि को न्यूनतम करने में मदद की है।

सुदृढ आर्डर बुक और भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में हो रहे भारी निवेश को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में तीव्र विकास होगा।

सहायक तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां

31 मार्च 2018 को इरकॉन की चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं यथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड तथा इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, दिनांक 16 मई 2018 को इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड नाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन किया गया है।

आपकी कंपनी इरकॉन सोमा टोलीवे प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) में सोमा टोलवेस प्राइवेट लिमिटेड में 50 प्रतिशत इक्विटी स्टेक की धारक है तथा आईआरएसडीसी में आरएलडीए के साथ 50 प्रतिशत की इक्विटी स्टेक है। आपकी कंपनी छत्तीसगढ, झारखंड तथा ओडीशा राज्यों में मुख्य रुप से कोयला सम्पर्कता के लिए पांच अन्य संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल में 26 प्रतिशत का इक्विटी स्टेक है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को मूल्यवान सम्पत्ति समझती है और अपनी श्रमशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशलों सहित सर्वोत्तम कौशल को प्राप्त करने पर ध्यान देते हुए अल्पसंख्यकों तथा महिला कर्मचारियों सहित अपने कर्मचारियों के कल्याण की ओर ध्यान केन्द्रित करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 329 कर्मचारियों (104 नियमित, 14 प्रतिनियुक्ती, तथा 211 संविदा आधार के कर्मचारी (सेवा संविदा सहित)) को नियुक्त किया गया है। इन नई भर्तियों में से 112 कर्मचारी तकनीकी और व्यावसायिक अर्हता प्राप्त हैं।

निगमित शासन, सीएसआर तथा धारणीयता

आपकी कंपनी सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है, और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा अन्य विधि अपेक्षाओं के अंतर्गत निगमित शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के प्रति 8.73 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। सीएसआर पहलों का उद्देश्य धारणीय रुप में व्यवसाय का संचालन करना है, जिसमें व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, भिन्न रुप से सक्षम जनों के लिए शिक्षा सहित रोजगार संवर्धन शिक्षा, पर्यावरण, अवसंरचना विकास, सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर मोबाइल एप्लिकेशन आरंभ करना आदि शामिल हैं।

आभारोक्ति:

इस अवसर पर में अपनी कंपनी के निदेशक मंडल के मेरे सहकर्मियों के मूल्यवान दिशानिर्देश और प्रबंधन हेतु सलाह के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं रेल मंत्रालय, भारत सरकार, डीआईपीएएम, तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, शेयरधारकों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सीएजी, सांविधिक, लागत तथा सचिवीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त सहृदय सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में भी कंपनी के निरंतर सहयोग की कामना करता हूं।

मैं, सम्पूर्ण निदेशक मंडल की ओर से, इरकॉन के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं और सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बोर्ड द्वारा प्रशंसा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेभाक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 सितंबर, 2018

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

वित्तीय वर्ष 2017-18 की कम्पनी की 42वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कम्पनी के निदेशकों को अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. कार्य निष्पादन/ विशेषताएं:

क. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी को 3,896.39 करोड़ रुपए की कुल प्रचालनिक आय प्राप्त हुई, जो पिछले वर्ष की प्रचालनिक आय 3,024.23 करोड़ रुपए (पुन:समूहित) से 28.84% अधिक है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से प्रचालनिक टर्नओवर में 274.18 करोड़ की वृद्धि हुई है जो 326.95 करोड़ रुपए से बढ़कर 601.13 करोड़ रुपए हो गया है तथा घरेलू क्षेत्र में प्रचालनिक टर्नओवर में 627.41 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जो 2,667.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,295.26 करोड़ रुपए हो गया है।

कर पूर्व लाभ में पिछले वर्ष के 531.54 करोड़ रुपए (73.69 करोड़ रुपए के आपवादित मदों सहित) से बढ कर 533.31 करोड़ रुपए हो गया है। कर पूर्व लाभ में वृद्धि मुख्य रुप से पिछले वर्ष की तुलना में कुल टर्नओवर में हुई वृद्धि के कारण है। कर पश्चात लाभ में वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 368.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 390.86 करोड़ रुपए हो गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रति शेयर आमदनी में वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष 37.27 रुपए से बढ़कर 40.01 रुपए हो गई है। यह वृद्धि कर पश्चात लाभ में वृद्धि तथा वर्ष के दौरान शेयरों के बाय-बैक के कारण हुई है।

समेकित आधार पर, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 4,212.40 करोड़ रुपए का टर्नओवर रिकार्ड किया है और उक्त वित्तीय वर्ष के लिए 411.62 करोड़ रुपए का समेकित निवल लाभ प्राप्त किया है।

ख. वित्तीय निष्पादन संकेतक:

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्रम. सं0	विवरण	2017-18	2016-17	वृद्धि/(कमी) (% में)
1.	कुल आय/टर्नओवर	**4,123**	3,254	26.70
2.	कुल प्रचालन आय/ टर्नओवर	**3,896**	3,024	28.84
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**601**	327	83.83
4.	भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	**3,295**	2,668	23.52
5.	कर पूर्व लाभ	**533**	532	0.33
6.	कर पश्चात लाभ	**391**	369	5.97
7.	निवल सम्पत्ति	**3,752**	3,828	(1.99)
8.	लाभांश	**192.40**	192.40*	--

* इसमें 2016-17 के लिए 97.25 करोड़ रूपए का अंतिम लाभांश शामिल है, जिसका भुगतान वर्ष 2017-18 में इंडो- एएस के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदन के पश्चात किया गया था।

ग. विदेशी विनिमय आमदनी और निर्गम

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 265 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 450 करोड़ रुपए विदेशी विनिमय अर्जित किया है। विदेशी मुद्रा निर्गम वर्ष 2016-17 में 241 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 386 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 में 64 करोड़ रुपए की विदेशी विनिमय अर्जित की है जो कि 167% की वृद्धि को दर्शाता है और यह वृद्धि विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक टर्नओवर में वृद्धि के कारण है।

घ. लाभांश

निदेशक मंडल ने मार्च 2018 में शेयरधारकों के लिए 94.05 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 101.16% की दर से 95.15 करोड़ रूपए (लगभग) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी। उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान सभी शेयरधारकों को मार्च 2018 में किया गया था।

निदेशक मंडल ने 97.25 करोड़ रुपए (लगभग) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है यथा प्रदत्त शेयर पूँजी पर 94.05 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 103 %.

इस प्रकार, 2017-18 के लिए कुल लाभांश 192.40 करोड़ रूपए (लगभग) हो गया है यथा प्रदत्त शेयर पूंजी का 204 प्रतिशत जो 2017-18 के लिए कर पश्चात लाभ का 49.22 प्रतिशत और

31 मार्च 2018 को निवल सम्पत्ति का 5.13 प्रतिशत है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के पश्चात 2017-18 के लिए शेयरधारकों हेतु संचित लाभांश 1,492.31 करोड़ रुपए हो जाएगा।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम सदस्य रजिस्टर में दिनांक 31 अगस्त 2018 को दर्ज हैं।

ड. विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि :

1. विनियोजन/कर प्रावधान: (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1	घोषित व प्रदत्त अंतरिम लाभांश (अतिरिक्त अंतरिम लाभांश सहित)	**95.15**	95.15
2	प्रस्तावित लाभांश	**97.25***	97.25
3	अंतरिम लाभांश पर लाभांश संवितरण कर	**19.37**	19.37
4	प्रस्तावित लाभांश पर कर	**19.99***	19.80
	कुल	**231.76**	231.57

* 97.25 करोड़ रुपए के प्रस्तावित लाभाश (वार्षिक साधारण बैठक में घोषित किया जाएगा) पर प्रस्तावित लाभांश संवितरण कर जो 19.99 करोड़ रुपए है।

2. पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि:

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयरों के बाय-बैक के लिए पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि से 4.93 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं (ब्यौरा नीचे पैरा एफ-2 पर है), जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान वापस लिए गए इक्विटी शेयरों की आंशिक राशि के समान है।

च. शेयर पूंजी में वृद्धि

1. प्राधिकृत शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, दिनांक 22 मई 2017 को आयोजित असाधारण वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात प्राधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ से बढाकर 400 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इस वृद्धि को पहले ही दिनांक 3 नवंबर 2016 के पत्र के तहत भारत के राष्ट्रपति (प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से) की सहमति प्राप्त हो गई है।

2. इक्विटी शेयरों के बाय-बैक के पश्चात प्रदत्त शेयर पूंजी :

वर्ष 2016-17 के लिए इरकॉन के वित्तीय लेखों की जांच के आधार पर तथा दिनांक 25 मई 2016 को डीआईपीएएम द्वारा जारी "सीपीएसई की पूंजी पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश" में विनिर्दिष्ट वित्तीय मापदंडों के आधार पर दिनांक 7 जून 2017 को आयोजित अपनी बैठक में अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी), निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को सुझाव दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक पर विचार करे और 31 मार्च 2017 तक कंपनी की आरक्षित निधि को मुक्त करे। तदनुसार, निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों, जो 49,41,818 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होंगे , निवल सम्पत्ति (प्रदत्त शेयर पूंजी जमा मुक्त आरक्षित निधि सहित) के 5 प्रतिशत यथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार 3,822.27 करोड़ रुपए तथा आनुपातिक आधार पर रोकड़ में देय प्रति इक्विटी शेयर 386.72 रुपए पर मौजूदा शेयरधारकों को भेजने के लिए कंपनी द्वारा बायबैक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति के आधार पर (भारत के राष्ट्रपति की ओर से), आपकी कंपनी ने 234.57 करोड़ रुपए (जिसमें 43.98 करोड़ रुपए के कर शामिल हैं) प्रयुक्त करते हुए प्रति 10 रुपए के 49,28,426 पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयरों का बायबैक किया था। तद्नुसार, 26 दिसंबर 2017 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 98.98 करोड़ रुपए से कम होकर 94.05 करोड़ रुपए हो गई है।

3. शेयरों का सूचीकरण:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में इरकॉन के शेयरों के सूचीकरण की घोषणा के पश्चात, डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय ने प्रमोटरों (यथा भारत सरकार) द्वारा शेयरों के इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए विधि सलाहकार, बुक रनिंग लीड प्रबंधक (बीआरएलएम) तथा रजिस्ट्रार नियुक्त किए हैं।

तद्नुसार, इरकॉन के इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के लिए, इनके अंतरराष्ट्रीय कंसार्टियम साझेदार मैसर्स होगन लोवेल्स सहित मैसर्स क्राओफोर्ड बेयले एंड कंपनी को विधिक सलाहकार; आईडीबीआई कैपिटल मार्किट्स एंड सिक्योरिटीस लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड, तथा एक्सिस कैपिटल लिमिटेड बीआरएलएम हैं; और मैसर्स करवी कम्प्यूटर करवी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रास सेवाएं प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी ने दिनांक 27 मार्च 2018 को एसईबीआई में मसौदा रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस (डीआरएचपी) दायर किया है। इसके परिणामस्वरुप, बीएसई तथा एनएसई ने कंपनी के सूचीकरण आवेदन को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है और दिनांक 12 जुलाई 2018 को सेबी का अवलोकन प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरुप, दिनांक 31 अगस्त 2018 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी के रेड हैरिंग प्रोस्पैक्टस (डीआरएचपी) को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

4. शेयरों का डीमेटिरियलाइजेशन:

शेयरों के डीमेटिरियलाइजेशन का ब्यौरा पैरा-IV (शेयर धारण पैटर्न) में परिशिष्ट-जी के रुप में वार्षिक रिपोर्ट के सार में उपलब्ध कराया गया है।

2. आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2017-18 के दौरान 6,106 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए। 31 मार्च 2018 को कंपनी का कार्यभार 22,407 करोड़ रूपए (लगभग) का है, जबकि 31 मार्च 2017 को यह 18,878 करोड़ रूपए (लगभग) था। 30 जून 2018 को कार्यभार 26,469 करोड़ (लगभग) है।

3. प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने बांग्लादेश में दो परियोजनाएं पूरी की हैं:

बांग्लादेश

1. 265 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग) के संशोधित मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए आपकी कंपनी और एफकान्स यथा इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम के बीच गैर-निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरब रेल पुल का निर्माण (लॉट-क)का कार्य मार्च 2017 में पूरा हो गया है। इंजन का ट्राइल रन 10 अप्रैल 2017 को किया गया था।

   पुल का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश गणराज्य के माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद द्वारा दिनांक 9 नवंबर 2017 को वीडिया कान्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया था।

2. 60 करोड़ रुपए के मूल्य पर बांग्लादेश के इशुरदी-दरसाना खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्नकी आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइटिंग सिग्नलिंग प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन का कार्य सितंबर 2017 को पूरा हो गया है।

मेघना नदी, बांग्लादेश पर दूसरा भैरब पुल

ख. चालू विदेशी परियोजनाएं:

आपकी कंपनी विदेश में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है:

बांग्लादेश

1. 911 करोड़ रूपए(147.80 मिलियन अमरीकी डालर) के मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण परियोजना के अंतर्गत पैकेज डब्ल्यूडी-1 के प्रति इम्बार्कमेंट, रेलपथ, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और गौंण पुल(रूपशा को छोड़कर)तथा पुलिया के निर्माण और ईएमपी के क्रियान्वयन कार्य। मार्च 2018 तक भौतिक प्रगति 14 प्रतिशत है। यह कार्य मार्च 2016 में आरंभ हुआ और इस कार्य के फरवरी 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

   इंजीनियर/बांग्लादेश रेलवे द्वारा दायित्वमुक्त भूमि सौंपे जाने तथा संरेखण (एल-खंड तथा एक्स-खंड), पुलों और भवनों के लिए आरेखणों को सौंपे जाने में विलंब के कारण परियोजना की प्रगति धीमी है।

पूर्वबलित वर्टिकल निकासी का संस्थापन, बांग्लादेश

अल्जीरिया

2. 1,628 करोड़ अल्जीरियन दिनार (भारतीय रूपए में परिवर्तित 1,003 करोड़ रुपए) मूल्य पर एएनईएसआरआईसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार द्वारा प्रदत्त अल्जीरियर रेलवे के अल्गेर-ओरान खंड में ओयड स्लाय तथा येल्लेल तक 10 किमी के मार्ग परिवर्तन सहित मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन और दूसरी लाइन का निर्माण कार्य शामिल है। दोहरी लाइन को प्रचालनिक बनाने के अतिरिक्त कार्य सहित संविदा के मूल्य को संशोधित करके 3,073 अल्जीरियन दिनार (1,784 करोड़ रूपए में परिवर्तित) किया गया है। यह परियोजना 2008 में प्रदान की गई था और इसे दिसंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। कार्य में विलंब के मुख्य कारण हैं कार्य क्षेत्र में वृद्धि , परियोजना के लिए निधियों के गैर आवंटन के कारण भुगतान में विलंब , संशोधनों के अनुमोदन में अतिरिक्त विलंब, आरंखणों के अनुमोदन और अवरोधों के समाधान में विलंब और भुगतानों के माध्यम में विसंगति के समाधान में विलंब आदि।

   रोकड़ प्रवाह समस्याओं, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है, विशेष रुप से उप-ठेकेदारों को प्रदान किए गए संरचनात्मक कार्यो, के बावजूद ग्राहकों को 67 किमी नए रेलपथ का कार्य सौंप दिया गया है। 13 किमी के प्रथम भाग में मौजूदा लाइन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है और 7 स्टेशन भवनों में से 6 भवन पहले ही सौंप दिए गए हैं और समय पर भुगतान किए जाने के आश्वासन के साथ पुल निर्माण के कार्य में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण ग्राहकों ने निर्बाध भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे कार्य की प्रगति में सुधार होगा और इसके दिसंबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

दक्षिण अफ्रीका

3. 308 करोड़ रूपए (663 मिलियन रांद, रांद 1 = 5.212) के मूल्य पर एस्कॉम होल्डिंग एसओसी लिमिटेड के लिए मजूबा रेल परियोजना, दक्षिण अफ्रिका के लिए संयंत्र का प्रापण, अभिकल्प, शिरोपरि रेलपथ उपकरणों की आपूर्ति तथा संस्थापन, घर्षण उपस्टेशन, अनुषंगी पावर आपूर्ति उपस्टेशन, व्यापक ऊर्जा आपूर्ति स्विचिंग स्टेशनों और सिग्नलिंग प्रणालियों का कार्य। यह कार्य नवंबर, 2015 में प्राप्त किया गया है। संविदा के संचालन के समय, विदेशी मुद्रा का मुद्दा उत्पन्न हुआ था जिसका समाधान कर लिया गया है। भौतिक कार्य मार्च, 2019 को पूरा हो गया है और प्रचालन आरंभ प्रगति पर है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

बांग्लादेश, थाइलैंड, नेपाल, तर्की, घाना, श्रीलंका तथा मलेशिया में ठेके प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।

मजूबा, दक्षिण अफ्रीका में रेल विद्युतीकरण कार्य

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित तीन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो गया है:

1. 60 करोड़ रुपए के मूल्य पर सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार के लिए गया जिला, बिहार में मनपुर बाय-पास के प्रथम किमी पर अपनी निधियों द्वारा बिहार में राज्य स्वामित्व सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा) पर एक सड़क उपरिपुल।
2. 140 करोड़ रुपए की लागत पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए ट्रॉपोग्राफिकल तथा भू-तकनीकी सर्वेक्षण कराना; मास्टर प्लान तैयार करना; चारदीवारी का निर्माण और संबंधित तैयारी कार्य और नियोजन व अभिकल्प का कार्य।
3. 58 करोड़ रुपए की लागत पर पूर्वी रेल के लिए सियालदा मंडल पर घोलसापुर (बेहाला) में नए इंडोर स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण।

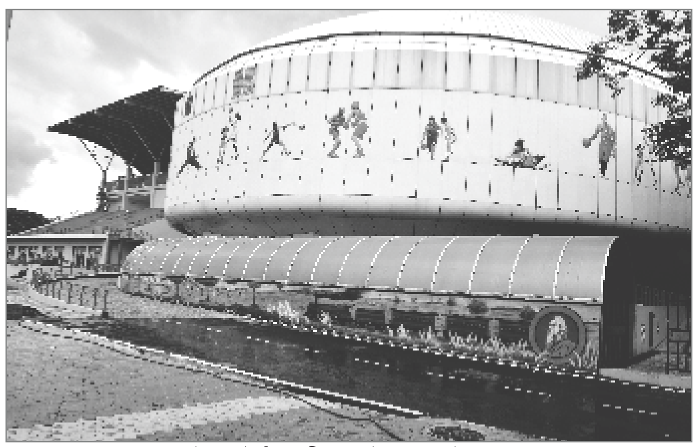

इंडोर स्पोर्टस परिसर, बेहाला, कोलकाता

ड. भारत में नई परियोजनाएं :

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 6,106 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर भारत में निम्नलिखित परियोनजाएं प्राप्त की हैं:

1. 582.13 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कतनी ग्रेड सेपरेटर/बाय-पास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।
2. 258.33 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कतनी-सिंगरौली के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।
3. 401 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर उत्तर पूर्व रेलवे के लिए मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर हेतु सिग्नलिंग सहित रेल विद्युतीकरण परियोजना।
4. विशाखापत्तनम (डीजल लोका शेड) - 61.75 करोड़ रूपए की लागत पर पूर्व तटीय रेलवे के लिए 100 एचएचपी लोकोमोटिवों को खड़ा करने के लिए शेड का संवर्धन।
5. 261.72 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के लिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास।
6. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार व प्रस्तुत करने, भूमि अधिग्रहण तथा गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी-पश्चिम गलियारे के कॉरिडोर-III का निर्माण कार्य, जिसकी अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार संशोधित अनुमानित परियोजना लागत 3,272.98 करोड़ रूपए है।
7. 537.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे में गलियारा-I तथा स्पर लाइन का निर्माण।
8. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 35.20 करोड़ रूपए है।

प्रस्तावित सफदरजंग स्टेशन, नई दिल्ली

9. नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के लिए अकौरा-अगरतला रेल संपर्क परियोजना जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 574 करोड़ रूपए है, जिसमें से 28.69 करोड़ रूपए वर्ष की आर्डर बुक के लिए रखे गए हैं।
10. 52.95 करोड़ रुपए के मूल्य पर एनएमडीसी लिमिटेड के लिए नगरनार में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेलवे ट्रैक (इन-प्लांट) पैकेज (पैकेज सं. 50)।
11. 613.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तरी रेल के लिए धरम - काजीगुंड खंड किमी 73.00 से 91.00 सहित कटरा-काजीगुंड खंड में भावी कार्य।

छ. अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम के भुगतान के प्रति बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में 4.3 हैक्टेयर की भूमि पर वाणिज्यिक विकास कार्य हेतु इरकॉन को पट्टा धारण अधिकारों के अंतरण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 26 मार्च 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी भूमिका और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत के समतुल्य राशि आरएलडीए से प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। आरएलडीए द्वारा अनुमोदित अनुसार मार्गदर्शन मूल्य के समतुल्य अपफ्रंट पट्टा प्रीमियम, जीएसटी, स्टेंप ड्युटी तथा पंजीकरण प्रभारों का भुगतान करने के लिए, दिनांक 28 मार्च 2018 को इरकॉन, आरएलीडीए तथा भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के बीच तृपक्षीय ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरडीएल ने इस करार के अंतर्गत जब कभी देय होने पर अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए इरकॉन को आवश्यक ऐसी राशियों का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय ने आरएलडीए को समतुल्य राशियों के भुगतान की भी सहमति व्यक्त की है।

ज. भारत में प्रमुख चालू परियोजाएं

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाओं की सूची **परिशिष्ट- क** पर संलग्न है।

I. वर्ष के समापन के पश्चात प्राप्त नहीं परियोनजाएं:

वर्ष 2017-18 के समापन के पश्चात आपकी कंपनी ने भारत में निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त की हैं:

1. अनुमोदित डीपीआर के अनुसार 260 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत पर छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड (सीईआरएल-II) के धरमजयगढ से कोरबा (उर्गा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण ।
2. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के

लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम का निर्माण कार्य, जिसकी अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत 260 करोड़ रूपए है।

3. झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित परियाजना लागत डीपीआर के अनुसार 1,139 करोड़ रूपए है।

4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1,079 करोड़ रूपए है।

5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा चिह्नित रेल संपर्कता परियोजनाओं का निष्पादन, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1,513 करोड़ रूपए है।

6. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) के लिए हाइब्राइड वार्षिकी मोड (चरण Iक-पैकेज-II) पर एनएचडीपी चरण-6 के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (सपना से पाद्रा खंड तक) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिसका मूल्य 1,865 करोड़ रुपए है।

4. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां और संबद्ध कंपनियां

इरकॉन की सहायक कंपनियों (हाल ही में सृजित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड जिसका निगमन 16 मई 2018 को हुआ) तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों और उनकी वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि **परिशिष्ट-ख** पर उपलब्ध है।

5. समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने चार सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन डीएचएचएल (लाइन विधि के अनुसार); और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईआरएसडीसी, आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल (इक्विटी विधि के अनुसार) के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों के लेखों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 03 अगस्त 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) को स्वीकृति प्रदान की है।

आपकी कंपनी इरकॉन के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) तथा इसकी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन डीएचएचएल) के लेखों/वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी।

फॉर्म एओसी-1 में चार सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला एक विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

6. अनुपालन:

क. <u>राष्ट्रपति का आदेश</u>

वर्ष के दौरान, दिनांक 1 जनवरी 2017 से इरकॉन के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए 24 नवंबर 2017 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त हुए थे।

ख. राजभाषा

कंपनी द्वारा कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विभिन्न अनूठे और प्रोत्साहक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) महीने के प्रत्येक अंतिम सोमवार को अपना पूरा काम हिन्दी के करने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा शपथ।

(ख) निगमित कार्यालय में तिमाही आधार पर राजभाषा संगोष्ठि का आयोजन किया जा रहा है।

(ग) कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं, दिन का विचार, रोटेशन आधार पर विभिन्न विभागों से प्राप्त शब्द, प्रसिद्ध कवियों की कविताएं आदि रिसेप्शन पर हिन्दी में प्रदर्शित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रुप से किया जाता है और यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए इरकॉन की वेबसाईट पर द्विभाषी फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना

अधिकारी तथा राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रुप से सेवा संबंधी विषयों/भर्ती, वित्त, संविदा और परियोजनाओं से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किए जाने हेतु रेल मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 185 आवेदन तथा 30 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं और वर्ष के आरंभ में 10 आवेदन और 3 प्रथम अपीलें प्रक्रियाधीन थीं। इसमें से 185 आवेदन (वर्ष के आरंभ में 3 अपीलों सहित) पर कर्रवाई की गई/निटाए गए थे। 31 मार्च 2018 को 10 आवेदनों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

घ. प्रापण वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्षम और लघु उपक्रम हेतु लोक प्रापण नीति (एमएसई) आदेश, 2012 की तर्ज पर जून 2012 में वृहत प्रापण वरियता प्रापण नीति के सृजन को क्रियान्वयन किया है। इरकॉन का ई-प्रापण पोर्टल यथा www.tenderwizard.com/IRCON एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सांविधिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसएमई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट की सुविधा उपलब्ध करते हुए ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 20 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने हेतु 21 सितंबर 2017 के पत्र की शर्तों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय (रेल मंत्रालय के माध्यम से) से अनुरोध किया है। इसे दिनांक 1 मार्च 2018 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लोक प्रापण नीति के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसई से प्रापण की उपलब्धि को नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

क्र.सं	विवरण	2017-18
1.	कुल वार्षिक प्रापण (रुपए करोड़ में)	263.11
2.	वार्षिक प्रापण का लक्ष्य प्रतिशत (20 प्रतिशत) (रुपए करोड़ में)	52.62
3.	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अज/अजजा के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (रुपए करोड़ में)	35.34
4.	केवल अज/अजजा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	-
5.	कुल प्रापण में से एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत (अज/अजजा के उपक्रमों द्वारा स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	13.43%
6.	कुल प्रापण में से केवल अज/अजजा के उपक्रमों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण का प्रतिशत	-

* वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने एमएसई के लिए छह (06) वेंडर विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

7. निदेशक मंडल, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, तथा स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा

आपकी कंपनी ने विधिवत रुप से बोर्ड का गठन किया है और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन कर रही है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों और नियुक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति की गई थी:

1.	डॉ.सी.बी.वेंकटरमण, अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी) [डीआईएन 03179171]	28/09/2017 से प्रभावी
2.	श्री नरेन्द्र सिंह रैना, अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी) [डीआईएन 07968391]	17/10/2017 से प्रभावी
3.	श्री वेद पाल, अंशकालीन निदेशक (सरकारी) [डीआईएन 07902760]	22/11/2017 से प्रभावी
4.	श्री अशोक कुमार गंजू, अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी) [डीआईएन 07014589]	08/03/2018 से प्रभावी
5.	सुश्री इटि माटा, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी तथा केएमपी	01/11/2017 से प्रभावी
6.	सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी तथा केएमपी	04/01/2018 से प्रभावी

वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त उपर्युक्त चार निदेशकों का ब्यौरा तथा आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में इनकी नियुक्ति की टिप्पण/अनुमोदन को कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों तथा केएमपी ने अपना कार्यभार छोड़ा:

1	श्री एस.के.जैन अंशकालीन (सरकारी) निदेशक [डीआईएन 07564584]	रेल मंत्रालय द्वारा नामांकन में परिवर्तन के कारण 17/11/2017 से प्रभावी।
2	श्री हितेश खन्ना, निदेशक, कार्य [डीआईएन 02789681]	स्वयं के अनुरोध पर रेल मंत्रालय द्वारा कार्यभार की समयपूर्व समाप्ति के कारण 28/03/2018 से प्रभावी।
3	सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव और केएमपी	कंपनी सचिव के पद से त्यागपत्र देने के कारण 27/10/2017 से प्रभावी।
4	सुश्री इटि माटा, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी तथा केएमपी	कंपनी सचिव के पद से त्यागपत्र देने के कारण 04/01/2018 से प्रभावी।

वर्ष के दौरान, कंपनी के सभी निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(6) की शर्तों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करने की घोषणा की है।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित निदेशकों ने अपना कार्यभार छोड़ा:

1	श्री संजय कुमार सिंह अंशकालीन (गैर-सरकारी) निदेशक [डीआईएन 00003695]	रेल मंत्रालय द्वारा कार्यकाल के समापन के कारण 02/07/2018 से प्रभावी।

8. निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान, निदेशक मंडल की दस बैठकों और लेखापरीक्षा की तेरह बैठकों का आयोजन किया गया था।

निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, तथा अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा- 3 में प्रस्तुत है।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

10. व्हीसल ब्लोवर नीति/सतर्कता तंत्र

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संशोधित व्हीसल ब्लोवर नीति को अनुमोदित किया है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यवहार, वास्तविक और आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों और निदेशकों के लिए सतर्कता तंत्र विद्यमान है।

11. कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहर्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। 31 मार्च 2018 को कार्मिकों की कुल संख्या 1,622 है जिनमें 1,179 नियमित कार्मिक, 49 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 394 कर्मचारी संविदा (सेवा संविदा सहित) पर है। कंपनी के 832 कार्मिक तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता प्राप्त हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 63 है। दिनांक 31 मार्च 2018 को कंपनी में कुल 205 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे।

वर्ष के दौरान नए नियुक्त कार्मिकों की कुल संख्या 329 है जिसमें 104 नियमित कर्मचरी, 14 प्रतिनियुक्ती, तथा 211 संविदा आधार पर (सेवा संविदा सहित) नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। इन नई भर्तियों में से 112 कर्मचारी तकनीकी और पेशेवर अर्हता प्राप्त कर्मचारी हैं, 6 महिला कर्मचारी और 19 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 912 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन-हाऊस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह-ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय में होम्योपैथी तथा ऐलोपैथी उपचार की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं जैसे, किसी चिकित्सीय आपात स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है तथा सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों को एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन के आचरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में यौन शोषण को रोकने संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी में यौन शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कंपनी के निगमित कार्यालय में विशेष रुप से महिला कर्मचारियों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को 42वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कार किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

12. गुणवत्ता प्रबंधन, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002-1994 के लिए प्रमाणित किया गया था, **गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस)** को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2015 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुन:प्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुन: प्रमाणन लेखापरीक्षा मार्च, 2017 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को जून, 2020 तक अन्य तीन वर्षो के लिए टीयूवी द्वारा पुन:प्रमाणित किया गया है।

कंपनी नें 2डी फॉर्मेट में निर्माण क्षेत्र में कार्मिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए मोबाईल फोन/वेब आधारित वीडियो लाइब्रेरी को विकसित किया है। इस मोबाईल/इंटरनेट आधारित एप्लिकेशन को अंग्रेजी और हिन्दी में जारी किया गया है और यह इरकॉन के आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईएस/ आईआरसी/ आईआरएस/ एएसटीएम मानकों, मानक निर्माण पद्धतियों और अनुभवों के आधार पर तकनीकी ज्ञान और तकनीकी अभिलेखों के आदान-प्रदान की पहल आरंभ की है। इसके विषय थे, सीएआर तथा पीआईआई व पीएलआई नीतियां; रेलवे दोहरीकरण परियोजनाएं - कार्य प्रक्रिया; रेल पथ - सुरक्षा दिशानिर्देशों के साथ कार्य समायोजन; आईएस: 383-1970 बनाम आईएस: 382-2016 के बीच तुलना; दि स्लिंग - लिफ्टिंग और होइस्टिंग प्रचालनों में प्रमुख और कमजोर कड़ियां ; बोल्ट और नट - इंजीनियरिंग पहलु; उच्च सुदृढता कंक्रीट - मिनिरल संयोजकों सहित कंक्रीट।

आपकी कंपनी ने **पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)** स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुन:प्रमाणन लेखापरीक्षा मार्च, 2017 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा मई, 2020 तक कंपनी को पुन:प्रमाणित किया गया है।

वर्ष के दौरान, जून 2017 में क्यूएमएस को अद्यतन किया गया है और ईएमएस को मई 2017 में अद्यतन किया गया है तथा पिछला अद्यतन सितंबर 2018 में किया गया है, जो कि कंपनी में पूर्व पद्धिति से उन्नत है।

कंपनी ने अपनी संबंधित परियोजनाओं में ईएमएस को मॉनीटर करने के लिए सभी भारतीय परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया है जो पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और वायु की गुणवत्ता की मानीटरिंग करेंगे। परियोजना के समाप्त होने तक यह एक सतत् प्रक्रिया है। सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरणीय जांच-सूची विकसित और अनुरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्माण गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जम्मू में एक पूर्ण प्रचालनिक पर्यावरण प्रयोगशाला विद्यमान है।

पर्यावरण सहिष्ण उपकरणों जैसे सौर हीटर/सौर प्रकाश को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव, तथा बहुउद्देशीय परिसर भवनों में भी किया जा रहा है। बिजल और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/ परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैस, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश की इंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग, ताकि भवन को धारणीय बनाया जा सके। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल तथा अपशिष्ट जल, आसपास की वायु की गुणवत्ता तथा ध्वनि की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग भी की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। निगमित कार्यालय तथा परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को **व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ओएचएसएएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित

किया गया है। पिछला पुन:प्रमाणन संपरीक्षा अक्तूबर 2015 की गई है जिसके द्वारा कंपनी को अगले तीन वर्षों के लिए पुन:प्रमाणित किया गया है अर्थात दिसम्बर, 2018 तक।

निगमित गुणवत्ता परिषद् तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमश: निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा गया था और इनकी समीक्षा की गई थी। सभी परियोजनाओं तथा परियोजनाओं में आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया गया था। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर-अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, आदि का भी उल्लेख होता है।

13. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी का आमेलन

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने लगभग 15.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर रेल डिब्बा कारखाना, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में सिविल कार्यों सहित सभी विद्युतीय और संबंधित उपकरणों सहित 2 मे.वा. क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र संयोजित ग्रिड के अभिकल्प, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ का कार्य पूरा किया है। संयंत्र पूर्ण रुप से प्रचालनिक है और कारखाने की 21 प्रतिशत इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर रहा है। कंपनी ने पूर्व में संस्थापित 2 मे.वा. सौर उर्जा संयंत्र के अतिरिक्त रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में 1 मे.वा का अतिरिक्त सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किया है।

उर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में अतिरिक्त 10 किलोवाट का रूफ टॉप ग्रिड संपर्कित सौर उर्जा संयंत्र प्रचालनिक किया गया है। यह सौर उर्जा संयंत्र मौजूदा 80 किलोवाट की क्षमता के अतिरिक्त है और इसे हरित उर्जा के प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण के ऊर्जा संपरीक्षा के पश्चात क्रियान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पावर फेक्टर में सुधार करने के लिए निगमित कार्यालय में अतिरिक्त केपेसिटर बैंक संस्थापित किए गए हैं, जो आगे विद्युत उर्जा की खपत को कम करेंगे।

प्रौद्योगिकी आमेलन तथा स्तरोन्नयन

रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में ऊर्जा प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) को प्रचालनिक किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने डीएमआरसी में सभी उपस्टेशन भवनों का निर्माण नवीनतम ऊर्जा कुशल और पर्यावरण सहिष्णु दिशानिर्देशों के साथ किया है, जिसमें एलईडी लाइट, वर्षा जल संरक्षण शामिल हैं।

भारतीय रेल में पहली बार, रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए शिरोपरि उपकरण अभिकल्प कार्य के लिए समन्वय और भौगोलिक सूचना प्रणाली हेतु डिफ्रेंशियल ग्लोबन पोजिशनिंग प्रणाली (डीजीपीएस) के माध्यम से समन्वय हेतु ड्रोन कैमरे का प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात ऑटोकेड की मदद से ओएचई ले-आउट योजनाएं तैयार की जाती हैं। इरकॉन की कतनी-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना के लिए भी ड्रोन कैमरे के प्रयोग की योजना है।

वर्ष के दौरान, रेल विद्युतीकरण परियोजना के लिए मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर खंड में इन-सीटू और प्रीकास्ट में परिपत्रण ओएचई फाउंडेशन को विकसित किया गया था।

आपकी कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) परियोजना के लिए पहली बार स्वदेशी रुप से विकसित 66 किवा उच्च वोल्टता केबल की आपूर्ति तथा कमिशनिंग की है। इनकॉन ने भी डीएमआरसी के विनोद नगर कर्षण उपस्टेशन के लिए 25 किवा इंसुलेटिड स्विचगेयर (जीआईएस) को उन्नत किया है। जीआईएस के प्रयोग से उप स्टेशन के लिए स्थान की आवश्यकता कम हुई है।

नदी के जल के लाभ का प्रयोग करते हुए बांग्लादेश में दूसरे भैरब पुल के लिए कैंटीलीवर विधि द्वारा गिर्डर को उठाने की असामान्य तकनीक का प्रयोग किया गया है। 250 टन क्षमता वाले बार्ज का प्रयोग सड़क क्रेन को उठाने और ट्रस मेंबर्स के लिए किया गया था। सम्पूर्ण बार्ज को कार्यशील स्पैन और मेम्बर्स के समानान्तर लाया गया था। इन मेम्बर्स को रोड क्रेन द्वारा संस्थापित किया गया था। इस प्रक्रिया द्वारा केंटीलीवर लांच समय चक्र को 45 दिनों से 30 दिनों तक कम किया गया था ताकि 102.4 मीटर लंबे ट्रस पुल को संस्थापित किया जा सके। यह बॉटम कॉर्ड में वेल्ड की जाने वाल सामग्री की बचत द्वारा लागत की दृष्टि से भी किफायती है।

इसके अतिरिक्त, शिवोक-रंगपो परियोजना के लिए सुरंगों के निर्माण हेतु नई ऑस्ट्रिया टनलिंग विधि (एनएटीएम) के प्रयोग का प्रस्ताव है। यह विधि जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जहां तीव्रता से परिवर्तित होने वाली भौतिकी के कारण रॉक मास का पूर्वानुमान अत्यंत कठिन है।

14. अनुसंधान एंव विकास (आर एंड डी)

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रुप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 339 आरकेएम के लिए 55.10 लाख रुपए मूल्य की ओएचई ले-आउट योजना के विकास के लिए ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया है।

15. सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी का विकास

सभी क्षेत्रों में आईटी सुविधा को सुलभ बनाने के प्रयोजन से सभी क्षेत्रों को आईटी संभव बनाने के प्रयास किए गए थे।

कंपनी में सभी क्षेत्रों में आईटी सुविधा को सक्षम बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त क्रियाओं को शामिल करने के लिए वित्तीय नियंत्रण माड्युल आधारित एसएपी ईसीसी 6.0 के संवर्धन के लिए प्रयास किए गए थे जैसे भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास का परिकलन करने के लिए स्थिर परिसंपत्ति लेखांकन, बैंक समायोजन प्रणाली, क्रियाशील मुद्रा, स्थानीय मुद्र तथा रिपोर्टिंग मुद्रा में फोरेक्स रिपोर्टिंग, इंड एएस क्रियाशीलता का क्रियान्वयन (आयु विश्लेषण तथा वित्तीय परिसंपत्ति व देयताओं का डिस्काउंटिंग), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -III के अनुसार तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग। संगठन के स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिंग को आरंभ करने के लिए बिजनेस आब्जेक्ट नामक एसएपी (एसएपी बीओ) से नए नया टूल आरंभ किया गया है। यह रिपोर्टिंग टूल एसएपी ईसीसी से वास्तविक आंकड़े लेता है और प्रकाशनयोग्य रिपोर्टें तैयार करता है जैसे तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण, मांग आधारित रोकड़ प्रवाह विवरण आदि। इस ऑटोमेशन से तिमाही/ वार्षिक समाप्ति पर बहियों को तैयार करने व अंतिम रुप देने के लिए अपेक्षित समय और प्रयासों में व्यापक स्तर पर कमी हुई है। कंपनी ने एसएएएस मॉडल पर ई-भर्ती प्रणाली को क्रियान्वित किया है जिसमें भुगतान गेटवे सहित आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, आवेदकों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से एडमिट कार्ड जारी करना व सूचित करना, ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने, तत्काल परिणामों का प्रकाशन जैसी कार्यात्मकताओं शामिल हैं। परियोजना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकों के आयोजन के लिए वीडियों कान्फ्रेसिंग प्रणाली का संस्थापन, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार आदि: संवर्धित कुशलता सुरक्षा तथा क्षमता संवर्धन का लचीलापन प्राप्त करने के लिए सेप ईआरपी अनुप्रयोग हेतु डाटा सेंटर सेवाओं को हायर करना।

वर्ष के दौरान, ऑनलाइन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली तथा अवकाश आवेदन सीएल/आरएच प्रणाली को विकसित और आरंभ की गई है। कंपनी की कार्यालयीन वेबसाइट का नवीकरण किया गया है ताकि सुव्यवस्थित सूचना जैसे आर्किटैक्चर, मोबाइल कम्पैटेबिलिटी, त्वरित पहुंच, ब्राउसर कंसिस्टेंसी तथा कुशल, सुगम नेविगेशन उपलब्ध हो सके। सभी परियोजनाओं के लिए उन्नत पारदर्शिता तथा वित्तीय नियंत्रण और लेखा बहियों, नियत परिसंपत्तियों, एमआईएस, लाभ और हानि हेतु एसएपी ईआरपी एफआई-सीओ माड्युल में संवर्धन किया गया है। निगमित कार्यालय में आगंतुकों के ब्यौरे के उचित अनुरक्षण और आगंतुक सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए आगंतुक प्रबंधन प्रणाली को उन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर तथा भर्ती संबंधी सूचना के लिए दो मोबाइल एप्लिकेशनों को आरंभ किया गया है और ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। तीन और मोबाइल एप्लिकेशनों को विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने डिजिटल संव्यवहारों और नई परियोजना सम्पर्कता के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्यालय में अपने नेटवर्क अवसंरचना को अद्यतन किया है। सूचना और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को नामित किया है।

कागज के प्रयोग को कम करने तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए, सभी क्रियात्मक क्षेत्रों में आईटी के प्रयोग में संवर्धन किया गया है।

16. सर्तकता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित विषयों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है।

सतर्कता विभाग निविदा और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, निगमित कार्यालय से जारी उच्च मूल्य की निविदाओं पर पांच निवारक निरीक्षण किए गए थे। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। दिनांक 1 अप्रैल 2017 से जून 2018 तक कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन 21 शिकायतों में से एक शिकायत को जांच तथा रिपोर्ट के लिए सीवीसी द्वारा अग्रेषित किया गया था तथा 11 शिकायतों का निपटान (सीवीसी को संबोधित शिकायत सहित) कर दिया गया था। इन शिकायतों की प्रकृति में निविदा, संविदा के निष्पादन के दौरान अनियमितताएं, अज्ञात तथा झूठी अज्ञात शिकायतों तथा गुणवत्ता संबंधी विषय शामिल हैं। निष्कर्षों के आधार पर निविदा, संविदा, वित्त परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनियमितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा

जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रमुख तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाए गए पैरों के समापन के लिए भी कदम उठाए गए थे तथा कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के उपायों के रूप में अधिकारियों द्वारा अचल परिसंपत्ति की ऑनलाइन रिटर्न भरने की प्रक्रिया 2012-13 में आरंभ की गई थी और प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है: ऑनलाइन सतर्कता क्लियरेंस की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2014 को इंट्रानेट पोर्टल www.irconnet.com के माध्यम से संगठन में आरंभ की गई है: दिसंबर 2012 से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने की सुविधा के साथ वेबसाइट www.ircon.org.com पर सतर्कता अनुभाग/पोर्टल आरंभ किया गया है: सभी मूल्य के कार्यों में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए वृहत रूप से संगठन में 1 जुलाई 2013 से ई-प्रापण योजना आरंभ की गई है।

सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के लिए निर्धारित प्रकिया / सृजित दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन और इस दिशा में कदम उठाने के लिए संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभावरहित, निर्भय तथा पारदर्शी वातावरण के संवर्धन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रयत्नशील है।

सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभाव मुक्त, निर्भय तथा पारदर्शी वातावरण के संवर्धन के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

17. पुरस्कार

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

1. "निर्माण एवं अवसंरचना विकास (रेलवे)" की श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफ्रा अवार्ड, 2017 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिनांक 2 नवंबर 2017 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में श्री नितिन गडकरी, माननीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग, जहाजराना तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री द्वारा इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस.के.चौधरी को प्रदान किया गया है।

2. वित्तीय श्रेणी (निरंतर विकास) में गवर्नेंस नाव 5वां पीएसयू अवार्ड 2017. यह पुरस्कार दिनांक 27 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सुश्री कृष्ण राज, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री द्वारा प्रदान किया

डन एंड ब्रेडस्ट्रीट अर्वाट 2017

गया और इसे इरकॉन के मुख्य महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) श्री योगेश कुमार मिश्र द्वारा प्राप्त किया गया है।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: मिनी-रत्न श्रेणी-। में दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड पुरस्कार 2017-18. यह पुरस्कार दिनांक 28 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज चौहान तथा माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा प्रदान किया गया है और इसे इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस.के.चौधरी द्वारा प्राप्त किया गया है।

4. विभिन्न सीआईसीसी पहलों के अंतर्गत "मिशन कौशल भारत" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) से सीआईडीसी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्राफी 2018. यह पुरस्कार दिनांक 7 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के समाप्त होने के पश्चात निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए थे:

दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अर्वाड 2017-18

1. इरकॉन को इस्टीट्यूट ऑफ इकोनामिक्स स्टडीस एक्सीलेंट अवार्ड तथा सीएमडी, इरकॉन को उद्योग रत्न अवार्ड। ये पुरस्कार सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल श्री बी.पी.सिंह तथा छत्तीसगढ के भूतपूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त द्वारा 14 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस.के.चौधरी को प्रदान किए गए थे।

उत्कृष्टता पुरस्कार एवं उद्योग रतन पुरस्कार

18. अन्य प्रकटन

क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 की शर्तों के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए निवेश, दिए गए ऋण तथा गारंटी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध वित्तीय विवरण (नोट सं. 40-सी) के नोट का भाग हैं।

ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटन:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रुप में शामिल नहीं किया गया है।

ग. बोर्ड, साधारण बैठक और लाभांश पर सचिवीय मानकों का अनुपालन:

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रुप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-1), साधारण बैठकों (एसएस-2) तथा लाभांश (एसएस-3) पर सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़ कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

घ. जमा राशियां:

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

ड. कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेश:

कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

च. वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

छ. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज. लेखापरीक्षक की रिपोर्टों, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणिया:

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 2017-18 (स्टेंडएलोन और समेकित) में समाविष्ट अर्हता पर प्रबंधन के प्रतिउत्तर को **परिशिष्ट -I** पर प्रस्तुत किया गया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2017-18 में अर्हता पर प्रबंधन का प्रतिउत्तर नीचे प्रस्तुत है:

"दिनांक 21.12.2017 को आयोजित नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की 18वीं बैठक में कार्यवृत्त को दिनांक 27.02.2018 को कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट किया गया है और दिनांक 7.3.2018 को आयोजित 19वीं एनआरसी बैठक में तथा दिनांक 7.3.2018 की निदेशक मंडल की 242वीं बैठक में नोट किया गया है।"

"दिनांक 7.3.2018 को आयोजित नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त तथा दिनांक 8.3.2017 के लिए स्थगित 19वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक

21.06.2018 को कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट किया गया है और इसे दिनांक 21.8.2018 को आयोजित 21वीं एनआरसी बैठक में तथा दिनांक 3.8.2018 की निदेशक मंडल की 244वीं बैठक में नोट किया गया है।"

19. एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया है:

(1) **"सीएसआर एवं धारणीय विकास गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट"** कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ और निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित गतिविधियों/ परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **[परिशिष्ट-ग]**

(2) **प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट** कम्पनी के कार्यों के समग्र परिदृश्य, इसके कानूनी स्तर और स्वायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, विजन और मिशन, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, शक्तियों, अवसरों, सीमाओं, नीति और जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं और साथ ही मानव संसाधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को प्रस्तुत करती हैं।**[परिशिष्ट-घ]**

(3) **कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट,** निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2017-18 तथा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीएमडी/निदेशक वित्त का प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है **[परिशिष्ट-ड.]**। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

   (1) वर्ष 2017-18 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **[अनुलग्नक - ड.-1 पर प्रस्तुत]**;

   (2) वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनियता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक-ड.-2 पर]**; और

   (3) पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक ड.-3 पर]**

(4) सचिवीय लेखापरीक्ष से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट परिशिष्ट-एफ पर संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2017-18 में समाविष्ट अर्हता पर प्रबंधन का प्रतिउत्तर ऊपर पैरा-18एच पर प्रस्तुत है।

(5) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(क) के अनुसरण में, **"वार्षिक रिटर्न का सार"** फॉर्म एमजीटी-9, **परिशिष्ट - छ** पर उपलब्ध है।

(6) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3)(ज) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार यथापेक्षित "फार्म एओसी-2" में **संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटन परिशिष्ट-ज** पर उपलब्ध है।

(7) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, 2017-18 (स्टेंडएलोन तथा समेकित) में समाविष्ट अर्हताओं पर प्रबंधन का उत्तर **परिशिष्ट-झ** पर उपलब्ध है।

20. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2017-18 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. वित्तीय लेखे-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है, तथा

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

21. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं:

सांविधिक लेखापरीक्षक :

के.जी.सोमानी एंड कंपनी	कम्पनी के लिए समग्र रुप से

भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

गुप्ता गुप्त एंड एसोसिएट्स, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
केडीएस एंड कंपनी, मुंबई	मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
के एस बोथरा एंड कंपनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
जिंदल एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
बी गुप्ता एंड कंपनी, पटना	पटना क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं

विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

कर्बल अथमाने, अल्जीरिया	अल्जीरिया
मिडल एंड पार्टनर्स, दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका
जयसिंघे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, श्रीलंका	श्रीलंका
कम्पूलान नागा एंड कंपनी, मलेशिया	मलेशिया
तोहा खान जमान एंड कंपनी, बांग्लादेश	बांग्लादेश

ख. लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने लागू नियमों/मार्गदर्शी नोटों के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण तथा उन पर अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार को लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त किया है।

ग. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षक के लिए मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वर्ष 2017-18 के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है:

भारतीय परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

बवेजा एंड कौल, जम्मू	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र
जे सिंह एंड एसोसिएट्स, मुंबई	मुंबई क्षेत्र
ए आर एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र
गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी, पटना	पटना क्षेत्र
एसबीए एसोसिएट्स, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र
राज के श्री एंड कंपनी, नई दिल्ली	निगमित कार्यालय क्षेत्र

विदेशी परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विदेशी परियोजनाओं यथा बांग्लादेश, अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका का आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के अधिकारियों द्वारा इन-हाउस की गई थी।

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन संरक्षकों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस.के.चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 31.08.2018

स्थान: नई दिल्ली

परिशिष्ट-क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/संशोधित मूल्य
1.	उत्तरी रेलवे के लिए किमी 73.09 से 91.00 धरम-काजीगुंड खंड सहित कटरा- काजीगुंड खंड तथा यूएसबीआरएल परियोजना।	10,135
2	पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेडंरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी-पश्चिम गलियारक के कॉरिडार-III का निर्माण कार्य।	3,273
3	रेल मंत्रालय के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।	2,973
4	I. मध्यपूर्व रेलवे के लिए दोहरीकरण कार्य - (क) आरडीयूएम टीएएल-आरजेओ (रामपुर दूमरा ताल राजेन्द्रपाल) परियोजनाः (ख) कियूल-गया परियोजना, (ग) हाजीपुर-बछवाड़ा परियोजना, II. मध्य पूर्व रेलवे के लिए कियूल-सिंगरौली परियोजना के लिए दोहरीकरण परियोजना।	1,369 (आरडीयूएम-टीएएल-आरजेओ); 757 (कियूल गया); 459(हाजीपुर बछवाड़ा); 348 (कतनी - सिंगरौली)
5	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी-12 के वैतर्णी-सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य।	2,106
6	छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर-1 तथा स्पर लाइन का निर्माण।	1,961
7	नार्थ फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।	1,339
8	निम्नलिखित राज्यों में सड़क उपरि पुलों का निर्माण : (क) रेल मंत्रालय तथा बिहार सरकार के लिए बिहार (चरण-I व II)। (ख) राजस्थान में रेल मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार हेतु ।	1,341 (बिहार), 634 (राजस्थान)

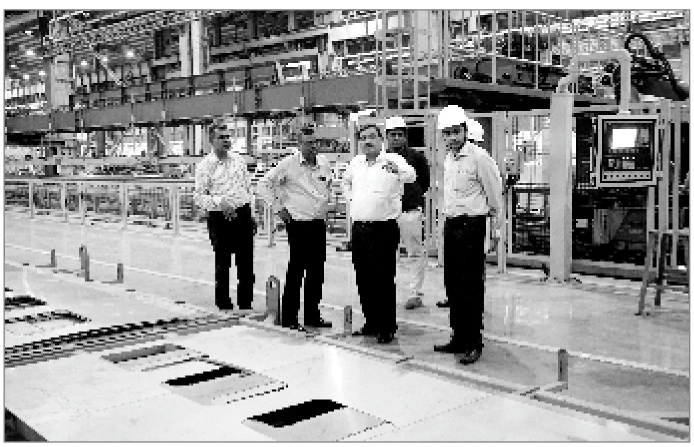

आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली का सीएमडी द्वारा निरीक्षण

जोधपुर, राजस्थान में सड़क उपरिपुल (आरओबी)

सुरंग निर्माण कार्य: शिवोक रंगपो परियोजना, सिलिगुडी, पश्चिम बंगाल

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/संशोधित मूल्य
9	एनएचएआई के लिए एनएचडीपी-चरण :5 -ईपीसी लागत के अंतर्गत डीबीओटी वार्षिकी पर हाइब्राईड वार्षिकी परियोजना के अंतर्गत इरकॉन देवांगरी हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)के लिए कर्नाटक राज्य में रा.राजमार्ग-48 के देवनागरे-हवेरी (किमी 260+000 से किमी 338+923 तक) छह लेन का बनाना।	1,027
10	बिहार राज्य में पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन।	1,012
11	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर-I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर-II, जम्मू राइट), तथा (क्लस्टर-IV) (अखनूर, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा) के अंतर्गत आरएपीडीआरपी-भाग-ख परियोजना	682
12	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड के लिए राजस्थान राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 को चार लेन का बनाने के लिए तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेवड शोल्डर सहित दो लेने का बनाने के लिए मौजूदा बीकानेर -फलौदी खंड को चाड़ा करना व इसका सुदृढीकरण।	681
13	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) के लिए एनएचपीडी के चरण-IV के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.100 (पैकेज-I) तक शिवपुरी से गूना तक चार लेन करना।	670
14	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर/बायपास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।	582
15	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।	525
16	मध्य पूर्व रेल के लिए भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)-बीजलपुरा (नेपाल)(आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	504
17	पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सिग्नलिंग सहित मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर रेलवे विद्युतीकरण परियोजना।	401
18	नॉर्थ फ्रंटियर रेल के लिए जोगबनी (बिहार) भारत से बीरतनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	372
19	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मिजोरम के लिए बाहरी विकास कार्यों और आंतरिक सेवाओं के लिए अभिकल्प, आरेखण और निर्माण कार्य।	330

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/संशोधित मूल्य
20	पीवीवीएनएल के लिए सामग्री की आपूर्ति सहित टर्नकी आधार पर आरएपीडीआरपी भाग -ख योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में प्रणाली सुधार, ए.टी एंड सी संबंधी घाटों को कम करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार, सुदृढीकरण तथा संवर्धन और उपभोक्ता आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का कार्य।	329
21	एनएमडीसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीपी एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेल साइडिंग का निर्माण कार्यः क. पेकेज-। - सिविल और रेल संबंधी कार्यों का निष्पादन। ख. पैकेज-।।-सिविल, सिग्नलिंग तथा दूरसंचार, यांत्रिकी और संरचनात्मक कार्यों का निष्पादन।	283 (पैकेज -I) तथा 79 (पैकेज II)
22	दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।	272
23	आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के लिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास।	262
24	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी-सिंगरौली के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।	258
25	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए अकोरा- अगरतला रेल सम्पर्क परियोजना।	263
26	बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए), दौंड (मध्य रेलवे के लिए), प्रत्येक में 200 तीन-फेज इंजनों के लिए इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।	179
27	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेस-वे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।	311
28	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालीमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास।	251
29	संविदा सीटी-1-कः डीएमआरसी के लिए दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-।।। के लिए मुकुंदपुर डीपो से गिट्टीयुक्त/ गिट्टी रहित रेलपथ सहित एलिवेटिड और भूमिहीन खंडों में मुकुंदपुर - लाजपतनगर (को छोड़कर) लाइन-7 पर आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ।	203

शिवपुरी - गूना

आईएनए, दिल्ली में डीएमआरसी का 66 कि वा उप स्टेशन

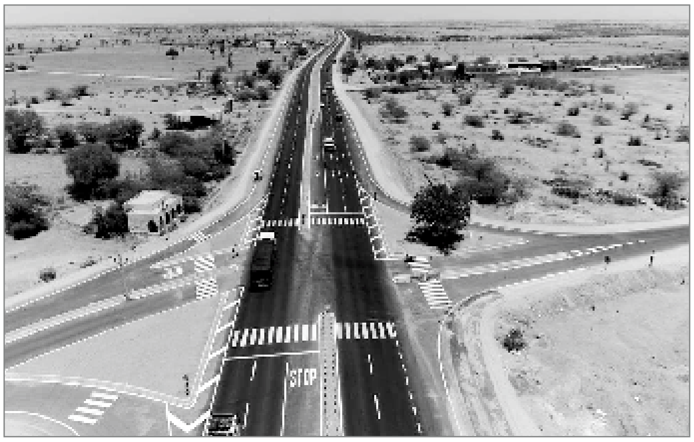

बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना

रेल पुल सं. 17, छत्तीसगढ़

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना/संशोधित मूल्य
30	एनडीएमसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ़ (पैकेज-IV) में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निजी रेलवे साइडिंग के निर्माण के संबंध में नए ब्लॉक स्टेशन, स्टॉफ क्वार्टर तथा संबंधित पी-वे, ओएचई तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार का निर्माण कार्य।	84
31	पूर्व तटीय रेलवे के लिए विशाखापत्तनम (डीजल इंजन शेड) में 100 एचपीपी इंजनों के आवासन के लिए शेड का संवर्धन कार्य।	62
32	एनएमडीसी लिमिटेड के लिए नगरनार में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेल ट्रैक (इन-प्लांट) पैकेज (पैकेज सं.50)।	53
33	भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा संविदा पैकेज सीटीपी-11 जेएनपीटी-वैतर्णी खंड (इरकॉन का भाग 60 प्रतिशत) का सिविल, निर्माण और रेलपथ कार्य।	43
34	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	35
35	पूर्वी रेल के लिए न्यू हावड़ा मंडल रेल कार्यालय भवन का निर्माण।	58
36	ओडीशा राज्य में दर्लीपली सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण-1 (2X800 एमडब्ल्यू) के लिए कोयला पारवहन प्रणाली तथा संबंधित इलैक्ट्रिकल पेकेज के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	26
37	एनटीपीसी लिमिटेड के लिए दर्लीपली सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण-1 (2X800 एमडब्ल्यू) के लिए महानदी कोल लिमिटेड साइडिंग के साथ दुलांग खान - दर्लीपली एसटीपीपी की एमजीआर प्रणाली को जोड़ने वाली रेल के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	10

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
ह/-
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां

क. सहायक कंपनियांः

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है तथा हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वर्ष 2017-18 के दौरान, इरकॉन आईएसएल ने दो परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा (क) म्यांमार में ट्रिलेट्रल राजमार्ग के तमु-किगोने-कलेमा खंड में 69 पुलों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श तथा (ख) म्यामार के चिर राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत म्यामार सीमा (जोरिनपुई)से राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन सड़क के निर्माण के लिए परामर्श परियोजना।

इरकॉन आईएसएल ने चार पीएमसी परियोजनाओं को प्राप्त किया है यथा (i) दो स्थलों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, एक साबरकंठा (गुजरात) तथा दूसरा अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) (ii) दुधोला, पलवल हरियाणा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना (iii) बवाना, न्यू मेहरोली रोड़, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अत्याधुनिक भवन का निर्माण (iv) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के लिए पारादीप (औडीशा) में मल्टीमॉडल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निर्माण। इरकॉन को पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) से सीएसआर तथा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं भी प्राप्त हुई हैं।वर्ष की समाप्ति के पश्चात, इरकॉन आईएसएल को कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के लिए जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे पर नए भौपुर के समीप एमएमएलपी की स्थापना के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए पीएमसी कार्य प्राप्त हुआ है।

इरकॉन आईएसएल द्वारा निष्पादित 24 एमएफसी में से 23 एमएफसी को प्रचालन के लिए उप-पट्टे पर दिया गया है और उप-ठेकेदार द्वारा पट्टा किराए का भुगतान न किए जाने के कारण इनमें से 6 उप-पट्टा करारों को समाप्त कर दिया गया है।

इरकॉन आईएसएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को इरकॉन आईएसएल की प्राधिकृत, अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 65 करोड़ रुपए है।

वर्ष के दौरान इरकॉन आईएसएल की प्रचालनिक आय 32.36 करोड़ रुपए तथा अर्जित कर पूर्व लाभ 18.11 करोड़ रुपए है और कर पश्चात लाभ 13.65 करोड़ रुपए है।

2. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

इरकॉन पीबीटीएल का निगमन इरकॉन द्वारा 30 सितंबर 2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में एक विशेष कार्य वाहन के रुप में किया गया था और इरकॉन पीबीटीएल ने 14 नवंबर 2014 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य लक्ष्य 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 15 पर मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड में 4.200 किमी से 55.250 किमी को चार लेन का बनाना तथा 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना का बनाकर उसका चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य निष्पादित करना है।

एनएचएआई ने 14 अक्तूबर 2015 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्त (एपोइंटिड) तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रुप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य समापन के अंतिम स्तर पर है, बहरहाल, दायित्वों से मुक्त लगभग 4 किमी भूमि खंड की गैर उपलब्धता के कारण विलंब होने की संभावना है।

निमार्ण कार्य पूरा होने तथा तीन स्थनों पर टोल प्लाजा के प्रचालनीकरण और टोल शुल्क एकत्रण के लिए एनएचएआई द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात प्रचालनों की वाणिज्यिक तिथि को अधिसूचित किया जाएगा।

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को इरकॉन पीबीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 175 करोड़ रुपए तथा इसका अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 165 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2018 को, 327 करोड़ रुपए की कुल एनएचएआई अनुदान में से 133.48 करोड़ रुपए की कुल राशि

जारी की गई है, जो कि परियाजना के लिए प्रयुक्त ऋण के अनुपात में हैं।

वर्ष के दौरान, इरकॉन पीबीटीएल ने प्रचालनों से 277.54 करोड़ रूपए का राजस्व (प्रचालनिक टर्नओवर), तथा 1.25 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ तथा 0.83 करोड़ रूपए का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया है।

3. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

इरकॉन एसजीटीएल दिनांक 12 मई 2015 को विशेष कार्य व्यवस्था के रुप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने दिनांक 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में एनएचपीडी के चरण-iv के अंतर्गत अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टाले) पैटर्न पर किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गौना खंड को चार लेन का बनाना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्यों को पूरा करना है। नियुक्ति तिथि से परियोजना की रियायत अवधि 20 वर्ष है और शिवपुरी गूना परियोजना को निष्पादित करने की कुल परियोजना लागत 872.11 करोड़ रुपए है।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल ने 23 नवंबर 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 722.11 करोड़ रुपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्ववर्ती रियायत करार में निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि नियुक्ति तिथि यथा प्रतिस्थापन करार (इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा एनएचएआई के बीच) और एस्क्रो करार (एनएचएआई, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन के बीच) का निष्पादन 04 दिसंबर 2015 को किया गया था।

एनएचएआई ने 25 जनवरी 2016 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्ति तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रुप में नियुक्त किया गया है। निर्माण कार्य आरंभ (सीओडी) होने की तिथि 23 जुलाई 2018 है। तथापि, सीओडी डेढ महीने पहले यथा 6 जून 2018 को ही प्राप्त कर ली गई थी। इस प्रकार टोल प्लाजा का प्रचालन तथा राजस्व एकत्रण दिनांक 7 जून 2018 से परियोजना में आरंभ हो गया है। आरंभ में संभावित मासिक राजस्व 6 से 6.5 करोड़ रुपए है।

इरकॉन एसजीटीएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को इरकॉन एसजीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए है तथा इसकी अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 150 करोड़ है।

वर्ष के दौरान इरकॉन एसजीटीएल ने प्रचालनों से 381.93 करोड़ रूपए का राजस्व (प्रचालनिक टर्नओवर), तथा 0.018 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ तथा (0.065) करोड़ रूपए का कर पश्चात लाभ / (हानि) प्राप्त किया है।

4. इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने एनएचएआई द्वारा कर्नाटक राज्य में देवांगेरे हवेरी परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्तों के अनुसरण में 11 मई 2017 को 'इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)' नामक एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण किया गया है। इरकॉन डीएचएचएल का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4) के देवांगेरे - हवेरी खंड पर किमी 260.00 से किमी 338.923 (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4) को छह लेन का बनाने और उसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करना है। परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है जिसमें नियुक्ति तिथि यथा 24 जनवरी 2018 से आरंभ (30 महीनों) की निर्माण अवधि के 912 दिन शामिल नहीं है और उपलब्ध क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है1 कार्य क्षेत्र में शामिल हैं - प्रमुख कैरेज-वे के 78.923 कमी (राजमार्ग की कुल लंबाई) को पूरा करना तथा प्रमुख पुलों, पुलियाओं, वीयूपी, पीयूपी फ्लाइओवरों तथा अन्य संबंधित कार्य तथा कार्यों सहित 154.654 किमी की सेवा सड़क का निर्माण कार्य।

इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए इरकॉन डीएचएचएल को अभी संगत दस्तावेज एनएचएआई को प्रस्तुत करने हैं। वित्तीय समापन प्राप्त करने और एनएचएआई से नियुक्ति तिथि प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना के निष्पादन का कार्य आरंभ होगा। रियायत करार की शर्तों के अनुसार, कुल बोली परियोजना लागत 1,177 करोड़ रुपए जमा मूल्य वृद्धि है और प्रथम वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत 10 करोड़ रुपए है। ईपीसी संविदा की कुल लागत 1,026.96 करोड़ रुपए है जिसमें से 40 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एचएचएआई और 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एसपीवी को की जाएगी।

इरकॉन डीएचएचएल की वित्तीय स्थिति

720.05 करोड़ रुपए की परियोजना निर्माण लागत का वित्तपोषण 217.05 करोड़ रुपए तथा 503 करोड़ रुपए के क्रमशः इक्विटी और

ऋण द्वारा किया जाएगा। दिनांक 30 जून 2018 को इरकॉन डीएचएचएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 217.05 करोड़ रुपए तथा इसकी अंशदायी व प्रदत्त शेयर पूंजी 20.05 करोड़ रुपए है।

इरकॉन डीएचएचएल द्वारा अपना प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है। वर्तमान में परियोजना निर्माण चरण में है और निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात प्रचालन व अनुरक्षण चरण आरंभ होगा। परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन को ईपीसी संविदाकार के रुप में नियुक्त किया गया है।

5. **इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)**

वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने एनएचएआई द्वारा गुजरात राज्य में वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदान करने की शर्तों के अनुसरण में दिनांक 16 मई 2018 को इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का सृजन किया है।

इरकॉन वीकेईएल का प्रमुख उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन तथा अंतरण आधार पर एनएचडीपी चरण-VI हाइब्राइड वार्षिकी माध्यम (चरण।ए-पैकेज-।।) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पाद्रा खंड तक)आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेस वे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय को निष्पादित करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन वीकेईएल को 12 अक्तूबर 2018 तक वित्तीय समापन प्राप्त करना है। वित्तीय समापन प्राप्त किए जाने और एनएचएआई द्वारा नियक्ति तिथि के निर्धारण के पश्चात ही परियोजना का निष्पादन किया जाएगा।

इरकॉन वीकेईएल की वित्तीय स्थितिः

इरकॉन वीकेईएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपए है और इसकी अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 1 करोड़ रुपए है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी)ः

6. **इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)**

एनएचएआई के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के पिंपलगांव-धुले खंड को चार लेने का बनाने के लिए बीओटी परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन तथा सोमा इंटरप्राइसिस लिमिटेड (निजी क्षेत्र की एक निर्माण कंपनी) द्वारा 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ 19 अप्रैल 2005 को ''इरकॉन-सोमा टॉलवे प्रा.लि.'' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2010-11 में पिंपलगांव-धुले खंड को चार लेने का बनाने की बीओटी परियोजना पूरा हो गई थी और तदनुसार, आईएसटीपीएल 118.158 किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर टोल अर्जित कर रही है।

वर्ष के दौरान, सोमा इंटरप्रासिस ने 6,38,69,999 अंतरण किया, जिनमें से 6,38,70,000 इक्विटी शेयर इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड की द्वारा अपनी सहायक कंपनी यथा सोमा टोलवेस प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित किए गए और केवल एक शेयर सोमा इंटरप्राइसेस के पास रखा गया। उक्त अंतरण के परिणामस्वरुप, इरकॉन, सोमा इंटरप्राइसेस लिमिटेड तथा सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुपूरक प्रमोटर करार निष्पादित किया गया।

आईएसटीपीएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को आईएसटीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 130 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 127.74 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग 63.87 करोड़ रूपए) है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आईएसटीपीएल ने 175.87 करोड़ रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष यह 153.34 करोड़ रुपए था और इसे 9.34 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 11.70 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

आईएसटीपीएल में अपनी 30% शेयरधारिता को बंधक रखने के लिए आपकी कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में, आईएसटीपीएल तथा पीएनबी के साथ त्रिपक्षीय बंधक करार किया है, रियायत करार के समापन की स्थिति में पीएनबी को देय, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50% को पूरा करने के लिए अपनी शेयरधारिता के 21% के लिए गैर-विन्यास शपथ शामिल है। उक्त बंधक करार तथा गैर-विन्यास शपत का निष्पादन वर्ष 2011-12 में आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त किए गए 521.53 करोड़ रुपए के इस ऋण के संबंध मे आईएसटीपीएल में 50% की इक्विटी भागीदारी के रुप में किया गया था। आईएसटीपीएल द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2017 को पीएनबी को उक्त ऋण का भुगतान कर दिया गया है और 17 जनवरी 2018 को शपत जारी की गई थी । इस ऋण से संबंधित ब्यौरा और संबंधित शपत को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रुप मे नोट सं. 7.1 में भी प्रदर्शित किया गया है।

7. **भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आरएलडीए)**

इरकॉन की सहायक कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल, 2012 को किया गया था और इसने 9 मई, 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक

स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशन (स्टेशनों) का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है।

आईआरएसडीसी की पुनर्संरचना और उसे सुदृढ बनाने के लिए रेल मंत्रालय के दिनांक 10 अप्रैल 2017 के पत्र की शर्तों के तहत, वर्ष के दौरान इरकॉन ने आईआरएसडीसी के 1 प्रतिशत इक्विटी स्टेक (इरकॉन द्वारा धारित कुल 20.40 करोड़ रुपए में से (51 प्रतिशत)) आरएलडीए (होल्डिंग 19.60 करोड़ रुपए (49 प्रतिशत)) को अंतरित किया है, और इस प्रकार आईआरएसडीसी को 50:50 की जेवी कंपनी बना दिया गया है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन (नई दिल्ली), आनंद विहार (दिल्ली) तथा सूरत, साबरमती, गांधीनगर (गुजरात) गांधीनगर (जयपुर), अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर तथा बयप्पनहल्ली (बंगलुरु) में 13 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। आईआरएसडीसी द्वारा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) चंडीगढ रेलवे स्टेशन - चंडीगढ स्टेशन के लिए डीपीआर को लगभग 25 लाख वर्गफुट के वाणिज्यिक विकास के साथ केन्द्र शासित प्रशासान द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्टेशन के लिए ईपीसी संविदा दिनांक 15.03.2018 को आमंत्रित की गई है और इसे 04.05.2018 को खोले जाने का कार्यक्रम है। चंडीगढ स्टेशन पर एकीकृत सुविधा प्रबंधन के लिए भी निविदा आमंत्रित किए गए हैं। ईपीसी माध्यम के अनुसार स्टेशन विकास की लागत 172 करोड़ रुपए है। वाणिज्यिक विकास की लागत 680 करोड़ रुपए अनुमानित है।

(ii) हाजीपुर रेलवे स्टेशन - हाजीपुर की भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत है। परियोजना के दिसंबर 2018 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(iii) शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन - व्यापक पार्किंग अपेक्षा सहित स्थानीय विकास नियंत्रण मापदंडों के अनुसार दिनांक 02.03.2017 को पूणे नगर पालिका द्वारा शिवाजी नगर के लिए मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया है। शिवाजी नगर स्टेशन के पुनर्निर्माण, परियोजना की व्यवहार्यता के लिए पूणे स्टेशन के साथ किया जाएगा।

(iv) बिजवासन और आनन्द विहार रेलवे स्टेशन - दोनों स्टेशनों के लिए ईपीसी निविदाएं दिनांक 15.03.2018 को आमंत्रित की गई हैं और यह कार्य प्रगति पर है। भूमि का वाणिज्यिक विकास कार्य, भूमि पट्टा शर्तों को आशोधित करने या मंत्रिमंडल के अनुमोदन से भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के पश्चात किया जाएगा, जिसके लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आनन्द विहार के लिए भी एकीकृत सुविधा प्रबंधन हेतु निवादा आमंत्रित की गई है जिसे दिनांक 06.04.2018 को खोला जाएगा।

(v) सूरत रेलवे स्टेशन - सूरत स्टेशन का पुनर्विकास कार्य सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड (एसआईटीसीओ) नामक एसपीवी के माध्यम किया जा रहा है, जो कि रेलवे, जीएसआरटीसी तथा एसएमसी के पूलिंग भूमि पार्सल द्वारा 2.5 लाख वर्ग मीटर के कुल भूमि प्लाट पर सूरत में मल्टी मॉडल परिवहन हब के विकास के लिए 63:34:3 के अनुपात में क्रमशः आईआरएसडीसी, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) द्वारा इक्विटी भागीदारी सहित दिनांक 17 अक्तूबर 2017 को संयुक्त उद्यम कंपनी के रुप में निगमित किया गया है। रेल मंत्रालय ने गुजरात सरकार की नीति की तर्ज पर इस परियोजना के लिए 90 वर्षों की पट्टा अवधि हेतु सहमति व्यक्त की है। संशोधित मास्टर प्लान के अनुसार मल्टी मॉडल परिवहन हब की अनुमानित लागत 1,185.88 करोड़ रुपए है और वाणिज्यिक विकास की अनुमानित लागसत लगभग 1,365 करोड़ रुपए है।

(vi) गांधीनगर रेलवे स्टेशन - गांधीनगर परियोजना के सिविल कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 45 प्रतिशत है। इस परियोजना के दिसंबर 2018 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

(vii) अमृतसर और गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन - अमृतसर और गांधीनगर स्टेशन को निविदा की अभिकल्प निर्माण ईपीसी मोड के लिए नियोजित है।

(viii) नागपुर, ग्वालियर और बेयप्पनहल्ली - दिनांक 6.11.2017 को दो स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय अभिकल्प प्रतिस्पर्धा की गई थी। तकनीकी सेवा का कार्य ग्वालियर और बेयप्पनहल्ली के लिए मैसर्स वोयांत सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड तथा नागपुर के लिए मैसर्स एनिया आर्किटैक्चर्स को प्रदान किया गया है।

(ix) साबरमती रेलवे स्टेशन - यह रेलवे स्टेशन दिनांक 08.12.2017 को सौंपा गया है। यह कार्य मौजूदा रेलवे स्टेशनों के साथ साबरमती में उच्च गति स्टेशन को जोड़ कर किया जाएगा। आर्किटैक्चरों के इम्पैनलमेंट के लिए सीमिति निविदा आमंत्रित किए गए हैं।

आईआरएसडीसी की वित्तीय स्थिति

आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2018 (इरकॉन द्वारा 20 प्रतिशत धारित) को इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान इरकॉन ने आईआरएसडीसी में इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति 20 करोड़ रुपए का और निवेश किया है, जिसके लिए अभी शेयर आवंटित किए जाने हैं।

8. छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्वी गलियारे (180 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात मे साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड'' (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

सीईआरएल ने छत्तीसगढ राज्य में रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 12 जून 2015 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का क्रियान्वयन निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ पूर्वी रेल गलियारा परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है यथा सीईआरएल-। (खरसिया से धरमजयगढ जिसमें घरघोदा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन शामिल है) तथा सीईआरएल-। (धरमजयगढ से कोरबा)।

क्षेत्रीय रेल यथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसार पांच वर्ष के लिए 175 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत के सवंर्धित माइलेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया है। वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है। भूमि धारकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रति क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा स्टे को दिसंबर 2017 में हटा दिया गया है और छत्तीसगढ राज्य को किमी 0.10 मुख्य लाइन और किमी 0.28 स्पर लाइन के बीच खंड पर कार्य आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सीईआरएली-। के खरसिया से कोरिच्चपर (एकल लाइन-44 किमी) के खंड पर अक्तूबर 2019 तक प्रचालन आरंभ करने का लक्ष्य है।

सीईआरएल-।। के जीएसटी क्रियान्वयनों के साथ संशोधित डीपीआर को दिनांक 12 जून 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित पांच वर्ष के लिए 62 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। वन संस्तुति हेतु भूमि अंकन, चिह्नन कार्य तथा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।वन क्लियरेंस अभिलेखों को सितंबर 2018 तक प्रस्तुत किया जाना है ताकि वित्तीय समापन की प्रक्रिया को दिसंबर 2018 तक पूरा किया जा सके।

सीईआरएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को सीईआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 650 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 306 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग 83.58 करोड़ रूपए है) है। सीईआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

9. छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्व पश्चिम गलियारे (135 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 62:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडी) (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ पूर्वी पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईआरएल)'' नाम संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

क्षेत्रीय रेल यथा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसार पांच वर्ष के लिए 135 किमी की प्रभारीय दूरी पर 40 प्रतिशत के सवंर्धित माइलेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया है। दिनांक 1 जुलाई 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल तथा रेल मंत्रालय के बीच रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय समापन अगस्त 2018 तक प्राप्त किए जाने की आशा है।

सीईडब्ल्यूआरएल की वित्तीय स्थिति :

31 मार्च 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,110 करोड़ रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 504 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग 131.17 करोड़ रूपए है) है। सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

10. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 64:26:10 के अनुपात में क्रमशः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन तथा ओडीशा औद्योगिक विकास निगम (ओडीशा सरकार की नामिती) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी को निगमित किया गया था।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अंगुल-बलराम-झारपाडा नामक नए रेल गलियारे को चयनित किया गया है। इस परियोजना की डीपीआर को दिनांक 29 जनवरी 2018 को पूर्व तटीय रेल (ईसीओआर) द्वारा सैद्धांतिक रुप से अनुमोति किया गया है। रेल संशोधन अधिनियम, 2008

के अनुसार एमसीएल द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि को अभी ईसीओआर के नाम पर अंतरित कराया जाना है और रेल मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रुप में अभी अनुमोदित किया जाना है। रेल मंत्रालय ने परियोजना के लिए 60 प्रतिशत संवर्धित माइलेज को अनुमोदित किया है।

एमसीआरएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को एमसीआरएल की प्राधिकृत, अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख रुपए है।

11. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

झारखंड राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के लिए 31 अगस्त 2015 को झारखंड सेंट्रर रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन किया गया था।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 6 अप्रैल 2016 को जेसीआरएल को 49.2 किमी के कुल मार्ग और 68.7 किमी की रेलपथ लंबाई के लिए झारखंड राज्य में किमी 41.5 से किमी 90.7 तक शिवपुरी को कथौटिया से जोड़ने वाली ब्राड गेज एकल रेल लाइन अंतरण की परियोजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है और संयुक्त जेसीआरएल की रेलपथ लंबाई 68.7 किमी है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जून 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज को स्वीकृति प्रदान की गई है। रियायत करार तथा वित्तीय समापन के अगस्त 2018 तक पूरा होने की संभावना है।इस परियोजना के निर्माण कार्य के 1,445 करोड़ रुपए की अनुमानित निर्माण लागत पर दिसंबर 2018 तक आरंभ होने की संभावना है।वन भूमि के स्टेज-I क्लियरेंस के लिए अवलोकनों के अनुपालन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। रेयाती भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के संवितरण का कार्य हजारीबाग तथा चत्रा दोनों ही जिलों में प्रगति पर है।

जेसीआरएल की वित्तीय स्थितिः

31 मार्च 2018 को जेसीआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपए और इसकी अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 50 करोड़ रूपए हैं।

12. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

छत्तीसगढ़ राज्य में रोउघाट से जगदलपुर (नरायणपुर, कोंडागांव के रास्ते) नई रेल लाइन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ एनडीएमसी लिमिटेड, इरकॉन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ खनिज विकास निगम (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा क्रमशः 43:26:21:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ 05 मई 2016 को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम को निगमित किया गया था।

बीआरपीएल के लिए शेयरधारक करार पर 20 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष के दौरान, एनएमडीसी, इरकॉन, सेल तथा सीएमडीसी के शेयरधारिता पैटन को 52:26:12:10 के अनुपात में संशोधित किया गया है और दिनांक 25 मई 2018 को शेयरधारकों के बीच संशोधित शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, इरकॉन इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है और परियोजना निष्पादन करार पर दिनांक 19 जुलाई 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। रेल मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोनजा रिपोर्ट (डीपीआर) को 50 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज के साथ अनुमोदित किया गया है। जगदलपुर-बस्तर खंड (किमी 0.00 से किमी 23.00) के लिए नीव, संरचना और स्टेशन भवन के निष्पादन के लिए निविदा कार्य को अगस्त 2018 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार ने बस्तर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति जारी की है और आर एंड आर गतिविधियों को आरंभ करने के लिए जिला प्रशासन को 188 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। कोंगागांव जिले के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का मामला भी अंतिम चरण पर है। बस्तर और कोंगागांव में वन क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार है और सितंबर 2018 तक क्लियरेंस प्राप्त किए जाने की संभावना है।

बीआरपीएल की वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2018 को बीआरपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 300 करोड़ रूपए है और इसकी अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी 3.60 करोड़ रूपए (इरकॉन का भाग 1.18 करोड़ रूपए) है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(एस.के.चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 31.08.2018

स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट - ग

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा धारणीयता रिपोर्ट

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रुपरेखाः

इरकॉन की प्रतिबद्धता मितव्ययी, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रुप से धारणीय पद्धति द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपने स्टेकधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है और यह पद्धति पारदर्शी तथा नैतिकतापूर्ण है।

इरकॉन की सीएसआर तथा धारणीयता का बल क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और उर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के संवर्धन, पिछले क्षेत्रों के विकास और समाज के सीमांत और सुविधा-विहीन क्षेत्रों के उत्थान पर है।

कंपनी अधिनियम 2013 तथा सीएसआर के लिए डीपीई के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार, इरकॉन ने अपनी सीएसआर और धारणीयता नीति का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य अपने सामाजिक प्रभाव के माध्यम से सभी पहलुओं में समाज के सशक्तिकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को सक्रीय बनाना है। सीएसआर तथा धारणीयता नीति का उद्देश्य बेहतर विकास के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना है। यह नीति सामाजिक क्षेत्र के विविध पहलुओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करती है ताकि सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समाज के लिए स्वस्थ और सुदृढ जीवन और सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन हेतु मौलिक आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इस नीति में हमारी निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने वाले समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना स्थलों में और आसपास विभिन्न सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया गया है।

अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की प्रक्रिया में, इरकॉन समग्र रुप से समाज में मूल्य निर्माण के संवर्धन पर कार्य कर रहा है और विशिष्ट रुप से उन समुदायों में जहां वह कार्यरत है। यह उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के वृहत उद्देश्य, जिसके साथ और जिनके लिए यह कार्य करता है, सहित धारणीय विकास के संवर्धन में सक्रीय भूमिका अदा करता है। इरकॉन की सीएसआर पहलों ने जनसाधारण के जीवनों को स्पर्श किया है, उनकी सर्वाधिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है और इसप्रकार उनके जीवन में प्रभावपूर्ण अंतर उत्पन्न किया है।

इरकॉन ने सीएसआर गतिविधियों के आयाम में विविध क्षेत्रों पर कार्य किया है जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं आदि के लिए शिक्षा का संवर्धन, लिंग समानता का संवर्धन तथा महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण धारणीयता को सुनिश्चित करना, रोजगार संवर्धक व्यावसायिक कौशल तथा कल्याण गतिविधियां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीएसआर पहलों की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित किया गया है जैसे क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समेकित सामाजिक आर्थिक विकास, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास सीमांत और सुविधा-विहीन समूहों का उत्थान। इनके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य भी किए गए थेः

- जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 31,000 से अधिक पेड़ों के पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और धारणीयता तथा उत्तर प्रदेश व दिल्ली में सौर ऊर्जा प्रकाश का प्रावधान तथा सुरक्षित पेयजल सुविधा का प्रावधान।
- रामबन, जम्मू और कश्मीर; शिवोक रंगपो, पश्चिम बंगाल; और रायबरेली, उत्तर प्रदेश में स्थापित हमारे पीएचसी के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कंपनी के अनवरत सीएसआर गतिविधि के साथ-साथ चिकित्सा शिविरों के माध्यम से कैंसर रोगियों, जनसाधारण के लिए चिकित्सा सुविधा तथा जिमनेजियम के माध्यम से स्वस्थता सुविधा।
- छत्तीसगढ, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडीशा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार।
- जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड राज्यों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल संवर्धन और सक्षमता विकास।

इरकॉन समुदायों, स्कूल के बच्चों तथा जनसाधारण के लिए शौचालयों (सार्वजनिक शौचालयों) के निर्माण द्वारा स्वच्छता और साफ-सफाई के प्रति भी सक्रीय रुप से कार्य कर रहा है। एक उत्तरदायी निकाय के रुप में, कंपनी राष्ट्र के सृजनात्मक विकास

के लिए स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा निधि जक्से राष्ट्रीय अभियानों में भी योगदान कर रही है।

वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजनाओं द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं, जिनकी विभिन्न स्तरों पर सराहना की गई हैः

(i) स्कूल भवन की छत पर 30 किवा रुफ-टॉप सौर पैनलों और एलईडी प्रकाशन के संस्थापन के माध्यम से जनता आदर्श अंध विद्यालय, सादिक नगर, नई दिल्ली की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का स्तरोन्नयन। यह नेत्रहीन बच्चों के लिए आवासीय स्कूल है और वर्तमान में यहां पहली कक्षा से सातवीं कक्षा तक के 120 बच्चे पढते हैं। इरकॉन के इस सीएसआर पहल के परिणाम के रुप में, अब स्कूल प्रतिमाह 23,000 रुपए अर्थात प्रतिवर्ष 2.76 लाख रुपए बिजली बिल के बचा पा रहा है, जिसका प्रयोग नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा रहा है।

(ii) इरकॉन के सीएसआर कार्यक्रम यथा परियोजना मनोबल की सहायता से पिछले छह महीनों में जलगांव, महाराष्ट्र के आठ दिव्यांग विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। इन विद्यार्थियों ने एमपीएससी, एमएसआरटीसी, सीडीपीओ, तथा बीएमसी की परीक्षाएं पास की हैं। इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

(iii) निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) द्वारा बेरोजगार युवा/अ.जा/अ.ज.जा/ओबीसी महिलाओं और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी ने 200 बेरोजगार युवाओं को तीन क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है और 98 उम्मीदवारों को रोजगार भी उपलब्ध कराया हैं, इसके अतिरिक्त 112 उम्मीदवार स्व-रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) कंपनी ने छत्तीसगढ में 179 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके कारण 128 युवाओं को प्लेसमेंट प्राप्त हुई है। यह सीएसआर उपाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) इके सहयोग से किया गया था।

(v) इरकॉन ने हैल्थकेयर तथा ग्रामीण विकास के संवर्धन के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के 10 गांवों में जिमनेजियम की स्थापना की है।

(vi) मध्यप्रदेश में भिन्न रुप से सक्षम 120 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे 38 उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ और अन्य 38 ने स्व-रोजगार आरंभ किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अपंग वित्त तथा विकास निगम के सहयोग से निष्पादित किया गया था।

(vii) पंजाब के गुरदासपुर जिले में बिसनोली सर्वोदय ग्रामउद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन क्षेत्रों में उद्यमी बनने की इच्छुक 120 युवा महिलाओं के एक बैच ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है।

(viii) कमजोर वर्ग के लिए कौशल विकास हेतु इरकॉन के कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई है और निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) द्वारा मिशन कौशल भारत में अपने योगदान के लिए सीआईडीसी पार्टनर इन प्रोगरेस ट्राफी 2018 से सम्मानित किया गया है।

कंपनी ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक मंच के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों और इसके कार्यों के प्रति पारदर्शी परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए एक 'सीएसआर ऐप' आरंभ किया है।

संशोधित सीएसआर तथा धारणीयता नीति 2017 तथा पिछले 7 वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर और धारणीयता की स्थिति निम्नलिखित वेब-लिंग पर उपलब्ध है-

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=424&lang=en

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

वर्तमान में कंपनी में सीएसआर कार्यसूची की मॉनीटरिंग और इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर तथा धारणीयता समिति विद्यमान है। उक्त समिति को मुख्य महाप्रबंधक तथा ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारी और उसके दल द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। नोडल अधिकारी और उसका दल समिति को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन, अनुमोदन तथा मॉनीटरिंग में सहयोग प्रदान करता है।

(क) **सीएसआर तथा धारणीयता समितिः** इस समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 तथा डीपीई सीएसआर तथा धारणीयता दिशानिर्देश, 2014 की शर्तों के अनुसार किया गया है।

समिति के गठन, इसकी कार्यसूची पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि तथा वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.4 में प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट की तिथि को समिति की अध्यक्षता श्री अवनीश माटा स्वतंत्र

निदेशक हैं और श्री नरेन्द्र सिंह रैना, स्वतंत्र निदेशक, श्री राजीव चौधरी, सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी) निदेशक; श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजना) इस समिति के सदस्य हैं।

(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान, श्री सुरजीत दत्ता, मुख्य महाप्रबंधक/वित्त और इसके अधिकारियों के दल सहित नोडल अधिकारी के रुप में सुश्री अनुपम बेन, मुख्य महाप्रबंधक (एचआरएम) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 383.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है।**

4. **वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर बजट 7.67 करोड़ रुपए है**, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

5. **वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा वर्ष के लिए सीएसआर तथा धारणीयता बजट के लिए आवंटित 8.58 करोड़ रुपए की तुलना में अपनी सीएसआर गतिविधियों तथा धारणीयता गतिविधियों पर 8.73 करोड़ रुपए का व्यय किया है।**

6. **सीएसआर तथा धारणीयता समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर तथा धारणीयता नीति (संशोधनपूर्व तथा संशोधित) कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।**

सीएसआर के अंतर्गत कोर्बा, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु मोबाइल कम्प्यूटर लैब

जलगांव, महाराष्ट्र में सीएसआर के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2017-18 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि			2017-18 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2017-18 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि	(3) कुल		
1	गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश में स्टेशन के समीप रेलवे क्रासिंग और दुल्हापुर रेलवे स्टेशन भवन पर दो सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।	स्वच्छ भारत [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) अन्य (2) उ.प्र., गाजीपुर	50.00	36.91	36.91	-	36.91	50.16	सुलभ इंटरनेशनल समाज सेवा संगठन के माध्यम से
2	सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में परिसर और शौचालय का निर्माण		(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ,मदनपुर	5.50	4.40	4.40	-	4.40	4.40	प्रत्यक्ष
3	तीन सामुदायिक शौचालयों का निर्माण		(1) अन्य (2) उ.प्र., गाजीपुर	85.23	85.23	42.62	-	42.62	42.62	सुलभ इंटरनेशनल समाज सेवा संगठन के माध्यम से
4	आगरा मंडल में 200 डस्टबिनों का प्रावधान		(1) स्थानीय (2) आगरा मंडल	23.00	23.00	21.85	-	21.85	21.85	उत्तरी रेल मंडल के माध्यम से
5	स्वच्छ भारत मिशन में योगदान		स्वच्छ भारत कोश, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)	145.00	145.00	145.00	-	145.00	145.00	प्रत्यक्ष
6	रायबरेली परियोजना स्थल पर फलों वाले वृक्षों व अन्य वक्षों का वृक्षारोपण पर्यावरण	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) उ.प्र., रायबरेली	8.60	7.40	6.88	-	6.88	8.08	प्रत्यक्ष
7	ट्यूबवेल लगाकर विभिन्न स्थानों में पेय जल सुविधाओं का प्रावधान	पेय जल [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) बिहार, पुरनिया	14.96	4.49	4.39	-	4.39	14.86	प्रत्यक्ष
8	रायसी, जम्मू और कश्मीर में पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण सहिष्णुता	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) रायसी, जम्मू और कश्मीर	43.70	43.70	17.72	-	17.72	17.72	प्रत्यक्ष
9	जनता आदर्श अंध विद्यालय, नई दिल्ली में सौर ग्रिड और एलईडी प्रकाशन की सुविधाओं का स्तरोन्नयन	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	20.00	20.00	18.82	-	18.82	18.82	प्रत्यक्ष
10	स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान	पर्यावरण [क्र.सं. (iv) अनु.VII]	राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन	145.00	145.00	145.00	-	145.00	145.00	प्रत्यक्ष

(रुपए लाख में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2017-18 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि			2017-18 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2017-18 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि	(3) कुल		
11	बनकूट (बनिहाल) तथा आशरा, जम्मू और कश्मीर में टेलरिंग और एम्ब्राइडरी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	2.00	2.00	0.57	-	0.57	0.57	प्रत्यक्ष
12	बनिहाल, लालगंज, शिवोक में तीन मौजूदा स्वास्थ्य इकाइयों की संचालन और अनुरक्षण लागत	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल मध्य प्रदेश, शिवोक उ.प्र., लालगंज				-	-		प्रत्यक्ष
	बनिहाल			8.00	8.00	6.83	-	6.83	6.83	
	लालगंज			5.00	5.00	4.11	-	4.11	4.11	
	शिवोक			12.00	12.00	4.53	-	4.53	4.53	
13	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अपंग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	भिन्न रुप से सक्षम के लिए रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं (ii) अनुसूचीVII]	(1) स्थानीय (2) मध्य प्रदेश, शिवपुरी-गूना	20.07	20.07	16.06	-	16.06	18.06	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विकलांगता वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से
14	संतरगाछी, शालिमार, बेहाला, सोनागाछी, खेद्रिपुर, चेत्ला तथा आसपास के गरीब क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग और जागरुकता कैंप।	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) पश्चिम बंगाल, संतरागाछी, शालीमार, बेहाला, सोनागाछी, चेत्ला	4.50	1.12	1.13	-	1.13	4.50	ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया के माध्यम से
15	पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनबीसीएफडीसी में अंशदान।	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ, रायगढ	33.60	23.52	19.99	-	19.99	30.07	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से
16	छत्तीसगढ में मोबाइल कम्प्यूटर लैब के माध्यम से एकल विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ	27.00	27.00	21.66	-	21.66	21.66	एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से
17	यात्री सुविधाओं के अंतर्गत बीकानेर और अजमेर मंडल में एम्बुलेंसों का प्रावधान	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) राजस्थान, अजमेर	30.00	5.71	1.04	-	1.04	25.39	प्रत्यक्ष
18	परियोजना स्थल के समीपवर्ती गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार	स्वास्थ्य और स्वच्छता [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	20.00	10.55	11.21	-	11.21	20.66	प्रत्यक्ष

(रुपए लाख में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2017-18 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि			2017-18 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
				कुल	2017-18 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि	(3) कुल		
19	जम्मू और कश्मीर के खेरी क्षेत्र, संगलंदन, संबर, धरम, बराला, गूनी आदि जैसे गांवों में परियोजना क्षेत्र के आसपास समुदाय विकास कार्य।	अवसंरचना विकास [क्र.सं. (x) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2)जम्मू और कश्मीर, खारी क्षेत्र, संगलदान, संबर, धरम, बराला, गुनि	50.00	13.95	13.81	-	13.81	49.86	प्रत्यक्ष
20	जम्मू और कश्मीर के रामबन और रायसी के परियोजना क्षेत्र जिलों के गांवों में स्कूलों के लिए फर्नीचर का प्रावधान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	15.00	15.00	-	-	-	13.48	प्रत्यक्ष
21	एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और सेनिटरी नेपकिन डिस्पोसल मशीनों का प्रावधान	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) महाराष्ट्र, धुले पिंपलगांव	26.00	26.00	16.41	-	16.41	16.41	वात्सल्य फाउंडेशन के माध्यम से
22	बीएसजीएसएस के माध्यम से गुरदासपुर, पंजाब में एक केन्द्र में तीन क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) अन्य (2) पंजाब, गुरदासपुर	20.17	20.17	10.92	-	10.92	10.92	बिसनोई सर्वोदय ग्राम सेवा संस्था के माध्यम से
23	सड़क पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए गौधुली में अंशदान	रोजगार [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	4.00	4.00	3.60	-	3.60	3.60	गोधुली के माध्यम से
24	बीपीएल कैंसर रोगियों के उपचार के लिए आरएएन/एचएमसीपीएफ में अंशदान	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	आरएएल/एचएमसीपीएफ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांण मंत्रालय को अंशदान	30.00	30.00	30.00	-	30.00	30.00	प्रत्यक्ष
25	महाराष्ट्र और गुजरात के प्रत्येक चिह्नित पिछड़े/जनजातीय स्कूलों के लिए पुस्तकालय की स्थापना	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) गुजरात, नवसारी महाराष्ट्र, वनगांव	15.09	15.09	12.82	-	12.82	12.82	प्रत्यक्ष
26	परियोनजा अंकुर - थाणे, महाराष्ट्र में पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) महाराष्ट्र, थाणे	20.00	20.00	9.00	-	9.00	9.00	क्वालिटी एजुकशन सपोर्ट ट्रस्ट
27	जयनगर, बिहार में स्कूली बैगों, इलैक्ट्रिकल पंखों और अध्यापक मेजों का वितरण	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) बिहार , जयनगर	4.26	4.26	3.05	-	3.05	3.05	प्रत्यक्ष
28	मथुरा में मिड डे मील के लिए राइस कुकर और रोलर कन्वेयर का प्रावधान	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) अन्य (2) उ.प्र., मथुरा	21.50	21.50	19.35	-	19.35	19.35	अक्षय पात्र फाउंडेशन
	इन राज्यों में 100 एकल विद्यालयों हेतु अंशदान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]					-	-	-	

(रुपए लाख में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2017-18 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि			2017-18 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2017-18 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि	(3) कुल		
29	हिमाचल	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) हिमाचल प्रदेश, डेरा (कांगड़ा)	20.00	20.00	18.00	-	18.00	18.00	भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से
30	झारखंड		(1) स्थानीय (2) झारखंड, गिरिधी	20.00	20.00	18.00	-	18.00	18.00	फ्रेंडस ट्राइबल सोसाइटी के माध्यम से
31	छत्तीसगढ में रायगढ और कोरबा में 100 एकल स्कूलों हेतु अंशदान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ, रायगढ व कोर्बा	20.00	20.00	18.00	-	18.00	18.00	भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से
32	जम्मू और कश्मीर राज्य में मैसर्स आरोग्य फाउंडेशन के माध्यम से 40 चिकित्सा शिवरों का आयोजन	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, किश्तवार, भदेरवाह, दोदा, रामबन, उद्यमपुर, रामनगर, रायसी, रजोरी, कथुवा, बसोली तथा अखनोर	10.00	10.00	10.00	-	10.00	10.00	आरोग्य फाउंडेशन के माध्यम से
33	नवगांव, छतीसगढ में कम्प्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण और कम्प्यूटरों का प्रावधान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) छत्तीसगढ, नवगांव	18.15	18.15	5.66	-	5.66	5.66	प्रत्यक्ष
34	मैसर्स दीपस्तंभ फाउंडेशन द्वारा भिन्न रुप से सक्षम और गरीब युवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) महाराष्ट्र, जलगांव	50.00	50.00	25.00	-	25.00	25.00	दीप स्तंभ फाउंडेशन के माध्यम से
35	मैसर्स सीआईडीसी द्वारा समाज के बेरोजगार युवा/अ.जा./अ.ज.जा/ओबीसी महिलाओं तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) झारखंड, रांची	93.12	93.12	64.25	-	64.25	64.25	निर्माण आद्योगिक विकास परिषद के माध्यम से
36	मैसर्स एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय द्वारा रोजगार कौशल विषय में अंग्रेजी लैक्चर के लिए इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का प्रावधान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) महाराष्ट्र, मुंबई	25.00	25.00	10.00	-	10.00	10.00	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार		2017-18 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि			2017-18 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2017-18 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि	(3) कुल		
37	मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसिस के माध्यम से 100 आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंशदान	शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) ओडीशा, भुवनेश्वर	30.00	30.00	15.00	-	15.00	15.00	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के माध्यम से
38	मैसर्स संथीगिरी के माध्यम से आयुवेदिक पंचकर्मा उपचार में 20 बीपीएल विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण	रोजगार संवर्धन शिक्षा [क्र.सं. (ii) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	18.60	18.60	4.85	-	4.85	4.85	संथगिरी आश्रम के माध्यम से
39	मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में 10 गांवों में प्रत्येक में एक जिमनेसियम का प्रावधान	स्वास्थ्य [क्र.सं. (i) अनु.VII]	(1) स्थानीय (2) उ.प्र., मुजफ्फरनगर	15.00	15.00	12.65	-	12.65	12.65	प्रत्यक्ष
40	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर कार्यों का मूल्यांकन और सर्वेक्षण, मुद्रण कम्पैंडियम आदि।	स्वास्थ्य , शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास और भिन्न रुप से सक्षम व्यक्तियों को सहयोग	(1) स्थानीय (2)बिहार, छत्तीसगढ, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर आदि	15.00	15.00	-	22.07	22.07	22.07	प्रत्यक्ष
	कुल			1,244.05	1,134.94	851.09	22.07	873.15	996.86	

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

स्थान:नई दिल्ली
तिथि:31.08.2018

ह/-
(दीपक सबलोक)
निदेशक परियोजना एवं
सदस्य, सीएसआर तथा धारणीयता समिति
(डीआईएन 03056457)

ह/-
(अविनीश माटा)
स्वतंत्र निदेशकएवं
अध्यक्ष, सीएसआर तथा धारणीयता समिति
(डीआईएन 00011749)

ह/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अगुआ के रुप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। आपकी कंपनी अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानी जाती है।

आपकी कंपनी ने पिछले 42 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। इसने क्षेत्र तथा भौगोलिक कवरेज दोनों ही दृष्टिकोणों से विविध अवसंरचनात्मक प्रचालक बनने के लिए सक्रीय रुप से कार्य किया है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् वर्ष 1985 से इसने उत्तरोतर निर्माण गतिविधियों तथा अवसंरचनात्मक सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम; रेलवे तथा राजमार्ग निर्माण, सुरंग तथा पुल, रेलवे कारखाने, ईएचवी उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण, शहर ऊर्जा संवितरण नेटवर्क तथा सिग्नलिंग और दूरसंचार एवं एमआरटीएस सक्षमता के प्रमुख क्षेत्र हैं। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को निरंतर प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है।

इन वर्षों में कंपनी ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, इरॉन, इराक, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, म्यामार तथा अफगानिस्तान जैसे देशों सहित अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक अपने प्रचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने विश्वभर में अब तक 25 से अधिक देशों में 127 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है तथा भारत में 380 परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत में विशेष रुप से यह दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में भी परियोनजाओं को निष्पादित कर रही है। हालांकि कम्पनी पहले ही भारत के अनेक राज्यों में परियोजनाएं निषादित कर चुकी है, यह अपने व्यवसाय विकास मॉडल के भाग के रूप में भारतवर्ष में अपने घरेलू प्रचालनों का विस्तार करना चाहती है।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी है तथा अनूसूची-क की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तथा मिनी रत्न श्रेणी-I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रुप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रुप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रुप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरुपता लाने के लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यावसायिक वातावरण

केन्द्रीय सांख्यकीय अधिकारी (सीएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.7 प्रतिशत रहेगी, जो कि वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की विकास दर से कम है। वर्ष 2017-18 के लिए इस निम्न विकास दर के साथ भी, वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि का औसत 7.3 प्रतिशत है, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। निम्न मुद्रास्फीति, उन्नत चालू खाता शेष और डीजीपी से वित्तीय घाटे के अनुपात में कमी के परिवेश में विकास को प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को आरंभ किए जाने के कारण, इस वर्ष में बैंकों की परिसंपत्तियों के गैर-निष्पादन, एफडीआई के भावी उदारीकरण आदि से संबंधित समस्याओं के समाधन के प्रति महत्वपूर्ण उपायों को भी देखा गया है और इसप्रकार सुधारों के गति को सुदृढता प्राप्त हुई है।

विश्व बैंक की हाल की व्यवसाय रिपोर्ट, 2018 में भारत को 100वां स्थान (130 के अपने पिछले स्थान से 30 रैंग का सुधार) प्रदान किया गया है। मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग को Baa3 को बढा कर Baa2 कर दिया है। ऐसा सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों के कारण हुआ है, जिसमें जीएसटी का क्रियान्वयन, ऋणशोधन तथा दिवालियापन कोड, तथा बैंक का पुर्नपूंजीकरण की घोषणा शामिल हैं। औद्योगिक विकास को बल प्रदान करने के लिए अनेक सुधार कार्य किए गए थे जिनमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्टार्ट-अप भारत तथा इंटलैक्चुवल राइट्स नीति शामिल हैं।

सरकार भारत के दीर्घकालीन विकास को सहयोग प्रदान करने के लिए अवसंरचना निर्माण पर समय के साथ अपने निवेश में वृद्धि कर रही है। अवसंरचना विकास के कुछ उपाय नीचे प्रस्तुत किए गए हैं जो आपकी कंपनी को व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सकते हैं:

रेलवे:

सरकार रेलवे क्षेत्र के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा समर्पित मालभाड़ा गलियारा, उच्च गति रेल, उच्च क्षमता रोलिंग स्टॉक, अंतिम मील रेल संपर्कता, पोत सम्पर्कता, तथा निजी और विदेशी प्रत्येक निवेश को आकर्षित करने में प्राथमिकतापूर्ण निवेश शामिल है।

इन उपायों के अतिरिक्त, रेलवे अवसंरचना विकास पर बल दिया जा रहा है। इसमें नए ब्रॉड गेज लाइन को आरंभ करना, दोहरीकरण, विद्युतीकरण का समापन तथा स्टेशन विकास को अवसंरचनात्मक स्तर प्रदान करने पर बल देना शामिल है। स्टेशन पुनर्विकास कार्य को विभिन्न माध्यमों से पूरा किया जा रहा है जैसे क्षेत्रीय रेल, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), स्मार्ट सिटी एसपीवी सहित जेवी, रेलवे पीएसयू तथा राज्य सरकार के साम सहयोग।

सड़कें:

सरकार ने सड़क क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों के साथ जोड़ना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बंद परियोजनाओं की मॉनीटरिंग कर रही है और निधियां उपलब्ध कराकर परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ कर रही है तथा विलंबित परियोजनाओं के समापन में तीव्रता ला रही है। सरकार भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण क्लियरेंसों को सुचारु बनाने, इक्विटी निवेशों के लिए निकासी, प्रीमियम पुन:अनुसूचन, विवादित संकल्प तंत्र का जीर्णोद्धार, विभिन्न स्तरों पर बारम्बार समीक्षाएं आदि।

अधिक सड़क परियोनजाओं को सुलभ बनाने के प्रयोजन से, सरकार ने परियोजनाओं के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) मोड के अतिरिक्त हाइब्राइड वार्षिकी मोड (एयएएम) को आरंभ और स्वीकार किया है। एचएएम मोड में, पूंजीगत व्यय ग्राहक द्वारा शेयर किया जाता है और ईपीसी मोड पर परियोजनाओं की तुलना में निर्माण वर्षों के दौरान डेवलपरों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त टोलिंग का जोखिम सरकार द्वारा वहन किया जाता है, इसप्रकार, वित्तीय संस्थानों से निधियों की सुगम उपलब्धता संभव हो पाती है। इसके अतिरिक्त, अंतरण मॉडल में टोल-प्रचालन माध्यम से परियोजनाओं के मौद्रीकरण, टोल राजस्व की संवीक्षा, अवसंरचना निवेश ट्रस्ट मार्ग को अपनाना, तथा अन्य नवाचार वित्तीय विकल्प जैसे एलआईसी, दीर्घकालीन पेंशन निधि आदि जैसे उपाय किए गा हैं ताकि पहले से प्रचालनिक परियोजनाओं को सुदृढ बनाने के लिए बाजार से नई पूंजी आकर्षित की जा सके।

राजमार्ग क्षेत्र के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 24,800 किमी सड़क निर्माण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय का प्रस्ताव है।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र मे मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इरान तथा अफ्रीकी देशों में अवसर विद्यमान हैं।

वर्तमान परियोजना प्रोफाइल:

वर्तमान में इरकॉन जम्मू और कश्मीर में, शिवोक-रंगपो, जयनगर (भारत) से बीजलपुरा (नेपाल), जोगबनी से बिराटनगर, आदि में रेल लाइन के निर्माण; रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने; कतनी सिंगरौली दोहरीकरण परियोजनाओं, रामपुर दोमरा ताल राजिंदरपाल, कियूल-गया और हाजीपुर-बछवाड़ा, बोंडामुंडा, दौंड और मुगलसराय में तीन विद्युत इंजन शेड; बिहार में सड़क उपरिपुल और झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें; डीएफसी परियोजना के वैतर्णी-सचिन खंड के सिविल, भवन निर्माण और रेलपथ का अभिकल्प और निर्माण कार्य तथा डीएफसी परियोजना के जेनपीटी वैतर्णी खंड; छत्तीसगढ में नगरनार में रेलवे साइडिंग का निर्माण और दरलीपली सुपर थर्मल पावर परियोजना; जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में आरएपीडीआरपी भाग-ख परियोजना के अंतर्गत विद्युतीय कार्यों; कतनी ग्रेड सेपरेटर; मथुरा-कासगंज-कल्याणपुर, कतनी-सिंगरौली आदि के लिए रेल विद्युतीकरण परियोजना, रेल निगम चारण-।।। मेट्रो कार्य के लिए रिसीविंग-कम-ट्रैक्शन तथा ऑसलरी मेन उपस्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन आदि तथा एनआईटी, मिजोरम में विकास कार्य आदि का निष्पादन कर रही है।

आपकी कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में (यथा 2015-16 से 2017-18) सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विशेष प्रयोजन व्यवस्था के रुप में तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का भी निर्माण किया है अर्थात इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (राजस्थान राज्य में डीबीएफओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को सुदृढ बनाने) तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी के चरण- चार के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गूना खंडा को चार लेने का करना) और इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (कर्नाटक राज्य में एचएएम आधार पर देवांगेरे-हवेरी खंड को छह लेने का करने के लिए)। आपकी कंपनी को आगे और सड़क परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं यथा वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचएआई से गुजरात राज्य में किमी 323.00 से 355.00 तक वडोदरा किम एक्सप्रेसवे को आठ लेन का बनाना, जिसके लिए वर्ष के समापन के पश्चात एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यथा वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड का निगमन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी छत्तीसगढ राज्य में कोयले के संचलन के लिए रेल संपर्कता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पांच

विशेष कार्य प्रयोजन (एसपीवी) कंपनियों में स्टेकधारक हैं। तीन ऐसी एसपीवी हैं - छत्तीसगढ राज्य में छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड तथा बस्तर रेलवे प्रा. लिमिटेड तथा ओडीशा और झारखंड राज्यों में एक-एक यथा क्रमश: महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड।

आपकी कंपनी इन देशों में परियोजनाएं निष्पादित कर रही है - नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया तथा बांग्लादेश।

दृष्टिकोण

कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क. विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

ख. मिशन

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की कुल आय 4123 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2016-17 में 3254 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई थी। कुल आय का लगभग 95% यथा 3896 करोड़ रुपए प्रचालनों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 15.43% विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है यथा 601 करोड़ रुपए।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 83.83% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और अल्जीरिया में परियोजनाओं का योगदान है। कर पूर्व लाभ 2016-17 में 531.54 करोड़ रुपए से 2017-18 में 533.31 करोड़ रुपए हो गया है जो 0.33% की वृद्धि को दर्शाता है। कर पश्चात लाभ में भी 5.97% की वृद्धि हुई है, जो 2016-17 में 368.85 करोड़ रुपए से बढकर वर्ष 2017-18 में 390.86 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 1.99% की कमी हुई है, जबकि प्रति शेयर आमदनी 2016-17 में 37.27 रुपए (पुन:निर्धारित) से बढकर वर्ष 2017-18 में 40.01 रुपए हो गई है जो कि 7.35% की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी का टर्नओवर वृद्धि का रूझान दर्शाता है और कंपनी को नई परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं जिससे आर्डर बुक में लगभग 22407 करोड़ रूपए तक की वृद्धि हुई है।

प्रदत्त अंतरिम लाभांश और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने वाले और घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश का ब्यौरा आगामी साधारण वार्षिक बैठक में निदेशक की रिपोर्ट मे वित्तीय विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत पैरा-घ में प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रचालनिक निष्पादन

क. क्षेत्रीय निष्पादन :

रेलवे उच्चतम प्रचालनिक आय में अंशदान करने वाला मूल क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2017-18 के दौरान राजमार्ग और विद्युत, अन्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं जिन्होंने प्रचालनिक आय में क्रमश: 21.79 प्रतिशत और 2.28 प्रतिशत का योगदान किया है। पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्र	2017-18		2016-17*		2015-16*	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	2,904	74.54	2,098	69.25	1,922	79.12
राजमार्ग	849	21.79	592	19.67	239	9.80
इलैक्ट्रिकल	89	2.28	255	8.45	199	8.23
भवन	48	1.23	78	2.60	67	2.77
अन्य	6	0.16	1	0.03	3	0.08
कुल	**3,896**	**100**	**3,024**	**100**	**2,430**	**100**

* आंकड़ों को पुन:समूहित किया गया है।

ख. सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन:

वर्ष 2017-18 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान 15 प्रतिशत रहा जबकि 2016-17 में यह 10% था। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्र	2017-18		2016-17*		2015-16*	
	कुल आय	प्रतिशत	कुल आय	प्रतिशत	कुल आय	प्रतिशत
विदेशी	622	15	339	10	506	18
घरेलू	3,501	85	2,915	90	2,354	82
जोड़	4,123	100	3,254	100	2,860	100

* आंकड़ों को पुन:समूहित किया गया है।

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं, विशाल वित्तीय व्यवस्था जो (निरंतर लाभ प्रदत्त तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होती है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। कार्य को ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्ण रुप से समय पर निष्पादित करना कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

आपकी कंपनी ने सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर निर्धारित अनुसूचियों को पूरा करते समय आर्थिक समाधानों और गुणवत्तापूर्ण आउटपुट उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और विधियों को विकसित किया है। अपनी विशेषज्ञता और कार्य के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपकी कंपनी ने ना केवल अपने कार्य के क्षेत्र का व्यापक विस्तार किया है बल्कि देश की भौतिक सीमाओं के पार जाने के लिए भी स्वयं को तैयार किया है। वृहत भौगोलिक कवरेज ने डीबीएफओटी/ईपीसी/एचएएम/वार्षिकी तथा संयुक्त उद्यमों/एसपीवी के माध्यम से परियोजना विकास और प्रचालनों के प्रति विविधता में कंपनी को मदद मिली है। कंपनी ने राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तीन परियोजना विशिष्ट एसवीवी का सृजन किया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आपकी कंपनी के मुक्त बाजार में धारणीय विपणन प्रयासों तथा विशेषज्ञता के परिणामस्वरुप राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एचएएम आधार पर आठ लेन वाले वडोदरा-किम एक्सप्रेसवे (पैकेज-।।) के लिए परियोजनाएं प्राप्त की हैं, जिसके लिए वर्ष के समापन के पश्चात परियोजना विशिष्ट एसपीवी का सृजन किया गया है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए मैक्रो स्तर पर अनेक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पहल के साथ अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पिछले कुल वर्षों में पुन:जागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है, विशेष रुप से रेल क्षेत्र में। छत्तीसगढ, ओडीशा तथा झारखंड राज्यों में अधिकतम संख्या में अन्य संबंधित तथा लाभप्रद परियोजनाओं के लिए निरंतर प्रयासों के कारण आगामी वर्षां में और अधिक व्यवसाय प्राप्त होगा।

वर्ष 2019-2022 के दौरान, क्रिसिल अनुसंधान ने निर्माण क्षेत्र में 54 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 22.2 ट्रिलियन का अनुमान लगाया है। इसमें से लगभग 93 प्रतिशत अवसंरचना निवेशों से जबकि शेष उद्योग से है। अवसंरचना निवेशों में विकास, सरकारी पहलों और बजटीय सहायता से प्ररित होते हैं, विशेष रुप से सड़क, सिंचाई, शहरी अवसंरचना तथा रेल के क्षेत्र में। अगले 4 वर्षों में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा निवेश से रेलवे में निर्माण अवसरों के दुगुना होकर 3.1 ट्रिलियन होने की संभावना है विशेष रुप से नेटवर्क सरलीकरण, विस्तार और संरक्षा, जो कि इस अवधि के दौरान रेलवे में कुल निवेश का आधे से अधिक था। प्रमुख क्षेत्रों जैसे नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेलपथ नवीकरण, और विद्युतीकरण में निवेश वित्तीय वर्ष 2019-2022 के दौरान निर्माण अवसरों के 73 प्रतिशत यथा 2.3 ट्रिलियन हो जाएगा, जिसमें इस अवधि के दौरान 31 प्रतिशत के उच्चतम शेयर के लिए डबल लेखांकन होगा। क्रिसिल अनुसंधान के अनुसार भी रेलवे क्षेत्र में निवेशों के वित्तीय वर्ष 2015-2018 में 3.9 ट्रिलियन से 77% बढकर वित्तीय वर्षों 2019-2022 में 6.8 ट्रिलियन होने की संभावना है।

आपकी कंपनी को भारत तथा विदेश दोनों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार रेल परियोजनाओं, राजमार्गों तथा सड़कों के निर्माण में अनुभव प्राप्त है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में व्यय को बढाने के प्रस्ताव के साथ आपकी कंपनी को मेट्रो रेल परियोजनाओं; गौण शहरों, पोतों तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों को सम्पर्कता जैसे क्षेत्रों में भारतीय राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के साथ आवासीय

क्षेत्रों को जोड़ना; राजमार्ग क्षेत्र के लिए भारतमाला परियोजना; ब्रॉड गेज लाइनों का प्रचालन आरंभ; स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम, आदि जिसे स्टेशनों के समीप वाणिज्यिक विकास के माध्यम से किया जाना है।

ईपीसी, डीबीएफओटी, एमएएम तथा एनिविटी आधार पर उच्च मूल्य परियोजनाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। आपकी कंपनी ने बीओटी/डीबीएफओटी/एचएएम आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एसपीवी के रुप में चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का निर्माण किया है और भारत के तीन राज्यों में कोल सम्पर्कता परियोजनाओं के लिए सृजित संयुक्त उद्यम कंपनियों में अपनी नीतिगत शेयरधारिता रखी है। इस अनुभव के साथ, कंपनी रेलवे तथा राजमार्ग क्षेत्र में ईपीसी एचएएम तथा वार्षिकी आधार पर नई परियोजनाओं के निष्पादन मॉडलों के अंतर्गत टर्नकी परियोजनाओं के लिए तैयारी कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समर्पित दल भी विद्यमान है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अफ्रीका के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा बांग्लादेश के लिए 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के नए लाइन ऑफ क्रेडिक के लिए भारत की प्रतिबद्धता से थाइलैंड, कीन्या, इथोपिया, बांग्लादेश आदि जैसे देशों में कार्य प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। परिवहन मंत्रालय, मलेशिया और इरान सरकार के साथ, सरकार से सरकार आधार पर बड़ी रेल परियोनजाओं के निष्पादन के लिए भी अवसर विद्यमान है।

नई प्रौद्योगिकी तथा निर्माण पद्धतियों को अपनाने से प्रतिस्पधियों से बहतर स्तर सुनिश्चित हो पाता है और इस प्रकार, विश्वसनियता स्थापित होती है और इसके परिणामस्वरुप आर्डर मूल्य, ग्राहक संतोष में संवर्धन होता है तथा इससे कंपनी के राजस्व पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कंपनी अपनी श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है और कुछ नई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को आरंभ कर रही है जिसके लिए नई/अद्यतन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ऐसी परियोजनाओं में, सीमित प्रतिस्पर्धा होती है और मार्जिन ऊंचे हो सकते हैं, तथापि विधिवत कार्य विधि की आवश्यकता होती है क्योंकि इनमें जोखिम भी अधिक होता है। विशेष रुप से टीबीएम से टनलिंग और क्षेत्रीय वायाडक्ट निर्माण, अभी के लिए ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां इरकॉन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण कर सकती है और घरेलू बाजार में भी परियोजनाएं आरंभ कर सकती है। अन्य क्षेत्र परमाणु संयंत्र निर्माण की परियोजनाओं के सिविल कार्य हो सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां नई प्रौद्योगिकी तथा वास्तविक पेशेवर विशेषज्ञों की आवश्यकता है और इरकॉन के पास अनुभवी लोगों के व्यापक भंडार के कारण यह क्षमता विद्यमान है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है।

चूंकि इरकॉन रेल अवसंरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है तथा राजमार्ग क्षेत्र में महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए विगत में कंपनी को रेल व्यवसाय में उचित अंश प्राप्त करने में सफलता मिली है। तथापि, रेल तथा राजमार्ग क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंपनियों के आने के कारण कंपनी के लिए मद दर संविदा में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा अर्हता अपेक्षाओं में कमी किए जाने और बड़ी संख्या में ठेकेदारों के रेलवे क्षेत्र में आने से इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।

अवसंरचना के क्षेत्र में अधिकतर उभरती हुई निजी कंपनियां अपनी आर्डर बुक की स्थिति में वृद्धि करने और बाजार के बड़े भाग पर कब्जा करने के लिए उच्च जोखिम लेने को तैयार है और निम्न लाभों पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

कंपनी निर्माण उद्योग के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और प्राइस कटिंग वातावरण में प्रचालन कर रही है जहां प्रचालन के परम्परागत क्षेत्रों में संवर्धित बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ अर्जिन कम हो रहे हैं। सरकार की नीति में परिवर्तन और निजी पक्षों को उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार द्वारा शेयरों के प्रस्तावित विनिवेश के कारण, भारतीय रेल और अन्य सरकारी एजेंसियों से नामांकन आधार पर आने वाले नए कार्य आदेशों में कमी होने की संभावना है। इसलिए, कंपनी को उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं जैसे उच्च गति रेल परियाजनाएं तथा पीपीपी निवेश परियोजनों में अपने कदम बढाने के लिए अपना विस्तार करने के लिए तैयार होना होगा।

रणनीति

अपनी महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित करने के प्रति प्रयत्नशील है।

कंपनी क्षेत्रीय तथा भौगोलिक कवरेज दोनों ही क्षेत्रों में अपने प्रचालन व्यवसाय में विविधता ला रही है। यह अपने प्रमुख क्षमता वाले क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय पर बल देकर अपनी आर्डर बुक को स्थिर बनाए रखने व उसमें सुधार करने के लिए नीतिगत व्यवसाय विकास के प्रति ध्यान केन्द्रित कर रही है। कंपनी उच्च आर्डर मूल्य की परियोजनाओं के निष्पादन की ओर ध्यान दे रही है और इस प्रकार अपनी प्रमुख क्षमता को सुदृढ बना रही है जैसे रेलवे, राजमार्ग, इलैक्ट्रिक उपस्टेशन, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा रेल विद्युतीकरण। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा

निष्पादित बीओटी/डीबीएफओटी/ईपीसी तथा कोयला सम्पर्कता परियोजनाओं के पोर्टफोलियों को व्यापक बनाकर अपने राजस्व सृजन के आयामों में वृद्धि कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी सम्पूर्ण औद्योगिक सेगमेंट में तथा घरेलू परियोजनाओं की तुलना में विदेशी परियोजनाओं के बेहतर लाभ मार्जिनों को प्राप्त करने के लिए अन्य देशों से आर्डर में वृद्धि द्वारा विविधता की अपनी नीति को जारी रखे हुए है। इसके अतिरिक्त, हालांकि यह पोर्टफोलियों विविधीकरण के माध्यम से रेल सेक्टर पर अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है, यह विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों के प्रति सुरक्षा के लिए आशावान है, और स्वयं को बाजार परिवर्तनों से सुरक्षित रखे हुए है जिसके परिणामस्वरुप विशिष्ट उद्योग क्षेत्र तथा/या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। बढते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी अपने द्वारा की जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या की तुलना में या इससे बेहतर विस्तार दर के साथ अपने व्यवसाय में निरंतर विकास कर रही है।

अपनी नीति के रुप में पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्श) के बड़े स्तर की परियोजनाओं के प्रबंधन के अनुभव के आधार पर अवसंरचनात्मक क्षेत्र में संविदाओं के लिए इरकॉन की नीति को संशोधित करने के अतिरिक्त यह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां इरकॉन अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकती है। इरकॉन विगत में तथा वर्तमान में रियल इस्टेट तथा भवन निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है और इस प्रकार उसके पास वह अपेक्षित अनुभव है जिसे अन्य व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश के लिए समय के साथ-साथ विकसित किया गया है। इस संबंध में, आवश्यकता के अनुसार, पीएमसी के विभिन्न कार्यों के लिए भारतीय बाजार के दोहन के लिए भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़ किया जा सकता है।

कंपनी बीओटी/डीबीएफओटी आधार पर टर्नकी परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है और वह सरकार द्वारा आरंभ हाइब्राइड एनिविटी मोड (एचएएम) जैसे नए परियोजना निष्पादन मॉडल के अंतर्गत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयारी कर रही है।

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार की रुचि, विशेष रुप से रेल क्षेत्र में, ने कंपनी के लिए प्रमुख व्यवसाय को प्राप्त करने के अवसर खोल दिए हैं। कंपनी अपने स्थापित परियोजना निष्पादन ट्रैक रिकार्ड का लाभ प्राप्त कर रही है और अपने अवसंरचना कार्य अनुभव को परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल तथा औद्योगिक निर्माण, तथा अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की ओर परिवर्तित कर रही है। निष्पादन गुणवत्ता और निरंतर विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशिष्ट परियोजना निष्पादन के साथ कंपनी आगामी वर्षों में नए व्यवसाय अवसरों को प्राप्त करेगी।

आपकी कंपनी उच्च आर्डर मूल्य वाली परियोजनाओं के निष्पादन की ओर ध्यान केन्द्रित कर रही है यथा 5000 मिलियन से ऊपर की परियोनाओं पर विचार कर रही है। सैद्धांतिक रुप से, उच्च आर्डर मूल्य की परियोजनाओं में विशिष्ट रुप से कुल लागत के प्रतिशत की तुलना में शिरोपरि व्ययों का प्रतिशत कम होता है और इसलिए यह लाभ के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त, चालू बाजार में उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा भी कम है। आपकी कम्पनी का मानना है कि ये पूर्व-अर्हता अपेक्षाएं इस आकर्षक क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजनाओं को आकर्षक बनाती हैं। कंपनी की नीति है कि कंपनी द्वारा वर्तमान में की जा रही उच्च मूल्य की परियाजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करके बाजार में उच्च मूल्य परियोजनाओं में स्वयं को दृढता के साथ स्थापित करना है ताकि इन उच्च प्रवेश बाधाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा मुख्य महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर का एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। त्वरित कार्यदल तथा आंतरिक लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है। परियोजनाओं से सृजित होने वाले राजस्व का पूर्वानुमान कठिन है और इसमें विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन की संभावना रहती है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनेलेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए "सीएआरई एएए" रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा जनवरी, 2018 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुन:पुष्टि की गई है।

इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है।

विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनियमित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रुप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रचालन तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित अभिकल्पित तथा निरंतर सुदृढ प्रणाली से कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन को अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, तथा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावपूर्ण आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करता है और इनके प्रस्तुत होने पर समय पर इनके संसूचना में सहायता करती है।कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

कंपनी में प्रभावी और समयनिष्ट आंतरिक सम्प्रेषण विद्यमान है ताकि प्रबंधन और स्टाफ अपने आंतरिक और अन्य दायित्वों का तथा अन्य पक्षों के साथ बाहरी सम्प्रेषणों को कुशलतापूर्वक निष्पादित कर सकें। प्रबंधन कंपनी के संबंध में वित्तीय स्थिति और प्रचालनों को उचित रुप से समझने के लिए आवश्यक सभी वित्तीय और बजटीय तथा कार्यक्रम संबंधी सूचनाओं का प्रकटन करता है। कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां, उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति, जो तिमाही से अर्धवार्षिक होती है, प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और समापन के प्रतिशत पर निर्भर करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है, जो निविदा प्रकिया से लेकर सांविधिक अनुपालनों तक के क्षेत्रों को शामिल करता है। क्रियान्वयन हेतु इन्हें आंतरिक लेखापरीक्षकों को जारी किया जाता है ताकि आंतरिक लेखापरीक्षक प्रणाली को अधिक कुशल और परियोजना विशिष्ट बनाया जा सके इन-हाऊस पेशेवरों द्वारा विभागीय निरीक्षणों के अतिरिक्त ऑनलाइन/ ऑफलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होते हैं, जिनकी नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है और वे सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार-संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी में वित्तीय-नियंत्रण मॉड्यूल आधारित एसएपी ईसीसी 6.0 विद्यमान है, इसमें प्रविष्टियां किए जाने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्नत पारदर्शिता और वित्तीय नियंत्रण तथा सभी परियोजनाओं के लिए एमआईएस, लाभ और हानि तथा स्थिर परिसंपत्तियों व लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एसएपी ईआरपी एफआई-सीओ मॉड्यूल का संवर्धन किया गया है। वर्ष के दौरान, ऑनलाइन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और अवकाश आवेदन सीएल:एचआर प्रणाली को विकसित और आरंभ किया गया है।

जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है वहां आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। इरकॉन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ बनाने के लिए व्यावसायिक एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशों का क्रियान्वियन कर दिया गया है और शेष का किया जा रहा है ताकि आंतरित वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ बनाने के लिए किया जाएगा। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी

परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका समाधान प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जाता है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निधारण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पूर्व लाभ जैसे अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात अंतरण चिकित्सा लाभ उपलब्ध करा रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा दूसरी निगमित इरकॉन इंटर परियोजना क्विज का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों के शिक्षण और ज्ञानवर्धन के लिए सहायक सामग्री के रूप में व्यापक क्षेत्र के शीर्षक शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इरकॉन ने इरकॉन निगमित क्विज आरंभ की है, जिसका मुख्य केन्द्रीय गुणवत्ता और ओएचएसएएस अनुपालन और कंपनी के अन्य पहलू शामिल हैं।

31 मार्च 2018 को कर्मचारियों की संख्या 1662 है। वर्ष 2017-18 में पलायन दर 3.15 प्रतिशत थी, जहां 37 कर्मचारियों ने संगठन को छोड़ा।

मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क आधारित सक्षमता के निर्माण के उद्देश्य से, कंपनी की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधन संगठन के कौशलों के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चिह्नित और निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान, कर्मचारी विकास के भाग के रुप में, कर्मचारियों को कुल 2194 श्रमदिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कंपनी के पास अगले कुछ वर्षों हेतु मानव संसाधन के लिए व्यापक विकास योजना विद्यमान है, और भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थानों जैसे आईएसबी हैदराबाद, एचबीएस (इंडिया सेंटर), मुंबई आदि से वरिष्ठ प्रबंधन के लिए 3-5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम विशिष्ट रुप से तैयार किए गए हैं।

कंपनी की पदारोहण नियोजन नीति व्यवसाय के चालू तथा अनुमानित उद्देश्यों की तर्ज पर कर्मचारियों के चिह्नन विकास और प्रतिधारण हेतु एकीकृत तथा सुव्यवस्थित परिदृश्य उपलब्ध कराती है। कंपनी की पदारोहण नियोजन नीति के अंतर्गत ई 7-ई 9 स्तर के 29 कर्मचारियों को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करने के लिए संभावित नेतृत्व के पदारोहण पूल के रुप में विचार किया गया था। भावी नेतृत्व के इस पूल को तराशने के लिए वर्ष के दौरान आईआईएम अहमदाबार में नेतृत्व और प्रबंधन विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

परिशिष्ट - ड.

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी का दर्शन

1.1 कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है **"व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"**

1.2 निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए **कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं:-**

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में कार्यरत

ग. कार्य में उत्कृष्टता

घ. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा

ड. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(5) के अनुसरण में, इरकॉन एक सरकारी कंपनी है और कंपनी की 99.715 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी भारत में राष्ट्रपति महोदय के माध्मम से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है।

31 मार्च 2018 को हमारे बोर्ड में तीन पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक परियोजना), दो सरकारी नामिति (अंशकालीन (सरकारी)) निदेशक तथा छह स्वतंत्र(अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) शामिल हैं।

2.2 वर्ष 2017-18 के दौरान तथा अंतिम एजीएम को बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम व पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति (28.09.2017 को आयोजित)
	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	
क्रियाशील निदेशक (पूर्णकालीन)			
श्री एस.के.चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10	10	हां
श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना	10	9	हां
श्री हितेश खन्ना निदेशक कार्य [28.03.2018 (पू.) तक]	10	8	हां
श्री एम.के.सिंह निदेशक वित्त	10	10	हां
सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी) निदेशक			
श्री राजीव चौधरी	10	8	हां
श्री एस.सी.जैन (17.11.2017 तक)	6	3	हां
श्री वेद पाल (22.11.2017 से)	4	2[#]	*
स्वतंत्र (अंशकालीन गैर सरकारी) निदेशक			
श्री एस.के.सिंह	10	10	हां
श्री अविनीश माटा	10	10	हां
प्रो वसुधा.वी.कामत	10	8[#]	हां

निदेशक का नाम व पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति (28.09.2017 को आयोजित)
	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	
डॉ.सी.बी.वेंकटरमन (28.09.2017 से)	6	6	हां
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना (17.10.2017 से)	5	1	*
श्री ए.के.गंजू (08.03.2018 से)	1	1	*

** पिछली वार्षिक साधारण बैठक की तिथि को इरकॉन के निदेशक नहीं थे।*

 # दिनांक 07.03.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 242 बैठक जो दिनांक 08.03.2018 को जारी रही (स्थगित और 20 मार्च 2018 को आयोजित तथा 21 मार्च 2018 को जारी) को एक बैठक माना जाएगा। श्री वेद पाल तथा प्रॉ वसुधा.वी.कामत को क्रमश: दिनांक 07.03.2018 और 21.03.2018 को आयोजित बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त बैठकों के लिए उनकी उपस्थिति को माना गया है।

2.3 31 मार्च 2018 को अन्य कंपनियों में निदेशक, समिति सदस्यता और समिति अध्यक्षता का ब्यौरा:

निदेशकों के नाम व पदनाम	कंपनियों/ निगमित निकायों के निदेशक पद (इरकॉन को छोड़कर)	कंपनियों/ निगमित निकायों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	
		अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
क्रियाशील निदेशक (पूर्णकालीन)			
श्री एस.के.चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना	7	1	4
श्री एम.के.सिंह निदेशक वित्त	3	1	2
सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी) निदेशक			
श्री राजीव चौधरी	1	शून्य	2
श्री वेद पाल (22.11.2017 से)	1	शून्य	4
स्वतंत्र (अंशकालीन गैर सरकारी) निदेशक			
श्री अविनीश माटा	2	1	3
श्री संजय कुमार सिंह	6	2	7
प्रो वसुधा.वी.कामत	शून्य	1	3
डॉ.सी.बी.वेंकटरमन (28.09.2017 से)	शून्य	1	4
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना (17.10.2017 से)	शून्य	शून्य	2
श्री ए.के.गंजू (08.03.2018 से)	शून्य	शून्य	3

- मंडल का कोई भी निदेशक के पास 10 सार्वजनिक कंपनियों से अधिक में निदेशक के पद पर नहीं है (20 कंपनियों की समग्र अधिकतम सीमा तक)।
- अंतिम दो कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, सीएसआर व धारणीयता समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति तथा परियोजना समीक्षा समिति।
- निदेशकों की समिति सदस्यता की संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमति प्राप्त सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुसार केवल लेखापरीक्षा समिति, स्टेकधारक संबंध समिति को ही गिना जाएगा।
- कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

2.4 निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (मंडल बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध नहीं होगा । दो निदेशक (अंशकालीन सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 जुलाई 2017 की अधिसूचना जो कि 5 जुलाई 2015 के पूर्ववर्ती अधिसूचना का संशोधन है, के तहत रोटेशन द्वारा अपने निदेशकों की सेवानिवृत्ति की अपेक्षा से गैरसूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (जहां कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी सरकार द्वारा धारित है) को छूट प्रदान करता है। तदनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड- 152 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में कार्यसूची मद प्रस्तावित नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है, जिनका सेवाकाल सामान्य बैठक में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्त द्वारा निर्धारित होता है।

क्रियात्मक निदेशकों का निष्पादन रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली तथा रेल मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है और उक्त मूल्यांकन को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है

2.5 बोर्ड बैठकों की संख्या तथा इनके आयोजन की तिथि

क) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 10 बैठकों का आयोजन किया गया:

25 अप्रैल 2017 (स्थगित और 25 अप्रैल 2017 को आयोजित) , 24 मई 2017, 29 जून 2017, 21 सितंबर 2017, 28 सितंबर 2017, 08 नवंबर, 2017, 29 नवंबर, 2017, 14 दिसंबर 2017, 21 दिसंबर 2017, 07 मार्च 2018 जो 08 मार्च 2018 को जारी रही और आस्थिगित और 20 मार्च 2018 जो 21 मार्च 2018 को जारी रही।

2.6 बोर्ड की स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशक घोषणा करते हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

2.7 आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **संलग्नक "ई-1"** पर उपलब्ध है।

2.8 निदेशक मंडल चार्टर

क) वर्ष 2012 से कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं। इसे नई कंपनी अधिनियम, 2013 की तर्ज पर संशोधित किया जाएगा।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रुप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) स्वतंत्र निदेशक और अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों को

अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय कक्ष तथा अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

2.9 वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

(क) **डॉ.सी.बी.वेंकटरमन [डीआईएन 03179171]** की आयु 62 वर्ष है और ये हमारी कंपनी में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक हैं। इन्होंने श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है तथा मद्रास विश्वविद्यालय से कला (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर डिग्री तथा जॉन हौकिन्स स्कूल ऑफ हाइजीन तथा पब्लिक हैल्थ, बैल्टीमोरे, एमडी, यूएसए से स्वास्थ्य विज्ञान की स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने शिकागो, यूएसए के इलिनोइस विश्वविद्यालय से जन स्वास्थय में डॉक्टरेट भी प्राप्त की है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इन्हें जन सेवा क्षेत्र का अनुभव प्राप्त है तथा 28 सितंबर 2017 से कंपनी के बार्ड में कार्यरत हैं।

(ख) **श्री नरेन्द्र सिंह रैना (डीआईएन 07968391)**, आयु 52 वर्ष, हमारी कंपनी में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर-सरकारी)) निदेशक हैं। इन्हें डॉ. यशवंत सिंह पवार हॉर्टिकल्चर एंड फोरस्ट्री विश्वविद्यालय से विज्ञान (वन) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है। कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, ये जम्मू और कश्मीर, वन विभाग में रेंज अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत थे और तत्पश्चात जम्मू में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रोफॉरेस्ट्री के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव है और वर्तमान में जम्मू में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रोफॉरेस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यत रहे। वे 17 अक्तूबर 2017 से कंपनी के बोर्ड में हैं।

(ग) **श्री वेद पाल [डीआईएन 07902760]** की आयु 59 वर्ष है तथा ये हमारी कंपनी में सरकारी नामिति (अंशकालीन सरकारी) निदेशक हैं। इन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से विधि में स्नातक डिग्री भी प्राप्त की है और ये भारतीय रेल इलैक्ट्रिकल इजीनियर्स सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में यह अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें रेल क्षेत्र का अनुभव प्राप्त है विशेष रुप से वार्षिक रिपोर्टों को तैयार करने, बजट बनाने, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टे तैयार करने , सुरक्षा कार्यों का नियोजन और मॉनीटरिंग, पोत सम्पर्कता तथा कोयला सम्पर्कता परियोजनाएं, दीर्घकालीन नियोजन के लिए अवसंरचना का नियोजन, इलैक्ट्रिक इंजनों का अनुरक्षण, उत्पादन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ये 22 नवंबर 2017 से कंपनी के बोर्ड में हैं।

(घ) **श्री अशोक कुमार गंजू [डीआईएन 07014589]** की आयु 66 वर्ष है और वे हमारी कंपनी के स्वतंत्र (अंशकालीन गैर-सरकारी) निदेशक हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान (सिविल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से प्रौद्योगिकी (जल संसाधन) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने आईएचई डैल्फट इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एजुकेशन, नीदरलैंड से हाइड्रौलिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्तमान में, वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जल संसाधन विकास परियोजनाओं पर परामर्श उपलब्ध कराते हैं। वे भारत सरकार में भूतपूर्व पदेन अवर सचिव रहे हैं और वर्ष 2012 में केन्द्रीय जल आयोग में सदस्य, अभिकल्प और अनुसंधान के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे मई 2010 से अगस्त 2011 तक गंगा बाढ नियंत्रण आयोग, पटना के अध्यक्ष थे। इन्हें जल संसाधन विकास, बाढ प्रबंधन, हाइड्रो और थर्मल परियोजनाओं, बांध सुरक्षा निरीक्षरणों, परियोजना प्राधिकारियों और संविदाकर्ताओं के बीच विवादों के निपटान और निर्माण संबंधी समस्याओं पर सलाह देने का अनुभव है। वे 8 मार्च 2018 से हमारी कंपनी के बोर्ड में हैं।

3. बोर्ड की समितियां

जब से कंपनी ने लिस्टिड होने की प्रक्रिया आरंभ की है, बोर्ड की समिति की संदर्भ शर्तें भी सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार हैं।

क. लेखापरीक्षा समिति

i) संदर्भ शर्ते :

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा

सेबी (एनओडीआर) विनियमों, 2015 की अपेक्षिओं के अनुरुप हैं। प्रमुख संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं को छोड़कर लेखापरीक्षकों को प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;

(2) लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता;

(3) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों के लिए स्वीकृति या किसी प्रकार का परिणामी आशोधन और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष संव्यवहारों के विवरण की समीक्षा करना।

(4) अंतर-निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

(5) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

(6) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।

(7) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:

   (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) के खंड (ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।

   (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।

   (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

   (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

   (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और

   (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(8) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

(9) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

(10) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(11) ऐसी अन्य मदों/विषयों पर विचार करना जैसा कि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

(12) समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 तथा सेबी (एनओडीआर) विनियमों, 2015 के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों में उल्लिखित अनुसार कोई अन्य कार्य करना।

ii. संरचना :

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति और कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एनओडीआर) विनियमों, 2015 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर हैं।

31 मार्च 2018 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

श्री अविनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री वेद पाल, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य
श्री वसुधा वी.कामत, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
डॉ सी.बी.वेंकटरमण, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा समिति की सचिव हैं।

दिनांक 2 अगस्त 2018 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

डॉ. सी.बी. वेंकटरमण, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री वेद पाल, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य
श्री अशोक कुमार गंजू, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

iii. बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 13 बैठकें आयोजित हुईं।

24 अप्रैल 2017 (आस्थगित और 24.04.2017 तथा 25.04.2017 को आयोजित), 23 मई 2017, 18 जुलाई 2017, 24 अगस्त 2017, 13 सितंबर 2017, 18 सितंबर 2017, 21 सितंबर 2017, 28 सितंबर 2017, 01 नवंबर 2017, 28 नवंबर 2017, 21 दिसंबर 2017, 10 जनवरी 2018, 06 मार्च 2017. बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री अविनीश माटा	अध्यक्ष	13	13
श्री एस के सिंह	सदस्य	13	13
प्रो. वसुधा वी कामत	सदस्य	13	11
श्री वेद पाल	सदस्य	शून्य	-
डॉ सी.बी.वेंकटरमण	सदस्य	शून्य	-

ख नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i. संदर्भ शर्तें

वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड ने अपनी मौजूदा पारिश्रमिक समिति का नाम परिवर्तित करके नामांकन और पारिश्रमिक समिति कर दिया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने तथा 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत मौजूदा संदर्भ शर्तों के अनुसार इसके संदर्भ शर्तों को व्यापक बनाया है:

1. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर-यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल और नीति के संबंध में निर्णय लेने के मौजूदा कार्यक्षेत्र को जारी रखने हेतु।
2. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक से एक स्तर नीचे) और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।
3. कोई अन्य कार्य जिसे समय-समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल किया जाए।

ii. संरचना:

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। 31 मार्च 2018 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नानुसार निदेशक हैं:

श्री एस.के.सिंह, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री वेद पाल, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य
प्रो वसुधा वी.कामत, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
डॉ सी.बी.वेंकटरमण, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री ए.के.गंजू, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा समिति की सचिव हैं।

दिनांक 2 अगस्त 2018 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

श्री अशोक कुमार गंजू, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री वेद पाल, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य
डॉ सी.बी.वेंकटरमण, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा समिति की सचिव हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष 2017-18 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 09 बैठकें आयोजित हुईं।

24 अप्रैल 2017, 22 मई 2017, 28 जून 2017, 24 अगस्त 2017, 13 सितंबर 2017, 28 सितंबर 2017, 29 नवंबर 2017, 21 दिसंबर 2017, 07 मार्च 2018 (स्थगित और 8 मार्च 2018 को आयोजित)। बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री एक के सिंह	अध्यक्ष	9	9
प्रो. वसुधा वी कामत	सदस्य	9	9
श्री राजीव चौधरी	सदस्य	9	7
डॉ सी.बी.वेंकटरमण	सदस्य	शून्य	-
श्री ए.के. गंजू	सदस्य	शून्य	-

iv. पारिश्रमिक नीति

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी निदेशक नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10- बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रूप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) /स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2015 को आयोजित अपनी 215वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 12,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

v. 2017-18 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(रूपए में)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवा निवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	एस के चौधरी	38,57,312.00	6,16,088.00	-	5,60,038.00	-		50,33,438.00
2	दीपक सबलोक	43,51,238.00	8,45,766.00	6,00,336.00	3,49,182.00			61,46,522.00
3	हितेश खन्ना (28.03.2018 से प्रभावी)	59,11,518.00	7,97,805.00	5,90,852.00	3,39,978.00			76,40,153.00
4	एम.के.सिंह	35,57,537.00	5,73,301.00	-	3,15,711.00			44,46,549.00

vi. वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैरसरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा:

(रूपए में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
1.	संजय कुमार सिंह	1,32,000.00	2,88,000.00	4,20,000.00
2.	श्री अविनीश माटा	1,32,000.00	2,52,000.00	3,84,000.00
3.	प्रो.वसुधा वसंत कामत	1,08,000.00	3,24,000.00	4,32,000.00

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
4.	डॉ सी.बी.वंकटरमण (28.09.2017 से प्रभावी)	84,000.00	12,000.00	96,000.00
5.	डॉ नरेन्द्र सिंह रैना (17.10.2017 से प्रभावी)	12,000.00	12,000.00	24,000.00
6.	श्री अशोक कुमार गंजू (08.03.2018 से प्रभावी)	12,000.00	-	12,000.00

ग. स्टेकधारक संबंधी समिति

I. संदर्भ शर्तें

स्टेकधारक संबंध समिति अन्य बातों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय समय पर यथापेक्षित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी जो निम्नानुसार हैं:

(i) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निपटान के तंत्र को देखना।

(ii) शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने, आदि संबंधी शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना तथा उनका निवारण करना।

(iii) समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 तथा सेबी (एनओडीआर) विनियमों, 2015 के अंतर्गत समाविष्ट कोई अन्य कार्य करना।

ii. संरचना:

हमारी स्टेकधारक संबंध समिति का गठन 21 मार्च 2018 को किया गया था। उक्त समिति के सदस्य हैं:

डॉ सी.बी.वेंकटरमण,
स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री वेद पाल,
अंशकालीन (सरकारी) निदेशक - सदस्य

श्री एम.के.सिंह,
निदेशक वित्त - सदस्य

हमारी कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा समिति की सचिव हैं।

घ. सीएसआर तथा धारणीयता समिति

I. संदर्भ शर्तें

सीएसआर तथा धारणीयता समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनच्छेद 135 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं तथा सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति की शर्तों में अन्य बातों के साथ साथ शामिल हैं:

I. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यसूची को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करना।

II. महाप्रबंधक स्तर या ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारियों और अधिकारियों के दल की नियुक्ति करना ,जो दिशानिर्देशों की शर्तों में उपयुक्त समझे जाएं।

III. बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता गतिविधियों की सिफारिश करना, तथा इसे बोर्ड के अनुमोदन/संशोधन के लिए प्रस्तुत करना; और

IV. चिह्नित गतिविधियों को निष्पादित करने और सुव्यवस्थित रुप में निर्धारित समय में ना केवल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के त्वरित चिह्नन के लिए बल्कि उपयुक्त स्तर और बोर्ड स्तर, जहां कहीं आवश्यक हो, पर क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्धारण करना

ii. संरचना

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है। 31 मार्च 2018 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

प्रो.वसुधा वसंत कामत - अध्यक्ष
स्वतंत्र निदेशक

श्री अविनीश माटा,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री राजीव चौधरी,
अंशकालीन (सरकारी) निदेशक - सदस्य

डॉ नरेन्द्र सिंह रैना
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री दीपक सबलोक,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

हमारी कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा समिति की सचिव हैं।

सीएसआर तथा धारणीयता समिति का पुनर्गठन दिनांक 2 अगस्त 2018 को किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को, समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

श्री अविनीश माटा,
स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री नरेन्द्र सिंह रैना
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री राजीव चौधरी,
अंशकालीन (सरकारी) निदेशक - सदस्य

श्री दीपक सबलोक,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 06 बैठकें आयोजित हुईं।

23 मई 2017, 28 जून 2017, 17 जुलाई 2017, 18 सितंबर 2017, 14 दिसंबर 2017, 07 मार्च 2018. उक्त बैठक में उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
प्रो. वसुधा वी कामत	अध्यक्ष	6	6
श्री राजीव चौधरी	सदस्य	6	4
श्री दीपक सबलोक	सदस्य	6	6
श्री अविनीश माटा	सदस्य	6	6
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना	सदस्य	शून्य	-

ड. स्वतंत्र निदेशकों की समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के स्वतंत्र निदेशक के कोड तथा अनुच्छेद 149, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने समिति के सदस्यों और अध्यक्ष, जिनका चयन आईडी समिति द्वारा किया जाएगा, के रुप में समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त सभी स्वतंत्र निदेशकों सहित 21 मार्च 2018 को अपनी स्वतंत्र निदेशक समिति (जिसे आईडी समिति कहा जाता है) का पुनर्गठन किया है।

उक्त आईडी समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-4 तथा डीपीई के दिनांक 28 दिसंबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन (जैसा कि 20 जून 2013 के डीपीई-ओएम के तहत संशोधित किया गया) के अनुसार हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान आईडी समिति की एक बैठक का आयोजन 01 नवंबर 2017 को किया गया जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

च. शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति

बोर्ड द्वारा दिनांक 23 जून 2013 को खोए या नष्ट हुए, निरस्त, फटे व पुराने शेयरों या जहां शेयर प्रमाणपत्रों के पीछे वाले पृष्ठ को हस्तांतरण रिकार्ड के लिए प्रयोग कर लिया गया हो, के प्रतिस्थापन हेतु डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी तथा डिबेंचर) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

दिसंबर 2016 में समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया था:

एम.के.सिंह,
निदेशक वित्त - अध्यक्ष

राजीव चौधरी,
अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

दीपक सबलोक,
निदेशक परियोजना - सदस्य

हमारी कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

छ. परियोजना समीक्षा समिति

वर्ष के दौरान, कंपनी की सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने (बंद परियोजनाओं सहित) तथा परियोजनाओं के सुगम निष्पादन में संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए बोर्ड द्वारा परियोजना समीक्षा समिति (पीआर समिति) का गठन किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2018 को समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री दीपक सबलोक,
निदेशक परियोजना - अध्यक्ष

श्री राजीव चौधरी,
अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

श्री अविनीश माटा,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

डॉ सी.बी.वेंकटरमण,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री वेद पाल,
अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

श्री ए के गंजू,
स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

समिति को पूर्णकालीन निदेशक से संबंधित कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा।

परियोजना समीक्षा समिति का पुनर्गठन पिछली बार दिनांक 02 अगस्त 2018 को किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य था:

श्री अवनीश माटा, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य
श्री अशोक कुमार गंजू, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

श्री दीपक सबलोक,
निदेशक परियोजना - सदस्य

निदेशक कार्य - सदस्य

हमारी कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

वर्तमान में, इरकॉन की निम्नलिखित पांच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनिया हैं:

(क) इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

(ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(ग) इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

(घ) इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

(ङ.) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटड (इरकॉन वीकेईएल) (16 मई 2018 को वर्ष की समाप्ती के पश्चात)

इनमें से कोई भी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल तथा इरकॉन डीएचएचएल का टर्नओवर या निवल संपत्ति, इरकॉन (धारक कंपनी) के टर्नओवर या निवल संपत्ति के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, उपर्युक्त कोई भी सहायक कंपनी डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर उल्लिखित कोई भी सहायक कंपनी "सब्सिडेयरी" नहीं है।

5. वार्षिक साधारण बैठक

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

एजीएम/ईजीएम	वित्तीय वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
41वीं एजीएम	2016-17	28 सितंबर 2017	12 बजे अपराह्न	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली
40वीं एजीएम	2015-16	28 सितंबर 2016	5 बजे सायं	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली
39वीं एजीएम	2014-15	22 दिसंबर 2015	5 बजे सायं	तीसरा तल, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
8वीं ईजीएम	2017-18	21 दिसंबर 2017	1.30 बजे अपराह्न	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली
7वीं ईजीएम	2017-18	22 मई 2017	12 बजे अपराह्न	तीसरा तल, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

5.2 पारित विशेष संकल्प:

(क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके इसे 25 करोड़ रुपए से 100 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए 39वीं एजीएम (वर्ष 2014-15 के लिए) में दो विशेष संकल्प पारित किये गये थे।

(ख) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके इसे 100 करोड़ रुपए से 400 करोड़ करने के लिए 22 मई 2017 को आयोजित 7वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में दो विशेष संकल्प पारित किये गये थे।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के संगम अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए 21 दिसंबर 2017 को आयोजित 8वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में विशेष संकल्प पारित किया गया था।

5.3 इरकॉन की आगामी एजीएम में पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5.4 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख	:	14 सितम्बर, 2018
समय	:	1600 बजे
स्थान	:	तीसरा तल, डिस्ट्रिक्ट पार्क, साकेत, नई दिल्ली-110017

6. प्रकटन

6.1 तथ्यात्मक रुप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर प्रकटन, जिनमें व्यापक स्तर पर कंपनी के हितों के साथ संभावित मतभेद की संभावना है।

व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी-2) की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरुप हैं।

6.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन/दंड या प्रतिबंध।

यहां किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं है और ना ही सरकार द्वारा जारी पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या दिशानिर्देश के संबंध में कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

6.3 विसल ब्लोवर नीति

कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या आपवादिक मामलों में यथा ई-9 ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का डर हो, वहां लेखापरीक्षा समिति को शिकायत भेजी जा सकती है। बोर्ड स्तर के कार्यपालक के विरुद्ध शिकायतों को आगे की कार्रवाई हेतु रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

विसल ब्लोवर नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6.4 इन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का ब्यौरा।

वर्ष 2017-18 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिदेंशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को "उत्कृष्टता" ग्रेड प्रदान किया है।

डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2017-18 के लिए 100 में से 97.71 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

6.5 राष्ट्रपति के आदेश

1. वर्ष 2015-16 के अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत राष्ट्रपति महोदय का एक निदेशक प्राप्त हुआ था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए इसका अनुपालन कर लिया गया है।
2. दिनांक 1 जनवरी 2017 से इरकॉन के बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को लागू करने के लिए दिनांक 24.11.2017 के रेलवे बोर्ड के पत्र के तहत राष्ट्रपति महोदय का एक निदेश प्राप्त हुए था।

6.6 लेखा बहियों के नामे किए गए व्यय की मदें, व्यवसाय के प्रयोजन में नहीं हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजनों से इतर व्यय की किसी भी मद को लेखों की लेखा बहियों में नामे नहीं किया गया है।

6.7 व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा-4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 41 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

6.8 वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्ययों के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में अन्य व्यय (प्रशासनिक) एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है

विवरण	2017-18	2016-17	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रुपए में)	41.92	32.50	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रुपए में) (करोड़ रुपए में)*	6.18	8.34	
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	3,589.75	2,796.58	
प्रशासनिक व्यय/ कुल व्यय(प्रतिशत में)	1.17	1.16	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/ कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.17	0.30	

*वित्तीय साधनों के शोधन पर ब्याज, वित्तीय साधनों के परिशोधन तथा प्रावधानों के शोधन पर छूट को छोड़कर

7. सम्प्रेषण के माध्यम

निम्नलिखित सहित कंपनी के संबंध में सूचना, अद्यतन गतिविधियां और घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है:

क) वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने के अतिरिक्त, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।

ख) वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है:

i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।

ii) सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।

iii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों, विभिन्न नीतियों का निर्माण किया गया है जैसे अभिलेखों के अनुरक्षण, संरक्षण और अभिलेखन पर नीति, सामग्रीगत सब्सिडेयरी पर नीति, सामग्रीगत घटनाओं या सूचनाओं के प्रकटन पर नीति, संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर नीति, घटनाओं या सूचनाओं के प्रकटन के लिए तथ्यात्मकता के निर्धारण के लिए नीति।

iv) सीएसआर तथा धारणीयता नीति , पिछले वर्षों के लिए धारणीयता नीति, पिछले सात वर्षों के लिए सीएसआर गतिविधियों की स्थिति तथा इरकॉन की सीएसआर गतिविधियां का विवरण, आदि ।

v) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।

vi) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें।

घ) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आईडी वेबसाइट में "इन्वेस्टर रिलेशन्स" इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

8. लेखापरीक्षा अर्हताएं

लेखापरीक्षा अर्हताओं के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सनदी लेखाकार के.जी.सोमानी एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें। सचिवीय लेखापरीक्षा अर्हता के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें।

9. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

9.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए बोर्ड स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि नए बोर्ड सदस्यों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें कंपनी के संबंध में अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, निगमित योजना, समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और उपलब्धियों, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर व धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश, सभी बार्ड समितियों की संदर्भ शर्तें, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशकों के दायित्व, उत्तरदायित्व, डिक्वालिफिकेशन, आदि ।

9.2 बोर्ड के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष 2017-18 के दौरान इरकॉन के निदेशकों को स्कोप, एसोचैम, डीपीई, आईआरईई, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्मानेंट वे इंजीनियर्स, रेलवे बोर्ड तथा विश्व बैंक, निदेशकों का सस्थान (आईओडी) आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया/ने भाग लिया।

10. लाभांश के भुगतान की रिकार्ड तिथि

वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश का भुगतान उन सभी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक यथा 31 अगस्त 2018, रिकार्ड तिथि, को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे।

11. दिनांक 31.03.2018 को शेयरधारण का वितरण

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व उनके दस नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	9,37,83,574*	99.715
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	2,44,000	0.259
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.026
कुल	**9,40,51,574**	**100**

*प्रति 10 रुपए के 4928426 इक्विटी शेयरों के बायबैक के कारण भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता के प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है। इसके परिणामस्वरुप, अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयरधारण पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है।

12. संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और भारतवर्ष में अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सहयोग प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए 26 परियोजना कार्यालय तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया में 5 परियोजना कार्यालय हैं। प्रचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

13. पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

सुश्री रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007
टेलीफोन : 91-11-26530456,
फैक्स : 91-11-26522000/26854000
ई-मेल : cosecy@ircon.org,
वेबसाईट: www.ircon.org

14. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ड.-3** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/-
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन: 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

परिशिष्ट - ड.1

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, एस.के.चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

ह0/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन: 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2018

अनुलग्नक - ड.2

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों (अर्थात तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण तथा इससे संबंधित नोट) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

vi) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह0/-	ह0/-
(एम.के.सिंह)	**(एस.के.चौधरी)**
निदेशक/वित्त	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
(डीआईएन: 06607392)	**(डीआईएन: 00515672)**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 31.08.2018

परिशिष्ट - ड.3

AGARWAL S.& ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES

119 & 127, Vardhman Star City Mall
Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075
Email Id: sachinag1981@gmail.com
Phone:011–45052182; Mobile:9811549887

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

हमने आपकी कंपनी के संबंध में डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए निगमित शासन, 2010 संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पटीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 5774
सीपी सं0-5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2018

परिशिष्ट - च

Vishal Agarwal & Associates
COMPANY SECRETARIES

39/2068, Naiwala, 315, Dakha Chamber
Karol Bagh, New Delhi-110005
Tel. : 45065638, 28755638, Mob.: 9313835638
Email : info@csvishal.com, csvishal21@gmail.com
website: www.csvishal.com

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा
कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (जिसे यहां आगे **"कंपनी"** कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी)** द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर 2014 से प्रभावी)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998

(vi) इनके अंतर्गत निर्मित निम्नलिखित कानून और नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी में विशिष्ट रुप से लागू किए जाने के लिए चयनित किया है:

(क) भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय के दिनांक 14 मई 2010 को जारी लोक उपक्रम विभाग दिशानिर्देश।

(क) आयकर अधिनियम, 1961

(ख) सेवाकर कानून

(ग) वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

(घ) वेट/केन्द्रीय बिक्र कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी

(ड.) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(च) केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1944

(छ) वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981

(ज) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(झ) जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम

(ठ) भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1999

(ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ढ) नेगोशियेबल इंस्टूमेंट अधिनियम, 1881

(न) अन्य श्रम कानून और उनके अंतर्गत निर्मित नियम

- एप्रेंटिस अधिनियम, 1961
- बाल मजदूरी अधिनियम, 1986
- ठेके के श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- कारखाना अधिनियम, 1948
- विद्युत अधिनियम, 2003
- प्रसव लाभ अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- वाणिज्यिक दुकान एवं स्थापना अधिनियम

हमने निम्नलिखित के अनुप्रयोग खंडों के अनुपालनों की भी जांच क की है।

(i) कंपनी द्वारा बोर्ड और सामान्य बैठक के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानकों को बिना किसी तथ्यात्मक गैरअनुपालन के लागू किया गया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखत के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालनों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है।

(ii) स्टॉक एक्सचेज (एक्सचेंजों) के साथ कंपनी द्वारा कोई सूचीकरण करार नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं हैं और अनुपाल के संबंध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सामग्रीगत गैर अनुपालन के बिना और निम्नलिखित अवलोकनों के मद्देनजर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. उपर्युक्त खंड(खंडों)(ii) तथा (v) में उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, करार और दिशानिर्देशों के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और इसलिए ये इस पर लागू नहीं होते हैं।
2. उपर्युक्त खंड (iii) तथा (iv) मे उल्लिखित अधिनियम,

नियम, विनियम के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित अवलोकनों के आधार पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उनकी मॉनीटरिंग के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

उपर्युक्त खंड (vi) में उल्लिखित अन्य कानून जो विशिष्ट रुप से कंपनी पर लागू होते हैं, के संबंध में हमने पाया है कि कंपनी में सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के मद्देनजर अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

(i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दिनांक 21.12.2017 को आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बैठक के समापन की तिथि से 68 दिनों के पश्चात 27.02.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और दिनांक 7.3.2017 को स्थगित तथा 8.3.2017 को आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बैठक समाप्त होने की तिथि से 104 दिनों के पश्चात 20.06.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 25 के साथ पठित अनुच्छेद 118 का उल्लंघन है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों के उचित शेष के साथ किया गया है। यह विदित है कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेाक मंडल की संरचना में परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था।

बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिया जाता है, केवल अल्प नोटिसों को छोड़कर, जहां अपेक्षित अनुपालन किया गया है, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

प्रमुख निर्णयों को निष्पादित किया गया है जबकि अनुपस्थित सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्ति में समाहित व रिकार्ड कर लिया गया है।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं और निदेशकों ने अपनी नियुक्ति उनके स्वतंत्र निदेशक होने और निदेशकों व प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण व नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा किया है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने 386.72 रुपए की प्रीमियम पर 10 रुपए की दर से 4928426 इक्विटी शेयरों का बायबैक किया है जिसकी कुल राशि 190,59,20,903 है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड ने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का निर्णय लिया है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2018

इस रिपोर्ट को **अनुबंध-क** के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

Vishal Agarwal & Associates
COMPANY SECRETARIES

39/2068, Naiwala, 315, Dakha Chamber
Karol Bagh, New Delhi-110005
Tel. : 45065638, 28755638, Mob.: 9313835638
Email : info@csvishal.com, csvishal21@gmail.com
website: www.csvishal.com

सेवा में,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171

प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने लागू वित्तीय कानूनों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों, लेखांकन मानकों, कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के अनुपालन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि ये संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के मद्देनजर है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी लाभप्रद्ता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11/08/2018

परिशिष्ट - छ

फॉर्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का सार
[31 मार्च 2018 को]

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी
(प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	यू45203डीएल1976जीओआई008171
2	पंजीकरण तिथि	:	28 अप्रैल 1976
3	कंपनी का नाम	:	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
4 क)	कंपनी की श्रेणी	:	सार्वजनिक कपनी
4 ख)	कंपनी की उप-श्रेणी	:	सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी वाली कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	:	प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017 फोन सं.: 011-26530456 फक्स सं.: 011-26522000 ई मेल आईडी : cosecy@ircon.org
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां / नहीं)	:	नहीं। कंपनी सूचीकरण की प्रक्रिया में है। दिनांक 27 मार्च 2018 को मसौदा रेल हेयरिंग प्रोस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया गया है।
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	:	करवी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड करवी सेलेनियम टावर बीप्लॉट 31-32, गचिबोवली फाइनांनशियल डिस्ट्रिक्ट, नानारंगुडा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना, भारत, दूरभाष: +91 40 6716 2222 ईमेल: einward.ris@karvy.com

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	रेलवे	4,210	70.40%
2	राजमार्ग	4,210	20.58%

III. धारक कंपनी , सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

[कंपनियों की संख्या जिनके लिए सूचना दायर की जा रही है - 11 कंपनियां]

क्र. सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू45400डीएल2009जीओआई194792	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
2	इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू45400डीएल2014जीओआई272220	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
3	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू45400डीएल2015जीओआई280017	पूर्ण स्वामित्व वाली	100%	2(87)
4	इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू45500डीएल2017जीओआई317401	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
5	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066	यू45204डीएल2012जीओआई234292	संबद्ध	50% (संदर्भ नोट 1)	2(6)
6	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू74999डीएल2005पीटीसी135055	संबद्ध	50%	2(6)
7	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू45203सीटी2013जीओआई000729	संबद्ध	26%	2(6)
8	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू45203सीटी2013जीओआई000768	संबद्ध	26%	2(6)
9	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड निगमित कार्यालय, एमसीएल एचक्यू, एमडीएफ रुम, जागृति विहार, बुरला, संबलपुर -768020 ओडीशा	यू60100ओआर2015जीओआई19349	संबद्ध	26%	2(6)
10	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची - 834029 झारखंड	यू45201जेएच2015जीओआई003139	संबद्ध	26%	2(6)
11	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर , एनएमडीसी ग्रीन वेली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोने, बोरलियाकाला रायपुर, छत्तीसगढ-492201	यू74900सीटी2016पीटीसी007251	संबद्ध	26%	2(6)

नोटः

1. आईआरएसडीसी से संबंधित ब्यौरे के लिए, कृपया परिशिष्ट-ख के क्र.सं ख (7) का संदर्भ लें (यथा सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियां)

IV. शेयर धारिता पैटर्नः

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	प्रतिशत परिवर्तन
क)	**प्रमोटर**	लागू नहीं								
(1)	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ		-	-		-	-	-		
ख)	केन्द्र सरकार		9,87,12,000	9,87,12,000	99.729	9,37,63,574	20,000	9,37,83,574	99.715	(0.014)
ग)	राज्य सरकार (सरकारें)		-	-		-	-	-		
घ)	निकाय निगम		-	-		-	-	-		
ङ.)	बैंक/वित्तीय संस्थान		-	-		-	-	-		
च)	कोई अन्य		-	-		-	-	-		
	उप कुल (क) (1)		**9,87,12,000**	**9,87,12,000**	**99.729**	**9,37,63,574**	**20,000**	**9,37,83,574**	**99.715**	**(0.014)**
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत		-	-		-	-	-		
ख)	अन्य - व्यक्तिगत		-	-		-	-	-		
ग)	निकाय निगम		-	-		-	-	-		
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थान		-	-		-	-	-		
ङ.)	कोई अन्य		-	-		-	-	-		
	उप कुल (क) (2)		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		
	प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)		**9,87,12,000**	**9,87,12,000**	**99.729**	**9,37,63,574**	**20,000**	**9,37,83,574**	**99.715**	**(0.014)**
ख.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**	लागू नहीं					लागू नहीं			
(1)	**संस्थान**									
क)	म्यूचुवल फंड		-	-		-		-		
ख)	बैंक/एफआई									
	बैंक- बैंक ऑफ इंडिया		24,000	24,000	0.024	24,000		24,000	0.026	0.002
	एफआई- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड		2,44,000	2,44,000	0.247	2,44,000		2,44,000	0.259	0.012
ग)	केन्द्र सरकार		-	-		-		-		
घ)	राज्य सरकार(सरकारें)		-	-		-		-		
ङ.)	उपक्रम पूंजी निधि		-	-		-		-		
च)	बीमा कंपनियां		-	-		-		-		
छ)	एफआईआई		-	-		-		-		
ज)	विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां		-	-		-		-		
झ)	अन्य (विनिर्दिष्ट)		-	-		-		-		
	उप कल (ख)(1):		**2,68,000**	**2,68,000**	**0.271**	**2,68,000**		**2,68,000**	**0.285**	**0.014**

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2)	गैर संस्थागत	लागू नही ं								
क)	निकाय निगम									
	i) भारतीय		-	-		-	-	-		
	ii) विदेशी		-	-		-	-	-		
ख)	व्यक्तिगत		-	-		-	-	-		
	i) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-		-	-	-		
	ii) व्यक्तिगत		-	-		-	-	-		
ग)	अन्य (ब्यौरा दें)		-	-		-	-	-		
	उप कल (ख)(2):		-	-		-	-	-		
	कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)		**2,68,000**	**2,68,000**	**0.271**	**2,68,000**	**-**	**2,68,000**	**0.285**	**0.014**
ग.	**जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर**	लागू नही ं				लागू नही ं				
	सकल योग (क + ख + ग)	लागू नही ं	**9,89,80,000**	**9,89,80,000**	**100**	**9,40,31,574**	**20,000**	**9,40,51,574**	**100**	**NIL**

नोटः

1 प्रति 10 रुपए के 9,37,63,574 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम, प्रति 10 रुपए के 24,000 इक्विटी शेयर बैंक ऑफ इंडिया के नाम, प्रति 10 रुपए के 2,44,000 इक्विटी शेयर भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के नाम के शेयरों को वर्ष 2017-18 के दौरान डीमेटिरियलाइस्ड किया गया है।

2 प्रति 10 रुपए के 9,37,63,574 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और प्रति 10 रुपए के 2000 शेयर भारत के राष्ट्रपति के प्रत्येक 10 नामितिया (जो सरकारी अधिकारी है) के नाम पर है

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति*	9,87,12,000	99.729	शून्य	9,37,83,574	99.715	शून्य	(0.014)
	कुल	**9,87,12,000**	**99.729**		**9,37,83,574**	**99.715**		

* 31 मार्च 2018 को भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों द्वारा धारिता की सूची अनुबंध छ 1 पर अनुबंधित है।

iii) **प्रमोटरा की शेयरधारिता में परिवर्तन (कपया स्पष्ट कर, यदि कोई परिवर्तन नही है)**

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	**वर्ष के आरंभ में**	**9,87,12,000**	**99.729**	**9,87,12,000**	**99.729**
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस / स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य		(49,28,426) दिनांक 26.12.2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित प्रति 10 रुपए के 49,28,426 इक्विटी शेयरों का बायबैक	(0.014)
3	वर्ष के अंत में	9,37,83,574	99.715	9,37,83,574	99.715

iv) **शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):**

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारका के लिए				
1	**भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड**				
क)	वर्ष के आरंभ में	2,44,000	0.247	2,44,000	0.247
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य		शून्य	0.012 *
ग)	वर्ष के अंत में	2,44,000	0.259	2,44,000	0.259
2	**बैंक ऑफ इंडिया**				
क)	वर्ष के आरंभ में	24,000	0.024	24,000	0.024
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य		शून्य	0.002 *
ग)	वर्ष के अंत में	24,000	0.026	24,000	0.026

*26.12.2017 को पीओआई द्वारा प्रति 10 रुपय के 49,28,426 शेयरों के बायबैक के परिणामस्वरुप तथा शेयरों की कुल संख्या में कमी के कारण बीओआई तथा आईआरएफसी की शेयरधारिता के प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है। हालांकि, बीओआई और आईआरएफसी द्वारा धारित शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

v) **निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतरः**

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	लागू नहीं[3]		लागू नहीं[3]	
1	वर्ष के आरंभ में				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				

नोटः

1 इरकॉन के सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उसक 10 नामितिया (99.715%), भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.(0.259%), तथा बैंक ऑफ इंडिया (0.026%) द्वारा धारित हैं।

V. ऋणगस्तताः

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं हैः

		जमानत सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
	वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
	i) मूल राशि	-	-	-	-
	ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	-	-	-
	iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	-	-	-
	कुल (i + ii + iii)				
	वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
	- संवर्धन	-	32,00,00,00,000	-	32,00,00,00,000
	- आवधन	-	-	-	-
	शुद्ध परिवर्तन				
	वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
	i) मूल राशि	-	32,00,00,00,000	-	32,00,00,00,000
	ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	-	-	-
	iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	3,07,55,068	-	3,07,55,068
	कुल (i + ii + iii)		**32,03,07,55,068**		**32,03,07,55,068**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क प्रबंधन निदेश, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

(राशि रुपए म)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	पूर्णकालीन निदेशकों के नाम				कुल राशि
		एस के सिंह, सीएमडी (2017-18 वर्षभर)	दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2017-18 वर्षभर)	हितेश, निदेशक कार्य (28.03.2018 से)	एम के सिंह निदेशक वित्त (2017-18 वर्षभर)	
1	सकल वेतन					
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	38,57,312	43,51,238	59,11,518	35,57,537	1,76,77,605
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	6,16,088	8,45,766	7,97,805	5,73,301	28,32,960
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ					
2	स्टॉक ऑप्शन					
3	स्वीट इक्विटी					
4	कमिशन					
5	अन्य, उल्लेख करें					
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्तसाहन	-	6,00,336	5,90,852	-	11,91,188
	- सेवानिवृत्ति लाभ	5,60,038	3,49,182	3,39,978	3,15,711	15,64,909
	कुल	**50,33,438**	**61,46,522**	**76,40,153**	**44,46,549**	**2,32,66,662**
	कुल(क)					**2,32,66,662**

अधिनियम के अनुसार सीमा - लागू नहीं [4]

ख अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः

(राशि रुपए म)

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम						कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**अविनीश माटा (2017-18 वर्षभर)**	**वसुधा वसंत कामत (2017-18 वर्षभर)**	**संजय कुमार सिंह (2017-18 वर्षभर)**	**सी बी वेंकटरमण (28.09.2017 से)**	**नरेन्द्र सिंह रैना (17.10.2017 से)**	**अशोक कुमार (08.03.2018 से)**	**कुल राशि**
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	3,84,000	4,32,000	4,20,000	96,000	24,000	12,000	13,68,000
ख)	कमिशन	-	-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख1)	**3,84,000**	**4,32,000**	**4,20,000**	**96,000**	**24,000**	**12,000**	**13,68,000**
2	**अन्य गैर कार्यपालक निदेशक**	**राजीव चौधरी (2017-18 वर्षभर)**		**एस सी जैन (17-11-2017 से)**		**वेद पाल (22-11-2017 से)**		
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	**शून्य**						**शून्य**
ख)	आयोग							
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करे)							
	कुल (ख 2)							
	कुल [ख = ख1 + ख 2]							**13,68,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक [क + ख]							**2,46,34,662**
	अधिनियम के अनुसार सीमा - लागू नहीं [4]							

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(आंकडे रुपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		सीईओ*	सुनीता शर्मा कंपनी सचिव (01.04.2017 से 27.10.2017 के लिए)	इत्ती मत्ता (01.11.2017 से 04.01.2018 के लिए)	रितु अरोडा (04.01.2018 से प्रभावी)	कुल योग
1	सकल वेतन					
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		9,53,663	3,93,442	6,41,374	19,88,479
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		12,984	3,274	5,130	21,388
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ			-	- -	-
2	स्टॉक ऑप्शन		-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी		-	-	-	-
4	कमिशन		-	-	-	-
5	अन्य, उल्लेख करें - कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्तसाहन (वर्ष 2012-13 हेतु) - सेवानिवृत्ति लाभ**		 99,317 1,08,306.50	 - 60,151	 - 63,766.25	 99,317 2,32,223.75
	कुल (ग)		**11,74,270.50**	**4,56,867**	**7,10,270.25**	**23,41,407.75**
	अधिनियम के अनुसार सीमा(नीचे नोट को देख)[4]					

*सीएमडी, इरकॉन को कपनी का सीईओ माना गया है और निदेशक वित्त, इरकॉन को कपनी का सीएफओ घोषित किया गया है और उनका पारिश्रमिक ऊपर क्र.सं. VI (क) पर दर्शाया गया है।

नोटः

4. निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कपनियों को कपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 से छूट प्राप्त है।

VII. "जुर्माना /दंड/ अपराधों का आवृत्तिः"

प्रकार		कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माने/दंड/संचयी शुल्क	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोइ हो (ब्यौरा दें)
क	**कंपनी**					
	जुर्माना			--- शून्य ---		
	दंड					
	कपाउंडिंग					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना			--- शून्य ---		
	दंड					
	कपाउंडिंग					
ग	**अन्य दोषी अधिकारी**					
	जुर्माना			--- शून्य ---		
	दंड					
	कपाउंडिंग					

अनुबंध - छ1

भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों द्वारा शेयरधारिता की सूची

(31 मार्च 2018)

कपनी का नामः इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

क.सं		धारित शेयरा की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	9,37,63,574	99.695
2	श्री अश्वनी लोहानी * अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
3	श्री बी एन मोहापात्रा* वित्त आयुक्त (रेलवे), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
4	श्री महेश कुमार गुप्ता* सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
5	श्री घनश्याम सिंह* सदस्य कर्षण, रेलवे बोड	2000	0.002
6	श्री रविन्द्र गुप्ता* सदस्य चल स्टॉक, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
7	श्री डी.के.गयेन* सदस्य कार्मिक, रेलवे बोड	2000	0.002
8	मोहम्मद जमशेद* सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	2000	0.002
9	श्री नलिनी काक* अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
10	श्री ए पी द्विवेदी* कार्यपालक निदेशक (सा.क्षे.उ.), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
11	श्री राकेश चौधरी* निदेशक (निगमित समन्वय), रेलवे बोर्ड	2000	0.002
	कुल	**9,37,83,574**	**99.715**

* भारत के राष्ट्रपति के कृते और की ओर से प्रत्येक 10 नामितियों के पास 2000 शेयर हैं, जो रेल मंत्रालय से सरकारी अधिकारी हैं।

परिशिष्ट-ज

फार्म सं. एओसी 2

तीसरे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म सं. एओसी - 2

कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी आधनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में

1. संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य
2. सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : निम्नानुसार

क्र.सं.	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), संयुक्त उपक्रम कंपनी**	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य	तिथि : परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.04.2016 अवधिः सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नही	शून्य
2	**झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)** संयुक्त उपक्रम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य।	तिथि : परियोजना निष्पादन करार दिनांक 28.03.2016 अवधिः सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नही	शून्य
3	**छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड (सीईआरएल)** संयुक्त उपक्रम कंपनी	सीईआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन	तिथिः परियोजना निष्पादन करार दिनांक 18-01-2014 अवधिः रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	सीईआरएल द्वारा दक्षिण पूर्वी रेल के साथ रियायत करार की शर्तों के अनुसार संविदा। इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा के विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	शून्य
4	**छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिमी रेल लिमिटेड** (सीईडब्ल्यूआरएल) संयुक्त उपक्रम कंपनी	सीईडब्ल्यूआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन	तिथिः परियोजना निष्पादन करार दिनांक 05-04-2014 अवधिः रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा दक्षिण पूर्वी रेल के साथ रियायत करार की शर्तों के अनुसार संविदा। इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा का विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	शून्य

क्र.सं.	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
5	**बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी**	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अभिकल्प तैयार करने और चिह्नित परियोजना लाइनों और साइडिंगों के निर्माण का कार्य।*	तिथिः परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19-07-2017 अवधि : सभी चिह्नित परियोजना को आरंभ करने तक	इरकॉन को एफआर तथा डीपीआर के लिए परियोजना की लागत के प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा शिरोपरि कार्यों के प्रति संविदा संवर्धन का विशिष्ट प्रतिशत और निर्माण के लिए लाभ का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	शून्य
6	**इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	क) इरकॉन आईएसएल द्वारा मलेशिया परियोजना के लिए इरकॉन को श्रमशक्ति उपलब्ध कराई जाएगी	करार तिथिः 01.04.2013 अवधिः हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से दो वर्ष (जबतक कि लिखित नोटिस द्वारा 30 दिन पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा समापन न किया जाए, यह करार 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। जबतक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार के समापन की सूचना नहीं देता है, प्रत्येक दो वर्षों में इसका नवीकरण होगा)	करार में निर्धारित अनुसार श्रमशक्ति की विभिन्न श्रेणियों के प्रावधान की दरें, श्रमशक्ति के समान प्रकार के लिए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरों के तुलना में होंगे।	लागू नही	शून्य
		ख) सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना ।	तिथिः 17.08.2017 का पट्टा करार अवधिः 01-04-2017 से 2 वर्ष	निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 1,34,238.60 रुपए के मासिक मूल राशि पर 497.18 वर्ग फुट x 270 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
7	**भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएस डीसी)** संयुक्त उद्यम कंपनी	क) पालिका भवन, सेक्टर XIII आरक़े.पुरम, नई दिल्ली -110066 में कार्यालय परिसरोंका उप पट्टा।	पट्टा करार तिथि 14.02.2016 अवधिः 01.01.2017 से 11 माह तक	4,259.79 वर्ग फुट x 115.41 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक आधार पर वसूला जाने वाला पट्टा किराया - 4,91,612 रुपए	लागू नही	शून्य

क्र.सं.	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
8	**इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड** **संयुक्त उद्यम कंपनी**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना।	तिथिः 17.08.2017 का पट्टा करार अवधिः 01-04-2017 से 2 वर्ष	निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 25,760.70 रुपए के मासिक मूल राशि पर 95.41 वर्ग फुट x 270 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
9	**इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल))** **पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी**	(क) इरकॉन डीएचएचएल के लिए देवांगेरे हवेरी राजमार्ग परियोजना की इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (एचपीसी) संविदा।	तिथिः ईपीसी करार तिथि 04.02.2017 अवधिः समापन अवधि नियुक्ति तिथि या इरकॉन डीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपे जाने की तिथि से 30 वर्ष है।	यह संविदा 916.93 करोड़ रुपए की कुल लागत जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए कर्नाटक राज्य में रा.रा-48 (पुराना रा.रा-4) के किमी 260+000 से 338+923 तक देवांगेरे-हवेरी को छह लेन का बनाने के लिए प्रदान की गई है।	लागू नही	शून्य
		(ख) सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथिः पट्टा करार तिथि 14.03.2018 अवधि 15.05.2017 से 1 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 17,550 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 270 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
			तिथिः पट्टा करार तिथि 09.08.2018 अवधि 15.05.2017 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19,305 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 297 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।		

क्र.सं.	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
10	**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी**	ईपीसी करार के चार परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार तिथिः 19.01.2014 अवधिः ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन पीबीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है। क) दिनांक 12.06.2015 को प्रविष्ट परिशिष्ट-1 ख) दिनांक 29.03.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट-2 ग) दिनांक 05.08.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट-3 घ) दिनांक 06.07.2017 को प्रविष्ट परिशिष्ट-4	646 करोड़ रुपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु ईपीसी करारों में परिशिष्ट सं.1,2,3,4 को निष्पादित किया गया है।	लागू नही	शून्य
		(ख) सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथिः पट्टा करार तिथि 01.10.2015 अवधि 1.04.2015 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 17550 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 270 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।		
			तिथिः पट्टा करार तिथि 22.06.2018 (नवीकरण) अवधि 01.04.2018 से 2 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19305 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 297 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।		
11	**इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी**	ईपीसी करार के दो परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार तिथिः 30.11.2015 अवधिः ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है। क) दिनांक 29.03.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट-1 ख) दिनांक 22.07.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट-2	642 करोड़ रुपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु ईपीसी करारों में परिशिष्ट सं.1, 2 को निष्पादित किया गया है।	लागू नही	शून्य

क्र.सं.	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
		सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना।	तिथिः पट्टा करार तिथि 01.10.2015 अवधि 01.07.2015 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 17,550 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट X 270 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
			तिथिः पट्टा करार तिथि 27.06.2018 (नवीकरण) अवधि 01.07.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19,305 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट X 297 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।		
12	**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)**	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना।	तिथिः पट्टा करार तिथि 09.18.2018 अवधि 17.05.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19,305 रुपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट X 297 रुपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य

*इरकॉन परियोजनाओं के लिए डीपीआर हेतु व्यवहार्यता अध्ययन तथा इसे तैयार करेगा जिसकी परियोजना लागत क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत होगी।

नोटः

1. उपर्युक्त सभी संव्यवहारों को इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।
3. संयुक्त उपक्रम कंपनियों की शेयरधारिता का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-ख** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00515672)

दिनांक: 31.08.2018
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट-झ

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध
(स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

क्र. सं	स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1. i)	**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वषयों पर बल देते हुए)** हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:	
	क. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 (क) में किया गया है।
	ख. कंपनी ने भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर हेतु वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 (ख) में किया गया है।
ii)	कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 4.96 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं.48 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 48 में किया गया है।
2.	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध-ख (वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत)** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च 2018 को निम्नलिखित तथ्यात्मक कमियां चिह्नित की गई हैं।	

क्र. सं	स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	क. कंपनी में विदेशी शाखाओं, जहां कंपनी एकीकृत ईआरपी प्रणाली के स्थान पर टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है। मुंबई क्षेत्र में, शाखा लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि एक परियोजना में एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर टैली का प्रयोग किया गया था। और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए ईआरपी प्रणाली का प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ किया जाना चाहिए था।	विदेशी परियोजनाओं तथा मुंबई क्षेत्र में एक परियोजना, जिसे टैली साफ्टवेयर में तैयार किया गया है, को लेखों के समेकन के लिए टैली साफ्टवेयर में प्रविष्ट किया गया है। ईआरपी प्रणाली को अद्यतन किया गया है और सेप से सृजित इरकॉन के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के अनुरुप है। कंपनी का प्रस्ताव है कि वर्ष 2018-19 में सभी विदेशी परियोजाओं को सेप प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।
	ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रुप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी मेनुवल पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/ अनावश्यक/ खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।	सेप में इन्वेंटरी रिकार्डों का समेकन विचाराधीन है और प्रबंधन द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।
	(विषय पर बल) ग्राहक द्वारा आवर्धित बिलों और पूर्ण कारणों/औचित्यों को जाने बिना उन्हें परियाजनाओं द्वारा स्वीकार किए जाने के कुछ मामले सामने आएं हैं, जिसके लिए ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।	सभी प्रमुख परियोजनाओं में ग्राहकों द्वारा प्रभावित आवर्धन की गहन मॉनीटरिंग और उचित रिकार्ड अनुरक्षण के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, सभी परियोजनाओं को शामिल करने के लिए इसमें विस्तार किया जाएगा।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00515672)

दिनांक : 3 अगस्त 2018
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध
(समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
1.	**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (वषयों पर बल देते हुए)**	
i)	हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:	
	क. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 (क) में किया गया है।
	ख. कंपनी भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर हेतु वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 (ख) में किया गया है।
	ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 4.96 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं.50 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।	स्थिति का वर्णन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50 में किया गया है।
i)		
2.	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध ख (वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्गत)** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 31 मार्च 2018 को निम्नलिखित तथ्यात्मक कमियां चिह्नित की गई हैं।	

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	क. कंपनी में विदेशी शाखाओं, जहां कंपनी एकीकृत ईआरपी प्रणाली के स्थान पर टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है। मुंबई क्षेत्र में, शाखा लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि एक परियोजना में एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर टैली का प्रयोग किया गया था और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए ईआरपी प्रणाली का प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ किया जाना चाहिए था।	विदेशी परियोजनाओं तथा मुंबई क्षेत्र में एक परियोजना, जिसे टैली साफ्टवेयर में तैयार किया गया है, को लेखों के समेकन के लिए टैली साफ्टवेयर में प्रविष्ट किया गया है। ईआरपी प्रणाली को अद्यतन किया गया है और सेप से सृजित इरकॉन के वित्तीय विवरण लेखापरीक्षक को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के अनुरुप है। कंपनी का प्रस्ताव है कि वर्ष 2018-19 में सभी विदेशी परियोजाओं को सेप प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।
	ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रुप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी मेनुवल पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।	सेप में इन्वेंटरी रिकार्डों का समेकन विचाराधीन है और प्रबंधन द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।
	(विषय पर बल) ग्राहक द्वारा आवर्धित बिलों और पूर्ण कारणों/औचित्यों को जाने बिना उन्हें परियाजनाओं द्वारा स्वीकार किए जाने के कुछ मामले सामने आएं हैं, जिसके लिए ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।	सभी प्रमुख परियोजनाओं में ग्राहकों द्वारा प्रभावित आवर्धन की गहन मॉनीटरिंग और उचित रिकार्ड अनुरक्षण के लिए प्रणाली उपस्थित है। तथापि, सभी परियोजनाओं को शामिल करने के लिए इसमें विस्तार किया जाएगा।

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/-
(एस के चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00515672)

दिनांक : 3 अगस्त 2018
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विशेषताएं (स्टैंड-एलोन)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	**प्रचालनिक आय**	**3,870**	**2,934**	**2,418**	**2,950**	**4,067**	**4,232**	**3,601**	**3,182**	**3,153**	**2,654**
2	जमा/घटाः एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में टर्नओवर में कंपनी का शेयर	26	90	-	89	(9)	(13)	(23)	(7)	(13)	(27)
3	जमाः एकीकृत संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) में कपनी का शेयर	-	-	-	2	(1)	1	2	7	2	7
4	**निवली प्रचालन आय**	**3,896**	**3,024**	**2,418**	**2,864**	**4,057**	**4,220**	**3,580**	**3,182**	**3,142**	**2,634**
5	अन्य आय	227	230	442	258	250	251	181	72	64	85
6	**कुल आय**	**4,123**	**3,254**	**2,860**	**3,122**	**4,307**	**4,471**	**3,761**	**3,254**	**3,206**	**2,719**
7	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	3,577	2,766	2,222	2,267	3,024	3,412	3,102	2,816	2,901	2,487
8	प्रचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी)	546	488	638	854	1,283	1,059	659	438	305	232
9	ब्याज व्यय	-	12	8	-	-	-	-	-	-	-
10	मूल्यहास	13	18	28	10	34	44	57	37	41	44
11	आपवादिक मदें	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**कर पूर्व लाभ**	**533**	**532**	**602**	**844**	**1,249**	**1,015**	**602**	**401**	**264**	**188**
13	**कर पश्चात लाभ**	**391**	**369**	**395**	**579**	**907**	**730**	**470**	**241**	**182**	**140**
14	वर्ष के लिए लाभांश	192	192	168	182	182	148	94	49	37	30
15	सामान्य आरक्षित निधियां	3,334	3,334	3,334	3,334	2,971	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012
16	प्रतिधारित आमदनियां	311	390	318							
17	अन्य वृहत आय	9	5	(5)							
18	विदेशी परियोजना आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28
19	अन्य आरक्षित निधियां	4	-	-	-	2	3	-	-	5	25
20	कुल आरक्षित निधियां व अतिरेक	3,658	3,729	3,647	3,334	2,973	2,280	1,733	1,372	1,189	1,065
21	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	134	137	149	163	170	180	196	244	236	260
22	दरसूचियां	141	139	141	114	119	125	135	165	373	430
23	विदेशी विनिमय अर्जन (निवल)	64	24	59	418	1,042	822	444	428	264	96
24	शेयर पूंजी	94.05	98.980	19.796	19.796	19.796	19.796	9.898	9.898	9.898	9.898
25	लगाई गई पूंजी	6,952	3,828	3,667	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078
26	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	**निवल परिसंपातियां**	**3,752**	**3,828**	**3,667**	**3,354**	**2,993**	**2,300**	**1,743**	**1,382**	**1,199**	**1,075**
28	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ(%)	8	14	16	25	42	44	35	29	22	17
29	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालनिक मार्जिन (%)	8	13	17	26	43	46	38	32	25	22
30	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	416	373	1,995	2,924	4,578	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416
31	आय पर व्यय (%)	87	86	78	73	70	76	82	87	90	91
32	कर्मचारियों की संख्या	1,622	1,496	1,499	1,472	1,579	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964
33	प्रति कर्मचारी आय	2.54	2.18	1.91	2.12	2.73	2.62	2.21	1.94	1.83	1.39
34	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.04	0.02	0.04	0.28	0.66	0.48	0.26	0.25	0.15	0.05
35	चालू अनुपात	1.66	2.02	1.99	1.72	1.81	1.61	1.47	1.53	1.31	1.24
36	ऋण/इक्विटी अनुपात	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	निवेश	1,201	1,223	743	737	494	295	208	185	130	234

नोट

*वित्तीय वर्ष 2017-18, 2016-17 तथा 2015-16 के लिए वित्तीय वित्ती विशेषतएं इंड एएस के अनुसार हैं।

**28 से 31 प्रतिशत में हैं।

***32, 35 और 36 रुपए में नहीं हैं।

इरकॉन

स्टेंडएलोन

वित्तीय विवरण

2017-18

के जी **सोमानी**
एंड कंपनी सनदी लेखाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी) के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पटना क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मलेशिया क्षेत्र में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) अधिनियम के अनुच्छेद-133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की कार्यविधि (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टेंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या स्टेंडएलोन इंडो एएस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और स्टेंडएलोन इंडो एएस वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की स्टेंडएलोन इंडो एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा तथा नीचे प्रस्तुत अन्य विषय पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों की दृष्टि से अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2018 को (कंपनी के कार्यकलापों) वित्तीय स्थिति, और इसके लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

5. विषय पर बल

ii) हम स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं.33 पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।

ख. कंपनी भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर के लिए वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। सीआईटी (ए) ने ऐसी विदेशी आय को अलग करने की व्यवस्था से इनकार किया है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 4.96 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं.48 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

6. अन्य मद्दे

(i) हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंडो एएस वित्तीय विवरणों में शामिल दस शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2018 को 6,302.80 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 3,793.35 करोड़ रुपए है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रुप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii) वित्तीय विवरणों में गैरनिगमित संयुक्त उपक्रम (जेवी) लेखों में लाभ/ हानि में कंपनी का भाग शामिल है, जिसमें से चार संयुक्त उपक्रम खातों को अन्य सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है और एक संयुक्त उपक्रम (इरकॉन-एसपीएससीपीएल) को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम **संलग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।

(2) कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के

लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और अन्य वृहत आय सहित लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

(ड.) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 16.3 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी के पास क्रमश: फ्रीहोल्ड और लीज डीड के लिए क्लियर टाइटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीज डीड के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिनके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	जी हां। कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज डीड के लिए क्रमश: क्लियर टाइटल/लीज डीड विद्यमान है, केवल मुंबई क्षेत्र को छोड़कर यथा पाली हिल मुंबई में 30 वर्षों के लिए रेल भूमि पर पट्टे वाली भूमि, जिसके लिए करार को अभी अंतिम रुप दिया जाना है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि,यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने को काई मामला है। इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	(क) कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए 0.29 करोड़ रुपए को बट्टे खाते डाला है (वत्तीय विवरण के नोट सं. 22 का संदर्भ लें)।
3.	क्या पक्षों के पास उपलब्ध इंवेटरीज तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकार के रुप मे प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है?	जी हां। तीसरे पक्ष के पास पड़ी दरसूचियों के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हैं।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 006591एन

(आशीष कुमार बट्टा)
साझेदार
सदस्यता सं.095597

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"।

i) (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है। मुंबई क्षेत्र में, कतिपय परिसंपत्तियों पर टैगिंग/नंबरिंग की जानी है और तीसरे पक्षों के साथ परिसंपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्षों से पुष्टि की जाने की आवश्यकता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी की बहियों में रिकार्ड की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीडों को कंपनी के नाम पर रखा गया है, केवल मुंबई क्षेत्र में पाली हिल में एक पट्टे वाले भवन को छोड़कर, जिसके लिए दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है। बही रिकार्डों के भौतिक सत्यापन परिणामों की तुलना के दौरान पाई गई विसंगतियां तथ्यात्मक नहीं हैं और लेखा बहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है।

(iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 73 से 76 तक के प्रावधानों और किसी अन्य संगत प्रावधान तथा इनके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।

(vi) कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

(vii) क. कंपनी द्वारा सामान्यत: भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रुप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य :बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31-03-2018 को कोई बकाया देय राशि नहीं है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, सेवाकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर सीमाशुल्क, रायल्टी, भविष्य निधि, संपदाकर तथा उपकर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिन्हें 31-03-2018 को विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	आईए- हैंगर, अल्जीरिया/ इराक से मशीनरी आयात के लिए लगया गया सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
सीमाशुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/केंटिलीवर एसेंबली पर सीमाशुल्क	0.66	1998-99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)
पश्चिम बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.26	1998-99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त(अपील) बिक्री कर, पश्चिम बंगाल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 80-आईए में कटौती के लिए गैर-अनुमत, विदेशी आय और अन्य भत्तों पर कर	13.52	2015-16	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त, बिक्री कर , कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
ओडीशा वेट अधिनियम, 2004	वेट	1.09	2002-03	आयुक्त बिक्री कर, ओडीशा
बिहार राज्य बिक्री कर, 1981	बिक्री कर	1.75	1987-88 और 1994-95	बिहार बिक्री कर अधिकरण - खलगांव
पश्चिम बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	0.54	2006-07	वरिष्ठ आयुक्त वाणिज्यिक कर, धरमताला सर्किल
पश्चिम बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	0.28	2005-06	पश्यिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील व संशोधन बोर्ड
सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010-11से 2014-15	सीईएसटीएटी
सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	5.6	2009-10 से 2013-14	सीईएसटीएटी
वेट	वेट टीडीएस	5.98	2005-06 और 2006-07	बिहार वेट विभाग पश्चिम सर्किल पटना
वेट	वेट	0.07	2010-11	बिहार वेट विभाग पश्चिम सर्किल पटना
वेट	वेट	29.2	2012-13	बिहार वेट विभाग पश्चिम सर्किल पटना
जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	19.33	1999-00 से 2005-06	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर	बिक्री कर -एजीआरपी	2.28	2007-08 से 2012-13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	प्रवेश कर- एजीआरपी	0.027	2009-10 से 2012-13	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	प्रवेश कर- एजीआरपी	0.015	2013-14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01	0.15	2004-05 (प्रवेश कर)	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर -यूपी01	3.74	2004-05 से 2007-08	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.व्यापार कर-यूपी01(प्रवेश कर)	0.16	2007-08	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम -यूपी01	1.36	2007-08 (1-01-2008-31-03-2008)	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम -यूपी01 (प्रवेश कर)	0.15	2008-09	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम -यूपी01 (प्रवेश कर)	0.005	2009-10	आकलन प्राधिकारी
बिक्री कर	उ.प्र.वेट अधिनियम -यूपी01	0.011	2010-11	उपायुक्त
बिक्री कर	बिक्री कर -बीई-08	1.17	2008-09 से 2009-10	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
बिक्री कर	बिक्री कर -बीई-08 प्रवेश कर	0.004	2008-09	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
बिक्री कर	यूपीटीटी-यूपी-05	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
बिक्री कर	यूपीटीटी-यूपी -05	1.31	2006-07 से 2007-08 (9 महीने)	अधिकरण झांसी शाखा
बिक्री कर	यूपी वेट-यूपी-05	3.26	2007-08 से 2009-10	अधिकरण झांसी शाखा
बिक्री कर	यूपी वेट-यूपी-05	1.55	2013-14	उपायुक्त, बिक्री कर प्राधिकरण, ओआरई
बिक्री कर	यूपी वेट-यूपी-05	0.76	2014-15	उपायुक्त, बिक्री कर प्राधिकरण, ओरई
बिक्री कर	बिक्री कर 2005-06-गोधरा	5.47	2003-04 से 2005-06	उपायुक्त बिक्री कर प्राधिकरण वडोदरा
बिक्री कर	बिक्री कर 2010-11-जीईडी	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मार्गो
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982-83 और 1989-90	अपील प्राधिकारी, झांसी

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
रेवाड़ी-अजमेर परियोजना	कार्य संविदा कर	1.84	2006-07 से 2010-11	उच्च न्यायालय राजस्थान
बिक्री कर	बिक्री कर 1996-97-एमआरओ	3.51	1995-96 से 1996-17	बम्बई उच्च न्यायालय
कर्नाटक वेट	कर की दर तथा उसपर लगे ब्याज में अंतर	0.5	2009-10	उपायुक्त (अपील), त्रिवेन्द्रम
बिक्री कर	बिक्री कर 2010-11 -एमआरओ	0.29	2010-11	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
बिक्री कर	बिक्री कर 2011-12 -एमआरओ	3.68	2011-12	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
केरल वेट	केरल- वेट	0.33	2013-14	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर
बिक्री कर	यूपी- वेट	0.62	2010-11	अपर आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ

(viii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार को देय ऋणों या उधारों की राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबैंचर जारी नहीं किए हैं।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान ना तो कोई पब्लिक ऑफर (ऋण व्यवस्थाओं सहित) किए है और ना ही कोई दीर्घकालीन ऋण ही लिया है। वर्ष के दौरान लिया गया सावधिक ऋण उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है जिस प्रयोजन हेतु उसे लिया गया था।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसचूना सं. जीएसआर 463 (ई) के दृष्टिगत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार कंपनी (लेखापरिक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रुप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के प्रावधानों के भीतर निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-रोकड़ संव्यसवहार नहीं किया है।

(xvi) कंपनी गैर-बैंकिं वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-1क के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 006591एन

(आशीष कुमार बट्‌टा)
साझेदार
सदस्यता सं.095597

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2018 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट")के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध क कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3)कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार, 31 मार्च 2018 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

क. कंपनी में विदेशी शाखाओं, जहां कंपनी एकीकृत ईआरपी प्रणाली के स्थान पर टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है। मुंबई क्षेत्र में, शाखा लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट किया है कि एक परियोजना में एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था बल्कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर टैली का प्रयोग किया गया था और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए ईआरपी प्रणाली का प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ किया जाना चाहिए था।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रुप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

"सामग्रीगत खामी" वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोडक़र, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण मुद्दा

ग्राहक द्वारा आवर्धित बिलों और पूर्ण कारणों/औचित्यों को जाने बिना उन्हें परियोजनाओं द्वारा स्वीकार किए जाने के कुछ मामले सामने आएं हैं, जिसके लिए ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 006591एन

(आशीष कुमार बट्टा)
साझेदार
सदस्यता सं.095597

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त, 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2018 को

तुलनपत्र

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	133.58		137.08	
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	0.98		-	
	(ग) निवेश संपत्ति	5	358.67		307.34	
	(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	0.83		1.21	
	(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	7				
	(i) निवेश	7.1	984.52		973.15	
	(ii) ऋण	7.2	806.34		339.84	
	(iii) अन्य	7.3	2,729.41		100.33	
	(छ) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	8	150.88		161.05	
	(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	141.07		403.64	
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां			**5,306.28**		**2,423.64**
2	**चालू परिसंपत्तिया**					
	(क) दरसूचियां	10	140.74		139.34	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	11				
	(i) निवेश	11.1	216.17		249.91	
	(ii) व्यापार प्राप्य	11.2	673.75		424.66	
	(iii) नकद और नकद समतुल्य	11.3	1,525.68		1,394.70	
	(iv) अन्य बैंक शेष	11.4	3,074.77		3,262.83	
	(v) ऋण	11.5	1.87		84.77	
	(vi) अन्य	11.6	624.73		659.68	
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12.1	29.09		1.72	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	1,114.86		526.37	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			**7,401.66**		**6,743.98**
	कुल परिसंपत्तियां			**12,707.94**		**9,167.62**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	94.05		98.98	
	(ख) अन्य इक्विटी	14	3,657.90		3,728.86	
	कुल इक्विटी			**3,751.95**		**3,827.84**

2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	15				
	(i) ऋण	15.1	3,203.08		-	
	(ii) व्यापार प्राप्य	15.2	0.46		0.45	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.3	321.47		210.11	
	(ख) प्रावधान	16	75.28		76.18	
	(ग) अन्य गैर चालू कर देयताएं	17	883.45		1,711.76	
	कुल चालू देयताएं			**4,483.74**		**1,998.50**
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	18				
	(i) व्यापार प्राप्य	18.1	512.86		363.75	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	942.66		687.28	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	19	2,737.28		1,968.49	
	(ग) प्रावधन	16	265.32		297.93	
	(घ) चालू कर देयता (निवल)	19.1	14.13		23.83	
	कुल चालू देयताएं			**4,472.25**		**3,341.28**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**12,707.94**		**9,167.62**
III.	**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार**		1 - 2			
IV.	**वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट**		3 - 54		-	-

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सस़ं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट स0	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	20	3,870.05	2,934.33
	जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों के टर्नओवर में कंपनी का भाग		26.34	89.90
			3,896.39	3,024.23
II.	अन्य आय	21	226.67	230.20
III.	**कुल आय (I + II)**		**4,123.06**	**3,254.43**
IV.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक व्यय	22	3,229.12	2,478.83
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	231.88	150.38
	वित्तीय लागत	24	64.53	60.60
	मूल्यह्वास परिशोधन एवं घाटा	25	12.86	17.88
	अन्य व्यय (प्रशासनिक)	22	41.92	32.50
	एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग		9.44	56.39
	कुल व्यय (IV).		**3,589.75**	**2,796.58**
V.	**आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		533.31	457.85
VI.	आपवादिक मदें	27 क	-	73.69
VII.	कर पूर्व लाभ (V + VI)		533.31	531.54
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	8		
	- वर्ष हेतु		174.78	118.64
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(42.50)	(17.21)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		10.17	61.26
	कुल कर व्यय		**142.45**	**162.69**
IX	**निरंतर प्रचालन से वर्ष में लाभ (VII - VIII)**		**390.86**	**368.85**
X	**अन्य वृहत लाभ**	26		
	क. (i) लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत न की जाने वाली मदें		(2.75)	4.82
	(ii) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत न की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर		0.95	(1.67)
	ख. (i) लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत की जाने वाली मदें		4.86	16.16
	(ii) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर		(1.68)	(5.59)
			1.38	**13.72**
XI	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय)**		**392.24**	**382.57**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मौलिक	47	40.01	37.27
	(2) विलयित		40.01	37.27
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 54		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सदस्य सं. 095597

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		533.31	531.54
समायोजन:			
अन्य वृहत आय की मदें		2.11	20.98
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		12.86	17.88
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर लाभ		(3.98)	(0.32)
निवेश की बिक्री पर लाभ		-	(73.69)
ब्याज आय		(176.02)	(196.71)
लाभांश आय		(14.01)	(3.37)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(1.30)	38.35
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**352.97**	**334.66**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में (कमी)/ वृद्धि		(248.59)	101.38
दरसूची में (कमी)/ वृद्धि		(1.40)	1.28
अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/ वृद्धि		(2,962.78)	(195.35)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/ वृद्धि		149.11	(42.09)
अन्य देयताओं , वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		152.31	876.29
	(2)	**(2,911.35)**	**741.51**
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(2,558.38)**	**1,076.17**
प्रदत्त आय कर		(48.70)	(55.60)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**(2,607.08)**	**1,020.57**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(9.71)	(12.50)
अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद		(0.07)	(0.33)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया		(51.38)	(29.20)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		7.82	6.03
सम्पति, संयंत्र और उपकरण पर विनिमय लाभ व हानि		(3.96)	
निवेशी की बिक्री		-	79.23
म्युचुवल फंड में निवेश		33.75	(117.43)
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण		(524.02)	(340.15)
सहायक कंपनी तथा जे वी को ऋण का पुर्नभुगतान		139.92	4.58
प्राप्त ब्याज		218.74	118.24
प्राप्त लाभांश		14.01	3.37
इक्विटी शेयरों में निवेश		(11.35)	(367.89)
(निवेश) / बैंक जमा राशियों की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		188.06	(1,166.75)

(रुपए करोड़ में)

		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**1.81**	**(1,822.80)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण		3,203.08	-
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभंश वितरण कर सहित)		(117.05)	(221.74)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(114.52)	-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		(1.99)	-
शेयरों के बाय बैक के लिए डीआईपीएएम का भुगतान		(234.57)	-
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**2,734.95**	**(221.74)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	**1.30**	**(38.35)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग+घ)**	**130.98**	**(1,062.32)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	1,394.70	2,457.02
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)	1,525.68	1,394.70
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	**(ड.-च)**	**130.98**	**(1,062.32)**

नोटः 1 दिनांक 1 अप्रैल 2017 से कंपनी ने इंड-एएस 7 में संशोधनों को स्वीकार किया है, जिसमें अपेक्षा है कि निकायों को ऐसे प्रकटन उपलब्ध कराने होंगे जिससे वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता के लिए वित्तीय गतिविधियों जिसमें रोकड़ प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन तथा गैर रोकड़ परिवर्तन दोनों शामिल हैं, से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन करना संभव हो पाता है, जिससे प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और अंतिम शेषों के बीच पुनर्विनियोजन को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। संशोधनों का स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई तथ्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।"

2. कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं।

3. जहां कही आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित/पुन:निर्धारित किया गया है।

* 31 मार्च 2018 को रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बांद्रा (ईस्ट) में परियोजना स्थल के व्ययों हेतु निर्धारित 593.55 करोड़ रुपए को शामिल किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सस़ं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2017 को

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2017 को शेष
19.80	79.18	98.98

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और सर्प्लस		अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2016 को शेष	**3,333.71**	**318.50**	**(5.00)**	**3,647.21**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-		-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुन:आरंभ शेष	**3,333.71**	**318.50**	**(5.00)**	**3,647.21**
वर्ष के लिए लाभ		368.85		368.85
अन्य वृहत आय				
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुर्नमापन		3.15		3.15
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर			10.57	10.57
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	**-**	**372.00**	**10.57**	**382.57**
प्रदत्त लाभांश		(184.23)		(184.23)
लाभांश वितरण कर		(37.51)		(37.51)
बोनस इशु		(79.18)		(79.18)
31 मार्च 2017 को शेष	**3,333.71**	**389.58**	**5.57**	**3,728.86**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
ससं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2018 को

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	01 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	31 मार्च 2018 को शेष
	98.98	-4.93	94.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि और सर्प्लस			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी रिडंप्शन आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2017 को शेष	**3,333.71**	**389.77**	**-**	**5.57**	**3,729.05**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-0.19			-0.19
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुन: आरंभ शेष	**3,333.71**	**389.58**	**-**	**5.57**	**3,728.86**
वर्ष के लिए लाभ (पुन:निर्धारित)		390.86			390.86
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुर्नमापन		-1.80			-1.80
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर				3.18	3.18
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	**-**	**389.06**	**-**	**3.18**	**392.24**
इक्विटी शेयरों का बायबैक			4.93		4.93
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		-1.99			-1.99
घटा: बायबैक शेयरों के लिए भुगतान		-234.57			-234.57
घटा: प्रदत्त लाभांश		-192.40			-192.40
घटा: लाभांश वितरण कर		-39.17			-39.17
घटा: बोनस इशु		-			-
31 मार्च 2018 को शेष	**3,333.71**	**310.51**	**4.93**	**8.75**	**3,657.90**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्‌टा
साझेदार
स.सं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

1 निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है जो भारत में स्थित है (यू45203डीएल1976जीओआई 008171) तथा इसका निगमित टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ भारत में लागू कंपनी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है । रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी; अनुसूची "क" की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-। कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

2 इंड एस (एएस) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(i) तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन विवरण

31 मार्च 2018 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

(ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

i. निर्धारित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।

ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।

iii. नीचे दिए गए पैरा (x)(घ) के अनुसार प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य आवश्यक है।

(ग) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरुप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

<u>प्रमुख लेखांकन अनुमान:</u>

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता - वह स्तर जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है, वह भविष्य में करयोग्य आय की संभावना के अनुमान पर आधारित हैं जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रावधान - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भावी निष्कर्ष इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व - कंपनी समापन विधि के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए राजस्व को स्वीकार करती है। इसके लिए अंतर्निहित निर्माण और सेवा संविदाओं के निष्कर्षों सहित कुल बजटीय लागत के संबंध में पूर्वानुमान किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रुप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, कंपनी ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार के महत्वपूर्ण अनुमात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में परिवर्तन संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान तथा उसके जीवनकाल के अंत में अवशिष्ट मूल्य के निर्धारण के पश्चात किया जाता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है, जो परिसंपत्ति के उपयोग को परिवर्तित कर सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रुप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

(घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं के साथ निकटवर्ती करोड़

रुपए में राउंडिड किया गया है, केवल अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर।

(ii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

(क) <u>भारतीय प्रचालनों में संव्यवहार:</u>

i. सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ख) <u>विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार</u>

i. सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

i. परिसंपत्तियां और देयताएं - रिपोर्टिंग तिथि को देयताओं के लिए समापन बिक्री दरें तथा परिसंपत्तियों के लिए समापन क्रय दर।

ii. आय/व्यय - वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर।

iii. क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय)में स्वीकार किया जाएगा।

iv. विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्यों की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

(iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

2. मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/ परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रुप में स्वीकार किया जाएगा, यदि:

   क) यह संभावित है कि मदों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय में प्रवाहित होंगे; और

   ख) मद की लागत का परिकलन विश्वसनीय रुप से किया जा सकता है।

4. परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रुप से आरोपित लागत।

ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित है।

iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

5. प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

6. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रुप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

7. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रुप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रुप से मूल्यह्रासित किया जात है यदि यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/गैर-आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालयी उपकरण	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
कैरेवान, कैंप और अस्थायी शेड	3-5
वाहन	8-10

(घ) पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

(ङ.) मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी

(च) वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रुप से 5000 रुपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा।

(v) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रुप से सृजित या स्व:सृजित
साफ्टवेयर	नियत (36 महीने)	अधिग्रहित

ख) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

ग) प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेति मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(vi) निवेश परिसंपत्तियां

क. निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।

ख. निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।

ग. कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/ निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यह्रासित करेगी।

घ. निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रुप से वापस लिए जाने पर और उनके पिपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

(vii) सहायक कंपनियां और संयुक्त व्यस्थाएं

क. सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

ख. संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो कार्य भागीदारी व्यवस्था (संयुक्त प्रचालन) के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों या संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय (संयुक्त उद्यमों) द्वारा निष्पादित संविदाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संविदागत अधिकारों और प्रत्येक संयुक्त उद्यम साझेदार का दायित्व पर निर्भर करता है ना कि संयुक्त व्यवस्था की विधिक संरचना पर। कंपनी के संयुक्त उद्यम और संयुक्त प्रचालन दोनों हैं।

i) संयुक्त प्रचालन

कंपनी कंपनी अपने संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व तथा व्ययों के अपने प्रत्यक्ष अधिकार और संयुक्त रुप से धारित या वहन परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्ययों को स्वीकार करती है।

ii) संयुक्त उद्यम

निवेशों पर आय को तक स्वीकार किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

ऐसे संयुक्त उद्यमों में निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लेखांकित किया जाता है।

(viii) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(ix) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां तथा उच्च तरल निवेश, जिसे तत्काल रोकड़ की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिभाषित किया गया है तथा बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(x) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

क) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ख) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त

टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख. डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग. अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ. प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है, को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रूप में स्वीकार किया गया है।

(xi) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

(iii) जब यह संभावना हो कि कुल संविदा लागत कुल संविदा राजस्व से अधिक होगा तो संभावित हानि को तत्काल व्यय के रुप में स्वीकार किया जाएगा। समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उसपर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xii) पट्टा

(क) पट्टेदार के रुप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:-

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रुप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) जो न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई

युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रुप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

ख) पट्टाकर्ता के रुप में कंपनी

वित्तीय पट्टा

(i) इसे तब मान्यता प्रदान की जाती है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टादाता को हस्तांतरित होते हैं।

(ii) देय भुगतान को पट्टों में कंपनी के निवेल निवेश पर प्राप्य के रुप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर आवधिक प्रतिपूर्ति दर को प्रदर्शित किया जा सके।

प्रचालन पट्टा

(i) वे पट्टे हैं जिसमें कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को व्यापक रुप से पट्टादाता को हस्तांतरित नहीं करती है

(ii) कार्य को पट्टा अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रुप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान को संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु सभावित सामान्य वृद्धि की तर्ज पर बढाने के लिए निर्धारित किया जाता है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

(i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रुप में दर्शाया जाता है।

(ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रुप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

1. अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।
2. व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:
   - अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
   - पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
   - इस प्रकार परिसंपत्ति भावी आर्थिक लाभों का सृजन करेगी।
   - परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
   - विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रुप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के उपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो।

विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रुप से परीक्षित किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xvi) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि

खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य घटा निपटान लागत और प्रयोग मूल्य में से जो भी उच्चतर हो वह है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानियों का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसंपत्तियां जिन्हें पृथक रुप से परीक्षित नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों में समूहित किया जाता है, जो निरंतर प्रयोग से रोकड़ इनफ्लो का सृजन करते हैं, जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों (रोकड़ सृजन इकाइयां)से रोकड़ इनफ्लो से स्वतंत्र होते हैं।

(xviii) उधार लागत

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रुप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रुप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii) समूह में निर्धारित लाभ योजनाएं हैं जैसे उपदान एलटीसी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।

iii) समूह ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्याशित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करके वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है और इसे लाभ हानि विवरण में प्रभासित किया जाता है।

iv) निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाता है और बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

v) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभों को बीमांकक मूल्यांकन या अंशदान के लिए उपलब्ध राशि, जो कोई कम हो पर स्वीकृत किया जाता है।

vi) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों में अवकाश नकदीकरण शामिल है। अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों पर बीमांकक लाभों और हानियों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से स्वीकार किया गया है।

vii) अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(xix) कर

(क) चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त करदरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रुप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/ भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रुप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त

कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।

(xx) प्रचालन क्षेत्र

प्रचालन सेगमेंट को इस रुप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपन ने दो रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय।

(xxi) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xxiii) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रुप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित) समरुपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अवलोकन किया जाता है।

- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंतग में पुन:आंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रुप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के सतरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिनकी आवश्यकता लेखांकना नीतियों के अनुसार पुन:मापन या पुन:आकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य

संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती हे ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त उचित मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(XXIV) इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त /देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(xxv) वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रुप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. अनुवर्ती मापन

ख1. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रुप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ-हानि विवरण में वित्तीय अन्य में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

(i) व्यापार प्राप्य

(ii) प्रतिभूति जमा राशि

(iii) प्रतिधारण राशि

(iv) ग्राहकों के पास धारित राशि

(v) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(vi) ऋण और अग्रिम

(vii) करमुक्त बांडों में निवेश

ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रुप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुन:वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओओसीआई के रुप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख.2 वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

(ख)एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

ग. गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

घ. वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है।सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियोा के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है। हानि विधि को इस तथ्य के आधार पर लागू किया गया है कि क्या वही ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

(xxvi). बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रुप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यंधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्त पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रुप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है।बिक्री /संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में पृथक रुप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपतियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

(xxvii) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रुप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रुप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड़ में)

फुट नोट	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट -आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट -गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
		(iv)	(iii)		(i)						(v)			
सकल धारण राशि (लागत पर)														
31 मार्च 2016 को	**0.06**	**36.39**	**42.92**	**8.73**	**10.18**	**409.11**	**4.25**	**8.99**	**0.19**	**7.07**	**8.32**	**11.41**	**15.63**	**563.25**
जमा	7.11	-	-	1.08	-	0.62	0.47	0.85	-	1.02	0.84	1.41	0.59	13.99
निपटान/समायोजन	35.09	-35.09	-24.53	24.53	-1.32	-48.08	-0.86	-1.03	-0.14	-0.66	-0.44	-0.61	-6.61	-59.75
31 मार्च 2017 को	**42.26**	**1.30**	**18.39**	**34.34**	**8.86**	**361.65**	**3.86**	**8.81**	**0.05**	**7.43**	**8.72**	**12.21**	**9.61**	**517.49**
जमा	0.49	-	-	-	-	0.89	0.40	2.93	-	0.74	0.63	0.31	2.34	8.73
निपटान/समायोजन	-	-	-11.02	-25.34	36.36	-63.60	-0.40	-0.99	-0.05	-1.01	-0.77	-0.85	-2.35	-70.02
परिवर्तित (लाभ)/घाटा	-	-	-	-	1.26	16.90	-0.43	0.12	-	0.28	0.09	0.02	1.07	19.31
31 मार्च 2018 को	**42.75**	**1.30**	**7.37**	**9.00**	**46.48**	**315.84**	**3.43**	**10.87**	**-0.00**	**7.44**	**8.67**	**11.69**	**10.67**	**475.51**
मूल्यह्रस और घाटा														
31 मार्च 2016 को	**-**	**0.21**	**7.44**	**5.13**	**3.36**	**356.48**	**2.92**	**8.01**	**0.15**	**5.60**	**7.27**	**5.77**	**14.51**	**416.85**
वर्ष के लिए मूल्यह्रस प्रभार	-	0.01	5.26	0.52	0.37	6.47	0.09	0.55	-	0.43	0.30	2.21	0.13	16.34
घटा	-	-	-	-	-	1.26	-	-	-	-	-	-	-	1.26
निपटान/ समायोजन	-	-	-3.23	3.23	-0.44	-43.00	-0.67	-1.00	-0.15	-1.66	-0.34	-0.61	-6.17	-54.04
31 मार्च 2017 को	**-**	**0.22**	**9.47**	**8.88**	**3.29**	**321.21**	**2.34**	**7.56**	**-**	**4.37**	**7.23**	**7.37**	**8.47**	**380.41**
वर्ष के लिए मूल्यह्रस प्रभार	-	0.01	0.28	0.31	2.54	4.64	0.11	0.81	-	0.53	0.28	2.45	0.40	12.36
घाटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/ समायोजन	-	-	-6.90	-3.50	10.40	-60.11	-0.38	-0.95	-	-0.94	-0.72	-0.85	-2.25	-66.20
परिवर्तित (लाभ)/घाटा	-	-	-	-	0.56	12.26	0.21	0.02	-	1.35	0.08	0.05	0.83	15.36
31 मार्च 2018 को	**-**	**0.23**	**2.85**	**5.69**	**16.79**	**278.00**	**2.28**	**7.44**	**-**	**5.31**	**6.87**	**9.02**	**7.45**	**341.93**
निवाल बही मूल्य														
31 मार्च 2018 को	**42.75**	**1.07**	**4.52**	**3.31**	**29.69**	**37.84**	**1.15**	**3.43**	**-0.00**	**2.13**	**1.80**	**2.67**	**3.22**	**133.58**
31 मार्च 2017 को	**42.26**	**1.08**	**8.92**	**25.46**	**5.57**	**40.44**	**1.52**	**1.25**	**0.05**	**3.06**	**1.49**	**4.84**	**1.14**	**137.08**

फुटनोट:

i) निपटान के लिए स्थिर परिसंपत्तियों को बिक्री/समायोजना के कॉलम में तथा अंतरण के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियों को निवल बुक मूल्य रखा गया ह।

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	तरीका और संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित (घाटा) / लाभ	क्षेत्र	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	वर्ष 2019 के अंत तक के सभावित समय के साथ एमएसटीसी जैसी ई-नीलामी के माध्यम से		घरेलू पीएमडी प्रभाग	4.33	0.25	5.16	0.29
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 24 (3)	खुली निविदा	36.27	अंतरराष्ट्रीय	29.26	1.46	7.25	0.17
	3 ट्रैक मशीन, 18 हूपर वैगन 15 फलैट वेगन तथा 2 मोटर ट्रॉली	खुली निविदा	2.90	अंतरराष्ट्रीय	17.04	0.85	-	-
	34 कम्प्यूटर और प्रिंटर	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.13	0.007	-	-
	7 फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर तथा ईपीएबीएक्स	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.06	0.003	-	-
	15 वाहन	खुली निविदा	0.09	अंतरराष्ट्रीय	2.12	0.10	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नई में आवासीय भवन	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**59.22**	**3.24**	18.69	1.03

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास और घाटे को लाभ हानि विवरण के नामे किया गया है

(रुपए करोड़ में)

विवरण	मार्च 2018 को	मार्च 2017 को
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	12.36	16.34
घाटा	-	1.26
कुल	**12.36**	**17.60**

iii) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

iv) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

v) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

vi) मूल्यह्रास और घाटा: भारतीय विदेशी परियोजनाएं (31 मार्च 2018 के लिए 15.36 करोड़ रुपए (31 मार्च 2017 को 0.47 करोड़ रुपए))

4. पूंजीगत चालू कार्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	-
जमा (परिणामी व्यय)	1.22
घटा: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-0.24
31 मार्च 2018 को समापन शेष	0.98
<u>**निवल बही मूल्य**</u>	
31 मार्च 2018 को	**0.98**
31 मार्च 2017 को	**-**

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	**260.81**	**14.43**	**3.04**	**278.28**
जमा (परिणामी व्यय)*	20.58	8.62	-	29.20
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**281.39**	**23.05**	**3.04**	**307.48**
जमा (परिणामी व्यय)*	42.19	9.19	-	51.38
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**323.58**	**32.24**	**3.04**	**358.86**
<u>मूल्यह्रास और हानि</u>				
31 मार्च 2016 को अंतशेष	**-**	**-**	**0.09**	**0.09**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	0.05	0.05
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**-**	**-**	**0.14**	**0.14**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	0.05	0.05
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**-**	**-**	**0.19**	**0.19**
<u>निवल ब्लॉक</u>				
31 मार्च 2018 को	**323.58**	**32.24**	**2.85**	**358.67**
31 मार्च 2017 को	**281.39**	**23.05**	**2.90**	**307.34**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिनसे किराया आय प्राप्त नहीं हुई है	0.35	0.34
किराया आय से सृजित प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरममत और अनुरक्षण सहित)	-	-
किराया आय से न सृजित प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरममत और अनुरक्षण सहित)	-	-
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.35**	**0.34**
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.05)	(0.05)
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.30**	**0.29**

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1-04-2016 को आरंभिक शेष	**245.45**	**131.84**	**5.05**	**382.34**
उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
खरीद	-	-	-	-
31-03-2017 को अंतशेष	**249.85**	**148.20**	**5.25**	**403.30**
उचित मूल्य अंतर	44.31	12.91	0.06	57.28
31-03-2018 को अंतशेष	**294.16**	**161.11**	**5.31**	**460.58**
इस अवधि के लिए उचित मूल्य अंतर	44.31	12.91	0.06	57.28
नोट :-				
स्व:निर्मित संपत्ति निवेश	294.16	161.11	5.31	460.58
	294.16	**161.11**	**5.31**	**460.58**
वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का प्रकटन	लागत और आय	लागत	लागत (भूमि और भवन)	

वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का विवरण

लागत परिदृश्य: इस परिदृश्य में, भूमि के बाजार मूल्य का आकलन प्रत्यक्ष तुलना दृष्टिकोण (बाजार परिदृश्य) से किया जाता है। भवन मूल्य का निर्धारण मूल्यह्रास प्रतिस्थापन लागत (जैसा कि नया है) का प्रयोग करके किया जाता है। इस लागत परिदृश्य के भीतर, भूमि के मूल्य का निर्धारण इस अनुमान के साथ लगाया जाता है कि यह भूमि खाली है और सभी दायित्वों से मुक्त है । मूल्यह्रास प्रतिस्थापन लागत विधि का प्रयोग करके इसे प्रस्तुत सुधारों की लागत में जोडा जाता है। प्रतिस्थापन लागत अनुमानित है । परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन की लागत को नए के समान प्रयोग किया जाएगा। भवन लागत में भवन घटकों और इस पर उपयुक्त मूल्यह्रास सुधारों का मूल्य शामिल है।

आय परिदृश्य (डीसीएफ): डीसीएफ विश्लेषण भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमान द्वारा तथा धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेशित संपत्ति या परिसंपत्ति के मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत, आय को निवेश चक्र के आधार पर अनुमानित किया जाता है और पूंजी, प्रचालन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को कम करके निवल आय का परिकलन किया जाता है।

(रूपए करोड़ में)

* संवर्धनों का ब्यौरा (अनुवर्ती व्यय)	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
- कार्य व्यय	46.17	26.79
- परामर्श प्रभार	0.50	0.59
- वेतन एवं पारिश्रमिक	0.97	0.41
- दरें एवं कर	-	1.27
- वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	1.36	0.04
- ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार	1.47	-
- विज्ञापन और प्रकाशन	0.15	0.08
- कार्मिक कल्याण	0.02	-
- बैंक प्रभार	0.02	-
- मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय और अन्य	0.71	0.01
- दौरा और यात्रा	-	0.01
- विविध प्रचालन व्यय	0.01	-
कुल	**51.38**	**29.20**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	**2.09**
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.34
वर्ष क दौरान पूंजीकरण	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**3.42**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.07
वर्ष के दौरान बिक्री और समायोजन	(0.02)
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**3.47**
परिशोधन और हानि	
31 मार्च 2016 को अंतशेष	**1.99**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**2.21**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.45
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.02)
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**2.64**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2018 को	**0.83**
31 मार्च 2017 को	**1.21**

7. वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
लागत पर निवेश		
1. इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त) (कोट न किए गए)		
क) सहायक कंपनियां		
इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 6,50,00,000)	65.00	65.00
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम - प्रत्येक 10 रुपए के शून्य इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 2,04,00,000)#	-	20.40
इरकॉन पीबी टोलवे लि. - प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 16,50,00,000)	165.00	165.00
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड - प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 15,00,00,000)	150.00	150.00
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड - प्रत्येक 10 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : शून्य)	0.05	-
कुल (क) - सहायक कंपनियों में निवेश	**380.05**	**400.40**
ख) निगमित संयुक्त उद्यम (पूर्णत प्रदत्त)(कोट न किए गए)		
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (i) क, ख तथा ग)	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 2,00,00,000 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 2,04,00,000) #	20.00	-
बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 11,83,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 11,83,000)	1.18	1.18
झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 130,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 13,00,000)	13.00	1.30
महानदी कोयला रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 13,000)	0.01	0.01
छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 8,35,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 8,35,75,700)	83.58	83.58
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017: 13,11,70,000)	131.17	131.17
कुल (ख) - संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**313.09**	**281.39**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(परिशोधित लागत पर निवेश)		
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए)		
8.00% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2017 : 163,131)	16.31	16.31
7.21% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500)	49.96	49.96
8.23% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2017: 5,00,000)	50.00	50.00
8.35% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500)	49.93	49.92
7.15% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2017 : 250)	24.98	24.98
7.07% भारतीय रेल वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2017 : 3,02,000)	30.20	30.20
7.14% एनएचएआई के 1000 प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2017 : 1,99,989)	20.00	20.00
7.02% एनएचएआई के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500)	50.00	49.99
कुल - बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**291.38**	**291.36**
कुल गैर चालू निवेश	**984.52**	**973.15**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**291.38**	**291.36**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**349.33**	**293.32**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**693.14**	**681.79**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	**-**	**-**

फुट नोट (i):

(क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2018 को बकाया देय राशि शून्य (31.03.2017 को 126.78 करोड़ रुपए) है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

(ग) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा की ओर से तथा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी 0.28 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य शामिल है। 31.03.2018 को बकाया ऋण शून्य रुपए है।

आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन से 51 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ सहायक कंपनी : दिनांक 10.04.2017 के अपने पत्र के तहत रेलवे बोर्ड ने इरकॉन से आरएलडीए को 1 प्रतिशत इक्विटी अंतरित करने का निर्णय लिया है और इसप्रकार इसका स्वामित्व और गैर-नियंत्रण हित 50:50 के अनुपात में हो गया है। 0.40 करोड़ रुपए के मूल्य पर इरकॉन द्वारा आरएलडीए को 1 प्रतिशत शेयर के अंतरण के साथ आईआरएसडीसी की संरचना संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हो गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

7.2 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. रक्षित वसूली योग्य		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.42	0.62
कुल (क) - रक्षित ऋण	**0.42**	**0.62**
ख. अरक्षित, वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:		
संयुक्त उद्यम		
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	-	39.00
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	39.00	39.00
सहायक कंपनियां		
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटड	525.82	162.65
- इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	240.85	80.00
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटड	-	18.34
कुल (i)	**805.67**	**338.99**
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम*	0.25	0.23
कुल (ii)	**0.25**	**0.23**
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)	**805.92**	**339.22**
सकल योग -ऋण	**806.34**	**339.84**

* निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.0068	0.0116
कुल	**0.0068**	**0.0116**

7.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) **वसूली योग्य**		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	0.01	0.05
- अन्य	0.17	0.14
- ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	60.67	19.55
- ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	3.47	3.57
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट(i)}	0.41	0.41
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशिया{संदर्भ फुट नोट (ii)}	9.02	5.23
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज#	0.50	0.56
रेल भूमि विकास प्राधिकरण को अग्रिम पर संचित ब्याज	3.44	
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज	0.01	-
अन्य		
- मोजांबीक सरकार से वसूली योगय	35.61	70.78
- आरएलडीए से वसूली योग्य {संदर्भ फुटनोट (iii) (क) व (ख)}	2,616.09	-
- अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.01	0.04
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,729.41**	**100.33**
सकल कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,729.41**	**100.33**

#निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
निदेशकों से देय राशि को स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज में शामिल किया गया है	0.0022	0.0011
कुल	**0.0022**	**0.0011**

फुट नोट :-

(i) 0.41 करोड रु. (0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) संविदाकर्ताओं से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि संविदाकर्ता संविदा करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) (क) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 15.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या अतिरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कंपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा इस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कंपनी को अंतरित कर दिए हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कंपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप-ठेके पर देने (सभी संबंद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

(ख) आरएलडीए को सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए दिनांक 3 अगस्त 2017 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार 15 करोड़ रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान शामिल है।

8. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रावधान	117.60	131.23
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	2.31	4.58
अन्य	30.97	25.24
31 मार्च को अंतशेष	**150.88**	**161.05**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में विनियोजन/संचलन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	प्रावधान	पीपीई और अपूर्ति परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
31मार्च 2017 को	**131.23**	**4.58**	**25.24**	**161.05**
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(13.63)	(2.27)	5.73	(10.17)
- अन्य वृहत आय में	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**117.60**	**2.31**	**30.97**	**150.88**

आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासित नियम के अंतर्गत हैं

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान आयकर :		
वर्तमान आयकर प्रभार	174.78	118.64
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर प्रभार के लिए प्रावधान	(42.50)	(17.21)
आस्थिगित कर :		
अस्थायी अंतरों के समायोजन और प्रतिक्रम से संबंधित	10.17	61.26
लाभ या हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**142.45**	**162.69**

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य मदों सं संबंधित आयकर

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	(0.95)	1.67
विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	1.68	5.59
ओसीआई को प्रभारित लाभ/हानि	**0.73**	**7.26**

31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दर:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	535.42	552.52
बंद प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	**535.42**	**552.52**
34.608% के भारत के सांविधिक आयकर पर (31 मार्च 2017: 34.608%)	185.30	191.28
पिछले वर्षो के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	(42.50)	(17.21)
पिछले अज्ञात कर हानियों का उपयोग	-	-
- गैर करयोग्य मदें	(52.04)	(33.46)
- दर अंतर	-	(10.22)
- अन्य	-	23.61
कर प्रयोजन के लिए गैर-कटौतीयोग्य व्यय:		
- अन्य देशों के अतिरिक्त कर	30.09	(2.87)
- अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	22.33	18.85
26.74% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2017: 30.75%)	**143.18**	**169.98**
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	143.18	169.95
बंद प्रचालनों पर आयकर	-	-
	143.18	**169.95**

9. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	19.93	43.49
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	68.61	310.09
कर विभागों में जमा राशि	0.20	0.21
कुल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	**88.74**	**353.79**
ख) अन्य		
अरक्षित वसूली योग्य		
संचित ब्याज :		
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	52.20	43.05
पूर्वप्रदत्त व्यय	-	3.98
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.13	2.82
कुल - अन्य	**52.33**	**49.85**
ग) संदिग्ध समझे गए		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	-	0.91
घटा: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	(0.91)
कुल - संदिग्ध समझे गए	**-**	**-**
सकल योग	**141.07**	**403.64**

10. दरसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कच्चा माल		
- उपलब्ध	20.51	34.64
- तीसरे पक्षों के पास	9.94	4.28
- पारगमन में	0.19	1.78
अन्य (स्क्रैप)	1.79	-
प्रगतिरत निर्माण कार्य (लागत पर)	108.31	98.64
कुल	**140.74**	**139.34**

11. वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू)

11.1 निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
लागत पर निवेश		
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)		
यूटीआई मनी मार्किट फंड - दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश) इकाइयों की संख्या: 1,69,594,888 (31 मार्च 2017 : शून्य)	17.02	-
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड- दैनिक डिविडेंड योजना: इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2017 : 10,88,384)	-	109.19
आइडीबीआई लिक्विड फंड -- दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश): इकाइयों की संख्या: 19,86,853.588 (31 मार्च 2017 : शून्य)	199.15	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान -- दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश): इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2017 :13,80,381)	-	140.72
कुल निवेश	**216.17**	**249.91**
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	**216.17**	**249.91**
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	**216.17**	**249.91**
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	**-**	**-**

11.2 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अरक्षित वसूली योग्य		
- व्यापार प्राप्य*(नोट सं.40 का संदर्भ लें)	673.75	424.66
संदिग्ध समझे गए		
- व्यापार प्राप्य	26.71	20.85
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	26.71	20.85
कुल	**673.75**	**424.66**

* संबंधित पक्षों से प्राप्त सहित रु. 50.46 करोड़ (31 मार्च 2017 को : रु. 3.31 करोड़)

11.3 रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
उपलब्ध रोकड़		0.09	0.18
उपलब्ध चैक / ड्राफ्ट		0.94	-
बैंक में शेष :			
चालू खातों में		213.31	205.53
फ्लैक्सी खातों में	(i)	234.80	212.02
तीन महीनों की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) तथा (iii)	1,076.54	976.97
		1,525.68	**1,394.70**

11.4 रोकड और रोकड समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य बैंक शेष			
तीन महीनों से 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i)	3,056.44	3,051.91
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां	(ii)	18.33	210.92
		3,074.77	**3,262.83**

फुट नोट : -

(i) रु. 2,884.78 करोड़ (रु. 3,141.33 करोड) का ग्राहक निधि सहित जिन पर उन्हें ब्याज दिया गया है

(ii) ठेकेदारों से प्राप्त साविध जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) बांदद्रा (ईस्ट) में परियोजना स्थल के लिए व्यय हेतु निर्धारित रु. 593.55 करोड़।

11.5 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क. रक्षित वसूली योग्य		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.96	1.21
कुल (क) - रक्षित ऋण	**0.96**	**1.21**
ख. अरक्षित वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षो को ऋण:		
संयुक्त उद्यम		
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	-	78.00
सहायक कंपनियां		
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	-	4.58
(ii) अन्य :		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम*	0.91	0.98
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i) + (ii)	**0.91**	**83.56**
सकल योग	**1.87**	**84.77**

* निदशकों से देय राशि का विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
स्टाफ ऋणों और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.0048	0.0048
कुल	**0.0048**	**0.0048**

11.6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	7.67	7.07
- अन्य	1.65	1.72
- ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि	10.11	51.04
- ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	68.05	67.64
बयाना जमा राशि	40.05	0.35
संचित ब्याज		
- स्टाफ को अग्रिम	0.65	0.69
- संबंधित पक्षों को ऋण	-	18.00
- बैंक में जमा राशि	75.99	113.94
- बांड	17.86	17.87
अन्य :		
(i) संबंधित पक्षों से वसूली योग्य		
संयुक्त उद्यम		
- रीकॉन	0.81	0.64
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	2.84	2.84
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप	4.04	3.86
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.	7.04	7.04
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	0.71	-
- इरकॉन - एफकॉन जेवी	46.40	29.85
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	1.02	2.48
- महानदी कोयला रेल लिमिटेड	0.57	0.37
ख) <u>आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि</u>		
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड- प्रत्येक 10 रुपए के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर	20.00	-
(iख संबंधित पक्षों से वसूली योग्य		
सहायक कपनी		
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	0.14	0.04
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	1.15	-
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	-	0.48
- इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	0.43	0.24
- देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	2.29	-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(ii) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	35.92	35.81
(iii) अन्य वसूलीयोग्य	4.39	9.37
(iv) अन्य वसूलीयोग्य	14.69	5.30
(v) बिलयोग्य राजस्व/बकाया किन्तु देय नहीं {संदर्भ फुट नोट (i)}	260.05	282.91
(vi) अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.21	0.14
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूलीयोग्य	**624.73**	**659.68**
ग) संदिग्ध समझे गए		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	0.11	0.55
- अन्य	0.18	0.19
बयाना जमा राशि	-	0.05
- ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि	7.29	7.19
- ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	6.06	5.65
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था (अन्य)	(13.64)	(13.63)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**-**	**-**
सकल योग - अन्य वित्तीय - अन्य	**624.73**	**659.68**

किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए(शून्य रुपए) है।

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि पर ब्याज	-	-
कुल		

(क) ग्राहकों द्वारा प्रमाणित किन्तु रिपोर्टिंग तिथि को बिल न किए गए **7.99 करोड़ रुपए** (1.61 करोड़ रुपए)की राशि वाले कार्य के मूल्य सहित।

(ख) छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से **8.50 करोड़ रुपए** (2.48 करोड़ रुपए) सहित।

(ग) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से **1.07 करोड़ रुपए** (0.31 करोड़ रुपए) सहित।

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम			
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		331.99	45.08
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम		219.09	141.73
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम			
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		315.73	302.55
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि		(218.65)	(210.48)
- मूल्य संवर्धित कर		91.55	93.68
- वस्तु एवं सेवा कर		201.90	-
- सेवा कर इनपुट क्रेडिट		0.01	3.71
कुल - पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		**941.62**	**376.27**
ख) अन्य			
संचित ब्याज			
जमाराशि व अग्रिम:			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास		47.18	43.00
प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलीयोग्य मूल्य पर)		116.18	97.59
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	(i)	3.24	1.03
पूर्व प्रदत्त व्यय		6.27	3.15
उचित मूल्य समायोजन		0.37	5.19
पट्टा समतुल्य		-	0.14
कुल - अन्य		**173.24**	**150.10**
ग) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण		15.89	15.32
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		36.04	35.89
अन्य		0.04	0.10
मूल्य संवर्धित कर		7.17	7.18
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था		(59.14)	(58.49)
कुल - संदिग्ध समझे गए		**-**	**-**
सकल योग		**1,114.86**	**526.37**

(i) मरम्मत से परे और/या निपटान के लिए धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बही मूल्य के निम्नतर मूल्य पर): -

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	तरीका और संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित (घाटा) / लाभ	क्षेत्र	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	वर्ष 2019 के अंत तक के सभावित समय के साथ एमएसटीसी जैसी ई-नीलामी के माध्यम से		घरेलू पीएमडी प्रभाग	4.33	0.25	5.16	0.29
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 24 (3)	खुली निविदा	36.27	अंतरराष्ट्रीय	29.26	1.46	7.25	0.17
	3 ट्रैक मशीन, 18 हूपर वैगन 15 फ्लैट वेगन तथा 2 मोटर ट्रॉली	खुली निविदा	2.90	अंतरराष्ट्रीय	17.04	0.85	-	-
	34 कम्प्यूटर और प्रिंटर	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.13	0.007	-	-
	7 फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर तथा ईपीएबीएक्स	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.06	0.003	-	-
	15 वाहन	खुली निविदा	0.09	अंतरराष्ट्रीय	2.12	0.10	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नई में आवासीय भवन	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**59.22**	**3.24**	18.69	1.03

12.1 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किया गया कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	29.09	1.72
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**29.09**	**1.72**

13. इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी 40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए*(नोट-i) का संदर्भ लें) (10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2017 को)	400.00	100.00
	400.00	**100.00**
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी 9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त (9,98,80,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2017 को)	94.05	98.98
	94.05	**98.98**

<u>कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा</u>

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	9,37,83,574	99.71	9,87,12,000	99.73
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	2,44,000	0.26	2,44,000	0.25
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.03	24,000	0.02
अन्य				
कुल	**9,40,51,574**	**100**	**9,89,80,000**	**100**

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर	-	7,91,84,000	-	-	-	98,98,000	-
इक्विटी शेयर बाय बैक	49,28,426	-	-	-	-	-	-
कुल	**49,28,426**	**7,91,84,000**	**-**	**-**	**-**	**98,98,000**	**-**

शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) दिवालियापन

कपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

इक्विटी शेयर की संख्या तथा शेयर पूंजी का पुनर्विनियोजन

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	9,89,80,000	98.98	1,97,96,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	7,91,84,000	79.18
घटा: वर्ष क दौरान बायबैक किए गए शेयर	-49,28,426	-4.93	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**9,40,51,574**	**94.05**	**9,89,80,000**	**98.98**

*वर्ष के समापन के पश्चात, 400 करोड़ रुपए तक प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए 22-05-2017 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन लिए गया था।

(ii) निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरा के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

14. अन्य इक्विटी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) प्रतिधारित आमदनियां		
आरम्भिक शेष	389.58	318.50
जमा : सरप्लस से लाभ और हानि विवरण में अंतरण	390.86	368.85
घटा : निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(117.05)	(107.22)
घटा : अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(114.52)	(114.52)
घटा : बोनस इशु	-	(79.18)
जमा : निर्धारित लाभ योजना का पुन:मापन (कर का निवल)	(1.80)	3.15
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	(1.99)	-
घटा: शेयरों के बाय बैक के लिए भुगतान	(234.57)	
अंतिम शेष	**310.51**	**389.58**
(ख)सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	**3,333.71**	**3,333.71**
अंतिम शेष	**3,333.71**	**3,333.71**
(ग) पूंजी रिडंम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभक शेष	-	-
जमा: इक्विटी शेयरों के बायबैक के लिए अंतरण	4.93	-
अंतिम शेष	**4.93**	**-**
(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष	**5.57**	**(5.00)**
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	3.18	10.57
अंतिम शेष	**8.75**	**5.57**
सकल योग	**3,657.90**	**3,728.86**

किया गया वितरण और प्रस्तावित लाभांश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
2017-18 के दौरान प्रदत्त लाभांश : 27.80 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2016-17: 45.00 रुपए प्रति शेयर)	97.25	89.08
लाभांश वितरण कर - अंतिम लाभांश	19.80	18.14
2017-18 के दौरान अंतरिम लाभांश :10.11 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2016-17: 9.61 रुपए प्रति शेयर)	95.15	95.15
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.37	19.37
कुल	**231.57**	**221.74**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश :		
31 मार्च 2018 का लाभांश: 10.34 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2017: 27.80 रुपए प्रति शेयर)	97.25	97.25
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.99	19.80
कुल	**117.24**	**117.05**

15. वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

15.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अरक्षित		
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	3,200.00	
संचित किन्तु अदेय ब्याज	3.08	-
कुल	**3,203.08**	**-**

नोट:

(क) अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें

ऋण राशि के मूल का पुनर्भुगतान 15 अप्रेल, 2019 से आरंभ होते हुए पांच समान किश्तों में किया जाएगा

(ख) ब्याज दर :

(i) कंपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)।लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)

(ii) लागू कर दर दीर्षकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

(ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

15.2 व्यापार देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (संदर्भ नोट 45)	-	-
अन्य ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	0.46	0.45
कुल	**0.46**	**0.45**

15.3 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	320.92	129.23
ग्राहकों को देय राशि	0.55	80.88
कुल	**321.47**	**210.11**

16. प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	16.10	88.65	71.70
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	16.20	99.50	93.88
अन्य प्रावधान	16.30	251.95	302.41
		440.10	**467.99**
घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (अलग से प्रस्तुत)	16.20	99.50	93.88
कुल		**340.60**	**374.11**
चालू		**265.32**	**297.93**
गैर चालू		**75.28**	**76.18**

प्रावधान संचलनों का प्रकटन इंड एएस-37 की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है :

16.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान

(क) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	पेंशन	कुल
31 मार्च 2017 को	**-**	**55.82**	**1.33**	**8.32**	**-**	**65.47**
चालू	-	5.58	0.13	6.66	-	12.37
गैर चालू	-	50.24	1.20	1.66	-	53.10
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	12.24	-	4.49	-	16.73
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	9.45	-	-	-	9.45
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	0.02	0.04	-	-	0.06
(विनिमय लाभ) / हानि	-	0.01	-	-	-	0.01
31-मार्च-2018 को	**-**	**58.60**	**1.29**	**12.81**	**-**	**72.70**
चालू	-	5.67	1.29	12.81	-	19.77
गैर चालू	-	52.93	-	-	-	52.93

(ख) अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	निष्पादन संबंधी वेतन	छट्टी यात्रा रियायत	कुल
31 मार्च 2017 को	**5.89**	**0.34**	**6.23**
चालू	5.89	0.06	5.95
गैर चालू	-	0.28	0.28
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	10.02	-	10.02
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	0.02	0.02
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	0.28	0.28
31 मार्च 2018 को	**15.91**	**0.04**	**15.95**
चालू	15.91	0.01	15.92
गैर चालू	-	0.03	0.03
कर्मचारी लाभ के लिए कुल प्रावधान (क+ख)			
31 मार्च 2018 को			**88.65**
31 मार्च 2017 को			**71.70**

16.2 संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	संदिग्ध ऋण	संदिग्ध अग्रिम	कुल
31 मार्च 2017 को	**20.85**	**73.03**	**93.88**
चालू	20.85	73.03	93.88
गैर चालू	-	-	-
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6.66	0.95	7.61
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	-	0.28	0.28
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.79	0.94	1.73
(विनिमय लाभ) / हानि	-	0.02	0.02
31 मार्च 2018 को	**26.72**	**72.78**	**99.50**
चालू	26.72	72.78	99.50
गैर चालू	-	-	-

16.3 अन्य प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	प्रकट घाटे	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले #	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2017 को #	**19.25**	**0.91**	**66.78**	**6.02**	**51.39**	**86.52**	**71.54**	**302.41**
चालू	19.18	0.91	56.49	6.02	38.95	86.52	71.54	279.61
गैर चालू	0.07	-	10.29	-	12.44	-	-	22.80
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.18	-	16.80	-	-	13.90	2.35	33.23
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.73	0.91	25.66	2.77	-	7.62	9.30	46.99
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	5.24	-	1.37	-	41.76	0.13	0.25	48.75
(विनिमय लाभ) / हानि	0.12	-	-0.48	-	4.88	-	5.72	10.24
बट्टा खाता	0.06	-	1.31	-	0.44	-	-	1.81
31 मार्च 2018 को	**13.64**	**-**	**57.38**	**3.25**	**14.95**	**92.67**	**70.06**	**251.95**
चालू	12.84	-	35.86	3.25	14.95	92.67	70.06	229.63
गैर चालू	0.80	-	21.52	-	-	-	-	22.32

 # {संदर्भ नोट सं. 27}

17. अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	882.89	1,688.27
ख) अन्य		
उचित मूल्य समायोजन	-	22.93
अन्य	0.56	0.56
कुल	**883.45**	**1,711.76**

18. वित्तीय देयताएं (चालू)

18.1 व्यापार देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (संदर्भ नोट सं. 45)	5.67	-
अन्य		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता (संदर्भ नोट सं. 27)	503.14	357.67
(ख) संबंधित पक्ष	4.05	6.08
कुल	**512.86**	**363.75**

18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
देय उपदान	16.15	-
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि (संदर्भ नोट सं. 27)	518.54	503.52
वित्तीय गारंटी संविदा	-	0.04
ग्राहकों को देय राशि	335.13	140.44
अन्य देय (स्टाफ को देय सहित)	72.84	43.28
कुल	**942.66**	**687.28**

19. अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	2,524.48	1,982.61
- घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां	(218.65)	(210.48)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	223.56	99.96
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां :	207.89	71.42
उचित मूल्य समायोजन	-	24.98
कुल	**2,737.28**	**1,968.49**

19.1 चालू कर देयता (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)		14.13	23.83
चालू कर देयता (निवल)		**14.13**	**23.83**

20. प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	3,780.74	2,889.62
लोको पट्टा	-	0.88
मशीनरी किराया प्रभार	5.50	9.15
अन्य राजस्व		
- वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	47.95	29.43
- अन्य प्रचालनिक राजस्व	35.86	5.25
कुल	**3,870.05**	**2,934.33**

21. अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय :				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		22.08		22.06
आयकर वापसी पर ब्याज		19.54		11.93
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज		0.18		0.21
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज		63.15		16.83
अन्य अग्रिम पर ब्याज		1.13		4.31
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय		7.69		7.54
सकल बैंक ब्याज	236.55		305.19	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(166.61)	69.94	(163.82)	141.37
अन्य :				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		4.08		0.35
विविध आय		23.57		22.23
विनिमय उच्चावचन लाभ	31.94		-	
घटा:- विनिमय उच्चावचन घाटा	(30.65)	1.30	-	-
लाभांश आय	16.34		4.82	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(2.33)	14.01	(1.45)	3.37
कुल		**226.67**		**230.20**

* **<u>संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:</u>**

संबंधित पक्षों का विवरण	2017-18	2016-17
- इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	1.19	2.63
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	10.44	6.27
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	3.08	4.87
- इरकॉन एफकॉन जेवी	-	0.20
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	31.80	1.89
- इरकान पीबी टोलवे लिमिटेड	16.64	0.97
	63.15	**16.83**

22. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय (प्रशासनिक)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण							
आरंभिक शेष		38.92		89.87		-	-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	(i)	342.61		321.04		-	-
		381.53		410.91		-	-
घटाः अंतिम शेष		32.24	349.29	38.92	371.99		
कार्यगत व्यय (संदर्भ नोट सं. 27			2,822.18		2,076.87	-	-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी			-10.56		-47.86	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार			13.77		13.45	-	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि			11.81		13.55	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण			6.33		11.50	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार			2.79		4.94	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		-		71.48			
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ		-		33.13			
निवल विनिमय उच्चावचन हानि			-		38.35	-	-
किराया-गैर आवासीय			4.99		5.29	1.42	1.00
दर एवं कर			27.02		30.30	1.01	1.38
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण			9.95		9.99	1.61	1.37
मरम्मत और रखरखाव							
- भवन			0.12		0.07	0.85	0.91
- कार्यालय तथा अन्य			10.91		3.23	3.59	3.83
बिजली, विद्युत व जल प्रसार			2.34		2.19	1.42	1.57
बीमा			5.50		5.55	0.15	0.04
यात्रा और वाहन			10.78		9.02	2.13	2.25
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			1.37		1.19	0.93	0.56
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स			1.46		1.51	0.64	0.46
विधिक और व्यावसायिक प्रसार			8.04		5.45	6.58	4.03
सुरक्षा सेवाएं			3.13		3.68	0.25	0.41
व्यवसाय संर्वधन			0.33		0.39	0.89	0.34
बट्टा खाताः							
- अशोध्य ऋण			-		0.60	-	-
- अशोध्य अग्रिम			-		1.99	-	-
- परिसंपत्तियां			0.29		0.11	-	-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि			-		-	0.10	0.03
निदेशकों की फीस			-		-	0.14	0.07
चंदा			-		-	0.01	0.04
लेखापरीक्षकों की फीस	(ii)		-		-	0.66	0.60
विज्ञापन और प्रसार			-		-	7.43	6.18
प्रशिक्षण और भर्ती			-		-	1.75	0.27
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46 का संदर्भ लें)			-		-	8.73	5.89
विविध व्यय			4.19		2.86	1.63	1.27
पूर्व अवधि व्यय - बट्टा खाता/जमा (नोट 16 का संदर्भ लें)			-9.64		-9.09	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट 16 का संदर्भ लें)			-47.27		-78.29	-	-
कुल			**3,229.12**		**2,478.83**	**41.92**	**32.50**

(i) इंड एएस को लागू करने के कारण विनियम लाभ/हानि शामिल है - रु 0.10 करोड़ (31 मार्च 2017 : रु. 0.13 करोड़).

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.39	0.33
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.12	0.10
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.03	0.05
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.08	0.07
- विदेशी	0.04	0.05
कुल	**0.66**	**0.60**

23. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	व्यय (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	व्यय (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	131.75	47.21	178.96	99.99	40.42	140.41
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		8.09	3.72	11.81	6.79	4.05	10.84
विदेशी सेवा अंशदान		1.14	1.23	2.37	0.76	0.84	1.60
सेवानिवृत्ति लाभ		13.40	23.57	36.97	12.92	-17.20	-4.28
कर्मचारी कल्याण		1.13	0.64	1.77	1.27	0.54	1.81
कुल		**155.51**	**76.37**	**231.88**	**121.73**	**28.65**	**150.38**

फुट नोट :

0.22 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2017 को : 0.33 करोड़ रुपए)

24. वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय	(i)	3.08		11.94	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज		-3.08	-	-	11.94
अन्य ऋण लागत					
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			6.18		8.34
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज			48.93		29.66
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन			7.61		7.31
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग कुल			1.81		3.35
कुल			**64.53**		**60.60**

फुट नोट :- 0.003 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2017 को : 9.65 करोड़)

25. मूल्यह्रास , परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	12.36	16.34
अमूर्त परिसंपत्तियां	0.45	0.23
निवेश संपत्ति	0.05	0.05
परिसंपत्तियों की हानि	-	1.26
कुल	**12.86**	**17.88**

26. अन्य वृहत आय (ओआईसी) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है। (रूपए करोड़ में)

विवरण	ओसीआई की अन्य मदें	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	(2.75)	4.82
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया गया है।	0.95	(1.67)
कुल	**-1.80**	**3.15**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्र अंतरण	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	4.86	16.16
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया गया है।	(1.68)	(5.59)
कुल	**3.18**	**10.57**
सकल योग	**1.38**	**13.72**

27. पूर्व अवधि त्रुटियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
इक्विटी पर प्रभाव : इक्विटी में (वृद्धि/(कमी))		
चालू अन्य वित्तीय देयताएं	-	0.04
अन्य चालू देयताएं	-	(0.74)
विधिक मामलों के लिए प्रावधान	-	0.51
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	**-**	**(0.19)**
विवरण		
लाभ में लाभ और हानि में विवरण पर प्रभाव (वृद्धि/(कमी))		
प्रचालनिक एवं प्रशासनि व्यय	-	(0.19)
इक्विटी धारकों पर आरोप्य		**(0.19)**
ईपीएस में प्रति शेयर मूल तथा विलयित आमदनियों में (वृद्धि/(कमी))		
विवरण		
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर आमदनी		
मूल, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ		(0.01)
विलयित, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ		(0.01)

27.क आपवादिक मदें

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	73.69
कुल	**-**	**73.69**

28. उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) निवेश						
कर मुक्त बांड़ (संचित ब्याज सहित)	-	-	309.23	-	-	309.23
म्युचुवल फंड़ में निवेश	216.17	-	-	249.91	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	673.75	-	-	424.66
(iii) ऋण	-	-	808.21	-	-	424.61
(iv) प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	-	-	142.30	-	-	141.80
(v) सरकारी विभागों में प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूलीयोग्य	-	-	85.42	-	-	124.94
(vi) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	-	-	1,525.67	-	-	1,394.70
(vii) उपर्युक्त (ii) से अतिरिक्त बैंक शेष	-	-	3,074.77	-	-	3,262.83
(viii) अन्य - वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3,108.56	-	-	475.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**216.17**	**-**	**9,727.91**	**249.91**	**-**	**6,558.17**
वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	-	-	3,203.08	-	-	-
(ii) व्यापार देय	-	-	513.32	-	-	364.21
(iii) प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	-	-	839.45	-	-	632.75
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	424.67	-	-	264.63
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**4,980.52**	**-**	**-**	**1,261.59**

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 -परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर अवलोकनीय इनपुट)।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर तथा परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को प्रस्तुत करता है।

(ii) (क) परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है और इनके लिए उचित मूल्य प्रकट किय गए हैं।

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्तीय सहायता				
कर मुक्त बांड़	309.23	309.23	349.33	293.32
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	142.30	141.80	142.30	141.00
सरकारी विभागों तथा अन्यों में प्रतिभूति राशि	85.42	124.94	85.42	124.97
कुल परिसंपत्तियां	**536.95**	**575.97**	**577.05**	**559.29**

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत				
व्यापार देय	513.32	364.21	513.32	362.20
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	839.45	632.75	839.45	627.43
कुल देयताएं	**1,352.77**	**996.96**	**1,352.77**	**989.63**

(ii) (ख)लाभ और हानि खाते पर मापित परिसंपत्तियों जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्तीय परिसंपत्ति				
म्युचुवल फंड में निवेश	216.17	249.91	216.17	249.91
कुल परिसंपत्तियां (लाभ और हानि खाते के माध्यम से)	**216.17**	**249.91**	**216.17**	**249.91**

i) चालू व्यापार प्राप्यों, व्यापार प्राप्यों, प्रतिभूति जमा राशियों तथा प्रतिधारण राशि, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, बैंक शेषों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उनके अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

ii) दीर्घकालीन प्रतिभूति जमा राशियों, प्रतिधारण राशि तथा दीर्घकालन व्यापार प्राप्यों के उचित मूल्य को चालू बाजार दर का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाहों क आधार पर परिकलित किया गया था। गैर-अवलोकनीय इनपुनट के समावेशन के कारण इन्हें स्तर 3 उचित मूल्य क्रम के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के कोट न की गई इक्विटी में निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 27 के पैरा 10 में उपलब्ध छूट के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को भारतीय जीएएपी के अनुसार वहन मूल्य पर निर्दिष्ट किया गया है।

iv) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम बाजार दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान हैं।

v) वित्तीय परिसंपत्तियों को संव्यवहार मूल्य पर निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि इन्हें उचित मूल्य पर मापने का प्रभाव नगण्य है।

31 मार्च 2018 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड़ में निवेश	31.03.2018	216.17	216.17	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांड़ों में निवेश	31.03.2018	349.33	349.33	-	-
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	31.03.2018	142.30	-	-	142.30
सरकारी विभागों तथा अन्यों में प्रतिभूति राशि	31.03.2018	85.42	-	-	85.42

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2018 को वित्तीय देयताएं के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार प्राप्य	31.03.2018	513.32	-	-	513.32
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.03.2018	839.45	-	-	839.45

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2017	249.91	249.91	-	-
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांडों में निवेश	31.3.2017	293.32	293.32	-	
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.3.2017	141.00	-	-	141.00
सरकारी विभाग तथा अन्यों के साथ प्रतिभूति जमा	31.3.2017	124.97	-	-	124.97

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय देयताएं के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार प्राप्य	31.3.2017	362.20	-	-	362.20
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.3.2017	627.43	-	-	627.43
वित्तीय गारंटी संविदा देयता	31.3.2017	0.04	-	-	0.04

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

iii वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड़ और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोशिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर-डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुदद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेश मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीड़ीटी, ड़ीजेडड़ी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वत: बचाव हो जाता है । 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को संबंधित विदेशी मुदद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमश: 0.70 करोड़ रुपए तथा 2.63 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड़ तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक अतिरिक्त कपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नहीं है क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथ विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के प्रतिशत के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इस समाप्त अवधि हेतु	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
शीर्ष परियोजनाओं से राजस्व		
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	1,509.59	1,162.60
	1,509.59	**1,162.60**

(i) संभावित ऋण घाटों के लिए प्रावधान

31.03.2018 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

(रूपए करोड़ में)

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	656.98	2.38	2.63	18.15	20.32	700.46
संभावित ऋण दर	0.00%	0.00%	0.00%	37.58%	97.88%	3.81%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	-	-	-	6.82	19.89	26.71
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	**656.98**	**2.38**	**2.63**	**11.33**	**0.43**	**673.75**

ख) ऋण और निवेशों से संभावित ऋण हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चुक की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमड़ी	49.84	0.58%	0.29	49.55
		स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	100.00%	-	-
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	155.65	8.58%	13.35	142.30
			205.49		**13.64**	**191.85**

31.03.2017 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि

(रूपए करोड़ में)

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	350.16	34.58	32.40	7.93	20.44	445.51
संभावित ऋण दर	0.15%	0.00%	0.00%	8.70%	96.04%	4.68%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	0.53	-	-	0.69	19.63	20.85
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	**349.63**	**34.58**	**32.40**	**7.24**	**0.81**	**424.66**

ख) ऋणों और निवेशों के लिए संभावित ऋण घाटा

(रूपए करोड़ में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	ऋटि की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमड़ी	10.13	7.80%	0.79	9.34
		स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	100.00%	-	-
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	154.64	8.30%	12.84	141.80
			164.77		**13.63**	**151.14**

ग) चल निधि जोखिम

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कंपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कंपनी विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।

एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इस प्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है: **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	643.08	2,560.00
व्यापाद देय	512.86	0.46	-
अन्य वित्तीय देयताएं	942.65	111.42	210.05

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार देय	363.75	0.45	-
अन्य वित्तीय देयताएं	687.28	132.98	77.13

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

iv पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश वे जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है। **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रदत्त लाभांश	192.40	184.23
कुल	**192.40**	**184.23**

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित 4,928,426 शेयरों का बायबैक किया है।
वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएफआरसी से ऋण लिए हैं, जो आगे आरएलडीए को दिया गया है जिसका पुनर्भुगतान आरएलडीए से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ऋण इक्विटी अनुपात

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
ऋण (नोट सं. 15.1)	3,203.08	-
दीर्घकालीन ऋण	3,203.08	-
इक्विटी (नोट सं. 13)	94.05	98.98
अन्य इक्विटी (नोट सं. 14)	3,657.90	3,728.86
कुल इक्विटी	3,751.95	3,827.84
ऋण इक्विटी अनुपात	0.85	-

29. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) आकस्मिक देयताएं:

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें कर्ज के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:

i) **421.08 करोड़ रूपए** (418.82 करोड़ रुपए) जिसमें निवल प्रावधान के **69.38 करोड़ रूपए** (56.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं। इसके प्रति कंपनी ने **258.41 करोड़ रूपए** (278.24 करोड़ रूपए)का प्रति दावा किया है। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ii) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

iii) प्रत्यक्ष कर से संबंधित **292.35 करोड़ रूपए** (136.52 करोड़ रूपए) जिसमें **197.23 करोड़ रूपए** (64.95 करोड़ रूपए) जो कंपनी के पक्ष में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) तथा आइटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील से संबंधित हैं।

iv) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **327.43 करोड़ रूपए** (266.27 करोड़ रूपए) हैं, जिनमें से **110.44 करोड़ रूपए** (शून्य) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों ने ली है तथा **43.89 करोड़ रूपए** (61.35 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से प्राप्त की गई है ।

क्र.सं. (i)(iii) तथा (iv) पर दावों /मांग के संबंध में संचलन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को शेष	आरंभिक शेष के संबंध में वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान संवर्धत	31 मार्च 2018 को शेष
(i)	कंपनी के विरुद्ध दावा (किए गए प्रावधानों का निवल)	418.82	96.16	98.42	421.08
(ii)	प्रत्यक्ष कर के संबंध में मांग	136.52	46.84	202.67	292.35
(iii)	अपील के अधीन अप्रत्यक्ष कर विवादित मांग	266.27	21.45	82.60	327.43
	कुल	**821.61**	**164.45**	**383.69**	**1040.86**

(ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटियां

संयुक्त व्यवस्थाओं के संबंध में:

i. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रैक्टर की **4.25 करोड़ रुपए** (4.25 करोड़ रुपए) की बिक्री कर देयता और **1.01 करोड़ रुपए** (1.01 करोड़ रुपए) रुपए का सेवा कर ।

ii. इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले मे **1.40 करोड़ रुपए** (1.40 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी ।

iii. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में **0.01 करोड़ रुपए** (0.96 करोड़ रुपए) की आयकर देयता। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2012-13 तथा 2013-14 के नियमित आकलन के परिणामस्वरुप 31.03.2018 को **0.24 करोड़ रुपए** की मांग सृजित हुई है । संयुक्त उद्यम ने इस आंकलन पर आपत्ति व्यक्त की है और इस आदेश के विरोध में अपील दायर की है।

iv. मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर के विरुद्ध **0.02 करोड़ रुपए** (0.02 करोड़ रुपए) का वसूली मुकदमा।

v. भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए **14.28 करोड़ रुपए** (25.72 करोड़ रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रुप से दायी है:

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को शेष	आरंभिक शेष के संबंध में वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान संवर्धत	31 मार्च 2018 को शेष
(i)	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित निर्णीत हर्जाना	9.67	शून्य	शून्य	9.67

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

i) अपने कुछ ग्राहकों पर इरकॉन द्वारा किए गए दावे और मध्यस्थता द्वारा इरकॉन के पक्ष में दिए जाने के विरुद्ध ग्राहक अदालत में गए, जिन्हें प्राप्य राशियों में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **178.79 करोड़ रुपए** (179.06 करोड़ रुपए) जिसमें मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 31.03.2018 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ii) इरकॉन द्वारा उप-ठेकेदारों पर प्रति दावे किए गए और मध्यस्थताओं द्वारा इरकॉन के पक्ष मे निर्णय दिया गया जिसके विरुद्ध उपठेकेदार न्यायलय में गए, इस राशि को प्राप्य के रुप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **13.80 करोड़ रुपए** (8.92 करोड़ रुपए).

iii) बीमा दावा 0.84 मिलियन अमरीकी डालर (0.82 मिलियन अमरीकी डालर) तथा इथोपियन बिरा 1.0 मिलियन (ईटीबी 0.95 मिलियन) समतुल्य **5.66 करोड़ रुपए** (5.50 करोड़ रुपए) इरकॉन के पक्ष में इथोपिया के मानानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 31.03.2018 तक परिकलित ब्याज शामिल है, जिसमें इथोपिया उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश जारी किया जाना है।

30. प्रतिबद्धताएं:

(क) पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) **85.91 करोड़ रूपए** (76.68 करोड़ रूपए)है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

i. सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक तथा इंडसिंड बैंक को **150.00 करोड़ रुपए** (150.00 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी.150 करोड़ रुपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा आईसीआईसीआई बैंक ने **104.39 करोड़ रुपए** (41.52 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी जारी की है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **45.61 करोड़ रुपए** (108.48 करोड़ रुपए) है।

ii. सहायक कंपनी तथा संयुक्त उद्यम कंपनी में **293.82 करोड़ रुपए** (54.06 करोड़ रुपए) के शेष इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान हेतु।

iii. सहायक कंपनियों को **979.44 करोड़ रुपए** (883.46 करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

iv. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को **30.93 करोड़ रुपए** (2.26 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

v. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टॉलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, **शून्य रुपए** (13.41 करोड़ रुपए)।

31. कंपनी के प्रति ऐसे कतिपय दावे में जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है यथा **1,098.26 करोड़ रुपए** (860.98 करोड़ रुपए) निवल प्रावधान **1.13 करोड़ रुपए** (1.13 करोड़ रुपए)। यदि कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे सफल हो जाते हैं तो इनका भुगतान ग्राहकों को करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध कंपनी का प्रतिदावा है यथा **1,062.59 करोड़ रुपए** (950.94 करोड़ रुपए)। दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया हे, क्योंकि वे अनिशिचित हैं किन्तु उनका भी पुनर्भुगतान किया जाएगा।

32. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर हेतु **0.04 करोड़ रुपए** (0.70 करोड़ रुपए)के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

33. (क) कंपनी ने आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2000-2001 से 2017-18 की अवधि के लिए छह विभिन्न वर्षों (वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2013-14) तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए धारा 801-आईए के अन्तर्गत कटौती पर की अनुमति दी गई है। इन सात वर्षों के लिए प्रावधान को पश्चलिखित नहीं किया गया है। कंपनी ने इन वर्षों के लिए कंपनी के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत विचारधारा को निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

(ख) कंपनी डीटीएए करारों के अनुसार आय को बाहर रखने के पश्चात भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है, जहां विदेशों से अर्जित आय को कर निर्धारण के लिए उपलब्ध वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2005-06 तक अपवर्जन की विधि की अनुमति दी है। देय कर के भुगतान के पश्चात अपीले दायर करके इस विषय का विरोध किया गया है जो आईटीएटी के समक्ष निपटान के लिए लंबित हैं।

34. (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित कम्पैनिया डोस केमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने गैर चालू निवेश में दर्शाए अनुसार 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड़ रुपए) का भुगतान किया गया है। कंपनी में अन्य स्टेकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमश:26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है।

(ख) 8 दिसंबर 2011 को, मोजांबीक सरकार ने एकपक्षीय रुप से रियायत करार को समाप्त कर दिया और परियोजना को अपने हाथ में ले लिया, जो कि कंपनी के विचार से गैर कानूनी था और करार के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप, सीसीफबी ने मोजांबीक सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मुकदमा किया। अब इस विवाद को निपटान करार के माध्यम से 21 अक्तूबर 2015 को मोजांबीक सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण रुप से सुलझा लिया गया है। निपटान करार के अनुसार, इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की किश्तें प्राप्त होंगी जिसमें से 23.525 अमरीकी डालर (158.98 करोड़ रुपए के समतुल्य) दिनांक 31.03.2017 को प्राप्त हो गया था और 5.595 मिलियन अमरीकी डालर (36.40 करोड़ रुपए के समतुल्य) अक्तूबर 2017 को प्राप्त हो। 5.595 मिलियन अमरीकी डालर की शेष दो किश्तें 18.10.2018 तथा 18.10.2019 को देय हैं जिन्हें मोजांबीक सरकार के पुष्ट ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

35. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध मे वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबंधन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

36. (क) लाभ और हानि के विवरण में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
i) लाभ या (हानि)	1.30	(38.35)
ii) अन्य वृहत आय	4.86	16.15
कुल	**6.15**	**(22.20)**

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	0.07	0.04	5.18	3.06
	जेडएआर	0.87	4.85	2.73	13.24
	बीडीटी	0.48	0.37		
	ईटीबी	0.02	0.05	0.02	0.06
	एनपीआर	1.37	0.86	1.75	1.10
व्यापार प्राप्त					
	बीटीएन	-	-	2.92	2.92
	बीडीटी	29.97	23.25	-	-
	डीजेडडी	32.85	18.81	19.66	11.65
	यूरो	1.68	130.29	0.13	9.16
	एमवाईआर	0.20	3.37	0.41	6.02
	जेडएआर	0.70	3.90	2.39	11.18
	यूएसडी	0.31	20.18	0.91	58.73
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	-	-	0.46	0.46
	बीडीटी	2.70	2.08	5.39	4.21
	डीजेडडी	116.24	62.84	125.69	74.16
	ईटीबी	0.00	0.01	-	0.01
	यूरो	0.17	11.79	0.44	29.69
	एलकेआर	2.97	1.24	14.81	6.31
	एमवाईआर	0.43	7.30	3.10	45.35
	जेडएआर	7.02	39.17	1.14	5.34
	यूएसडी	0.66	42.28	3.25	208.29
अन्य परिसंपत्तियां					
	डीजेडडी	0.90	0.51	2.72	1.64
	ईटीबी	0.07	0.18	0.07	0.21
	एमजेडएन	0.06	0.06	-	-
	यूरो	0.32	25.70	0.05	3.68
	एलकेआर	0.22	0.09	-	-
	एमवाईआर	0.04	0.68	2.58	37.80
	बीडीटी	0.12	0.09		
	जेडएआर	4.70	26.24	0.16	0.75
	यूएसडी	1.77	114.92	1.69	108.26
	एनपीआर	2.63	1.65	2.24	1.40

(रूपए करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीडीटी	109.71	85.11	115.45	93.61
	यूरो	-	-	0.07	4.68
	जेडएआर	-	-	4.36	21.17
	यूएसडी	-	-	0.41	26.62
व्यापार देय					
	बीटीएन	-	-	0.67	0.67
	बीडीटी	0.14	0.10	1.37	1.13
	डीजेडडी	13.26	7.59	30.44	17.96
	यूरो	0.54	42.47	0.33	22.71
	जेपीवाई	0.05	0.03	0.05	0.03
	एमवाईआर	0.02	0.36	0.27	3.89
	जेडएआर	1.56	8.73	0.24	1.14
	यूएसडी	1.18	77.80	1.84	67.50
अन्य देयताएं					
	बीटीएन	-	-	0.38	0.38
	बीडीटी	3.51	2.72	3.35	2.70
	डीजेडडी	4.85	2.77	22.59	13.33
	ईटीबी	1.36	3.23	0.10	0.27
	यूरो	0.12	9.96	0.11	7.69
	एमवाईआर	0.11	1.89	0.99	14.48
	जेडएआर	16.89	94.22	1.62	7.85
	यूएसडी	1.18	134.80	1.08	71.49
	एनपीआर	2.06	1.29	3.15	1.97

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रुप से सम्मिलित हैं।

डीजेडी-अल्जीरियन दिनार, जेडएआर-दक्षिण अफ्रीका रांद, एलकेआर-श्रीलंकन रुपी, ईटीपी-इथोपियन बिररा, एमवाईआर-मलेशियन रिनगिट, एनपीआर-नेपाली रुपया, एमजेडएन-मोजांबीयन मेटिकल, बीटीएन-भूटानी नगुलत्रम, बीडीटी-बांग्लादेशी टका, एयूडी-आस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई-जापानी येन।

37. पट्टे संबधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

कंपनी की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) - **रु. 3.55 करोड़** (रु. 3.73 करोड़) (नोट सं.23 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)

(ख) कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध मे पट्टा भुगतान - **रु. 6.41 करोड़** (रु. 6.29 करोड़) (नोट सं.22 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) कंपनी ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है:

1. गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - **रु.7.89 करोड़ रुपए** (रु. 8.01 करोड़ रुपए) (नोट 21 में विविध आय में शामिल किया गया है)।
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - **शून्य रुपए** (रु. 0.88 करोड़ रुपए) (नोट 20 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।

(ड.) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध में 31.03.2018 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

प्राप्य पट्टा किराया	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
एक वर्ष के भीतर		
- परिसर	0.37	0.35
- इंजन	शून्य	शून्य
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से कम		
- परिसर	2.16	2.06
- इंजन	शून्य	शून्य
पांच वर्ष से अधिक		
- परिसर	0.93	1.41
- इंजन	शून्य	शून्य

च. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	परिसर	इंजन	परिसर	इंजन
परिसिंपत्तियों की सकल वहन राशि	3.51	-	3.51	30.90
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.06	-	0.07	-
वर्ष के लिए क्षति हानि	-	-	-	0.21
संचित मूल्यह्रास	0.47	-	0.41	29.35

38. खण्ड रिपोर्टिंग :

क. सामान्य सूचना:

(i) कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन सेगमेंट का निर्धारण किया है।

(ii) कंपनी के जोखिम और पुरस्कार के स्रोत वैश्विक स्तर पर फैली इकाइयों से प्राप्त होते हैं इसलिए, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और घरेलू परियोजनाओं को पृथक प्रचालन सेगमेंट माना गया है।

(iii)प्रचालन सेगमेंटों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरुप हो।

(iv)इन प्रचालनिक सेगमेंटों की मॉनीटरिंग कंपनी के प्रमुख प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा की जाती है और सेगमेंट परिणामों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। सेगमेंट निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक सेगमेंट के लाभ के आधार पर किया जाता है।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंटों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	**575.04**	238.67	**3,295.01**	2,666.23	**3,870.05**	2,934.33
जमा: एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर मे कंपनी का भाग	**26.09**	88.28	**0.25**	1.62	**26.34**	89.90
ब्याज आय	**6.02**	6.97	**177.69**	197.28	**183.71**	204.25
अन्य आय	**15.23**	5.47	**27.73**	49.91	**42.96**	25.95
अंतर:सेगमेंट	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**622.38**	339.39	**3,500.68**	2,915.04	**4,123.06**	3,254.43
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	**13.50**	(3.06)	**523.03**	481.82	**536.53**	478.76
घटा: प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**(44.46)**	(42.77)	**34.82**	33.68	**(9.64)**	(9.09)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	**3.76**	5.90	**9.10**	11.98	**12.86**	17.88
ब्याज	**0.00**	-	**-**	11.94	**-**	11.94
आपवादिक मदें	**0.00**	(73.69)	**-**	-	**-**	(73.69)
कर पूर्व लाभ	**54.20**	107.50	**479.11**	424.22	**533.31**	531.54
कर व्यय	**24.75**	60.60	**117.70**	102.09	**142.45**	162.69
कर पश्चात लाभ	**29.45**	46.90	**361.41**	322.13	**390.86**	368.85

ग. अन्य सूचना

(रूपए करोड़ में)

	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
परिसंपत्तियां	**600.01**	653.56	**12,107.93**	8,514.06	**12,707.94**	9,167.62
देयताएं	**465.70**	555.40	**8,490.28**	4,784.20	**8,955.98**	5,339.60
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	**0.00**	-	**313.09**	280.22	**313.09**	281.39
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर-चालू परिसंपत्तियां	**30.69**	39.76	**604.44**	809.51	**635.13**	849.27
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्युआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां)	**2.99**	1.12	**58.41**	43.40	**61.40**	44.52

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 50.90%(38.70%) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

39.अन्य निकायों से ब्याज

क. संयुक्त व्यवस्था के संबंध में प्रकटन

(क) गैरनिगमित संयुक्त प्रचालन:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकौन	बांग्लादेश	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	**53.00** **47.00**	53.00 47.00
3.	एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम	गुजरात, महाराष्ट्र, भारत	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	**51.00** **30.00** **19.00**	51.00 30.00 19.00
4.	एक्सप्रेस फ्रेट रेल कंसार्टियम	महाराष्ट्र भारत	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	**51.00** **30.00** **19.00**	51.00 30.00 19.00

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	रीकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा-इलियोप	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
3	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नै, भारत	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु, भारत	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
5	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
8	इरकॉन आरसीएस-फ्लीडरर	जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल)	महाराष्ट्र भारत	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
3	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
4	महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	ओडीशा, भारत	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	झारखंड भारत	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
6	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एनडीएमसी, भारत सेल, भारत सीएमडीसी, भारत	26.00 43.00 21.00 10.00	26.00 43.00 21.00 10.00
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड**	नई दिल्ली, भारत	इरकॉन, भारत आरएलडीए	50 50	- -

***** रेल मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2017 के पत्र के तहत इरकॉन से 1 प्रतिशत इक्विटी आरएलडीए को अंतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे स्वामित्व में संशोधन होगा और गैर नियंत्रण हित 50:50 होगा।**

ग. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों की आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियां और देयताएं का विवरण

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					
			आय	व्यय	लाभ	पीपीई *	चालू/ गैर चालू परि-संपत्तिया$	देयताएं
1	रिकॉन	2017-18	0.25	0.08	0.17	-	10.66	0.36
		2016-17	0.32	0.12	0.20	-	10.50	0.37
2	आईएमसीसी	2017-18	0.00	0.00	(0.00)	-	3.57	0.94
		2016-17	0.02	0.01	0.01	-	3.56	0.93
3	एमटीजी	2017-18	0.00	0.18	(0.18)	-	4.33	0.24
		2016-17	0.32	0.14	0.18	-	4.19	0.10
4	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	2017-18	-	-	-	0.51	5.60	6.05
		2016-17	0.97	0.97	-	0.25	3.88	3.33
5	इरकॉन -एफकॉन	2017-18	26.09	9.54	16.55	0.04	33.19	10.79
		2016-17	88.28	55.18	33.10	0.40	39.12	27.61
6	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	2017-18	88.94	77.79	4.67	0.44	257.27	230.31
		2016-17	78.95	73.10	5.85	0.49	287.95	265.72

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					
			आय	व्यय	लाभ	पीपीई *	चालू/ गैर चालू परि-संपत्तिया$	देयताएं
7	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	2017-18	-	0.04	(0.04)	268.35	35.70	224.64
		2016-17	-	0.04	(0.04)	192.60	33.09	146.24
8	छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	2017-18	-	0.04	(0.04)	132.51	21.36	22.94
		2016-17	-	0.02	(0.02)	70.85	111.56	51.44
9	महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	2017-18	-	-	-	8.74	0.07	8.80
		2016-17	-	-	-	3.69	0.01	3.69
10	झारखंड मध्य रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	2017-18	0.45	0.46	(0.01)	47.91	11.48	46.56
		2016-17	0.10	0.25	(0.15)	45.65	8.50	45.65
11	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	2017-18	0.02	0.65	(0.63)	-	9.09	8.80
		2016-17	-	0.03	(0.03)	-	3.46	2.55
12	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)**	2017-18	2.65	2.14	0.73	0.04	33.77	2.43
		2016-17	-	-	-	-	-	-
	कुल	**2017-18**	**118.40**	**90.92**	**21.22**	**458.54**	**426.09**	**562.86**
		2016-17	168.96	129.86	39.10	313.93	505.82	547.63

*पीपीई आंकड़ों में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य शामिल हैं, जहां कहीं लागू हो।

** आईआरएसडीसी दिनांक 19.09.2017 से संयुक्त उद्यम कंपनी बन गई है, इसलिए, आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देयाताओं के भाग पर अनुपाति रुप में विचार किया गया है।

$पीपीई का निवल।

घ. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 29(ख) में प्रकट किया गया है।

(ख) सहायक कंपनियों में प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

क्र. स.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर नियंत्रण हित द्वारा धारित स्वामित्व	
			31 मार्च 2018	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लि. (आईआईएसएल)	भारत	**100%**	100%	**शून्य**	शून्य
2.	इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	भारत	**100%**	100%	**शून्य**	शून्य
3.	इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	भारत	**100%**	100%	**शून्य**	शून्य
4.	इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	भारत	**100%**	-	**शून्य**	शून्य
5.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	भारत	**-**	51%	**-**	49%

* 18 सितंबर 2017 तक सहायक कंपनी।

40. संबधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)
- इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड(आईडीडीएचएचएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), 18 सितंबर 2017 तक।

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 39(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 39(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

निदेशक : श्री एस.के.चौधरी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना, 28 मार्च, 2018 तक।

निदेशक (कार्यालयी सरकारी नामिती): श्री राजीव चौधरी, श्री एस.सी जैन, दिनांक 3 जनवरी 2017 से 17 नवंबर 2017 तक, श्री वेद पाल, दिनांक 22 नवंबर 2017 से।

स्वतंत्र निदेशक: श्री अविनीश माटा, सुश्री वसुधा वी. कामत, डॉ सी बी वेंकटरमण 29 सितंबर 2017 से, डॉ नरेन्द्र सिंह रैना 17 अक्तूबर 2017 से, और श्री अशोक कुमार गंजू 8 मार्च 2018 से तथा श्री संजय कुमार सिंह 02 जुलाई 2018 तक।

कंपनी सचिव - श्रीमती सुमीता शर्मा, 27 अक्तूबर 2017 तक
सुश्री इटि माटा, 1 नवंबर 2017 से 4 जनवरी 2018
सुश्री रितु अरोड़ा, 4 जनवरी, 2018 से

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2017-18	2016-17	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (उपुर्यक्त ख) का पारिश्रमिक और अन्य स्वतंत्र निदेशको का बैठक शुल्क	नोट सं. 41 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययों सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)		1.69	मशीनों को किराए पर लेना
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.52	2.19	श्रमशक्ति आपूर्ति
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)		2.29	प्रदत्त ब्याज
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)		0.70	प्रदत्त ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी	0.46	-	उपकरणों और सामग्री की खरीद
कुल	**0.98**	**6.87**	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार			
सहायक कंपनी (सहित)			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	1.19	2.63	ऋण पर ब्याज
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.16	0.32	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)		0.12	अन्य प्रचालन पावतियां-एमएफसी
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	0.02	0.02	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	353.74	273.26	कार्य पावतियां
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	31.80	1.89	ऋण पर ब्याज
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	0.02	0.02	परिसरों के लिए किराया
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	268.98	195.66	कार्य पावतियां
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	16.64	0.96	ऋण पर ब्याज
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	0.02	-	किराया
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम			
इरकॉन सोमा टोले लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	0.03	0.03	परिसरों के लिए किराया
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	189.85	130.07	परामर्श एवं कार्य प्राप्तियां
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	10.44	6.26	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	60.50	37.51	परामर्श प्राप्तियां
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	3.08	4.87	ऋण पर ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी		0.20	ऋण पर ब्याज

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2017-18	2016-17	संव्यवहार की प्रकृति
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	6.66	5.54	परामर्श और कार्य प्राप्तियां
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)	24.00	-	
झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	3.77		परामर्श और कार्य प्राप्तियां
कुल	**970.90**	**659.36**	
4. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)		75.00	
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)		80.00	
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	0.05	-	इक्विटी निवेश
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम			
छतीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)		43.41	
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)		130.00	
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)		1.18	
झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	11.70	1.30	
सीसीएफबी		(5.53)	विनिवेश
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	20.00	-	शेयर आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	(0.40)	-	विनिवेश
5.सहायक कंपनियों तथा संयुक्त व्यवस्थाकों को ऋण			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	(22.92)	(4.58)	ऋण का पुनर्भुगतान
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	160.85	80.00	ऋण संवितरण
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	363.17	162.65	ऋण संवितरण
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	26.00	78.00	ऋण संवितरण
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	(143.00)	-	ऋण का पुनर्भुगतान
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	39.00	19.50	ऋण संवितरण
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	(39.00)		ऋण का पुनर्भुगतान
इरकॉन एफकॉन जेवी		7.50	ऋण संवितरण
इरकॉन एफकॉन जेवी		(7.50)	ऋण का पुनर्भुगतान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		कारारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2017-18	2016-17	संव्यवहार की प्रकृति
6. प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्ययों, किराए तथा अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	1.51	0.80	
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	0.65	0.28	
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	1.14	0.91	प्रतिपूर्ति
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	2.29	-	प्रतिपूर्ति
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	4.23	-	
इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	-	0.56	प्रतिपूर्ति
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	-	1.51	
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	0.28	-	प्रतिपूर्ति
इरकॉन एफकॉन जेवी		-	प्रतिपूर्ति
ट्रस्ट			
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	7.77	7.82	प्रतिपूर्ति
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	14.34	-	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान ट्रस्ट	34.12	28.52	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन पेंशन ट्रस्ट	8.84	7.61	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट	-	3.38	ट्रस्ट में अंशदान
कुल	**75.17**	**51.39**	

संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्राप्य राशि		
(1) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश		
सहायक कंपनियां	**380.05**	**400.40**
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	65.00	65.00
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	165.00	165.00
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	150.00	150.00

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	0.05	-
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम	**313.09**	**280.22**
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	20.00	20.40
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	64.15	64.15
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	83.58	83.58
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	131.17	131.17
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	0.01	0.01
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	13.00	1.30
बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	1.18	1.18
(2) सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों को ऋण (संचित ब्याज सहित)		
सहायक कंपनियां	**766.67**	**268.14**
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	-	22.92
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	240.85	80.87
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	525.82	164.35
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम	**39.01**	**171.44**
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	-	127.67
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	39.01	43.77
(3) अन्य सेवाओं, प्रतिपूर्ति आदि हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	1.15	-
इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)	26.07	3.76
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	24.91	0.70
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	2.29	-
संयुक्त व्यवस्था/ संयुक्त उद्यम		
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	0.71	0.48
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	7.23	7.71
बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	28.32	-
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	36.31	41.29
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	54.72	5.29
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	0.58	4.72
एक्सप्रेस फ्रेट कॉरीडोर	0.18	

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
एक्सप्रेस फ्रेट रेल कंसार्टियम (ईएफआरसी)	0.15	
रीकॉन	-	0.44
ट्रस्ट		
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	1.12	2.26
देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	4.03	5.93
संयुक्त व्यवस्थाएं/ संयुक्त उद्यम		
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	-	28.15
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	-	18.57
इरकॉन एफकॉन	-	7.80
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	-	0.02
इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	3.05	
2) अग्रिम कार्य प्राप्तियां		
सहायक कंपनियां		
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	5.20	13.09
संयुक्त उद्यम		
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	8.87	5.52
बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	9.78	-
3) अग्रिम प्राप्तियां		
संयुक्त व्यवस्थाएं/ संयुक्त उद्यम		
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	0.62	5.00
ट्रस्ट		
उपदान ट्रस्ट	14.34	

घ) संबंधित सरकारी निकायों के साथ संव्यवहार

उपर्युक्त प्रस्तुत संव्यवहारों के अतिरिक्त, कंपनी के सरकारी निकायों सें संबंधित संव्यवहार है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु उनतक ही सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम:रेल मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण)

कतिपय महत्वपूर्ण संव्यवहार और अंत शेष:

वर्ष के दौरान संव्यवहार :

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
i)	बिक्री	1,733.28	1,265.20
ii)	ब्याज आगे दिया गया	166.61	159.36
iii)	प्रदत्त लाभांश	191.87	183.73
iv)	प्रदत्त लाभांश	2.33	1.45

नोट: क्रय विविध प्रकृति की हैं, इसलिए अनावश्यक हैं। इसलिए इसे प्रकट नहीं किया गया है।

अंतशेष:

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2017-18	2016-17
i)	प्राप्य	89.51	88.16
ii)	बिल योग्य राजस्व/प्राप्य जो देय नहीं	68.97	68.50
iii)	वसूलीयोग्य दावे	-	0.87
iv)	प्राप्त अग्रिम	2,714.83	3,247.36
v)	अग्रिम कार्य प्राप्तियां	1.58	0.38
vi)	रेल मंत्रालय के अंतर्गत आईआरएफसी से ऋण	3,200	-
vii)	आरएलडीए को पट्टे के प्रति अग्रिम भुगतान	2,580	-

41. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :-

(रूपए करोड़ में)

क्रसं	विवरण	2017-18	2016-17
I	वेतन और भत्ते*	2.10	1.51
II	भविष्य निधि में अंशदान	0.18	0.14
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.02	0.03
IV	बैठक शुल्क	0.14	0.07
IV	अन्य लाभ	0.26	0.33
	कुल	**2.70**	**2.08**

दिनांक 31.03.2018 को श्री एम.के.सिंह को बकाया ऋण 1.16 लाख रुपए (1.64 लाख रुपए) है।

* वित्तीय वर्ष 2017-18 के आंकडों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वर्ष के दौरान प्रदत्त 0.13 करोड़ रुपए का पीआरपी शामिल है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

42. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम-3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित "परिसंपत्तियों का ह्रास" इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । तदनुसार, ह्रास हानि **शून्य रुपए** (1.26 करोड़ रुपए) है।

43. कर्मचारी लाभ पर एएस-19 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियतअंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में **11.81 करोड़ रुपए** (10.84 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। 31.03.2018 को **14.34 करोड़ रुपए** की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

पेंशन

कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा(अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **6.32 करोड़ रुपए** कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2017-18 के दौरान लेखांकित किया गया है। मार्च 2018 में **0.77 करोड़ रुपए** (0.51 करोड़ रुपए) की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **12.81 करोड़ रुपए** (8.32 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्‌टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्‌टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

छुट्‌टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

कंपनी ने इंड एएस-19 के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर छुट्‌टी यात्रा रियायत के संबंध में प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं- गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

(i) सेवा लागत **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू सेवा लागत	3.72 (3.55)	4.03 (3.39)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ख)	विगत सेवा लागत, लाभ/हानियों की कटौती सहित	8.94 (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ग)	गैर-नियमित निपटानों पर लाभ या हानियां	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- -	-- ((26.66))	- -	- -
	कुल	**12.66** **(3.55)**	**4.03** **((23.27))**	**0.01** **(0.01)**	**3.45** **(2.63)**

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(ii) निवल ब्याज लागत **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निर्धारित लाभ दायित्वों पर ब्याज लागत	5.32 (5.40)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	6.15 (5.35)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय (संभावित)	5.38 (5.02)	-- (--)	-- (--)	5.03 (4.45)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	((0.07)) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iii) वर्तमान लाभ दायित्वों में परिवर्तन **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.88 (72.06)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)
ख)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- (-)	- ((26.66))	- (-)	- (-)
ग)	ब्याज लागत	5.32 (5.40)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	6.15 (5.35)
घ)	सेवा लागत	3.72 (3.55)	4.03 (3.39)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
ड.)	बीमांकित (लाभ)/हानि की कटौती के पश्चात पूर्ण सेवा लागत	8.94 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
च)	प्रदत्त लाभ	(9.24) ((5.56))	(8.97) ((4.90))	(0.02) ((0.08))	(1.82) ((1.12))
छ)	दायित्वों पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	2.41 ((4.57))	3.73 ((2.66))	(0.31) (0.16)	7.30 (3.82)
ज)	इस अवधि के समाप्त होने पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.03** (70.88)	57.10 (80.90)	0.04 (0.33)	97.02 (81.95)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।
* *त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के 7,59,722 रुपए के दायित्व को पीबीओ में शामिल किया गया है।

(iv) दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	जनांकिक अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	- (-)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	2.41 ((4.57))	3.73 ((2.56))	(0.31) (0.16)	7.30 (3.82)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(v) योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित (लाभ)/हानि (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अनुमानित ब्याज आय	5.38 (5.02)	- (--)	- (--)	5.03 (4.45)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.16 (5.56)	- (--)	- (--)	4.87 (5.46)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-- (0.29)	- (--)	- (--)	-- (--)
घ)	परिसंपत्ति पर बीमांकक लाभ(हानि)	(0.22) (0.24)	- (--)	- (--)	(0.16) (1.00)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(vi) तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषण (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	82.03 (70.88)	57.10 (54.24)	0.04 (0.33)	97.02 (81.95)
ख)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	67.69 (71.77)	-- (--)	-- (--)	70.19 (67.12)
ग)	तुलन पत्र में गैर वित्तपोषित देयता/प्रावधान	(14.34) (0.88)	(57.10) ((54.24))	0.04 ((0.33))	(26.84) ((14.83))
घ)	तुलन पत्र में स्वीकार गैर-वित्तपोषित देयता	- (0.88)	-- ((54.24))	-- ((0.33))	(26.84) ((14.83))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(vii) आय विवरण में स्वीकार्य राशियां (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	12.66 (3.55)	4.03 (23.27)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ख)	निवल ब्याज लागत	(0.07) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार निवल बीमांकक लाभ(हानि)	-- (--)	3.73 ((2.56))	-- (--)	-- (--)
घ)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकित लाभ/(हानि)	- (-)	- (-)	(0.31) ((0.16))	- (-)
ड.)	आयकर विवरण में स्वीकार आय	12.60 (3.93)	11.83 (21.76)	(0.28) (0.03)	4.56 (3.52)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(viii) अन्य वृहत आय (ओसीआई) (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निवल संचित अस्वीकार्य बीमांकक लाभ(हानि) आरंभिक	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	(2.41) (4.57)	-- (--)	-- ((0.16))	(7.30) ((3.82))
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ(हानि)	(0.22) (0.24)	-- (--)	-- (--)	(0.16) (1.01)
घ)	वर्ष के अंत में गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ(हानि)	(2.63) (4.81)	-- (--)	-- ((0.16))	(7.46) ((2.81))**

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

****7.46 करोड़ रुपए** (2.81 करोड़ रुपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक घाटे में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति **7.65 करोड़ रुपए** (2.97 करोड़ रुपए) का घाटा और निपटान भत्ते के प्रति देयता के संबध में **0.19 करोड़ रुपए** (0.16 करोड़ रुपए) का लाभ शामिल है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रुप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

(ix) योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	-- (-)	67.12 (59.38)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.47 (5.56)	-- (--)	-- (-)	4.87 (5.46)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.31) ((0.30))	-- (--)	-- (-)	- (--)
घ)	नियोक्ता अंशदान	-- (5.11)	-- (--)	-- (-)	- (3.38)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(9.24) ((5.56))	-- (--)	-- (-)	(1.80) ((1.10))
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	67.69 (71.77)	-- (--)	-- (-)	70.19 (67.12)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(x) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्त्यिों के प्रतिशत के रुप में) **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ग)	उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ड.)	संपत्ति	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100% (100%)	-- (--)	-- (-)	100% (100%)
छ)	बैंक शेष	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
	कुल	**100% (100%)**	**--** (-)	**--** (-)	**100% (100%)**

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xi) निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(0.88) (5.11)	54.24 (80.90)	0.33 (0.23)	14.83 (11.90)
ख)	सेवा लागत	12.66 (3.55)	4.03 (23.27)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	(0.07) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)
घ)	पुनर्मापन	2.63 ((4.81))	3.73 ((2.56))	(0.31) (0.16)	7.46 (2.81)
ड.)	निधि में प्रदत्त अंशदान	(--) ((5.11))	-- (--)	-- (--)	-- ((3.38))
च)	उद्यमी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-- (--)	(8.97) ((4.90))	(0.02) ((0.08))	(0.01) ((0.02))
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	14.34 ((0.88))	57.10 (54.24)	0.04 (0.33)	26.84 (14.83)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xii) चालू और गैर चालू श्रेणी में वर्ष के अंत में बीपीओ का द्विभाजन

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	8.70** (7.31)	4.57 (4.52)	0.01 (0.04)	1.97 (2.01)
ख)	गैर चालू देयता (एक वर्ष से ऊपर देय राशि)	73.33 (63.57)	52.53 (49.72)	0.03 (0.30)	95.05 (79.93)
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	82.03 (70.88)	57.10 (54.24)	0.04 (0.33)	97.02 (81.95)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

** त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के 7,59,722 रुपए के दायित्व को पीबीओ में शामिल किया गया है।

(xiii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानि अंशदान

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	4.42 (3.73)	4.67 (3.70)	0.01 (0.02)	3.87 (2.82)
ख)	निवल ब्याज लागत	1.07 ((0.07))	4.28 (4.07)	-- (0.03)	5.05 (4.39)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार्य निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	-- (--)	-- (1.90)	-- (--)	-- (--)
घ)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित व्यय	5.49 (3.67)	8.96 (9.66)	0.01 (0.05)	8.92 (7.22)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xiv) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदी विश्लेषण

(क) रियायती दर पर परिवर्तन का प्रभाव (रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.03	57.10	0.04	97.02
i)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2.35)	(2.17)	-	(2.80)
ii)	0.50% की कम के करण प्रभाव	2.50	2.34	-	2.97
(ख) रियायती दर पर परिवर्तन का प्रभाव					
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.03	57.10	-	1.29
i)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	1.24	2.32	-	0.05
ii)	0.50% की कम के करण प्रभाव	(1.29)	(2.17)	-	(0.05)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकाष्ठ ( ) में दर्शाया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों को पृथक रुप से दर्शाया जा सके।)

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रुप में लागू नहीं है।

(xv) बीमांकक अनुमान

क)	प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
ख)	रियायती दर	7.50 %
ग)	क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	8.00 %
घ)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत शेष आयु	12.19 से 13.19 वर्ष
ङ)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	10.14 से 10.77 वर्ष

44. प्रगतिरत संविदाओं के लिए संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस-11 के अंतर्गत प्रकटन

क) संविदा राजस्व के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : समापन का प्रतिशत।

ख) प्रगतिरत संविदाओं के समापन के स्तरों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : अनुपात

ग) अन्य ब्यौरा:

(रूपए करोड़ में)

ब्यौरा	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
क) अवधि में राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	3,780.74	2,889.62
ख) वहन की गई लागत की सकल राशि और स्वीकृत लाभ (घटा: स्वीकृत घाटे)	12,696.95	12,967.41
ग) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	690.93	3,288.64
घ) प्रतिधारण राशियां (ग्राहकों द्वारा)	86.45	50.05
ड.) संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकली राशि	410.70	305.65

45. कंपनी को अपने कुछ आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को **5.67 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) की राशि देय है।

46. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि **7.67 करोड़ रुपए** (6.80 करोड़ रुपए)।

(ii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अपेक्षित **7.67 करोड़ रुपए** (6.80 करोड़ रुपए) की राशि में से **8.73 करोड़ रुपए** (5.90 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं।

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2017-18	2016-17
1.	भुखमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।	3.74	1.45
2.	व्यावसायिक कौशलों को प्रोत्साहित करने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन, विशेष रुप से बच्चों हेतु।	2.97	0.81
3.	महिलाओं औरा अनाथ बच्चों के लिए होम तथा हॉस्टलों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्डएज होम की स्थापना, डे-केयर केन्द्रों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।	0.00	0.00
4.	पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना।	1.88	3.18
5.	ग्रामीण विकास परियोनजाएं।	0.14	0.46
	कुल	**8.73**	**5.90**

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण*	**0.85**	**-**	**0.85**
2.	अन्य प्रयोजन	**7.88**	**-**	**7.88**
	कुल	**8.73**	**-**	**8.73**

*खरीदी गई परिसंपत्तियों को संबंधित संगठनों को सौंपा गया और इसे कंपनी द्वारा नहीं रखा गया है।

(iv) अभी किए जाने वाले सीएसआर व्यय **शून्य रुपए** (0.91 करोड़ रुपए) हैं।

47. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूल ईपीएस		
निरंतन प्रचालनों से	40.01	37.27
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस*	40.01	37.27

*विलयित ईपीएस राशियां मूल ईपीएस के समान ही होती हैं क्योंकि कंपनी के कोई विलेय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त आय और शेयर डाटा को प्रदर्शित करते हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ:		
निरंतन प्रचालनों से	390.86	368.85
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ	**390.86**	**368.85**

निम्नलिखित मूल ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त वेटेज औसत संख्या के शेयरों को प्रदर्शित करता है:

(शेयरों की संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	9,76,97,259	9,89,80,000
विलयन का प्रभाव :		
विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**9,76,97,259**	**9,89,80,000**

* वर्ष के दौरान ट्रैजरी शेयर संव्यवहारों में परिवर्तन के भारित औसत प्रभाव के लिए शेयरों के भारित औसत संख्या को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुए हैं।

48. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए सविदाएं प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। एजेंट/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान **1.16 करोड़ रुपए** (1.36 करोड़ रुपए) सहित **4.96 करोड़ रुपए** (3.80 करोड़ रुपए) के समेकित व्ययों को लेखांकित नहीं किया है।

49. वित्तीय गारंटी

क) धारक कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रियायत करार के समाप्त होने पर अपने देयों में कमी, यदि कोई हो, को 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए दीर्घकालीन ऋण सुविधा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को वित्तीय

गारंटी जारी की है कि । 31.03.2018 को बकाया ऋण **शून्य रुपए** (63.07 करोड़ रुपए)। उक्त गारंटी को इंड एएस 109 के अनुसार स्वीकार किया गया है। आईएसटीपीएल ने चालू अवधि के दौरान ऋण राशि का भुगतान कर दिया है।

50. उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत एक परियोजना में, **11.52 करोड़ रुपए** की राशि के विधिक व्ययों के संबंध में विधिक मत के आधार पर लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है जो कंपनी की प्रथमिक देयता नहीं है।

51. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रबंधन द्वारा लिए गए विशेषज्ञ मद के आधार पर, यह निर्णय लिया गया था कि ग्राहकों और ठेकेदारों के पास जमा बट्टा खाता प्रतिभूमि, ग्राहकों और ठेकेदारों के पास प्रतिधारण राशि तथा ग्राहकों के पास रोकी गई राशि के प्रभाव वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुत करने के लिए सामग्रीगत नहीं हैं। इंड एएस 8 - लेखंकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन में प्रावधान है कि इंड एएस द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों को के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है यदि उनके उपयोग का प्रभाव अनावश्यक है। इसलिए, इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि इसे बट्टा खाता बंद किया जाए, जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान वर्ष में वित्तीय देयतओं की वहन मूल्य **48.70 करोड़ रुपए** तक बढ गया है, वित्तीय सम्पत्तियों में **6.45 करोड़ रुपए** की वृद्धि हुई है, गैर-वित्तीय देयताओं में **42.70 करोड़ रुपए** की कमी हुई है और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों में **6.24 करोड़ रुपए** की कमी हुई है। इसके परिणामस्वरुप चालू वर्ष के लाभ और हानि में **0.80 करोड़ रुपए** का निवल प्रभाव पड़ा है, जो कि वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

52. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली घटनाएं

कृपया निदेशकों द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए नोट 14 का संदर्भ लें जो कि आगामी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के आधार पर है।

53. जारी मानक किन्तु जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी नहीं हैं

(क) इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व :

निगमित कार्य मंत्रालय ने इंड एएस-11 निर्माण संविता और इंड एएस-18 राजस्व के अधिक्रमण में 01 अप्रैल 2018 को और उसके पश्चात आरंभ होने वाली अवधि के संबंध में इंड एएस-115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को अधिसूचित किया है।

कंपनी की वर्तमान राजस्व निर्धारण नीति व्यापक स्तर इंड एएस-115 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरुप है। प्रबंधन इंड एएस-115 के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और 31 मार्च 2018 को कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसके क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष यथा 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष से कंपनी के परिणामों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा है।

54. कतिपय पूर्व अवधि राशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरुपता हेतु पुन:वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों से प्रचालनों के निर्धारित परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सदस्य सं. 095597

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (6)ख के अंर्तगत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 03 अगस्त 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/0
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षक निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 13 सितंबर, 2018

इरकॉन

समेकित

वित्तीय विवरण

2017-18

फॉर्म एओसी-1

31.03.2018 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (9) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग- "क" : सहायक कंपनियां (रूपए करोड़ में)

क. सं.	सहायक कंपनी का नाम	शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल)	इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल)	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (आईआईएसएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2017 से 31.03.2018	01.04.2017 से 31.03.2018	01.04.2017 से 31.03.2018	01.04.2017 से 31.03.2018
2	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेयर पूंजी(शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन)	150.00	165.00	0.05	65.00
4	अन्य इक्विटी /आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लाग हो)	(0.73)	3.93	0.63	63.35
5	देयताएं	552.97	269.67	2.42	78.94
6	कुल इक्विटी और देयताएं	702.24	438.60	3.10	207.29
7	कुल परिसंपत्तियां	702.24	438.60	3.10	207.29
8	निवेश	-	-	-	-
9	टर्नओवर	381.93	277.54	-	32.36
10	कर पश्चात लाभ	0.02	1.25	-	18.11
11	कर क लिए प्रावधान	0.08	0.42	(0.63)	4.45
12	कर पश्चात लाभ	(0.07)	0.83	0.63	13.66
13	अंतरिम लाभांश -इक्विटी	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश - प्रेफरेंस	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश -इक्विटी	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश - प्रेफरेंस	-	-	-	-
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सदस्य. 095597

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

भाग "ख": संयुक्त उद्यम

(रूपए करोड़ में)

क. सं.	संयुक्त उद्यमा क नाम	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यू आरएल)	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि.	झारखंड सेट्रल रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआर एल)	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आई आरएसडीसी)
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31-मार्च-18	31-मार्च-18	31-मार्च-18	31-मार्च-18	31-मार्च-18	31-मार्च-18	31-मार्च-18
2	वर्ष के अंत मे कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	32.82%	27.31%	26.02%	50%	26.00%	26%	50%
	धारित शेयरो की संख्या	1,183,000	83,575,700	131,170,000	63,870,000	13,000,000	13,000	20,000,000
	संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि (नीचे प्रस्तुत नोट 2)	11,830,000	835,757,000	1,311,700,000	638,700,000	130,000,000	130,000	200,000,000
	कुल शेयरो की संख्या	3,605,000	306,000,000	504,055,000	127,740,000	50,000,000	50,000	40,000,000
	धारिता प्रतिशत का स्तर	32.82%	27.31%	26.02%	50%	26.00%	26.00%	50.00%
3	वर्णन करे कि महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार है	संदर्भ नोट 1 (नीचे)						
4	कारण के संयुक्त उद्यम को समेकित नही किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति (रुपए करोड़ मे)	1.10	305.43	503.59	54.79	49.34	0.03	62.78
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ मे)	(2.41)	(0.16)	(0.15)	9.34	(0.03)	(0.01)	2.74
	(i) समेकन मे विचारार्थ (रुपए करोड़ मे)	(0.79)	(0.04)	(0.04)	4.67	(0.01)	-	1.37
	(ii)समेकन मे गैर विचारार्थ (रुपए करोड़ मे)	(1.62)	(0.12)	(0.11)	4.67	(0.02)	-	1.37

नोट

1 निवेशिती के वोटिंब अधिकार की 20 प्रतिशत या अधिक की धारिता द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण प्रभाव

2 संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि (राशि रुपए मे)

आवंटित शेयरों का मूल्य	-
आवेदन राशि लंबित आवंटन	20,00,00,000
	20,00,00,000

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
स.सं. 095597

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

के जी **सोमानी**
एंड कंपनी सनदी लेखाकार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("धारक कंपनी")** तथा इसकी सहायक कंपनियों ("धारक कंपनी" और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रुप से "समूह" कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2018 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण, जिसमें अन्य वृहत आय शामिल है और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, उस वर्ष की समाप्ति पर इक्विटी परिवर्त का समेकित विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिन्हें यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों सहित समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन अन्य वृहत आय सहित तथा समेकित रोकड़ प्रवाह और समूह की इक्विटी में परिवर्तनों के समेकित विवरण के सबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता हे और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित इंडो एएस वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित इंडो एएस वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित इंडो एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा तथा नीचे प्रस्तुत अन्य विषय पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों की दृष्टि से अन्य लेखापरीक्षकों से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा हमारे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2018 को समूह और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन) और इसके समेकित रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन को दर्शाता है।

विषय पर बल

i) हम समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 34 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 80-आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, आईटीएटी ने वित्तीय वर्ष 2000-01 की लंबित अपील का निपटान किया है जिसमें 80आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है और तत्पश्चात सीआईटी (ए) ने वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए कटौती की अनुमति प्रदान की है। अन्य आकलन वर्षों के मामलों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है।

ख. कंपनी भारत के साथ दोहरे कर निवारण करारों (डीटीएए) वाले देशों में अपने स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को अलग करने के पश्चात भारत में कर के लिए वैश्विक कर प्रस्तुत कर रही है। सीआईटी (ए) ने ऐसी विदेशी आय को अलग करने की व्यवस्था से इनकार किया है। तदनुसार, कंपनी ने तत्पश्चात करों का भुगतान किया है, तथापि इस मुद्दे को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

ii) कार्यनिष्पादन के लंबित मूल्यांकन के लिए तीन देशों में परियोजनाओं के संबंध में विदेशी एजेंसी कमिशन/परामर्श प्रभारों के प्रति 4.96 करोड़ रुपए के गैर प्रावधान के संबंध में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 50 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य मद्दे

(i) हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंडो एएस वित्तीय विवरणों में शामिल दस शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2018 को 6302.80 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 3,793.35 करोड़ रुपए है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रुप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii) हमने चार सहायक कंपनियों और ग्यारह संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2018 को 4,160.38 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 932.97 करोड़ रुपए के कुल राजस्व और (425.39) करोड़ रुपए निवल रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है।

(iii) हमने एक संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2018 को 3.06 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए शून्य रुपए के कुल राजस्व और 0.10 करोड़ रुपए रोकड़ प्रवाह को प्रदर्शित करता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमे प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है, और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रुप से

नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है। हमारे मतानुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत और अन्य विधि व विनियामक अपेक्षाओं पर नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लपेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रभावी वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी विश्वसनीयता के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी और भारत में निगमित सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियां, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें/अन्य लेखापरीक्षकों, जैसा भी लागू हो, को भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि का विवरण (अन्य वृहत आय) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित इंड एएस विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित लेखाबहियों के अनुरुप हैं।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 तथा इसके अंतर्गत जारी संगत नियामें के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों पर प्रचालनिक कुशलता का संबंध है, अनुबंध-क पर हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो धारक कंपनी की लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है।

(ज) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) कंपनी ने 31 मार्च 2018 को अपने समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 30 का संदर्भ लें।

(ii) समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है, जिसका उल्लेख ऐसे मदों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 16.3 में "अपरिहार्य घाटों" मे किया गया है, क्योंकि यह समूह से संबंधित है। समूह और इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा भारत में निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा ऐसी किसी राशि को कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी। हमारा मत इस विषय के संबंध में अर्हक नहीं है।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 006591एन

आशीष कुमार बट्टा)
साझेदार
सदस्यता सं.095597

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त, 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित एएस वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "क"।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड - 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और इसके संयुक्त नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2018 को **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (धारक कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों जिसे आगे समूह कहा जाएगा) तथा इसकी संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है। हमने आज की तिथि को अपनी चार सहायक कंपनियों और दस संयुक्त नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की लेखापरीक्षा नहीं की है। एक संयुक्त नियंत्रित निकाय की वित्तीय सूचना अलेखापरीक्षित और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है, संयुक्त नियंत्रित निकाय के संबंध में अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर टिप्पणी करने में अक्षम है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल तथा इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (दिशानिर्देश नोट) के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं समेकित इंडो एएस वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निभर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त और हमारी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलबध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिम वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1)उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करते हैं, (2)युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को

रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया गया है, (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नही लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा तथा अन्य लेखापारीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2018 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं:

क. कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली है, जिसका प्रयोग पूर्ण क्षमता के साथ नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय विवरणों को तैयार कराने के लिए साफ्टवेयर लिंक तथा मेनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से कंपनी द्वारा विभिन्न साफ्टवेयर पैकेजों जैसे टेली तथा फॉक्स-प्रो का प्रयोग किया गया था। जिसके कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो गया।

ख. कुछ इकाइयों में दरसूची रिकार्ड मानवीय रुप से रखे जाते हैं और सेप में इंवेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अप्रचलित/विखंडित परिसंपत्तियों और सामग्री/भंडारणों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली उपयुक्त नहीं है और उसे सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।

"सामग्रीगत खामी" वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी है या कमियों का संयोजन है, जिससे युक्तिसंगत संभावना है कि कंपनी की वार्षिक या आंतरिक वित्तीय विवरणों का सामग्रीगत दुर्विवरण का समय आधार पर निवारण या संसूचन नहीं किया जा सकेगा।

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोडकर और नीचे प्रस्तुत अन्य मुद्दों के पैराग्राफ के मद्देनजर, धारक कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2018 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे है, जैसा कि बहियों की हमारी जांच और उनके द्वारा लेखापरीक्षित निकायों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अलेखापरीक्षित निकायों के लिए प्रबंधन से प्राप्त जानकारी से प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण मुद्दा

1. उत्तरी क्षेत्र में ग्राहक द्वारा बिलों में कमी करने और परियोजना द्वारा इसके पूर्ण कारणों/औचित्यों को नोट किए बिना स्वीकार करने के कुछ मामले देखे गए हैं।

अन्य मुद्दे

चार सहायक कंपनियों और ग्यारह संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुशलता पर अधिनियम के खंड 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है और जहां तक एक संयुक्त नियंत्रित निकाय का संबंध है, वह प्रबंधन ने प्राप्त सूचना पर आधारित है (उपर्युक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अन्य विषयों के पैराग्राफ का भी संदर्भ लें), इस विषय के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

कृते के जी सुमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 006591एन

(आशीष कुमार बट्टा)
साझेदार
सदस्यता सं.095597

हस्ताक्षर का स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 अगस्त, 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च 2018 को

समेकित तुलनपत्र

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	140.59		145.61	
	(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	3.15		2.00	
	(ग) निवेश संपत्ति	5	358.68		307.35	
	(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	69.17		71.49	
	(ड) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	6	960.52		546.58	
	(च) वित्तीय परिसंपत्तियां	7				
	(i) निवेश	7.1	567.80		530.94	
	(iii) ऋण	7.2	39.66		78.91	
	(iv) अन्य	7.3	2,736.64		101.38	
	(छ) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	8	133.88		145.03	
	(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	141.08		403.63	
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां			**5,151.17**		**2,332.92**
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) दरसूचियां	10	140.74		139.34	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	11				
	(i) निवेश	11.1	216.17		249.91	
	(ii) व्यापार प्राप्य	11.2	693.76		472.86	
	(iii) नकद और नकद समतुल्य	11.3	1,574.05		1,453.76	
	(iv) अन्य बैंक शेष	11.4	3,116.49		3,299.37	
	(v) ऋण	11.5	1.91		80.22	
	(vi) अन्य	11.6	726.81		669.11	
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	40.61		5.58	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12.1	1,116.51		528.33	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			**7,627.05**		**6,898.48**
	कुल परिसंपत्तियां			**12,778.22**		**9,231.40**
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	94.05		98.98	
	(ख) अन्य इक्विटी	14	3,667.71		3,717.92	
	मूल के स्वामी के प्रति इक्विटी		3,761.76		3,816.90	
	गैर नियंत्रण ब्याज		-		19.62	
	कुल इक्विटी			**3,761.76**		**3,836.52**

(रुपए करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	15				
	(i) ऋण	15.1	3,203.08		-	
	(i) व्यापार प्राप्य	15.2	0.46		0.45	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.3	321.50		210.13	
	(ख) प्रावधान	16	75.32		76.19	
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	17	914.92		1,745.46	
	कुल चालू देयताएं			**4,515.28**		**2,032.23**
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	18				
	(i) व्यापार प्राप्य	18.1	510.04		360.65	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	947.09		703.99	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	19	2,764.49		1,976.13	
	(ग) प्रावधान	16	265.43		298.05	
	(घ) चालू कर देयता (निवल)	19.1	14.13		23.83	
	कुल चालू देयताएं			**4,501.18**		**3,362.65**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**12,778.22**		**9,231.40**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार			1 - 2		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट			3 - 58		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
ससं. 095597

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित लाभ हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	20	4,001.17	2,977.41
	जमा :- एकीकृत संयुक्त प्रचालनों के टर्नओवर में कंपनी का भाग		26.34	89.90
			4,027.51	**3,067.31**
II.	अन्य आय	21	184.89	234.03
III.	**कुल आय (I + II)**		**4,212.40**	**3,301.34**
IV.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक व्यय	22	3,287.96	2,490.67
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	238.85	156.07
	वित्तीय लागत	24	64.56	58.64
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	25	16.41	26.69
	अन्य व्यय (प्रशासनिक)	22	41.94	36.64
	एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में व्यय का आनुपातिक भाग		9.44	56.39
	कुल व्यय (IV)		**3,659.16**	**2,825.10**
V.	**आपवादित मदें व कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		553.24	476.24
VI.	आपवादिक मदें	27क	0.00	73.69
VII.	संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में भाग		5.16	5.60
VIII.	कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)		558.40	555.54
IX	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	8		
	- वर्ष हेतु		178.97	123.34
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		(43.37)	(18.34)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		11.18	66.54
	कुल कर व्यय		**146.78**	**171.54**
X	**निरंतर प्रचालन से वर्ष में लाभ (VIII - IX)**		**411.62**	**384.00**

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
XI	**अन्य वृहत लाभ**	26		
	क. (i) लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत न की जाने वाली मदें		(2.75)	4.82
	(ii) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत न की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर		0.95	(1.67)
	ख. (i) लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत की जाने वाली मदें		4.86	16.16
	(ii) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत की जाने वाली मदें से संबंधित आयकर		(1.68)	(5.59)
	वर्ष के लिए अन्य वृहत आय (आय कर का निवल)		**1.38**	**13.72**
XII	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (X+XI)**		**413.00**	**397.71**
	(वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय सहित)			
XIII	**निम्न के प्रति कुल वृहत आय**			
	मूल के स्वामी		**413.00**	**399.93**
	घटा : गैर नियंत्रण ब्याज		**0.00**	**(2.22)**
	गैर नियंत्रण ब्याज पश्चात कुल वृहत आय			
XIV	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मौलिक	48	42.13	38.81
	(2) विलयित		42.13	38.81
XV	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2		
XVI	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	3 - 58		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
ससं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		558.40	555.53
समायोजन:			
अन्य वृहत आय की मदें		2.11	20.98
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		16.41	26.69
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि		(3.98)	(0.32)
निवेश की बिक्री पर हानि		0.00	(73.69)
ब्याज आय		(141.90)	(200.67)
लाभांश आय		(14.01)	(3.37)
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(1.28)	38.46
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**415.75**	**363.61**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/वित्तीय परिसंपत्तियों - ऋण में (कमी)/वृद्धि		(142.34)	(31.56)
दरसूची में (कमी)/ वृद्धि		(1.41)	1.28
अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/ वृद्धि		(3,052.39)	(231.55)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/ वृद्धि		149.40	(39.73)
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि		157.70	921.44
	(2)	**(2,889.04)**	**619.88**
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	**(2,473.29)**	**983.49**
प्रदत्त आय कर		(59.95)	(64.21)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	**(2,533.24)**	**919.28**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(424.00)	(487.41)
अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद		5.58	(6.97)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया		(51.38)	(29.21)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों व अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		2.23	6.04
सम्पति, संयंत्र और उपकरण पर विनिमय लाभ व हानि		(3.96)	0.00
निवेश की बिक्री		0.00	79.22
म्युचुवल फंड में निवेश		33.74	(117.43)
जे वी को ऋण		0.00	(19.50)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
जे वी को ऋण का पुनर्भुगतान		39.00	0.00
छोटे ब्याजों में वृद्धि/(कमी)		(19.62)	0.00
प्राप्त ब्याज		175.71	125.59
प्राप्त लाभांश		14.01	3.37
इक्विटी शेयरों में निवेश		(36.88)	(181.47)
बांडों में निवेश		0.00	0.02
(निवेश) / बैंक जमा राशियों की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		182.89	(1,168.06)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़	**(ख)**	**(82.68)**	**(1,795.81)**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण		3,203.08	-
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(117.05)	(221.74)
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(114.52)	-
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		(1.99)	-
शेयर इश्यु व्यय		-	(0.19)
शेयरों के बायबेक के लिए भुगतान		(234.57)	0.00
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**2,734.95**	**(221.93)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	1.28	(38.46)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग+घ)**	**120.31**	**(1,136.92)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	1,453.74	2,590.68
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)*	(च)	1,574.05	1,453.76
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	**(च -ड.)**	**120.31**	**(1,136.92)**

नोट:

1. दिनांक 1 अप्रैल 2017 से कंपनी ने इंड-एएस 7 में संशोधनों को स्वीकार किया है, जिसमें अपेक्षा है कि निकायों को ऐसे प्रकटन उपलब्ध कराने होंगे जिससे वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता के लिए वित्तीय गतिविधियों जिसमें रोकड़ प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन तथा गैर रोकड़ परिवर्तन दोनों शामिल हैं, से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों का मूल्यांकन करना संभव हो पाता है, जिससे प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और अंतिम शेषों के बीच पुनर्विनियोजन को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। संशोधनों को स्वीकार करने से वित्तीय विवरणों पर कोई तथ्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2. कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ के आउटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित/पुन:निर्धारित किया गया है।

* 31 मार्च 2018 को रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बांद्रा (ईस्ट)में परियोजना स्थल के व्ययों हेतु निर्धारित 593.55 करोड़ रुपए को शामिल किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
ससं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च, 2018 को
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	वर्ष के दौरान बायबैक शेयर	31 मार्च 2018 को शेष
98.98	-	(4.93)	94.05

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	मूल के प्रति अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण ब्याज (एनसीआई) के प्रति इक्विटी	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर			
01 अप्रैल 2017 को शेष	**3,284.64**	**427.91**	**-**	**5.56**	**3,718.11**	**19.62**	**3,737.73**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		(0.19)		-	(0.19)	-	(0.19)
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निधारित शेष	**3,284.64**	**427.72**	**-**	**5.56**	**3,717.92**	**19.62**	**3,737.54**
वर्ष के लिए लाभ		411.62		-	411.62		411.62
अन्य वृहत आय							
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(1.80)		-	(1.80)	-	(1.80)
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर		-		3.18	3.18	-	3.18
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	**-**	**409.82**		**3.18**	**413.00**	**0.00**	**413.00**
इक्विटी शेयरों का बायबैक			4.93		4.93		4.93
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि क लिए शुल्क का भुगतान		(1.99)			(1.99)		(1.99)
शेयरों के बायबैक के लिए भुगतान		(234.57)			(234.57)		(234.57)
प्रदत्त लाभांश		(192.40)		-	(192.40)	-	(192.40)
लाभांश वितरण कर		(39.17)		-	(39.17)	-	(39.17)
लाभ /(हानि) में हिस्से से इतर संयुक्त उद्यमों में निवेशों के वहन मूल्य में परिवर्तन		(0.01)			(0.01)		(0.01)
सहायक कंपनी के गैर-नियंत्रण ब्याज का अस्वीकार		-			-	(19.62)	(19.62)
जारी बोनस				-	-	-	-
शेयर इश्यू व्यय				-	-	-	-
31 मार्च 2018 को शेष	**3,284.64**	**369.40**	**4.93**	**8.74**	**3,667.71**	**-**	**3,667.71**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
सस़ं. 095597

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	01 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान जारी शेयर	31 मार्च 2017 को शेष
	19.80	79.18	98.98

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित निधि व अतिरेक		अन्य वृहत आय की मदें	मूल के प्रति अन्य इक्विटी	गैर नियंत्रण ब्याज (एनसीआई) के प्रति इक्विटी	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर			
01 अप्रैल 2016 को शेष	**3,284.64**	**312.29**	**(5.01)**	**3,591.92**	**21.84**	**3,613.76**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		27.17	0.00	27.17	0.00	27.17
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निधारित शेष	**3,284.64**	**339.46**	**(5.01)**	**3,619.09**	**21.84**	**3,640.93**
वर्ष के लिए लाभ		386.22	0.00	386.22	(2.22)	383.99
अन्य वृहत आय						
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		3.15	0.00	3.15	0.00	3.15
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर		0.00	10.57	10.57	0.00	10.57
वर्ष के लिए कुल वृहत आय	**0.00**	**389.37**	**10.57**	**399.94**	**(2.22)**	**397.72**
प्रदत्त लाभांश		(184.24)	0.00	(184.24)	0.00	(184.24)
लाभांश वितरण कर		(37.50)	0.00	(37.50)	0.00	(37.50)
बोनस इश्यू		(79.18)	0.00	(79.18)	0.00	(79.18)
शेयर इश्यू व्यय		(0.19)	0.00	(0.19)	0.00	(0.19)
31 मार्च 2017 को शेष	**3,284.64**	**427.72**	**5.56**	**3,717.92**	**19.62**	**3,737.54**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
ससं. 095597

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. निगमित सूचना

समेकित वित्तीय विवरणों में **31 मार्च 2018 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम** (जिसे समेकित रुप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है जो भारत में स्थित है तथा इसका निगमित टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ भारत में लागू कंपनी नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी ; अनुसूची "क" की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनि रत्न श्रेणी-। कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय (समूह) आरंभ करने के पश्चात, इसने अपनी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (समूहों) के साथ सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

दिनांक 03 अगस्त, 2018 को निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार जारी किए जाने हेतु वित्तीय विवरणों को प्राधिकृत किया गया है।

(2) इंड एएस (समेकित) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

(I). तैयार करने के आधार

(क) अनुपालन विवरण

31 मार्च 2018 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इन समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 तथा यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

(ख) मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत अभिसमय तथा संचित आधार पर तैयार किया गया है, केवल निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें संगत इंड एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है।

i. निर्धारित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ।

ii. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।

iii. नीचे दिए गए पैरा 11(घ) के अनुसार प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य आवश्यक है।

(ग) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरुप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता - वह स्तर जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकार किया जा सकता है, वह भविष्य में करयोग्य आय की संभावना के अनुमान पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रावधान - प्रबंधन निर्णय, तथ्यों और विधिक पहलुओं में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समूह बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। तथापि, वास्तविक भावी निष्कर्ष इस निर्णय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व - धारक कंपनी समापन विधि के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए राजस्व की स्वीकार करती है। इसके लिए अंतर्निहित निर्माण और सेवा संविदाओं के निष्पर्षों सहित कुल बजटीय लागत के संबंध में पूर्वानुमान किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रुप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, समूह ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समूह के परिसंपत्ति आधार के महत्वपूर्ण अनुमात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में परिवर्तन संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान तथा उसके जीवनकाल के अंत में अवशिष्ट मूल्य के निर्धारण के पश्चात किया जाता है।

इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है, जो परिसंपत्ति के उपयोग को परिवर्तित कर सकते हैं।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रुप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

(घ) सभी वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव बिंदुओं के साथ निकटवर्ती करोड़ रुपए में राउंडिड किया गया है, केवल अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर।

(ii) समेकन का आधार

I) सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे सभी निकाय हैं (निर्मित निकायों सहित) जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह निकाय को तब नियंत्रित करता है, जब समूह की निकाय के साथ संलिप्तता से इसके परिवर्ती प्रतिफल के प्रति संव्यवहार हो, अधिकार हो और निकाय की संगत गतिविधियों के निदेश के अपने अधिकारी के माध्यम से इन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कंपनी उस तिथि पूर्णत समेकित हैं, जिस तिथि को नियंत्रण समूह को अंतरित किया गया है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से उन्हें विसमेकित किया जाएगा।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर समूह शेषों तथा अंतर समूह संव्यवहारों पर गैर-वसूलीयोगय लाभों/हानियों को समाप्त करने के पश्चात परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों के बही मूल्य के एकसाथ जोड़कर रेखा-दर-रेखा अधार पर समेकित किया गया है और इसमें गैर-वसूलीयोग्य घाटों को समाप्त नहीं किया जाएग बशर्ते संव्यवहार अंतरित परिसंपत्तियों की हानि के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरुप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रण हितों को क्रमश: समेकित लाभ हानि विवरण और समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा तुलनपत्र में पृथक रुप से प्रस्तुत किया गया है।

जब समूह का सहायक कंपनियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो वह सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों और देयताओं तथा अन्य संबंधित एनसीआई और इक्विटी के एन्य घटकों की मान्यता समाप्त हो जाती है। पूर्व सहायक कंपनी में प्रतिधारित किसी प्रकार के हित को नियंत्रण समाप्ति की तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसमें किसी प्रकार के परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि के रुप में स्वीकार किया जाता है।

ii) संयुक्त व्यवस्था

इंड एएस 111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

(क) संयुक्त प्रचालन

समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(ख) संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि (देखें 2(iii)) का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(iii) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रुप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशिती के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशिती की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी-लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरुप बनाए रखने के

लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

हानि के लिए हानि नीति के अनुसार इक्विटी लेखांकित निवेशों की प्रतिधारण राशि की जांच की गई है।

(iii) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर-रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। समूह के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

(iii)विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क्रियात्मक और प्रतिपादन मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस राष्ट्र की प्रधान अर्थव्यवस्था के पर्यावरण की मुद्रा का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जहां समूह प्रचालन कर रही है (यथा क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की प्रतिपादन और क्रियात्मक मुद्रा है।

(क) *भारतीय प्रचालनों में संव्यवहार:*

i. सभी भारतीय मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति,पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित **समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय दर** पर परिवर्तित किया जाता है।

iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

(ख) *विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार*

i. सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर कियात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

ii. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति, निवेश संपत्ति, पूर्वप्रदत्त व्ययों, दरसूची, गैर-मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. मौद्रिक मदों (व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, रोकड़ और बैंक, ऋण तथा कर्ज और अन्य प्राप्य और भुगतानयोग्य) तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियों व विदेशी मुद्रा में देयताओं को ऐसी रिपेर्टिंग तिथि को देयताओं हेतु प्रचलित **समापन बिक्री दर तथा परिसंपत्तियों को समापन क्रय** दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv. उपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विदेशी मुद्रा लाभ या हानियों को लाभ व हानि विवरणों में स्वीकार किया गया है।

विदेशी प्रचालन के परिणाम और वित्तीय स्थिति, जिनकी क्रियात्मक मुद्रा प्रतिपादन मुद्रा से भिन्न है, को निम्नानुसार प्रतिपादन मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

i. परिसंपत्तियां और देयताएं - रिपोर्टिंग तिथि को **देयताओं के लिए समापन बिक्री दरें तथा परिसंपत्तियों के लिए समापन क्रय दर ।**

ii. आय/व्यय - वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर।

iii. क्रियात्मक मुद्रा और प्रतिपादन मुद्रा के परिवर्तन में विनियम अंतरों को ओसीआई (अन्य वृहत आय)में स्वीकार किया जाएगा।

iv. विदेशी प्रचालन के निपटान पर (ग्राहक से सभी प्राप्यों की वसूली पर) ओसीआई (अन्य वृहत आय) के घटकों को संबंधित विदेशी प्रचालन के लाभ या घाटे में परिवर्तित किया जाएगा।

(v) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर प्रस्तुत किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।
2. मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/ परिशोधित किए जाने की संभावना हो।
3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुवर्ती लागत को परिसंपत्ति के रुप में स्वीकार किया जाएगा, यदि:

क) यह संभावित है कि मदों से संबंधित भावी आर्थिक लाभ निकाय में प्रवाहित होंगे; और

ख) मद की लागत का परिकलन विश्वसनीय रुप से किया जा सकता है।

4. परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

   i. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रुप से आरोपित लागत।

   ii. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रुप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर तक वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित है।

   iii. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

5. प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

6. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे आरंभिक रुप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रुप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

7. प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रुप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास

(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रुप से मूल्यह्रासित किया जाता है यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन/फ्लैट आवासीय/गैर-आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8-15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3-6
कार्यालयी उपकरण	5
फर्नीचर और जुड़नार	10
कैरेवान, कैंप और अस्थायी शेड	3-5
वाहन	8-10

(ड.) पट्टे वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

(च) मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

(छ) वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रुप से 5000 रुपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा।

(vi). अमूर्त परिसंपत्तियां/विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

1. सेवा रियायत व्यवस्था से इतर

(क) अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप होगा, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(ख) विकासाधीन अपूर्ति परिसंपत्तियां किए गए चालू व्यय और प्रतिधारण लागत को दर्शाती हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

(क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल:

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रुप से सृजित या स्व:सृजित
साफ्टवेयर	नियत (36 महीने)	अधिग्रहित

(ख) परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।

(ग) प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रुपए के सांकेति मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

II. टोल एकत्रण अधिकार (टोल सड़क सेवा रियायत व्यवस्था)

सहायक कंपनियां सेवा करार व्यवस्था से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को स्वीकार करती हैं जब उसके पास रियायत अवसंरचना के प्रयोग हेतु परिवर्तन का अधिकार होता है। सेवा रियायत करार में निर्मित या स्तरोन्नयित सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त अमूर्त परिसंपत्ति को उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा आरंभिक तौर पर स्वीकृत उचित मूल्य पर मापा जाता है। आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्ति को लागत घटा संचित परिशोधन और संचित हानियों की लागत पर मापा जाता है।

सेवा रियायत करार में अपूर्ति परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है जहां से सहायक कंपनी रियायत अवधि समाप्त होने पर अवसंरचना के प्रयोग के लिए जनसाधारण से प्रभार वसूल करने में सक्षम हो।

टोल एकत्रंण अधिकार को संवर्धन की तिथि से या सेवा प्राप्ति के अधिकार से रियायत अवधि को समाप्त पूर्वदर आधार पर सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके परिशोधित किया गया है।

भावी आधार पर अनुमान में परिवर्तन के प्रभाव से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिशोधन विधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाएगी।

वार्षिक या कम अवधि में हानि के लिए अमूर्त परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य की समीक्षा की जाएगी यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन दर्शाएं कि प्रतिधारण मूल्य की वसूली संभव नहीं है।

वित्तीय सहायता मॉडल

सहायक कंपनियां सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करती है जब उसे उपलब्ध सेवा के निर्माण या स्तरोन्नयन के लिए अनुदाता (ग्रांटर) से रोकड़ या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें ऋणों और प्राप्यों के रुप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है।

आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत, अनुदाता से अनुदान प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता को कम किया जाएगा।

III. स्टेशन विकास अधिकार

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां परामर्श परियोजना के संबंध में किए गए चालू व्ययों को दर्शाती हैं और इन्हें लागत वर वहन किया जाता है। लागत में किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय जिसमें उस विशिष्ट परियोजना के लिए स्टाफ व्यय शामिल है जिसके लिए स्टाफ को तैनात किया गया है तथा स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, बीमा प्रीमियम तथा किराया आदि के रुप में अप्रत्यक्ष व्यय को क्रमश 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में परियोजना व्ययों और निगमित कार्यालय व्ययों के बीच विभाजित किया जाएगा। 75 प्रतिशत परियोजना व्ययों को स्टेशनों की संख्या के आधार पर समान रुप से संवितरित किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके द्वारा सृजित किए जाने वाले राजस्व पैटर्न पर सुव्यवस्थित आधार पर परिशोधित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की वसूलनीयता का मूल्यांकन उपयोगी जीवनकाल की घटनाओं या परिस्थितियों या परिसंपत्ति को परिशोधित दर्शाने की स्थिति को ध्यान में रखकर आवधिक रुप से किया जाता है।

(vii) निवेश परिसंपत्तियां

(क) निवेश परिसंपत्ति में निर्मित परिसंपत्ति, निर्माणाधीन परिसंपत्ति तथा वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित संपत्ति जिसे व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग हेतु के स्थान पर किराया अर्जन या पूंजी संवर्धन या दोनों प्रयोजनों के लिए धारित किया गया है।

(ख) निवेश परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित मूल्यह्रास तथा संचित अर्जन घाटों, यदि कोई हो, पर लेखांकित किया जाएगा।

(ग) कंपनी निवेश परिसंपत्तियों के भवन घटक को मूल क्रय की तिथि/ निर्माण के समापन की तिथि से 60 वर्षों में मूल्यह्रासित करेगी।

(घ) निवेश संपत्तियों को या तो उनके निपटान किए जाने पर या प्रयोग से उन्हें स्थायी रुप से वापस लिए जाने पर और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना पर अस्वीकृत किया जाएगा। निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि के बीच के अंतर को अस्वीकृति की तिथि में लाभ या हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

(viii) मालसूचियां

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी संविदाओं के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(ix) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां तथा उच्च तरल निवेश, जिसे तत्काल रोकड़ की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है तथा बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(x) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है जहां युक्ति संगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए है।

(xi) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

क) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्तियोग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ख) संविदागत बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में समूह का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) डीमोबिलाइजेशन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ. प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त बिंदु क, ख तथा ग में स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को प्रिटैक्स रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर मापित किया गया है जो देयाता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रुप में स्वीकार किया गया है।

(xii) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ समूह को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

(iii)समूह के पक्ष में दिए गए दावों/मध्यस्थता (उसपर ब्याज सहित), जो संविदा की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्रकृति में है, को संविदा राजस्व पर लेखांकित किया जाता है, जब उन्हें प्रदान किया गया है और जब ऐसे दावों/ अवार्डों की वसूली की पूर्ण निश्चितता हो।

(iv)राजस्व में बिक्रीकर/ वेट/ डब्ल्यूसीटी/ सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) सेवा रियायत करार के अंतर्गत निर्माण संविदा राजस्व

सहायक कंपनियों के सेवा रियायत करार के अंतर्गत निर्माण या स्तरोन्नयन सेवाओं से संबंधित राजस्व को निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जब निर्माण संविदा के परिणाम को विश्वसनीय रुप से मापा जा सके और जहां निर्माण संविदा के परिणाम को विश्वसनीय रुप से मापा नहीं जा सकता है राजस्व को केवल की गई संविदा लागत के स्तर पर ही स्वीकार किया जाता है जिसे वसूल किए जाने की संभावना हो।

(ग) टोल शुल्क

सुविधा के प्रयोक्ता से एकत्र टोल शुल्क को राशि के देय होने पर तथा वसूली के निश्चित होने पर लेखंकित किया जाता है।

(घ) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xiii) पट्टा

(क) पट्टेदार के रुप में समूह

वित्तीय पट्टा:-

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रुप से परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है।

(ii) को न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

(iv)वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(v) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा:-

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रुप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी पर अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रुप में स्वीकार किया गया है केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

(ख) पट्टादाता के रुप में समूह

वित्तीय पट्टा:

(i) स्वीकार किया जाता है जब व्यापक स्तर पर स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल समूह से पट्टेदार को अंतरित होता है।

(ii) देय भुगतानों को पट्टों में समूह के निवल निवेश पर प्राप्यों के रुप में रिकार्ड किया जाता है। वित्तीय पट्टा आय लेखांकन अवधियों में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर स्थिर आवधिक प्रतिफल दर प्रदर्शित हो सके।

प्रचालन पट्टा:

(i) वे पट्टे हैं, जिसमें व्यापक स्तर पर समूह पट्टेदाता को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को अंतरित नहीं करता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रुप में स्वीकार किया जाता है केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां सभांवित मुद्रास्फीति

वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संभावित सामान्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के लिए पट्टा भुगतान किया जाता है।

(xiv) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रुप में दर्शाया जाता है।

ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xv) अनुसंधान और विकास व्यय

1. अनुसंधान लागतों को किए जाने की संभावना है।
2. व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्ययों को अमूर्त परिसंपत्ति में स्वीकार किया जा सकता है जब कंपनी प्रदर्शित कर कि:
   - अमूर्त परिसंपत्ति को पूरा करने की तकनीकी व्यवहार्यता ताकि परिसंपत्ति प्रयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध हो।
   - पूरा करने की इसकी मंश और परिसंपत्ति के प्रयोग या बिक्री की इसकी क्षमता और मंश।
   - परिसंपत्तियां किस प्रकार भावी आर्थिक लाभ सृजित करेंगी।
   - परिसंपत्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
   - विकास के दौरान व्यय की विश्वसनीयता को मापने की क्षमता।

परिसंपत्ति को विकास व्यय के रुप में स्वीकार करने की आरंभिक स्वीकृति के पश्चात, परिसंपत्ति का आकलन लागत घटा संचित परिशोधन तथा संचित क्षतिपूर्ण घाटों पर किया गया है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब आरंभ होता है जब विकास कार्य पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है। इसे संभावित भावी लाभ की अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है जबतक कि ऐसे व्यय अन्य परिसंपत्ति के प्रतिधारण मूल्य के भाग का निर्माण न करता हो। विकास की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति को परिशोधन के लिए वार्षिक रुप से परीक्षित किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रुप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xvi) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य घटा निपटान लागत और प्रयोग मूल्य में से जो भी उच्चतर हो, वह है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा। हानियों का आकलन करने के प्रयोजन से, परिसंपत्तियां जिन्हें पृथक रुप से परीक्षित नहीं किया जा सकता है उन्हें परिसंपत्तियों के छोटे समूहों में समूहित किया जाता है, जो निरंतर प्रयोग से रोकड़ इनफ्लो का सृजन करते हैं, जो व्यापक स्तर पर अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों (रोकड़ सृजन इकाइयां)से रोकड़ इनफ्लो से स्वतंत्र होते हैं।

(xviii) उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रुप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने हेतु संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रुप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

ख) सेवा पश्चात लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

i) भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट तथा पेंशन ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii) समूह में निर्धारित लाभ योजनाएं हैं जैसे उपदान एलटीसी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।

iii) समूह ने उपदान ट्रस्ट का निर्माण किया है। उपदान ट्रस्ट में अंशदान वास्तविक आधार पर मूल्यांकन को परिवर्तित करके उस वर्ष के लाभ हानि विवरण में किया गया है जिस वर्ष, वह देय है।

iv) निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर बनाया जाता है और बीमांकक लाभों और हानियों को अन्य वृहत आय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

v) सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभों को बीमांकक मूल्यांकन या अंशदान के लिए उपलब्ध राशि, जो कोई कम हो पर स्वीकृत किया जाता है।

vi) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों में अवकाश नकदीकरण शामिल है। अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों पर बीमांकक लाभों और हानियों को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से स्वीकार किया गया है।

vii) अन्य वृहत आय में स्वीकृत निवल निर्धारित लाभ देयता (परिसंपत्ति) के पुनर्मापनों को अनुवर्ती अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(xx) कर

(क) चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयोक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रुप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकृत किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओंको अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रुप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय में स्वीकार किया जाता है।

(vi) आस्थगित कर देयता को सहायक कंपनियों में निवेश आधारित प्रतिधारण राशि और कर तथा संयुक्त करारों में हित के बीच के अस्थायी अंतरों हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रतिक्रम के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावना है कि निकट भविष्य में ये अंतर रिवर्स नहीं होंगे।

(vii) आस्थगित कर परिसंपत्ति को सहायक कंपनियों में निवेश आधारित प्रतिधारण राशि और कर तथा संयुक्त करारों में हित के बीच के अस्थायी अंतरों हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है जहां समूह अस्थायी अंतरों के प्रतिक्रम के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और करयोग्य लाभ उपलब्ध नहीं है जिसके प्रति अस्थायी अंतरों का प्रयोग किया जा सके।

(xxi) प्रचालन क्षेत्र

प्रचालन सेगमेंट को इस रुप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो।

तदनुसार, समूह ने दो रिपोर्टिंग सेगमेंटों को चिह्नित किया है यथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

(xxiv) उचित मूल्य मापन

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार समूह के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। समूह उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रुप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित) समरुपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अवलोकन किया जाता है।

- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंतग में पुन:आंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रुप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, समूह परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिनकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुन:मापन या पुन:आकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

समूह संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, समूह परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त उचित मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

(XXV). इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त /देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोंदित किया जाता है।

(xxvi) वित्तीय माध्यम

क. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रुप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ख. अनुवर्ती मापन

ख1. वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित मूल्य पर ऋण माध्यम

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रुप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर एमोर्टाइजेशन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है:

(I) व्यापार प्राप्य

(ii) प्रतिभूति जमा राशि

(iii) प्रतिधारण राशि

(iv) ग्राहकों के पास धारित राशि

(V) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(vi) ऋण और अग्रिम

(vii) करमुक्त बांडों में निवेश

ख) अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य** पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रुप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भती शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर-स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुन:वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण माध्यम

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रुप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समूह ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है। समूह ने एफवीटीपीएल के रुप में किसी ऋण उपकरण को स्वीकार नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख.2 वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

ग. गैर-स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर-स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर-स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

घ. वित्तीय विवरणों की हानि

समूह क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करती है। समूह व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है।सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

समूह परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।घटा विधि इस तथ्य पर लागू होती है कि क्या ऋण जाखिम में व्यापक वृद्धि हुई है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

(xxvii). बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्त्यिां (या निपटान समूह)

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रुप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यंधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्त पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर। बिक्री के लिए प्रतिधारित के रुप में वर्गीकृत निपटान समूहों को प्रतिधारण राशि और उचित मूल्य घटा बिक्री की लागतों में से जो कोई भी कम हो पर वर्णित किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है।बिक्री /संवितरण के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्त्यिों को तुलन पत्र में पृथक रुप से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्त्यिां द्वारा वर्णित मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं तो, निपटान समूह को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृरण से बाहर किया जाएगा। गैर चालू परिसंपतियां जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकरण से बाहर किया गया है उन्हें (i) बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से पूर्व परिसंपत्ति की प्रतिधारण राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित, जिसे यदि स्वीकार किया जाता है तो उसे परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, और (ii) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि जब निपटान समूह बिक्री के लिए धारित अनुसार वर्गीकरण से बाहर किया जाए, जो कोई भी कम हो।

(xxviii) वित्तीय गारंटियां

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रुप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रुप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड़ में)

फुट नोट	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट - आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/ फ्लैट -गैर आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	मोबाइल हैंडसेट	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व जुड़नार	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
		(iv)	(iii)		(i)						(v)			
सकल धारण राशि (लागत पर)														
31 मार्च 2016 को	**0.06**	**36.39**	**42.92**	**8.73**	**10.18**	**421.72**	**4.25**	**9.16**	**0.19**	**7.15**	**8.38**	**11.41**	**15.63**	**576.17**
जमा	7.11	0	0	1.08	0	0.7	0.5	0.92	0	1.02	0.85	1.41	0.6	14.19
निपटान/समायोजन	35.09	(35.09)	(24.53)	24.53	(1.32)	(48.09)	(0.87)	(1.04)	(0.14)	(0.65)	(0.43)	(0.61)	(6.61)	(59.76)
31 मार्च 2017 को	**42.26**	**1.30**	**18.39**	**34.34**	**8.85**	**374.33**	**3.88**	**9.04**	**0.05**	**7.53**	**8.79**	**12.21**	**9.63**	**530.60**
जमा	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.40	3.06	0.00	0.77	0.63	0.31	2.34	8.89
निपटान/समायोजन	0.00	0.00	(11.02)	(25.34)	36.36	(63.60)	(0.40)	(1.11)	(0.05)	(1.08)	(0.81)	(0.85)	(2.35)	(70.25)
(लाभ)/हानि विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	16.90	(0.43)	0.12	0.00	0.28	0.09	0.02	1.07	19.31
31 मार्च 2018 को	**42.75**	**1.30**	**7.37**	**9.00**	**46.47**	**328.52**	**3.45**	**11.11**	**(0.00)**	**7.50**	**8.70**	**11.69**	**10.69**	**488.55**
मूल्यह्रास और घाटा														
31 मार्च 2016 को	**0.00**	**0.21**	**7.44**	**5.13**	**3.36**	**359.25**	**2.92**	**8.11**	**0.15**	**5.64**	**7.29**	**5.77**	**14.51**	**419.78**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.00	0.01	5.26	0.52	0.37	8.04	0.09	0.60	0.00	0.45	0.31	2.20	0.13	17.99
घटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
निपटान/ समायोजन	0.00	0.00	(3.23)	3.23	(0.44)	(43.00)	(0.67)	(1.00)	(0.15)	(1.66)	(0.34)	(0.60)	(6.17)	(54.03)
31 मार्च 2017 को	**0.00**	**0.22**	**9.47**	**8.89**	**3.29**	**325.55**	**2.34**	**7.70**	**0.00**	**4.43**	**7.26**	**7.37**	**8.47**	**385.00**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.00	0.01	0.28	0.31	2.54	6.22	0.11	0.84	0.00	0.54	0.28	2.45	0.40	13.98
घाटा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निपटान/ समायोजन	0.00	0.00	(6.90)	(3.50)	10.40	(60.11)	(0.38)	(1.04)	0.00	(1.00)	(0.74)	(0.86)	(2.24)	(66.37)
(लाभ)/हानि विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	12.26	0.21	0.02	0.00	1.35	0.08	0.05	0.83	15.36
31 मार्च 2018 को	**0.00**	**0.23**	**2.85**	**5.70**	**16.79**	**283.92**	**2.28**	**7.52**	**0.00**	**5.32**	**6.88**	**9.01**	**7.46**	**347.95**
निवाल बही मूल्य														
31 मार्च 2018 को	**42.75**	**1.06**	**4.52**	**3.31**	**29.68**	**44.60**	**1.17**	**3.59**	**(0.00)**	**2.18**	**1.83**	**2.68**	**3.23**	**140.59**
31 मार्च 2017 को	**42.26**	**1.07**	**8.92**	**25.46**	**5.56**	**48.78**	**1.54**	**1.34**	**0.05**	**3.10**	**1.54**	**4.84**	**1.16**	**145.61**

फुटनोट:

i) निपटान के लिए स्थिर परिसंपत्तियों को बिक्री/समायोजना के कॉलम में तथा अंतरण के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियों को निवल बुक मूल्य रखा गया ह।

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	तरीका और संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित (घाटा) / लाभ	क्षेत्र	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	वर्ष 2019 के अंत तक के सभावित समय के साथ एमएसटीसी जैसी ई-नीलामी के माध्यम से		घरेलू पीएमडी प्रभाग	4.33	0.25	5.16	0.29
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 24 (3)	खुली निविदा	36.27	अंतरराष्ट्रीय	29.26	1.46	7.25	0.17
	3 ट्रैक मशीन, 18 हूपर वैगन 15 फलैट वेगन तथा 2 मोटर ट्रॉली	खुली निविदा	2.90	अंतरराष्ट्रीय	17.04	0.85	-	-
	34 कम्प्यूटर और प्रिंटर	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.13	0.007	-	-
	7 फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर तथा ईपीएबीएक्स	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.06	0.003	-	-
	15 वाहन	खुली निविदा	0.09	अंतरराष्ट्रीय	2.12	0.10	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नई में आवासीय भवन	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**59.22**	**3.24**	18.69	1.03

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास और घाटे को लाभ हानि विवरण के नामे किया गया है

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**मार्च 2018 को**	**मार्च 2017 को**
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	13.98	17.99
घाटा	-	1.26
कुल	**13.98**	**19.25**

iii) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

iv) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

v) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

vi) मूल्यह्रास और घाटा: भारतीय विदेशी परियोजनाएं (31 मार्च 2018 के लिए 15.36 करोड़ (31 मार्च 2017 को 0.47 करोड़ रुपए))

4. प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2017 को आरंभिक शेष	**2.00**
जमा (परिणामी व्यय)	1.39
घटा: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(0.24)
31 मार्च 2018 को समापन शेष	**3.15**

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	**260.81**	**14.43**	**3.04**	**278.28**
जमा (परिणामी व्यय)*	20.58	8.62	0.00	29.20
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**281.39**	**23.05**	**3.04**	**307.48**
जमा (परिणामी व्यय)*	42.19	9.19	0.00	51.38
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**323.58**	**32.24**	**3.04**	**358.86**
<u>मूल्यह्रास और हानि</u>				
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.08**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.00	0.00	0.05	0.05
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**0.00**	**0.00**	**0.13**	**0.13**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.00	0.00	0.05	0.05
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.18**
<u>निवल ब्लॉक</u>				
31 मार्च 2018 को	**323.58**	**32.24**	**2.86**	**358.68**
31 मार्च 2017 को	**281.39**	**23.05**	**2.91**	**307.35**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिनसे किराया आय प्राप्त नहीं हुई है	0.35	0.34
किराया आय से सृजित प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरममत और अनुरक्षण सहित)	0.00	0.00
किराया आय से न सृजित प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरममत और अनुरक्षण सहित)	0.00	0.00
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.35**	**0.34**
घटा: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.05)	(0.05)
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.30**	**0.29**

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	गुडगांव में प्रगतिरत भूमि और पूंजी कार्य	ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन	कुल
1 अप्रैल 2016 को आरंभिक शेष	**245.45**	**131.84**	**5.05**	**382.34**
उचित मूल्य अंतर	4.40	16.36	0.20	20.96
31-03-2017 को अंतशेष	**249.85**	**148.20**	**5.25**	**403.30**
उचित मूल्य अंतर	44.31	12.91	0.06	57.28
31-03-2018 को अंतशेष	**294.16**	**161.11**	**5.31**	**460.58**
इस अवधि के लिए उचित मूल्य अंतर	44.31	12.91	0.06	57.28
नोट :-				
स्व:निर्मित संपत्ति निवेश	294.16	161.11	5.31	460.58
	294.16	**161.11**	**5.31**	**460.58**
वेल्युवर द्वारा प्रयोग की जाने वाल वेल्युवेशन तकनीक का प्रकटन	लागत और आय	लागत	लागत (भूमि और भवन)	

वेल्युवर द्वारा प्रयुक्त वेल्युवेशन तकनीक का विवरण

लागत परिदृश्य: इस परिदृश्य में, भूमि के बाजार मूल्य का आकलन प्रत्यक्ष तुलना दृष्टिकोण (बाजार परिदृश्य) से किया जाता है। भवन मूल्य का निर्धारण मूल्यह्रास प्रतिस्थापन लागत (जैसा कि नया है) का प्रयोग करके किया जाता है। इस लागत परिदृश्य के भीतर, भूमि के मूल्य का निर्धारण इस अनुमान के साथ लगाया जाता है कि यह भूमि खाली है और सभी दायित्वों से मुक्त है । मूल्यह्रास प्रतिस्थापन लागत विधि का प्रयोग करके इसे प्रस्तुत सुधारों की लागत में जोडा जाता है। प्रतिस्थापन लागत अनुमानित है । परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन की लागत को नए के समान प्रयोग किया जाएगा। भवन लागत में भवन घटकों और इस पर उपयुक्त मूल्यह्रास सुधारों का मूल्य शामिल है।"

आय परिदृश्य (डीसीएफ): डीसीएफ विश्लेषण भावी रोकड़ प्रवाह के अनुमान द्वारा तथा धन के समय मूल्य को ध्यान में रखते हुए निवेशित संपत्ति या परिसंपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत, आय को निवेश चक्र के आधार पर अनुमानित किया जाता है और पूंजी, प्रचालन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को कम करके निवल आय का परिकलन किया जाता है।"

(रुपए करोड़ में)

** संवर्धनों का ब्यौरा	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
- कार्य व्यय	46.17	26.79
- परामर्श प्रभार	0.50	0.59
- वेतन एवं पारिश्रमिक	0.97	0.41
- दरें एवं कर	-	1.27
- वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	1.36	0.04
- ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार	1.47	-
- विज्ञापन और प्रकाशन	0.15	0.08
- कार्मिक कल्याण	0.02	-
- बैंक प्रभार	0.02	-
- मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय और अन्य	0.71	0.01
- दौरा और यात्रा	0.01	0.01
कुल	**51.38**	**29.20**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर/पट्टा अधिकार)*
31 मार्च 2016 को आरंभिक शेष	**73.86**	**76.47**
वर्ष के दौरान संवर्धन	479.36	6.97
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(6.64)	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंतशेष	**546.58**	**83.44**
वर्ष के दौरान संवर्धन	659.39	0.08
समायोजन - एनएचएआई से देय रोकड़ सहायता	(223.74)	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(21.71)	(5.66)
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**960.52**	**77.86**
परिशोधन और हानि		
31 मार्च 2016 को आरंभिक शेष	**-**	**4.57**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	7.39
हानि	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2017 को अंत शेष	**-**	**11.95**
वर्ष के दौरान परिशोध	-	2.38
हानि	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(5.65)
31 मार्च 2018 को अंतशेष	**-**	**8.68**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2018 को	**960.52**	**69.18**
31 मार्च 2017 को	**546.58**	**71.49**

***इसमें सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के पट्टा अधिकार शामिल हैं, जिसने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहु उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ करार में प्रवेश किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा उसे एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक) है।**

7. वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) निगमित संयुक्त उद्यम (पूर्णत प्रदत्त)(कोट न किए गए)		
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 :6,38,70,000 (संदर्भ नोट (i) क तथा ख)	27.39	22.72
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 2,04,00,000) #	21.37	0.00
बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 11,83,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 11,83,000)	0.36	1.18
झारखंड मध्य रेलवे स्टेशन प्रत्येक 10 रुपए के 13,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 13,00,000)	12.83	1.12
महानदी कोयला रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 13,000)	0.01	0.01
छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 8,35,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017 : 8,35,75,700)	83.42	83.47
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रोल लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2017: 13,11,70,000)	131.04	131.08
कुल (ख) - संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**276.42**	**239.58**
(परिशोधित लागत पर निवेश)		
ख. बांडों में निवेश (कोट किए गए)		
8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2017 : 163,131)	16.31	16.31
7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500)	49.96	49.96
8.23% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2017: 5,00,000)	50.00	50.00
8.35% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500, 1 अप्रैल 2017 : 500)	49.93	49.92
"7.15% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,00,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2017 : 250, 1 अप्रैल 2015 : 250) "	24.98	24.98
"7.07% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2017 : 3,02,000) "	30.20	30.20
7.14% एनएचएआई के 1000 प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2017 : 1,99,989)	20.00	20.00
7.02% एनएचएआई के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2017 : 500)	50.00	49.99
कुल - बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**291.38**	**291.36**
कुल गैर चालू निवेश	**567.80**	**530.94**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	291.38	291.36
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	349.33	293.32
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	276.42	239.58
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	0.00	0.00

फुट नोट (i):

(क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2018 को बकाया देय राशि शून्य (31.03.2017 को 126.78 करोड़ रुपए) है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक की इक्विटी धारिता के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन से 51 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ सहायक कंपनी : दिनांक 10.04.2017 के अपने पत्र के तहत रेलवे बोर्ड ने इरकॉन से आरएलडीए को 1 प्रतिशत इक्विटी अंतरित करने का निर्णय लिया है और इसप्रकार इसका स्वामित्व और गैर-नियंत्रण हित 50:50 के अनुपात में हो गया है। 0.40 करोड़ रुपए के मूल्य पर इरकॉन द्वारा आरएलडीए को 1 प्रतिशत शेयर के अंतरण के साथ आईआरएसडीसी की संरचना संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हो गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

7.2 ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क. रक्षित वसूली योग्य		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.41	0.66
कुल क - रक्षित ऋण	**0.41**	**0.66**
ख. अरक्षित, वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षों से ऋण:		
संयुक्त उद्यम		
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	0.00	39.00
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	39.00	39.00
कुल (i)	**39.00**	**78.00**
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम*	0.25	0.25
कुल (ii)	**0.25**	**0.25**
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i+ii)	**39.25**	**78.25**
सकल योग -ऋण	**39.66**	**78.91**

* निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से दय राशि	0.0068	0.0116
कुल	**0.0068**	**0.0116**

7.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	0.01	0.05
- अन्य	0.18	0.15
ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	61.63	20.51
ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	3.47	3.57
12 महीनों से अधिक की सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट(i)}	4.18	0.41
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां{संदर्भ फुट नोट (ii)}	9.02	5.23
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.50	0.59
रेल भूमि विकास प्राधिकरण को ग्रिम पर संचित ब्याज	3.44	-
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज	0.01	-
अन्य		
- मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	35.62	70.78
- आरएलडीए से वसूली योग्य {संदर्भ फुटनोट (iii) (क) व (ख}	2,616.09	-
- अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.01	0.04
एससीए के अनुसार की गई निर्माण लागत	2.44	-
ख) अरक्षित , किन्तु शोध्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	0.04	0.04
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.00	0.01
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,736.64**	**101.38**
सकल कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**2,736.64**	**101.38**

#निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि	-	-
कुल	**-**	**-**

फुट नोट :-

(i) 0.41 करोड रु. (0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) संविदाकर्ताओं से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि संविदाकर्ता संविदा करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) (क) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 15.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कंपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता

ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या अतिरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कंपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हों। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को आपसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा इस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कंपनी को अंतरित कर दिए हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन हेत तथा कंपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप-ठेके पर देने (सभी संबंद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

(ख) आरएलडीए को सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए दिनांक 3 अगस्त 2017 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार 15 करोड़ रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान शामिल है।"

8. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रावधान	117.77	131.48
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(16.15)	(13.23)
अन्य	32.26	26.78
31 मार्च 18 को अंतशेष	**133.88**	**145.03**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में विनियोजन/संचलन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	प्रावधान	पीपीई और अपूर्ति परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
31मार्च 2016 को	**176.95**	**(0.72)**	**35.36**	**211.59**
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(45.46)	(12.51)	(8.58)	(66.56)
- अन्य वृहत आय में	-	-	-	-
31मार्च 2017 को	**131.48**	**(13.23)**	**26.78**	**145.03**
(प्रभारित)/नामे :				
- लाभ या हानि में	(13.72)	(2.94)	5.48	(11.18)
- अन्य वृहत आय में	-	-	-	-
31मार्च 2018 को	**117.77**	**(16.15)**	**32.26**	**133.88**

आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासित नियम के अंतर्गत हैं

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्तमान आयकर :		
वर्तमान आयकर प्रभार	178.97	123.34
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर प्रभार के लिए प्रावधान	(43.37)	-18.34
आस्थिगित कर :		
अस्थायी अंतरों के समायोजन और प्रतिक्रम से संबंधित	11.18	66.54
लाभ या हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**146.78**	**171.54**

ओसीआई खंड

वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य मदों सं संबंधित आयकर

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	(0.95)	1.67
विनिमय लाभ /हानि पर निवल हानि/(लाभ)	1.68	5.59
ओसीआई को प्रभारित लाभ/हानि	**0.73**	**7.26**

31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2118 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दर:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	560.51	576.52
बंद प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	0.00	0.00
आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	**560.51**	**576.52**
भारत की सांविधिक आयकर दर पर	189.58	170.63
पिछले वर्षो के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	(43.37)	(18.18)
पिछले अज्ञात कर हानियों का उपयोग	0.00	0.00
- गैर करयोग्य मदें	(52.04)	(33.46)
- दर अंतर	0.00	(5.19)
- अन्य	(0.64)	23.47
कर प्रयोजन के लिए गैर-कटौतीयोग्य व्यय:	0.42	
- अन्य देशों के अतिरिक्त कर	30.11	(2.87)
- अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	21.99	
	1.46	18.90
26.56% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2017: 26.59%)	**147.51**	**153.30**
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय बंद प्रचालनों पर आयकर	147.51	153.30
	147.51	**153.30**

9 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) पूंजी अग्रिम		
प्रतिभूति जमा राशि	0.01	0.0
कुल - पूंजी अंग्रिम	**0.01**	**0.0**
ख) पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का अग्रिम	19.93	43.49
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	68.61	310.09
कर विभागों में जमा राशि	0.20	0.21
कुल - पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम	**88.74**	**353.79**
ग) अन्य		
अरक्षित वसूली योग्य		
संचित ब्याज :		
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	52.20	43.05
पूर्वप्रदत्त व्यय	0.00	3.97
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.13	2.82
कुल - अन्य	**52.33**	**49.84**
घ) संदिग्ध समझे गए		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	0.00	0.91
घटा: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.00	(0.91)
कुल - संदिग्ध समझे गए	**0.00**	**0.00**
सकल योग	**141.08**	**403.63**

10 दरसूची

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कच्चा माल		
- उपलबध	20.51	34.64
- तीसरे पक्षों के पास	9.94	4.28
- पारगमन में	0.18	1.78
अन्य (स्क्रैप)	1.80	-
प्रगतिरत निर्माण कार्य (लागत पर)	108.31	98.64
कुल	**140.74**	**139.34**

11 वित्तीय परिसंपत्तियां

11.1 निवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
लागत पर निवेश		
लाभ आर हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)		
यूटीआई मनी मार्किट फंड - दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश) इकाइयों की संख्या : 1,69,594,888 (31 मार्च 2017 : शून्य)	17.02	-
एसबीआई प्रमियर लिक्विड फंड- दैनिक डिविडेंड योजना: इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2017 : 10,88,384)	-	109.19
आइडीबीआई लिक्विड फंड -- दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश): इकाइयों की संख्या : 19,86,853.588 (31 मार्च 2017 : शून्य)	199.15	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान -- दैनिक योजना - दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश): इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2017 :13,80,381)	-	140.72
कुल निवेश	**216.17**	**249.91**
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	**216.17**	**249.91**
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	**216.17**	**249.91**
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	**-**	**-**

11.2 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
रक्षित वसूली योग्य		
- व्यापार प्राप्य	34.22	29.79
अरक्षित वसूली योग्य		
- व्यापार प्राप्य	659.54	443.07
संदिग्ध समझे गए		
- व्यापार प्राप्य	26.71	20.85
घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए हानि व्यवस्था	(26.71)	(20.85)
कुल	**693.76**	**472.86**

11.3 रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
उपलब्ध रोकड़		0.10	0.18
उपलब्ध चैक / ड्राफ्ट		0.94	0.00
बैंक में शेष :			
चालू खातों में		216.13	223.82
फ्लैक्सी खातों में	(i)	246.31	225.32
तीन महीनों की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) व (iii)	1,110.57	1,004.44
		1,574.05	**1,453.76**

11.4 रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के अतिरिक्त बैंक शेष

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य बैंक शेष			
तीन महीनों से 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i)	3,098.16	3,088.45
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां	(ii)	18.33	210.92
		3,116.49	**3,299.37**

फुट नोट : -

(i) **रु. 2,884.78 करोड़** (रु. 3,141.33 करोड) के ग्राहक निधि सहित जिन पर उन्हें ब्याज दिया गया है

(ii) ठेकेदारों से प्राप्त साविध जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों और निबंधनों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) बांदद्रा (ईस्ट) में परियोजना स्थल के लिए व्यय हेतु निर्धारित रु. 593.55 करोड़।

11.5 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क. रक्षित वसूली योग्य		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.98	1.23
कुल (क) - रक्षित ऋण	**0.98**	**1.23**
ख. अरक्षित वसूली योग्य		
(i) संबंधित पक्षो को ऋण:		
संयुक्त उद्यम		
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	-	78.00
(ii) अन्य :		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम*	0.93	0.99
कुल (ख) - अरक्षित ऋण (i) + (ii)	**0.93**	**78.99**
सकल योग	**1.91**	**80.22**

* निदशकों से देय राशि का विवरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
स्टाफ ऋणों और अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.0048	0.0048
कुल	**0.0048**	**0.0048**

11.6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- सरकारी विभाग	7.67	7.07
- अन्य	1.70	1.72
ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	10.59	51.56
ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	68.93	67.64
बयाना जमा राशि	40.33	0.35
संचित ब्याज		
- स्टाफ को अग्रिम	0.67	0.72
- संबंधित पक्षों को ऋण	-	15.44
- बैंक में जमा राशि	77.37	116.12
- बांड	17.86	17.87
अन्य :		
(i) संबंधित पक्षों से वसूली योग्य	100.98	-
संयुक्त उद्यम		
संयुक्त उद्यम		
-भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	0.71	-
- रीकॉन	0.81	0.64
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	2.84	2.84
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप	4.04	3.86
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.	7.04	7.04
- इरकॉन - एफकॉन जेवी	46.40	29.85
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	1.02	2.48
- महानदी कोयला रेल लिमिटेड	0.57	0.37
ख) आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि		
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड- प्रत्येक 10 रुपए के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर	20.00	-
गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास निगम लिमिटेड - प्रत्येक 10 रुपए की 26000 इक्विटी शेयर*	-	0.03
(ii) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य	35.92	35.81
(iii) ग्राहकों से वसूली योग्य दावे	4.39	8.74
(iv) अन्य वसूलीयोग्य	14.69	5.30
(v) बिलयोग्य राजस्व/बकाया किन्तु देय नहीं {संदर्भ फट नोट (i)}	262.07	293.52
(vi) अन्य - अग्रिम पट्टा किराया	0.21	0.14
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपतितयां- शोध्य	**726.81**	**669.11**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
ग) <u>संदिग्ध समझे गए</u>		
प्रतिभूति जमा राशियां		
- सरकारी विभाग	0.11	0.55
- अन्य	0.18	0.18
बयाना जमा राशि	-	0.05
- ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि	7.29	7.19
- ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	6.05	5.65
अन्य	-	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था (अन्य)	(13.63)	(13.64)
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - संदिग्ध	**0.00**	**0.00**
सकल योग - अन्य वित्तीय - अन्य	**726.81**	**669.11**

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए(शून्य रुपए) है।

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
स्टाफ ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि पर ब्याज	-	-
कुल		

ii) (क) ग्राहकों द्वारा प्रमाणित किन्तु रिपोर्टिंग तिथिको बिल न किए गए 7.99 करोड़ रुपए (1.61 करोड़ रुपए)की राशि वाले कार्य के मूल्य सहित।

(ख) छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 8.50 करोड़ रुपए (2.48 करोड़ रुपए) सहित।

(ग) छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी से 1.07 करोड़ रुपए (0.31 करोड़ रुपए) सहित।

iii) *आईआरएसडीसी ने दिनांक 31.03.2017 को गांधीनगर रेलवे तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी तथा गुजरात सरकार का संयुक्त उपक्रम) में 2.60 लाख रुपए निवेश किए हैं जिसके लिए शेयर आंवटन लंबित थे। दिनांक 11.05.2017 को शेयरों का आवंटन किया गया।

12 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किया गया कर (कर के लिए प्रावधान का निवल)	40.61	3.77
प्रतिपूर्तियोग्य आयकर	0.00	1.81
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**40.61**	**5.58**

12.1 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम			
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम		331.99	45.08
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम		219.30	141.73
स्टाफ को अग्रिम (त्यौहार तथा अन्य अग्रिम)		-	0.05
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम			
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		315.73	302.55
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि		(218.65)	(210.48)
- मूल्य संवर्धित कर		91.99	94.68
- वस्तु एवं सेवा कर		201.94	-
- सेवा कर इनपुट क्रेडिट		0.01	4.19
कुल - पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		**942.31**	**377.80**
ख) अन्य			
संचित ब्याज			
जमाराशि व अग्रिम:			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास		47.18	43.00
प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलीयोग्य मूल्य पर)		116.18	97.59
निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	(i)	3.24	1.03
पूर्व प्रदत्त व्यय		6.47	3.58
उचित मूल्य समायोजन		0.37	5.19
पट्टा समतुल्य		-	0.14
प्राप्य डब्ल्यूसीटी		0.57	-
अन्य		0.19	-
कुल - अन्य		**174.20**	**150.53**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
ग) संदिग्ध समझे गए			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण		15.89	15.32
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		36.04	35.89
अन्य		0.04	0.10
मूल्य संवर्धित कर		7.17	7.18
घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था		(59.14)	(58.49)
कुल - संदिग्ध समझे गए		**0.00**	**0.00**
सकल योग (क+ख+ग)		**1,116.51**	**528.33**

(i)मरम्मत से परे और/या निपटान के लिए धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बही मूल्य के निम्नतर मूल्य पर): -

(रूपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	तरीका और संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर संभावित (घाटा) / लाभ	क्षेत्र	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी	वर्ष 2019 के अंत तक के सभावित समय के साथ एमएसटीसी जैसी ई-नीलामी के माध्यम से	36.27	घरेलू पीएमडी प्रभाग	4.33	0.25	5.16	0.29
मलेशिया क्षेत्र	इंजन - 24 (3)	खुली निविदा	2.90	अंतरराष्ट्रीय	29.26	1.46	7.25	0.17
	3 ट्रैक मशीन, 18 हूपर वैगन 15 फ्लैट वेगन तथा 2 मोटर ट्रॉली	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	17.04	0.85	-	-
	34 कम्प्यूटर और प्रिंटर	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.13	0.007	-	-
	7 फैक्स मशीन, प्रोजेक्टर तथा ईपीएबीएक्स	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.06	0.003	-	-
	15 वाहन	खुली निविदा	0.09	अंतरराष्ट्रीय	2.12	0.10	-	-
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी	खुली निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	चेन्नई में आवासीय भवन	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**59.22**	**3.24**	18.69	1.03

13. इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए*(नोट-i) का संदर्भ लें)		
(10,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2017 को)	400.00	100.00
	400.00	**100.00**
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त		
(9,98,80,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के-पूर्णत प्रदत्त - 31 मार्च 2017 को)	94.05	98.98
	94.05	**98.98**

कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	9,37,83,574	99.71	9,87,12,000	99.73
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	2,44,000	0.26	2,44,000	0.25
बैंक आफ इंडिया	24,000	0.03	24,000	0.02
कुल	**9,40,51,574**	**100.00**	**9,89,80,000**	**100.00**

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रुप में जारी इक्विटी शेयर	-	7,91,84,000	-	-	-	98,98,000	-
इक्विटी शेयर बाय बैक	49,28,426	-	-	-	-	-	-
कुल	**49,28,426**	**7,91,84,000**	**-**	**-**	**-**	**98,98,000**	**-**

शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

इक्विटी शेयर की संख्या तथा शेयर पूंजी का पुनविनियोजन

विवरण	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	9,89,80,000	98.98	1,97,96,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	7,91,84,000	79.18
घटा: वर्ष क दौरान बायबैक किए गए शेयर	(49,28,426)	(4.93)	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**9,40,51,574**	**94.05**	**9,89,80,000**	**98.98**

*वर्ष के समापन के पश्चात, 400 करोड़ रुपए तक प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए 22-05-2017 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन लिए गया था।

(ii) निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरा के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

14 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
(क) प्रतिधारित आमदनियां		
अथशेष	427.72	339.46
जमा : सरप्लस से लाभ और हानि विवरण में अंतरण	411.62	386.22
घटा : निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(117.05)	(107.22)
घटा : अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(114.52)	(114.52)
जमा: बोनस इशु	-	(79.18)
जमा : निर्धारित लाभ योजना का पुन:मापन (कर का निवल)	(1.80)	3.15
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	(1.99)	(0.19)
घटा: शेयरों क बाय बैक क लिए भुगतान	(234.57)	-
घटा: लाभ/(हानि) में शेयर से इतर संयुक्त उपक्रमों में निवेश के वहन मूल्य में परिवर्तन	(0.01)	-
अंतिम शेष	**369.40**	**427.72**
(ख)सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	**3,284.64**	**3,284.64**
जमा: प्रतिधारण आमदनी से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	**3,284.64**	**3,284.64**
(ग)पूंजी रिडंम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभक शेष	**-**	**-**
	4.93	-
अंतिम शेष	**4.93**	**-**
(घ)अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष	**5.56**	**(5.01)**
ओसीआई द्वारा ऋण माध्यम	-	-
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	3.18	10.57
अंतिम शेष	**8.74**	**5.56**
सकल योग	**3,667.71**	**3,717.92**

किया गया वितरण और प्रस्तावित लाभांश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
2017-18 के दौरान प्रदत्त लाभांश : 27.80 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2016-17: 45.00 रुपए प्रति शेयर)	97.25	89.08
लाभांश वितरण कर - अंतिम लाभांश	19.80	18.14
2017-18 के दौरान अंतरिम लाभांश:10.11 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2016-17: 9.61 रुपए प्रति शेयर)	95.15	95.15
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.37	19.37
कुल	**231.57**	**221.74**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश :		
31 मार्च 2018 का लाभांश: 10.34 रुपए प्रति शेयर (31 मार्च 2017: 27.80 रुपए प्रति शेयर)	97.25	97.25
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	19.99	19.80
कुल	**117.24**	**117.05**

15 वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

15.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अरक्षित		
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	3,200.00	-
संचित किन्तु अदेय ब्याज	3.08	-
कुल	**3,203.08**	**0.00**

नोट:

(क) अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें

ऋण राशि के मूल का पुनर्भुगतान अप्रेल से आरंभ होते हुए पांच समान किश्तों में किया जाएगा

(ख) ब्याज दर :

(i) कंपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)।लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)

(ii) लागू कर दर दीर्षकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

(ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

15.2 व्यापार देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (संदर्भ नोट 46)	-	-
अन्य		
अन्य ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	-	0.45
संबंधित पक्ष	0.46	-
कुल	**0.46**	**0.45**

15.3 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	320.95	129.26
ग्राहकों को देय राशि	0.55	80.87
कुल	**321.50**	**210.13**

16. प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	16.1	88.73	71.78
संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	16.2	99.51	93.89
अन्य प्रावधान	16.3	252.02	302.46
		440.26	**468.13**
घटा: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान (अलग से प्रस्तुत)	16.2	99.51	93.89
कुल		**340.75**	**374.24**
चालू		265.43	298.05
गैर चालू		75.32	76.19

प्रावधान संचलनों का प्रकटन इंड एएस-37 की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक है :

16.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान

(क) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	उपदान	अवकाश वेतन	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	पेंशन	कुल
31 मार्च 2017 को	**0.01**	**55.88**	**1.33**	**8.32**	**0.00**	65.54
चालू	0.00	5.64	0.13	6.66	0.00	12.43
गैर चालू	0.01	50.24	1.20	1.66	0.00	53.11
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.01	12.24	0.00	4.49	0.00	16.74
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	9.49
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00	0.06
(विनिमय लाभ) / हानि	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
31 मार्च 2018 को	**0.02**	**58.62**	**1.29**	**12.81**	**0.00**	**72.74**
चालू	0.00	5.67	1.29	12.81	0.00	19.77
गैर चालू	0.02	52.95	0.00	0.00	0.00	52.97

(ख) अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	निष्पादन संबंधी वेतन	छट्‌टी यात्रा रियायत	कुल
31-मार्च-2017 को	**5.91**	**0.33**	**6.24**
चालू	5.91	0.05	5.96
गैर चालू	0.00	0.28	0.28
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	10.04	0.00	10.04
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.00	0.02	0.02
घटा: वर्ष के दौरान बट्‌टा खाता	0.00	0.27	0.27
31-मार्च-2018 को	**15.95**	**0.04**	**15.99**
चालू	15.95	0.01	15.96
गैर चालू	0.00	0.03	0.03

16.2 संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	संदिग्ध ऋण	संदिग्ध अग्रिम	कुल
31 मार्च 2017 को	**20.85**	**73.04**	**93.89**
चालू	20.85	73.04	93.89
गैर चालू	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6.65	0.95	7.60
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.00	0.28	0.28
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.78	0.94	1.72
(विनिमय लाभ) / हानि	0.00	0.02	0.02
31 मार्च 2018 को	**26.72**	**72.79**	**99.51**
चालू	26.72	72.79	99.51
गैर चालू	0.00	0.00	0.00

16.3 अन्य प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	प्रकट घाटे	अभिकल्प गारंटी	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2017 को #	**19.25**	**0.95**	**66.78**	**6.02**	**51.40**	**86.51**	**71.55**	**302.46**
चालू	19.18	0.95	56.49	6.02	38.96	86.51	71.55	279.66
गैर चालू	0.07	0.00	10.29	0.00	12.44	0.00	0.00	22.80
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.18	0.03	16.80	0.00	0.00	13.90	2.34	33.25
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	0.73	0.91	25.66	2.77	0.00	7.62	9.30	46.99
घटा: वर्ष के दौरान बट्टा खाता	5.24	0.00	1.37	0.00	41.76	0.13	0.25	48.75
(विनिमय लाभ) / हानि	0.12	0.00	(0.48)	0.00	4.88	0.00	5.72	10.24
रियायतों का अप्रकटन	0.06	0.00	1.31	0.00	0.44	0.00	0.00	1.82
31 मार्च 2018 को	**13.64**	**0.07**	**57.38**	**3.25**	**14.96**	**92.66**	**70.06**	**252.02**
चालू	12.84	0.07	35.86	3.25	14.96	92.66	70.06	229.70
गैर चालू	0.80	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22.32

संदर्भ नोट सं. 27

17. अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
क) अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	914.36	1,688.27
आस्थगित आय	-	33.70
ख) अन्य		
उचित मूल्य समायोजन	-	22.93
अन्य	0.56	0.56
कुल	**914.92**	**1,745.46**

18. वित्तीय देयताएं

18.1 व्यापार देय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (संदर्भ नोट सं. 46)	5.67	-
अन्य		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता (संदर्भ नोट सं. 27)	504.37	360.65
(ख) संबंधित पक्ष	-	-
कुल	**510.04**	**360.65**

18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
देय उपदान	16.15	-
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि (संदर्भ नोट सं. 27)	520.99	506.23
ग्राहकों को देय राशि	335.13	140.44
अन्य देय (स्टाफ को देय सहित)	74.82	57.32
कुल	**947.09**	**703.99**

19. अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
क) अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	2,524.48	1,982.61
- घटा: संरक्षणाधीन जमा राशियां (बिक्री कर)	(218.65)	(210.48)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	245.47	99.96
आस्थगित आय	-	4.71
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां :	213.20	74.34
उचित मूल्य समायोजन	-	24.98
अन्य	-	0.01
कुल	**2,764.50**	**1,976.13**

19.1 चालू कर देयता (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)		14.13	23.83
चालू कर देयता (निवल)		**14.13**	**23.83**

20. प्रचालन से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	3,880.03	2,895.70
लोको पट्टा	-	0.88
मशीनरी किराया प्रभार	5.50	9.15
एमएफसी पट्टाकरण	14.83	13.66
परियोजना प्रबंधन परामर्श	15.50	18.53
अन्य राजस्व		
- वित्तीय माध्यमों का परिशोधन	47.91	29.34
- अन्य प्रचालनिक राजस्व	37.40	10.15
	4,001.17	**2,977.41**

21. अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय:				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		22.08		22.06
आयकर वापसी पर ब्याज		19.58		11.93
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज		0.18		0.21
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज*		13.52		11.32
अन्य अग्रिम पर ब्याज		3.78		7.37
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय		7.69		7.54
सकल बैंक ब्याज	241.69		311.60	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(166.61)		(163.82)	
		75.08		147.78
अन्य:				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		4.08		0.35
विविध आय		23.52		22.09
विनिमय उच्चावचन लाभ	32.04		-	
घटा:- विनिमय उच्चावचन घाटा	(30.67)	1.37	-	-
लाभांश आय	16.34		4.82	
घटा :- ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(2.33)		(1.45)	
		14.01		3.37
कुल		**184.89**		**234.03**

*** संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:**

संबंधित पक्षों का विवरण	2017-18	2016-17
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड	10.44	6.26
- छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेल लिमिटेड	3.08	4.86
- इरकॉन एफकॉन जेवी	-	0.20
	13.52	**11.32**

22. प्रचालनिक व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय			
		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण									
आरंभिक शेष		38.92		89.87			-		-
जमाः वर्ष के दौरान खरीद*		342.61		321.04			-		-
घटाः अंतिम शेष		(32.24)		(38.92)			-		-
			349.29		371.99				
कार्यगत व्यय (संदर्भ नोट सं. 27)			2,875.29		2,083.44		-		-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी			(10.56)		(47.86)		-		-
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार			13.77		16.87		-		-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि			14.24		16.26		-		-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण			6.34		11.50		-		-
मशीनरी का किराया प्रभार			2.79		3.26		-		-
विनिमय उच्चावचन हानि		-		71.59		-		-	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ		-		(33.13)		-		-	
निवल विनिमय उच्चावचन हानि			-		38.46		-		-
किराया-गैर आवासीय			5.24		5.29		1.42		1.23
दर एवं कर			27.27		30.30		1.01		1.63
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण			10.07		9.99		1.61		1.52
मरम्मत और रखरखाव									
- भवन			0.12		0.07		0.85		0.91
- कार्यालय तथा अन्य			10.96		3.23		3.59		4.09
बिजली, विद्युत व जल प्रसार			2.34		2.19		1.42		1.59
बीमा			5.86		5.55		0.15		0.40
यात्रा और वाहन			11.85		9.21		2.13		3.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			1.41		1.19		0.93		0.61
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स			1.49		1.51		0.64		0.48
विधिक और व्यावसायिक प्रसार			8.46		5.52		6.58		4.49
सुरक्षा सेवाएं			3.13		3.68		0.25		0.41
व्यवसाय संर्वधन			0.33		0.39		0.89		0.34
बट्टा खाताः									
- अशोध्य ऋण			-		0.60		-		-
- अशोध्य अग्रिम			-		2.00		-		-
- परिसंपत्तियां			0.29		0.11		-		-
बैंक तथा वित्तीय प्रभार			0.07						
परिसंपत्तियों/सामग्री की बिक्री पर हानि			-		-		0.10		0.03
सांविधिकदेयों पर विलंबित भुगतान पर हानि			0.14		-		-		-
निदेशकों की फीस			-		-		0.14		0.07
चंदा			-		-		0.01		0.04
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)		0.03		-		0.67		0.62
विज्ञापन और प्रसार			0.16		0.40		7.43		6.23
प्रशिक्षण और भर्ती			0.01		-		1.75		0.30
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46 का संदर्भ लें)			0.13		-		8.73		5.92
विविध व्यय			4.35		2.86		1.64		2.73
पूर्व अवधि व्यय - बट्टा खाता/जमा (नोट 16 का संदर्भ लें)			(9.64)		(9.05)		-		-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट 16 का संदर्भ लें)			(47.27)		(78.29)		-		-
कुल			**3,287.96**		**2,490.67**		**41.94**		**36.64**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.42	0.35
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.13	0.11
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.03	0.06
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.08	0.08
- विदेशी	0.04	0.05
कुल	**0.70**	**0.65**

*इंड एएस को लागू करने के कारण विनियम लाभ/हानि शामिल है - रु 0.10 करोड़ (31 मार्च 2017 : रु. 0.13 करोड़)।

23 कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	137.94	47.21	185.15	104.86	40.42	145.28
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		8.55	3.72	12.27	7.25	4.05	11.30
विदेशी सेवा अंशदान		1.14	1.23	2.37	0.80	0.83	1.63
सेवानिवृत्ति लाभ		13.72	23.57	37.29	13.25	(17.20)	(3.95)
वीआरएस व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारी कल्याण		1.13	0.64	1.77	1.27	0.54	1.81
कुल		**162.48**	**76.37**	**238.85**	**127.43**	**28.64**	**156.07**

फुट नोट :
0.22 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2017 को : 0.33 करोड़ रुपए)

24 वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	3.08		
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज		(3.08)	0.00	9.65
अन्य ऋण लागत				
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			6.21	8.67
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज			48.93	29.66
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन			7.61	7.31
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग कुल			1.81	3.35
कुल			**64.56**	**58.64**

फुट नोट :- 0.003 करोड़ रुपए के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2017 को : 9.65 करोड़)

25. मूल्यह्रास , परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण	13.98	17.99
अमूर्त परिसंपत्तियां	2.38	7.39
निवेश संपत्ति	0.05	0.05
परिसंपत्तियों की हानि	0.00	1.26
कुल	**16.41**	**26.69**

26. अन्य वृहत आय (ओआईसी) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है

(रूपए करोड़ में)

विवरण	ओसीआई की अन्य मदें	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:मापन	(2.75)	4.82
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया गया है।	0.95	(1.67)
कुल	**(1.80)**	**3.15**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	विदेशी मुद्र अंतरण	
	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	4.86	16.16
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया गया है।	(1.68)	(5.59)
कुल	**3.18**	**10.57**
सकल योग	**1.38**	**13.72**

27. पूर्व अवधि त्रुटियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
इक्विटी पर प्रभाव : इक्विटी में (वृद्धि/(कमी))		
चालू अन्य वित्तीय देयताएं	-	0.04
अन्य चालू देयताएं	-	(0.74)
विधिक मामलों के लिए प्रावधान	-	0.51
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	**-**	**(0.19)**
विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
लाभ में लाभ और हानि में विवरण पर प्रभाव (वृद्धि/(कमी))		
प्रचालनिक एवं प्रशासनि व्यय	-	(0.19)
इक्विटी धारकों पर आरोप्य		**(0.19)**
ईपीएस में प्रति शेयर मूल तथा विलयित आमदनियों में (वृद्धि/(कमी))		
विवरण	**31 मार्च 2018**	**31 मार्च 2017**
निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर आमदनी		
मूल, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ		(0.01)
विलयित, इक्विटी शेयरधारक के कारण निरंतर प्रचालन से लाभ		(0.01)

27क. आपवादिक मदें

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निवेश की बिक्री पर लाभ	0.00	73.69
कुल	**0.00**	**73.69**

28 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय माध्यम

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) निवेश						
कर मुक्त बांड़ (संचित ब्याज सहित)	-	-	309.24	-	-	309.23
म्युचुवल फंड़ में निवेश	216.17	-	-	249.91	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	-	-	693.76	-	-	472.86
(iii) ऋण	-	-	41.57	-	-	159.13
(iv) प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	-	-	144.62	-	-	143.28
(v) सरकारी विभागों में प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूलीयोग्य	-	-	85.50	-	-	124.36
(vi) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	-	-	1,574.05	-	-	1,453.76
(vii)उपर्युक्त (ii) से अतिरिक्त बैंक शेष	-	-	3,116.49	-	-	3,299.37
(viii)अन्य - वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3,215.47	-	-	484.98
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**216.17**	**-**	**9,180.70**	**249.91**	**-**	**6,446.97**
वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	-	-	510.50	-	-	361.10
(ii) व्यापार देय	-	-	841.94	-	-	635.49
(iii) प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	-	-	3,203.08	-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	426.65	-	-	278.63
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**4,982.17**	**-**	**-**	**1,275.22**

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 -परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो अवलोकनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर अवलोकनीय इनपुट)।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर तथा परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को प्रस्तुत करता है।

(ii) (क) परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है और इनके लिए उचित मूल्य प्रकट किय गए हैं।

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्तीय सहायता				
कर मुक्त बांड़	309.24	309.23	349.33	293.32
म्युचुवल फंड़ में निवेश	144.62	143.28	144.62	142.48
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	85.50	124.36	85.50	124.39
सरकारी विभागों तथा अन्यों में प्रतिभूति राशि				
कुल परिसंपत्तियां	**539.36**	**576.87**	**579.45**	**560.19**

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
वित्तीय देयताएं				
परिशोधित लागत				
व्यापार देय	510.50	361.10	510.50	361.85
प्रतिभूति जमा राशि तथा प्रतिधारण राशि	841.94	635.49	841.94	630.16
कुल देयताएं	**1,352.44**	**996.59**	**1,352.44**	**992.01**

(ii) (ख)लाभ और हानि खाते पर मापित परिसंपत्तियों जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है

विवरण	वहन मूल्य		उचित मूल्य	
	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
म्युचुवल फंड में निवेश	216.17	249.91	216.17	249.91
कुल परिसंपत्तियां (लाभ और हानि खाते के माध्यम से)	**216.17**	**249.91**	**216.17**	**249.91**

i) चालू व्यापार प्राप्यों, व्यापार प्राप्यों, प्रतिभूति जमा राशियों तथा प्रतिधारण राशि, रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, बैंक शेषों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उनके अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

ii) दीर्घकालीन प्रतिभूति जमा राशियों, प्रतिधारण राशि तथा दीर्घकालन व्यापार प्राप्यों के उचित मूल्य को चालू बाजार दर का प्रयोग करते हुए रोकड़ प्रवाहों क आधार पर परिकलित किया गया था। गैर-अवलोकनीय इनपुनट के समावेशन के कारण इन्हें स्तर 3 उचित मूल्य क्रम के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के कोट न की गई इक्विटी में निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 27 के पैरा 10 में उपलब्ध छूट के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को भारतीय जीएएपी के अनुसार वहन मूल्य पर निर्दिष्ट किया गया है।

iv) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम बाजार दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान हैं।

v) वित्तीय परिसंपत्तियों को संव्यवहार मूल्य पर निर्दिष्ट किया गया है, क्योंकि इन्हें उचित मूल्य पर मापने का प्रभाव नगण्य है।

31 मार्च 2018 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	कुल	सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)
आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड़ में निवेश	31.03.2018	216.17	216.17	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांड़ों में निवेश	31.03.2018	349.33	349.33	0.00	0.00
प्रतिधारण राशि तथा रोकी गई राशि	31.03.2018	144.62	0.00	0.00	144.62
सरकारी विभागों तथा अन्यों में प्रतिभूति राशि	31.03.2018	85.50	0.00	0.00	85.50

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2018 को वित्तीय देयताएं के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	**कुल**	**निष्क्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)**	**महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)**	**महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)**
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार प्राप्य	31.3.2018	510.50	0.00	0.00	510.50
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.3.2018	841.94	0.00	0.00	841.94

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	**कुल**	**सक्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)**	**महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)**	**महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)**
आवर्ती आधार पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां:					
म्युचुवल फंड में निवेश	31.3.2017	249.91	249.91	0.00	0.00
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
कर मुक्त बांडों में निवेश	31.3.2017	293.32	293.32	0.00	0.00
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.3.2017	142.48	0.00	0.00	142.48
सरकारी विभाग तथा अन्यों के साथ प्रतिभूति जमा	31.3.2017	124.39	0.00	0.00	124.39

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

31 मार्च 2017 को वित्तीय देयताएं के लिए उचित मूल्य मापन अनुक्रम के मात्रात्मक प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

	उचित मूल्य मापन				
	मूल्यांकन की तिथि	**कुल**	**निष्क्रीय बाजार में कोट किया गया मूल्य (स्तर 1)**	**महत्वपूर्ण अवलोकनीय इनपुट (स्तर 2)**	**महत्वपूर्ण गैर अवलोकनीय इनपुट (स्तर 3)**
परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है:					
व्यापार प्राप्य	31.03.2017	361.85	0.00	0.00	361.85
प्रतिभूति जमा राशियां और प्रतिधारण राशियां	31.03.2017	630.16	0.00	0.00	630.16

इस अवधि के दौरान स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 के मध्य कोई अंतरण नहीं हुए हैं।

iii वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। कम्पनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढ़ाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोशिम ब्याज दर जोखिम शामिल है बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर-डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुदद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेश मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां

और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीड़ीटी, ड़ीजेडड़ी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कंपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वत: बचाव हो जाता है। 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को संबंधित विदेशी मुदद्रा में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमश: 0.70 करोड़ रुपए तथा 2.63 करोड़ रुपए का प्रभाव पडड़ता है।

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड़ तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक अतिरिक्त कपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नहीं है क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथ विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के प्रतिशत के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करता है। **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	इस समाप्त अवधि हेतु	
	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
शीर्ष परियोजनाओं से राजस्व		
शीर्ष 5 परियोाजनाओं से राजस्व	1,913.95	1,504.21
	1,913.95	**1,504.21**

(i) संभावित ऋण घाटों के लिए प्रावधान

31.03.2018 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि **(रूपए करोड़ में)**

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	644.59	24.00	11.01	20.56	20.32	720.48
संभावित ऋण दर	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%	97.88%	3.71%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	0.00	0.00	0.00	(6.83)	(19.89)	(26.72)
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	**644.59**	**24.00**	**11.01**	**13.73**	**0.43**	**693.76**

ख) ऋण और निवेशों से संभावित ऋण हानि

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चुक की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमड़ी	50.22	0.01	0.29	49.93
		स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	-	-	-	-
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	157.96	0.08	13.34	144.62
			208.18		**13.63**	**194.55**

31.03.2017 को

क) सरलीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यापार प्राप्यों से संभावित ऋण हानि (रुपए करोड़ में)

समयावधि	< 6 M	> 6 < 12	> 12 < 24	> 24 < 36	> 36	कुल
सकल धारण राशि	379.78	47.11	38.45	7.93	20.44	493.71
संभावित ऋण दर	0.14%	0.00%	0.00%	8.70%	96.04%	4.22%
संभावित ऋण घाटे (घाटा प्रावधान व्यवस्था)	(0.53)	0.00	0.00	(0.69)	(19.63)	(20.85)
व्यापार प्राप्यों की सकल धारण राशि	**379.25**	**47.11**	**38.45**	**7.24**	**0.81**	**472.86**

ख) ऋणों और निवेशों के लिए संभावित ऋण घाटा (रूपए करोड़ में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	धारण मूल्य	चुक की अनुमानित संभावपना	अनुमानित ऋण घाटा	अनुमानित ऋण घाटा की निवल धारण राशि
जीवनभर ईसीएल पर मापित घाटा अंश	वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए ऋण जोखिम बढ गया है और ऋण को अपसामान्य नहीं किया गया है	प्रतिभूति जमा राशि और ईएमड़ी	17.30	0.05	0.78	16.52
		स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.00	1.00	0.00	0.00
		प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा राशि	156.12	0.08	12.84	143.28
			173.42		**13.62**	**159.80**

ग) चल निधि जोखिम -

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कंपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कंपनी विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2017 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है:

विवरण	31 मार्च 2018 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	643.08	2,560.00
व्यापाद देय	510.05	0.45	-
अन्य वित्तीय देयताएं	947.07	111.43	210.09

विवरण	31 मार्च 2017 तक		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापाद देय	360.64	0.46	-
अन्य वित्तीय देयताएं	703.98	133.01	77.13

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कंपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

iv पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कंपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कंपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश वे जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों क अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

लाभांश :- **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रदत्त लाभांश	192.40	184.23
कुल	**192.40**	**184.23**

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित 4,928,426 शेयरों का बायबैक किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने आईएफआरसी से ऋण लिए हैं, जो आगे आरएलडीए को दिया गया है जिसका पुनर्भुगतान आरएलडीए से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ऋण इक्विटी अनुपात **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
ऋण (नोट सं. 15.1)	3,203.08	-
दीर्घकालीन ऋण	**3,203.08**	**-**
इक्विटी (नोट सं. 13)	94.05	98.98
अन्य इक्विटी (नोट सं. 14)	3,667.71	3,717.92
कुल इक्विटी	**3,761.76**	**3,816.90**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.85**	**-**

29. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा - 129 (3) की अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जो 1 अप्रैल 2015 से आरंभ वित्तीय वर्ष से लागू हैं, के आधार पर तैयार किए गए है। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा जाएगा), इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रुप से "समूह" कहा जाएगा) को समेकित वित्तीय विवरण में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है:

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
		31.03.2018	31.03.2017
सहायक कंपनियां:			
1. इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	भारत	100.00%	100.00%
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	भारत	----------	51%
3. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल)	भारत	100.00%	100.00%
4. इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	भारत	100.00%	100.00%
5. इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड	भारत	100.00%	-------

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
		31.03.2018	31.03.2017
संयुक्त उद्यम:			
1. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	भारत	50.00%	50.00%
2. छत्तीसगढ पूर्वी रेल लिमिटेड (सीईआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
3. छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
4. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
6. बस्तर रेलवे प्रा.लि. (बीआरपीएल)	भारत	26.00%	26.00%
7. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	भारत	50%	-

* अवधि के दौरान, रेल मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2017 के पत्र के तहत इरकॉन से आरएलडीए को 1 प्रतिशत इक्विटी अंतरित की है, इसलिए, आईआरएसडीसी संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो 18 सितंबर 2017 तक सहायक कंपनी थी।

ख) समेकन के उद्देश्य से निकायों द्वारा प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि वही है जो कंपनी की है ।

ग) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समरुपी लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए गए है जैसे समान परिस्थितियों में संव्यवहार और समान घटनाएं और इसे पृथक वित्तीय विवरणों के रुप मे धारक कंपनी के अनुसार समान रुप से प्रस्तुत किया गया है। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमो की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, तथ्यात्मक नहीं है।

30. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) आकस्मिक देयताएं:

(क) कंपनी के प्रति दावें जिन्हें कर्ज के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:

i) **421.08 करोड़ रूपए** (418.82 करोड़ रुपए) जिसमें निवल प्रावधान के **69.38 करोड़ रूपए** (56.44 करोड़ रुपए) शामिल हैं। इसके प्रति कंपनी ने **258.41 करोड़ रूपए** (278.24 करोड़ रूपए)का प्रति दावा किया है। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ii) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

iii) प्रत्यक्ष कर से संबंधित **307.62 करोड़ रूपए** (141.66 करोड़ रूपए) जिसमें **197.23 करोड़ रूपए** (64.95 करोड़ रूपए) जो कंपनी के पक्ष में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) तथा आइटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा दायर अपील से संबंधित हैं।

iv) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है **327.43 करोड़ रूपए** (266.27 करोड़ रूपए) हैं, जिनमें से **110.44 करोड़ रूपए** (शून्य रुपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों ने ली है तथा **43.89 करोड़ रूपए** (61.35 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से प्राप्त की गई है ।

क्र.सं. (i), (iii) तथा (iv) पर दावों/मांग के संबंध में संचलन निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को शेष	आरंभिक शेष के संबंध में वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान संवर्धत	31 मार्च 2018 को शेष
(i)	कंपनी के विरुद्ध दावा (किए गए प्रावधानों का निवल)	418.82	96.16	98.42	421.08
(ii)	प्रत्यक्ष कर के संबंध में मांग	141.66	46.84	212.80	307.63
(iii)	अपील के अधीन अप्रत्यक्ष कर विवादित मांग	266.27	21.45	82.60	327.43
	कुल	**826.75**	**164.45**	**393.82**	**1,056.14**

(ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटियां

संयुक्त व्यवस्थाओं के संबंध में:

I. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रैक्टर की **4.25 करोड़ रुपए** (4.25 करोड़ रुपए) की बिक्री कर देयता और **1.01 करोड़ रुपए** (1.01 करोड़ रुपए) रुपए का सेवा कर।

II. इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले मे **1.40 करोड़ रुपए** (1.40 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी।

III. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले में **0.01 करोड़ रुपए** (0.96 करोड़ रुपए) की आयकर देयता। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2012-13 तथा 2013-14 के नियमित आकलन के परिणामस्वरुप 31.03.2018 को **0.24 करोड़ रुपए** की मांग सृजित हुई है।

IV. मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर के विरुद्ध **0.02 करोड़ रुपए** (0.02 करोड़ रुपए) का वसूली मुकदमा।

V. भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए **14.28 करोड़ रुपए** (25.72 करोड़ रुपए) हेतु इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को शेष	आरंभिक शेष के संबंध में वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के दौरान संवर्धत	31 मार्च 2018 को शेष
(i)	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित निर्णीत हर्जाना	9.67	शून्य	शून्य	9.67

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

i) अपने कुछ ग्राहकों पर इरकॉन द्वारा किए गए दावे और मध्यस्थता द्वारा इरकॉन के पक्ष में दिए जाने के विरुद्ध ग्राहक अदालत में गए, जिन्हें प्राप्य राशियों में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **178.79 करोड़ रुपए** (179.06 करोड़ रुपए) जिसमें मध्यस्थता निर्णय के अनुसार 31.03.2018 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ii) इरकॉन द्वारा उप-ठेकेदारों पर प्रति दावे किए गए और मध्यस्थताओं द्वारा इरकॉन के पक्ष मे निर्णय दिया गया जिसके विरुद्ध उपठेकेदार न्यायलय में गए, इस राशि को प्राप्य के रुप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **13.80 करोड़ रुपए** (8.92 करोड़ रुपए).

iii) बीमा दावा **0.84 मिलियन अमरीकी डालर** (0.82 मिलियन अमरीकी डालर) तथा **इथोपियन बिरा 1.00 मिलियन** (ईटीबी 0.95 मिलियन) समतुल्य **5.66 करोड़ रुपए** (5.50 करोड़ रुपए) इरकॉन के पक्ष में इथोपिया के मानानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 31.03.2018 तक परिकलित ब्याज शामिल है, जिसमें इथोपिया उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश जारी किया जाना है।

31. प्रतिबद्धताएं:

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 733.70 करोड़ रूपए (875.35 करोड़ रूपए)है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

i. संयुक्त उद्यम कंपनी में **76.82 करोड़ रुपए** (33.66 करोड़ रुपए) के शेष इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान हेतु।

ii. संयुक्त उद्यम कंपनी को **169.00 करोड़ रुपए** (52.00करोड़ रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

iii. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को **30.93 करोड़ रुपए** (2.26 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

iv. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टॉलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपतपत्र, **शून्य रुपए** (13.41 करोड़ रुपए)।

32. कंपनी के प्रति ऐसे कतिपय दावे में जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है यथा **1,098.26करोड़ रुपए** (860.98 करोड़ रुपए) निवल प्रावधान **1.13 करोड़ रुपए** (1.13 करोड़ रुपए)। यदि कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे सफल हो जाते हैं तो इनका भुगतान ग्राहकों को

करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध कंपनी का प्रतिदावा है यथा **1,062.59 करोड़ रुपए** (950.94 करोड़ रुपए)। दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया हे, क्योंकि वे अनिशिचित हैं किन्तु उनका भी पुनर्भुगतान किया जाएगा।

33. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर हेतु **0.04 करोड़ रुपए** (0.70 करोड़ रुपए)के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

34. (क) कंपनी ने आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर के लिए प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2000-2001 से 2017-18 की अवधि के लिए छह विभिन्न वर्षों (वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2013-14 तथा 2015-15) तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए धारा 801-आईए के अन्तर्गत कटौती पर की अनुमति दी गई है। इन सात वर्षों के लिए प्रावधाना को पश्चलिखित नहीं किया गया है। कंपनी ने इन वर्षों के लिए कंपनी के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत विचारधारा को निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

(ख) कंपनी डीटीएए करारों के अनुसार आय को बाहर रखने के पश्चात भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है, जहां विदेशों से अर्जित आय को कर निर्धारण के लिए उपलब्ध वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2005-06 तक अपवर्जन की विधि की अनुमति दी है । देयस कर के भुगतान के पश्चात अपीले दायर करके इस विषय का विरोध किया गया है जो आईटीएटी के समक्ष निपटान के लिए लंबित हैं।

35 (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार निगमित कम्पैनिया डोस केमिनोस डे फेरो डा बेरा एसएआरएल मोजांबीक(सीसीएफबी) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी में आपकी कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की है और इसने गैर चालू निवेश में दर्शाए अनुसार 1.25 मलियन अमरीकी डालर (**5.53 करोड़ रुपए**) का भुगतान किया गया है। कंपनी में अन्य स्टेकधारक हैं राइट्स और सीएफएम, मोजांबीक जिनकी शेयरधारिता क्रमश: 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है।

(ख) 8 दिसंबर 2011 को, मोजांबीक सरकार ने एकपक्षीय रुप से रियायत करार को समाप्त कर दिया और परियोजना को अपने हाथ में ले लिया, जो कि कंपनी के विचार से गैर कानूनी था और करार के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वस्रुप, सीसीफबी ने मोजांबीक सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मुकदमा किया। अब इस विवाद को निपटान करार के माध्यम से 21 अक्तूबर 2015 को मोजांबीक सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण रुप से सुलझा लिया गया है। निपटान करार के अनुसार, इरकॉन को 40.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की किश्तें प्राप्त होंगी जिसमें से 23.525 अमरीकी डालर (158.98 करोड़ रुपए के समतुल्य) दिनांक 31.03.2017 को प्राप्त हो गया था और 5.595 मिलियन अमरीकी डालर (36.40 करोड़ रुपए के समतुल्य) अक्तूबर 2017 को प्राप्त हो । 5.595 मिलियन अमरीकी डालर की शेष दो किश्तें 18.10.2018 तथा 18.10.2019 को देय हैं जिन्हें मोजांबीक सरकार के पुष्ट ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

36. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/ पुनर्विनियोजन/ समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध मे वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबंधन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

37. (क) लाभ और हानि के विवरण में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
i) लाभ या हानि (वित्तीय माध्मम के रुप में स्वीकार्य तथा उचित मूल्य पर अंकित को छोड़कर)	1.37	(38.35)
ii) अन्य वृहत आय	4.86	16.15
कुल	**6.23**	**(22.20)**

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटन :

अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	0.07	0.04	5.18	3.06
	जेडएआर	0.87	4.85	2.73	13.24
	बीडीटी	0.48	0.37		
	ईटीबी	0.02	0.05	0.02	0.06
	एनपीआर	1.37	0.86	1.75	1.10
व्यापार प्राप्त					
	बीटीएन	-	-	2.92	2.92
	बीडीटी	29.97	23.25	-	-
	डीजेडडी	32.85	18.81	19.66	11.65
	यूरो	1.68	130.29	0.13	9.16
	एमवाईआर	0.20	3.37	0.41	6.02
	जेडएआर	0.70	3.90	2.39	11.18
	यूएसडी	0.31	20.18	0.91	58.73
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीटीएन	-	-	0.46	0.46
	बीडीटी	2.70	2.08	5.39	4.21
	डीजेडडी	116.24	62.84	125.69	74.16
	ईटीबी	0.00	0.01	-	0.01
	यूरो	0.17	11.79	0.44	29.69
	एलकेआर	2.97	1.24	14.81	6.31
	एमवाईआर	0.43	7.30	3.10	45.35
	जेडएआर	7.02	39.17	1.14	5.34
	यूएसडी	0.66	42.28	3.25	208.29
अन्य परिसंपत्तियां					
	डीजेडडी	0.90	0.51	2.72	1.64
	ईटीबी	0.07	0.18	0.07	0.21
	एमजेडएन	0.06	0.06	-	-
	यूरो	0.32	25.70	0.05	3.68
	एलकेआर	0.22	0.09	-	-
	एमवाईआर	0.04	0.68	2.58	37.80
	बीडीटी	0.12	0.09		
	जेडएआर	4.70	26.24	0.16	0.75
	यूएसडी	1.77	114.92	1.69	108.26
	एनपीआर	2.63	1.65	2.24	1.40
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीडीटी	109.71	85.11	115.45	93.61
	यूरो	-	-	0.07	4.68

(रूपए करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
		विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में	विदेशी मुद्रा करोड़ रु. में	भारतीय मुद्रा करोड़ रु. में
	जेडएआर	-	-	4.36	21.17
	यूएसडी	-	-	0.41	26.62
व्यापार देय					
	बीटीएन	-	-	0.67	0.67
	बीडीटी	0.14	0.10	1.37	1.13
	डीजेडडी	13.26	7.59	30.44	17.96
	यूरो	0.54	42.47	0.33	22.71
	जेपीवाई	0.05	0.03	0.05	0.03
	एमवाईआर	0.02	0.36	0.27	3.89
	जेडएआर	1.56	8.73	0.24	1.14
	यूएसडी	1.18	77.80	1.84	67.50
अन्य देयताएं					
	बीटीएन	-	-	0.38	0.38
	बीडीटी	3.51	2.72	3.35	2.70
	डीजेडडी	4.85	2.77	22.59	13.33
	ईटीबी	1.36	3.23	0.10	0.27
	यूरो	0.12	9.96	0.11	7.69
	एमवाईआर	0.11	1.89	0.99	14.48
	जेडएआर	16.89	94.22	1.62	7.85
	यूएसडी	1.18	134.80	1.08	71.49
	एनपीआर	2.06	1.29	3.15	1.97

असम्मिलित विदेशी मुद्रा प्रकटन प्राकृतिक रुप से सम्मिलित हैं।

डीजेडी-अल्जीरियन दिनार, जेडएआर-दक्षिण अफ्रीका रांद, एलकेआर-श्रीलंकन रुपी, ईटीपी-इथोपियन बिररा, एमवाईआर-मलेशियन रिनगिट, एनपीआर-नेपाली रुपया, एमजेडएन-मोजांबीयन मेटिकल, बीटीएन-भूटानी नुल्ट्रम, बीडीटी-बांग्लादेशी टका, एयूडी-आस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई-जापानी येन।

38.पट्टे संबधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) - **रु. 3.55 करोड़** (रु.3.75 करोड़) (नोट सं. 23 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)

(ख) कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध मे पट्टा भुगतान - **रु. 6.66 करोड़** (रु. 6.51 करोड़) (नोट सं. 22 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) समूह ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(ख) समूह ने दिनांक 31.12.2015 तक विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) समूह ने दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न उप-पट्टाधारकों को 23 बहुउद्देशीय परिसरों को उप-पट्टे पर दिया है। जिनमें से 6 बहुउद्देशीय परिसरों का उप-पट्टा करार समाप्त हो गया है।

(घ) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है:

1. गैर आवासीय परिसरों के संबंध में पट्टा किराया - **रु.7.89 करोड़ रुपए** (रु. 8.01 करोड़ रुपए) (नोट 21 में विविध आय में शामिल किया गया है)।
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - **शून्य रुपए** (रु. 0.88 करोड़ रुपए) (नोट 20 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)।
3. 23 एमएफएस के उप-पट्टाकरण के संबंध में पट्टा किराया - **रु. 14.83 करोड़ रुपए** (रु. 13.66 करोड़ रुपए) (नोट 20 में एमएफसी पट्टे में शामिल किया गया है)।

(ड.) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध मे 31.03.2018 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

प्राप्य पट्टा किराया	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
एक वर्ष के भीतर		
- परिसर	0.37	0.37
- इंजन	शून्य	शून्य
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	18.34	17.20
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से कम		
- परिसर	2.16	2.06
- इंजन	शून्य	शून्य
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	104.89	80.21
पांच वर्ष से अधिक		
- परिसर	0.93	1.41
- इंजन	शून्य	शून्य
- बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	762.81	895.35

(च) वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा : **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2017 को		
	परिसर	इंजन	एमएफसी	परिसर	इंजन	एमएफसी
परिसिंपत्तियों की सकल वहन राशि	3.51	-	75.45	3.51	30.9	97.27
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.06	-	2.05	0.07	-	1.99
वर्ष के लिए क्षति हानि	0.00	-	---	-	0.21	-
संचित मूल्यह्रास	0.47	-	5.97	0.41	29.35	5.35

39. खण्ड रिपोर्टिंग :

क. सामान्य सूचना:

(i) कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपार्टेबल प्रचालन सेगमेंट का निर्धारण किया है।

(ii) कंपनी के जोखिम और पुरस्कार के स्रोत वैश्विक स्तर पर फैली इकाइयों से प्राप्त होते हैं इसलिए, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और घरेलू परियोजनाओं को पृथक प्रचालन सेगमेंट माना गया है।

(iii) प्रचालन सेगमेंटों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरुप हो।

(iv) इन प्रचालनिक सेगमेंटों की मॉनीटरिंग कंपनी के प्रमुख प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा की जाती है और सेगमेंट परिणामों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। सेगमेंट निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक सेगमेंट के लाभ के आधार पर किया जाता है।

ख. रिपोर्टेबल सेगमेंटों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
क. टर्नओवर						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	**588.49**	253.80	**3,412.68**	2,694.27	**4,001.17**	2,948.07
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर मे कंपनी का भाग	**26.09**	88.28	**0.25**	1.62	**26.34**	89.90
ब्याज आय	**6.02**	6.97	**135.89**	201.24	**141.91**	208.21
अन्य आय	**15.36**	5.47	**27.62**	49.68	**42.98**	55.15
अंतर:सेगमेंट	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**635.96**	354.52	**3,576.44**	2,946.81	**4,212.40**	3,301.33
ख. परिणाम						
प्रावधान, मूलयह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	**23.62**	12.09	**536.39**	502.84	**560.01**	514.93
घटा: प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**(44.46)**	(41.42)	**34.82**	32.37	**(9.64)**	(9.05)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	**4.12**	7.48	**12.29**	19.21	**16.41**	26.69
ब्याज	**0.00**	-	**-**	9.65	**-**	9.65
आपवादिक मदें	**-**	(73.69)	**-**	-	**-**	(73.69)
संयुक्त उद्यम के शेयर में लाभ/(हानि)	**-**	-	**5.16**	5.60	**5.16**	5.60
कर पूर्व लाभ	**63.96**	119.72	**494.44**	436.01	**558.40**	555.73
कर व्यय	**27.15**	65.56	**119.63**	105.98	**146.78**	171.54
कर पश्चात लाभ	**36.81**	54.16	**374.81**	330.03	**411.62**	384.19

ग. अन्य सूचना

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
परिसंपत्तियां	**604.06**	659.96	**12,174.17**	8,571.44	**12,778.23**	9,231.40
देयताएं	**465.74**	556.92	**8,550.73**	4,837.76	**9,016.47**	5,394.68
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	**0.00**	-	**276.43**	239.57	**276.43**	239.57
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर अन्य चालू परिसंपत्तियां	**30.74**	48.06	**1,642.46**	1,428.60	**1,673.20**	1,476.66
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अपूर्ति परिसंपत्तियां	**3.07**	1.12	**718.06**	530.60	**721.13**	531.72

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 48.62%(38.15%) का प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

40. अन्य निकायों से ब्याज

संयुक्त व्यवस्था के संबंध में प्रकटन

(क) गैरनिगमित संयुक्त प्रचालन:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकौन	बांग्लादेश	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	**53.00** **47.00**	53.00 47.00
3.	एक्सप्रेस फ्रेट कंसार्टियम	गुजरात, महाराष्ट्र, भारत	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	**51.00** **30.00** **19.00**	51.00 30.00 19.00
4.	एक्सप्रेस फ्रेट रेल कंसार्टियम	महाराष्ट्र भारत	मित्सुई, जापान इरकॉन, भारत टाटा प्रोजेक्ट लि., भारत	**51.00** **30.00** **19.00**	51.00 30.00 19.00

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1	रीकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	इरकॉन कोबरा-इलियोप	दिल्ली एनसीआर, भारत	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
3	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नै, भारत	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु, भारत	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
				31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
5	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दिल्ली एनसीआर, भारत	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
8	इरकॉन आरसीएस-फ्लीडरर	जम्मू और कश्मीर, भारत	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
1	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल)	महाराष्ट्र भारत	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
2	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
3	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
4	महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	ओडीशा, भारत	इरकॉन, भारत एमसीएल, भारत जीओओ, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
				31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	झारखंड भारत	इरकॉन, भारत सीसीएल, भारत जीओजे, भारत	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
6	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	छत्तीसगढ, भारत	इरकॉन, भारत एनडीएमसी, भारत सेल, भारत सीएमडीसी, भारत	26.00 43.00 21.00 10.00	26.00 43.00 21.00 10.00
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड**	नई दिल्ली, भारत	इरकॉन, भारत आरएलडीए	50.00 50.00	- -

***** रेल मंत्रालय ने दिनांक 10.04.2017 के पत्र के तहत इरकॉन से 1 प्रतिशत इक्विटी आरएलडीए को अंतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे स्वामित्व में संशोधन होगा और गैर नियंत्रण हित 50:50 होगा।**

ग. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 31(ख) में प्रकट किया गया है।

41. संबधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल)
- इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)
- इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड(आईडीडीएचएचएल)
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), 18 सितंबर 2017 तक।

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 40(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 40(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

निदेशक : श्री एस.के.चौधरी, श्री एम.के.सिंह, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना 28 मार्च, 2018 तक।

निदेशक (कार्यालयी सरकारी नामिती): श्री राजीव चौधरी, श्री एस.सी जैन दिनांक 3 जनवरी 2017 से 17 नवंबर 2017 तक, श्री वेद पाल दिनांक 22 नवंबर 2017 से।

स्वतंत्र निदेशक: श्री अविनीश माटा, सुश्री वसुधा वी. कामत, डॉ सी बी वेंकटरमण, 29 सितंबर 2017 से, डॉ नरेन्द्र सिंह रैना, 17 अक्तूबर 2017 से, और श्री अशोक कुमार गंजू, 8 मार्च 2018 से तथा श्री संजय कुमार सिंह, 02 जुलाई 2018 तक।

कंपनी सचिव - श्रीमती सुमीता शर्मा, 27 अक्तूबर 2017 तक
सुश्री इटि माटा, 1 नवंबर 2017 से 4 जनवरी 2018
सुश्री रितु अरोड़ा, 4 जनवरी, 2018 से

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2017-18	2016-17	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक (उपर्युक्त ख) तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क	नोट सं. 42 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययो सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार			
संयुक्त व्यवस्था / संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	-	0.70	प्रदत्त ब्याज
इरकॉन एफकॉन	0.46	-	उपकरण और सामग्री की खरीद
कुल	**0.46**	**0.70**	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार			
संयुक्त व्यवस्था / संयुक्त उद्यम			
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	0.03	0.03	परिसरों के लिए किराया
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	189.85	130.07	परामर्श एवं कार्य प्राप्तियां
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	10.44	6.26	ऋण पर ब्याज
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	60.50	37.51	परामर्श प्राप्तियां
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	3.08	4.87	ऋण पर ब्याज
इरकॉन एफकॉन जेवी	-	0.20	ऋण पर ब्याज
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	6.66	5.54	परामर्श और कार्य प्राप्तियां
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)	24.00	-	
झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)	3.77	-	परामर्श और कार्य प्राप्तियां
कुल	**298.33**	**184.48**	
4. संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश			
संयुक्त व्यवस्था / संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	-	43.41	
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	-	130.00	
बस्तर रेल प्राइवेट लि.(बीआरपीएल)	-	1.18	
झारखंड मध्य रेल लिमिटेड (जेसीआरएल)	11.70	1.30	
सीसीएफबी		(5.53)	विनिवेश
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि (आईआरएसडीसी)	20.00	-	शेयर आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि (आईआरएसडीसी)	(0.40)	-	विनिवेश

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		कारारों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2017-18	**2016-17**	**संव्यवहार की प्रकृति**
5. संयुक्त व्यवस्थाओं के लिए ऋण			
संयुक्त व्यवस्था / संयुक्त उद्यम			
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	26	78.00	ऋण संवितरण
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	(143.00)	-	ऋण पुनर्भुगतान
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	39.00	19.50	ऋण संवितरण
छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)	(39.00)		ऋण पुनर्भुगतान
इरकॉन एफकॉन जेवी		7.50	ऋण संवितरण
इरकॉन एफकॉन जेवी		(7.50)	ऋण पुनर्भुगतान
6. प्रतिनियुक्त स्टाफ व्यय, किराया व अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति आय			
संयुक्त व्यवस्था / संयुक्त उद्यम			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि (आईआरएसडीसी)	4.23	-	वर्ष संव्यवहार के दौरान किराया और बिजली
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	-	0.56	प्रतिपूर्ति
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि (आईआरएसडीसी)	-	1.51	
महानदी कोयला रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)	0.28	-	प्रतिपूर्ति
इरकॉन एफकॉन जेवी	-	-	प्रतिपूर्ति
ट्रस्ट	-		
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	7.77	7.82	प्रतिपूर्ति
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	14.34	-	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि ट्रस्ट	34.12	28.52	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन पेंशन ट्रस्ट	8.84	7.61	ट्रस्ट में अंशदान
इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट	-	3.38	ट्रस्ट में अंशदान
कुल	**69.58**	**49.40**	

(V) संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्राप्य राशि		
(1) संयुक्त उपक्रमों को बकाया ऋण (संचित ब्याज सहित)		
संयुक्त व्यवस्था/संयुक्त उद्यम	**39.01**	**171.44**
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	-	127.67
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	39.01	43.77
(2) अन्य सेवाओं, प्रतिपूर्ति आदि हेतु		
संयुक्त व्यवस्था/संयुक्त उद्यम		
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि (आईआरएसडीसी)	0.71	0.48
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	7.23	7.71
बस्तर रेल प्राइवेट लि.(बीआरपीएल)	28.32	-
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	36.31	41.29
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	54.72	5.29
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	0.58	4.72
एक्सप्रेस फ्रेट कॉरीडोर (ईएफसी)	0.18	
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसॉर्टियम (ईएफआरसी)	0.15	
रीकॉन	-	0.44
ट्रस्ट		
इरकॉन उपदान ट्रस्ट	1.12	2.26
संयुक्त व्यवस्थाएं के लिए देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
संयुक्त व्यवस्था/संयुक्त उद्यम		
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	-	28.15
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	-	18.57
इरकॉन एफकॉन जेवी	-	7.80
महानदी कोल रेल लि. (एमसीआरएल)	-	0.02
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	3.05	
2) अग्रिम कार्य प्राप्तियां		
संयुक्त उद्यम		
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	8.87	5.52
बस्तर रेल प्राइवेट लि.(बीआरपीएल)	9.78	-
3) अग्रिम प्राप्तियां		
संयुक्त व्यवस्था/संयुक्त उद्यम		
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	0.62	5.00
ट्रस्ट		
उपदान ट्रस्ट	14.34	

घ) संबंधित सरकारी निकायों के साथ संव्यवहार

उपर्युक्त प्रस्तुत संव्यवहारों के अतिरिक्त, कंपनी के सरकारी निकायों से संबंधित संव्यवहार है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु उनतक ही सीमित नहीं हैं:

सरकार का नाम:रेल मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण)

कतिपय महत्वपूर्ण संव्यवहार और अंत शेष:

वर्ष के दौरान संव्यवहार :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
i)	बिक्री	1,733.28	1,265.20
ii)	ब्याज आगे दिया गया	166.61	159.36
iii)	प्रदत्त लाभांश	191.87	183.73
iv)	अग्रेषित लाभांश	2.33	1.45

नोट: क्रय विविध प्रकृति की हैं, इसलिए अनावश्यक हैं। इसलिए इसे प्रकट नहीं किया गया है।

अंतशेष:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
i)	प्राप्य	89.51	88.16
ii)	बिल योग्य राजस्व/प्राप्य जो देय नहीं	68.97	68.50
iii)	वसूलीयोग्य दावे	-	0.87
iv)	प्राप्त अग्रिम	2,714.83	3,247.36
v)	अग्रिम कार्य प्राप्तियां	1.58	0.38
vi)	रेल मंत्रालय के अंतर्गत आईआरएफसी से ऋण	3,200.00	-
vii)	आरएलडीए को पट्ट के प्रति अग्रिम भुगतान	2,580.00	-

42. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2016-17
I	वेतन और भत्ते*	2.10	1.51
II	भविष्य निधि में अंशदान	0.18	0.14
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.02	0.03
IV	बैठक शुल्क	0.14	0.07
V	अन्य लाभ	0.26	0.33
	कुल	**2.70**	**2.08**

दिनांक 31.03.2018 को श्री एम.के.सिंह को बकाया ऋण 1.16 लाख रुपए (1.64 लाख रुपए) है।

* वित्तीय वर्ष 2017-18 के आंकडों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वर्ष के दौरान प्रदत्त 0.13 करोड़ रुपए का पीआरपी शामिल है। निदेशकों को धारक कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

43. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 2 के साथ पठित कंपनी अधिनियम के खंड 133 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित एसए-36 "परिसंपत्तियों की हानि" की शर्तों के अनुसार वसूलीयोग्य मूल्य तथा प्रतिधारण लागत की निवल के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है ।

तदनुसार ह्रास हानि **शून्य रुपए** (1.26 करोड़ रुपए) है।

44. कर्मचारी लाभ पर एएस-19 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

धारक कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में **11.81 करोड़ रुपए** (10.84 करोड़ रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

धारक कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रुप में कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। 31.03.2018 को **14.34 करोड़ रुपए** की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

पेंशन

धारक कंपनी ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी में 15 वर्ष की सेवा(अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015-16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **6.32 करोड़ रुपए** कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2017-18 के दौरान लेखांकित किया गया है। मार्च 2018 में **0.77 करोड़ रुपए** (0.51 करोड़ रुपए) की देयता के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

धारक कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **12.81 करोड़ रुपए** (8.32 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

धारक कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

धारक कंपनी ने इंड एएस-19 के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ-हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

(i) सेवा लागत **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू सेवा लागत	3.72 (3.55)	4.04 (3.40)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ख)	विगत सेवा लागत, लाभ/हानियों की कटौती सहित	8.94 (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ग)	गैर-नियमित निपटानों पर लाभ या हानियां	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
घ)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	-- (--)	-- ((26.66))	-- (--)	-- (--)
	कुल	**12.66** **(3.55)**	**4.04** **((23.26))**	**0.01** **(0.01)**	**3.45** **(2.63)**

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(ii) निवल ब्याज लागत

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निर्धारित लाभ दायित्वों पर ब्याज लागत	5.32 (5.40)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	6.15 (5.35)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय (संभावित)	5.38 (5.02)	-- (--)	-- (--)	5.03 (4.45)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	(0.07) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

(iii) वर्तमान लाभ दायित्वों में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	70.89 (72.06)	54.25 (80.90)	0.33 (0.23)	81.95 (71.27)
ख)	आरंभ में एचपीएल अवकाश दिन शेष में अंतर	- (-)	- ((26.66))	- (-)	- (-)
ग)	ब्याज लागत	5.32 (5.40)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	6.15 (5.35)
घ)	सेवा लागत	3.72 (3.55)	4.03 (3.40)	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ड.)	बीमांकित (लाभ)/हानि की कटौती के पश्चात पूर्ण सेवा लागत	8.94 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
च)	प्रदत्त लाभ	(9.24) ((5.56))	(8.97) ((4.90))	(0.02) ((0.08))	(1.82) ((1.11))
छ)	दायित्वों पर कुल बीमांकित (लाभ)/हानि	2.41 ((4.57))	3.73 ((2.56))	(0.31) (0.16)	7.30 (3.82)
ज)	इस अवधि के समाप्त होने पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.04** (70.89)	57.12 (54.25)	0.04 (0.33)	97.02 (81.95)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

**त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के 7,59,722 रुपए के दायित्व को पीबीओ में शामिल किया गया है।

(iv) दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	जनांकिक अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	-- (--)	-- (--)	-- (--)	- (-)
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) हानि	2.41 ((4.57))	3.73 ((2.56))	(0.31) (0.16)	7.30 (3.82)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(v) योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित (लाभ)/हानि

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अनुमानित ब्याज आय	5.38 (5.02)	- (--)	- (--)	5.03 (4.45)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.16 (5.56)	- (--)	- (--)	4.87 (5.46)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-- ((0.29))	- (--)	- (--)	-- (--)
घ)	परिसंपत्ति पर बीमांकक लाभ(हानि)	(0.22) (0.24)	- (--)	- (--)	(0.16) (1.00)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(vi) तुलनपत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	82.04 (70.89)	57.12 (54.25)	0.04 (0.33)	97.02 (81.95)
ख)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	67.69 (71.77)	-- (--)	-- (--)	70.19 (67.12)
ग)	तुलन पत्र में गैर वित्तपोषित देयता/प्रावधान	(14.35) (0.87)	(57.12) ((54.25))	0.04 ((0.33))	(26.84) ((14.83))
घ)	तुलन पत्र में स्वीकार गैर-वित्तपोषित देयता	(14.35) (0.87)	(57.12) ((54.25))	0.04 ((0.33))	(26.84) ((14.83))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(vii) आय विवरण में स्वीकार्य राशियां

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	12.66 (3.55)	4.03 ((23.26))	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ख)	निवल ब्याज लागत	(0.07) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार निवल बीमांकक लाभ(हानि)	-- (--)	3.73 ((2.56))	-- (--)	-- (--)
घ)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकित लाभ/(हानि)	- (-)	- (-)	(0.31) ((0.16))	- (-)
ड.)	आयकर विवरण में स्वीकार आय	12.60 (3.93)	11.84 ((21.75))	(0.28) (0.03)	4.56 (3.52)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(viii) अन्य वृहत आय (ओसीआई)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	निवल संचित अस्वीकार्य बीमांकक लाभ/(हानि) आरंभिक	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ/(हानि)	(2.41) (4.57)	-- (--)	-- (--)	(7.30) ((3.82))
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकक लाभ/(हानि)	(0.22) (0.24)	-- (--)	-- (--)	(0.16) (1.01)
घ)	वर्ष के अंत में गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/(हानि)	(2.63) (4.81)	-- (--)	-- (--)	(7.46)** ((2.81))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

** **7.46 करोड़ रुपए** (2.81 करोड़ रुपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक घाटे में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति **7.65 करोड़ रुपए** (2.97 करोड़ रुपए) का घाटा और निपटान भत्ते के प्रति देयता के संबध में **0.19 करोड़ रुपए** (0.16 करोड़ रुपए) का लाभ शामिल है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रुप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

(ix) योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	71.77 (66.96)	-- (--)	-- (-)	67.12 (59.38)
ख)	योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक आय	5.47 (5.56)	-- (--)	-- (-)	4.87 (5.46)
ग)	एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	(0.31) ((0.30))	-- (--)	-- (-)	- (--)
घ)	नियोक्ता अंशदान	-- (5.11)	-- (--)	-- (-)	- (3.38)
ड.)	प्रदत्त लाभ	(9.24) ((5.56))	-- (--)	-- (-)	(1.80) ((1.10))
च)	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	67.69 (71.77)	-- (--)	-- (-)	70.19 (67.12)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(x) योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्त्यिों के प्रतिशत के रुप में)

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ग)	उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
ड.)	संपत्ति	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100% (100%)	-- (--)	-- (-)	100% (100%)
छ)	बैंक शेष	-- (--)	-- (--)	-- (-)	-- (--)
	कुल	**100%** **(100%)**	**--** (-)	**--** (-)	**100%** **(100%)**

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xi) निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	अवधि के आरंभ में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता	(0.88) (5.11)	54.25 (80.90)	0.33 (0.23)	14.83 (11.89)
ख)	सेवा लागत	12.66 (3.55)	4.04 ((23.26))	0.01 (0.01)	3.45 (2.63)
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	(0.07) (0.38)	4.07 (4.07)	0.03 (0.02)	1.11 (0.89)
घ)	पुनर्मापन	2.63 ((4.81))	3.73 ((2.56))	(0.31) (0.16)	7.46 (2.81)
ड.)	निधि में प्रदत्त अंशदान	(--) ((5.11))	-- (--)	-- (--)	-- ((3.38))
च)	उद्यमी द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-- (--)	(8.97) ((4.90))	(0.02) ((0.08))	(0.01) ((0.02))
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	14.35 ((0.88))	57.12 (54.25)	0.04 (0.33)	26.84 (14.83)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xii) चालू और गैर चालू श्रेणी में वर्ष के अंत में बीपीओ का द्विभाजन

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	8.70** (7.31)	4.57 (4.52)	0.01 (0.03)	1.97 (2.01)
ख)	गैर चालू देयता (एक वर्ष से ऊपर देय राशि)	73.33 (63.58)	52.53 (49.73)	0.03 (0.30)	95.05 (79.93)
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**82.04** **(70.88)**	**57.12** **(54.25)**	**0.04** **(0.33)**	**97.02** **(81.95)**

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

** त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों के 7,59,722 रुपए के दायित्व को पीबीओ में शामिल किया गया है।

(xiii) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानि अंशदान

क्र.सं	विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
क)	सेवा लागत	4.42 (3.73)	4.68 (3.71)	0.01 (0.02)	3.87 (2.82)
ख)	निवल ब्याज लागत	1.08 ((0.07))	4.28 (4.07)	-- (0.03)	5.05 (4.39)
ग)	अवधि के लिए स्वीकार्य निवल बीमांकक (लाभ)/हानि	-- (--)	-- (1.90)	-- (--)	-- (--)
घ)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनुमानित व्यय	5.50 (3.67)	8.96 (9.67)	0.01 (0.05)	8.92 (7.22)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(xiv) परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदी विश्लेषण

(क) रियायती दर पर परिवर्तन का प्रभाव					
क्र.सं	**विवरण**	**उपदान**	**अवकाश नकदीकरण***	**एलटीसी**	**अन्य सेवानिवृत्ति लाभ**
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.04	57.12	0.04	97.02
i)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2.35)	(2.17)	-	(2.80)
ii)	0.50% की कम के करण प्रभाव	2.50	2.34	-	2.97

(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
	अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	82.04	57.12	-	1.29
i)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	1.25	2.32	-	0.05
ii)	0.50% की कम के करण प्रभाव	(1.29)	(2.17)	-	(0.05)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

(पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रकाष्ठ ( ) में दर्शाया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों को पृथक रुप से दर्शाया जा सके।)

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेशनों की दर, सेवनिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रुप में लागू नहीं है।

(XV) बीमांकक अनुमान

क) प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
ख) रियायती दर	7.50 %
ग) क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि दर	8.00 %
घ) सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत शेष आयु	12.19 से 13.19 वर्ष
ड.) लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	10.14 से 10.77 वर्ष

45. प्रगतिरत संविदाओं के लिए संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस-11 के अंतर्गत प्रकटन*

क) संविदा राजस्व के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : समापन का प्रतिशत।

ख) प्रगतिरत संविदाओं के समापन के स्तरों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि : रिपोर्टिंग तिथि तक प्रमाणित कार्य पर लगाई गई लागत से संविदा की कुल अनुमानित लागत का अनुपात।

ग) अन्य ब्यौरा:

ब्यौरा		31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
क)	अवधि में राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	3,780.74	2,889.62
ख)	वहन की गई लागत की सकल राशि और स्वीकृत लाभ (घटा: स्वीकृत घाटे)	12,696.95	12,967.41
ग)	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	690.93	3,288.64
घ)	प्रतिधारण राशियां (ग्राहकों द्वारा)	86.45	50.05
ड.)	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकली राशि	410.70	305.65

46. कंपनी को अपने कुछ आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि वे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को **5.67 करोड़ रुपए** (शून्य रुपए) की राशि देय है।

47. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च की जानो वाली अपेक्षित सकल राशि **7.87 करोड़ रुपए** (6.87 करोड़ रुपए)।

(ii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए अपेक्षित **8.86 करोड़ रुपए** (5.92 करोड़ रुपए) की राशि में से **7.87 करोड़ रुपए** (6.87 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2017-18	2016-17
1.	भुखमरी, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।	3.74	1.45
2.	व्यावसायिक कौशनों को प्रोत्साहित करने वाली विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन, विशेष रुप से बच्चों हेतु।	3.10	0.84
3.	महिलाओं औरा अनाथ बच्चों के लिए होम तथा हॉस्टलों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्डएज होम की स्थापना, डे-केयर केन्द्रों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ।	-	-
4.	पर्यावरणीय धारणीयता को सुनिश्चित करना।	1.88	3.18
5.	ग्रामीण विकास परियोनजाएं।	0.14	0.46
	कुल	**8.86**	**5.93**

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि **(रूपए करोड़ में)**

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण*	0.85	-	0.85
2.	अन्य प्रयोजन	8.01	-	8.01

*खरीदी गई परिसंपत्तियों को संबंधित संगठनों को सौंपा गया और इसे कंपनी द्वारा नहीं रखा गया है।

(iv) अभी किए जाने वाले सीएसआर व्यय **शून्य रुपए** (0.95 करोड़ रुपए) हैं।

48. प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

(राशि रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूल ईपीएस		
निरंतन प्रचालनों से	42.13	38.81
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस*	42.13	38.81

*विलयित ईपीएस राशियां मूल ईपीएस के समान ही होती हैं क्योंकि कंपनी के कोई विलेय संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निम्नलिखित मूल ईपीएस परिकलनों में प्रयुक्त आय और शेयर डाटा को प्रदर्शित करते हैं:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ:		
निरंतन प्रचालनों से	411.62	384.19
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल आमदनियों के लिए इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ	**411.62**	**384.19**

निम्नलिखित मूल ईपीएस के परिकलन में प्रयुक्त वेटेज औसत संख्या के शेयरों को प्रदर्शित करता है:

(शेयरों की संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	9,76,97,259	9,89,80,000
विलयन का प्रभाव :		
विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या *	**9,76,97,259**	**9,89,80,000**

* वर्ष के दौरान ट्रैंजरी शेयर संव्यवहारों में परिवर्तन के भारित औसत प्रभाव के लिए शेयरों के भारित औसत संख्या को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टिंग तिथि और इन वित्तीय विवरणों के प्राधिकरण की तिथि के बीच इक्विटी शेयरों या संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई अन्य संव्यवहार नहीं हुए हैं।

49. सेवा रियायत करार (एससीए)

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत करारों को परिशिष्ट-क - सेवा रियायत करारों (इंड एएस-11) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट-क लागू होगा यदि

क) अनुदाता अवसंरचना के साथ प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई जानें वाली सेवाओं को नियंत्रित या विनियमित करता है, इन सेवाओं को किसे प्रदान किया जाएगा और किस कीमत पर, और

ख) अनुदाता इस करार की अवधि समाप्त होने पर अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित को स्वामित्व, लाभार्थी पात्रता के माध्यम से या अन्यता नियंत्रित करता है। यदि उपर्युक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तो, अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जिस स्तर तक प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता से प्रभार वसूलने का अधिकार रखती है, बशर्ते ये प्रभार प्रयुक्त सेवा के स्तर पर शर्तगत हो।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को आरंभिक रुप से लागत पर स्वीकार किया जाता है, जो कि उपलब्ध सेवा के उचित मूल्य जमा प्रचालन से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार्य है। इन्हें तत्पश्चात रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

समूह ने शिवपुरी -गूना खंड को चार लेन का बनाने और फलौदी-बीकानेर खंड को चार लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत करार पर प्रवेश किया है, जिसकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (अदाता) ने परियोजनाओं के विकास, वित्तीयन, अभिकल्प, इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण करने तथा इस परियोजना के समापन पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकार प्राधिकारों तथा पात्रताओं के प्रयोग तथा/या लाभ प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है। उक्त करार की शर्तों के अनुसार समूह का शिवपुरी गूना खंड को चार लेन का बनाने और फलौदी बीकानेर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने और सभी पनियोजना परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना परिसंपत्तियों को उचित क्रियाशील स्थिति में रखने का का दायित्व है । नियुक्ति तिथि से आरंभ होते हुए रियायत अवधि शिवपुरी गूना परियोजना के लिए 20 वर्ष तथा फलौदी बीकानेर परियोजना के लिए 26 वर्ष होगी। रियायत अवधि के समाप्त होने पर, परिसंपत्तियों को वापस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अंतरित किया जाएगा।

इरकॉन द्वारा निगमन एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसर एनएचपीडी चरण -5 के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राड एनुविटी परियोजना के रुप में निष्पादितकी जाने वाल कर्नाटका राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना रा.रा-4) के किमी 260 +000 से किमी 338 +923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए दिनांक 29.03.2017 को एनएचएआई द्वारा जारी एलओए के अनुसारण में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा एसपीवी के रुप में दिनांक 11.05.2017 को निगमित किया गया है।

वर्तमान में, यह परियोजना निष्पादन चरण में है और निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात प्रचालन और अनुरक्षण चरण आरंभ होगा।

समूह ने सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **687.56 करोड़ रुपए** (472.29करोड़ रुपए) के राजस्व को स्वीकार किया है। समूह ने सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **38.58 करोड़ रुपए** (16.32 करोड़ रुपए) के लाभ को स्वीकार किया है। सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में स्वीकार राजस्व सेवा रियायत करार के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रति उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने निर्माण के प्रक्रिया आरंभ होने से अबतक टोल सड़कों के प्रचालन से किसी राजस्व को स्वीकार नहीं किया है।

50. कंपनी ने तीन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए सविदाएं प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एजेंटों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। एजेंट/परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के आकलन के लंबित होने के कारण, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान **1.16 करोड़ रुपए** (पिछले वर्ष 1.36 करोड़ रुपए) सहित **4.96 करोड़ रुपए** (3.80 करोड़ रुप) के समेकित व्ययों को लेखांकित नहीं किया है।

51. वित्तीय गारंटी

क) धारक कंपनी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रियायत करार के समाप्त होने पर अपने देयों में कमी, यदि कोई हो, को 50 प्रतिशत पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए दीर्घकालीन ऋण सुविधा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंकको वित्तीय गारंटी जारी की है कि । 31.03.2018 को बकाया ऋण **शून्य रुपए** (63.07 करोड़ रुपए)। उक्त गारंटी को इंड एएस 109 के अनुसार स्वीकार किया गया है। आईएसटीपीएल ने चालू अवधि के दौरान ऋण राशि का भुगतान कर दिया है।

ख) समूह समेकित वित्तीय विवरणों में समानप लेखांकन नीतियों का प्रयोग करता है जैसे आईएसटीपीएल के मामले को छोड़कर समान परिस्थितियों में संव्यवहार और घटनाएं, जहां उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी इंड एएस-109 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार वित्तीय गांरटी नीति लागू नहीं करती है।

तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में उपयुक्त समायोजन किए गए हैं और निम्नलिखित राशियों को स्वीकार नहीं किया गया है:

आईएसटीपीएल में निवेश : **शून्य रुपए** (0.28 करोड़ रुपए), अन्य वित्तीय देयताएं : **शून्य रुपए** (0.04 करोड़ रुपए) और अन्य आय: **शून्य रुपए** (0.09 करोड़ रुपए)।

52. उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत एक परियोजना में, 11.52 करोड़ रुपए की राशि के विधिक व्ययों के संबंध में विधिक मत के आधार पर लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है जोकंपनी की प्रथमिक देयता नहीं है।

53. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रबंधन द्वारा लिए गए विशेषज्ञ मद के आधार पर, यह निर्णय लिया गया था कि ग्राहकों और ठेकेदारों के पास जमा बट्टा खाता प्रतिभूमि, ग्राहकों और ठेकेदारों के पास प्रतिधारण राशि तथा ग्राहकों के पास रोकी गई राशि के प्रभाव वित्तीय विवरणों को तैयार करने व प्रस्तुत करने के लिए सामग्रीगत नहीं हैं। इंड एएस 8 - लेखंकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन में प्रावधान है कि इंड एएस द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है यदि उनके उपयोग का प्रभाव अनावश्यक है। इसलिए, इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि इसे बट्टा खाता बंद किया जाए, जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान वर्ष में वित्तीय देयतओं की वहन मूल्य **48.70 करोड़ रुपए** तक बढ गया है, वित्तीय सम्पत्तियों में **6.45 करोड़ रुपए** की वृद्धि हुई है, गैर-वित्तीय देयताओं में **42.70 करोड़ रुपए** की कमी हुई है और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों में **6.24 करोड़ रुपए** की कमी हुई है। इसके परिणामस्वरुप चालू वर्ष के लाभ और हानि में **0.80 करोड़ रुपए** का निवल प्रभाव पड़ा है, जो कि वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

54. कुछे क्षेत्रों में आरंखणों के अनुमोदन में विलंब, स्थानीय ग्रामवासियों की मांग, उपयोगिता परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण तथा उपलब्धता, वन क्लियरेंस आदि से संबंधित मुद्दों के कारण कार्य अभी आरंभ होना है/विलंबित हुआ है। इन प्रचालनिक मामलों के कारण, परियोजना माइलस्टोन -।। तथा ।।। को प्राप्त करने में विलंब हुआ है। कंपनी ने एनएचएआई से अनुरोध किया है कि कंपनी के भाग में क्षतिपूर्ति वित्तीय दंड के बिना रियायत करार के खंड 12.4.2 के अंतर्गत माइलस्टोन समयसीमा को आशोधित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने 31 मई 2018 क्षतिपूर्ति के कारण एक राशि (31 मार्च 2018 - 160.45 लाख रुपए) की कटौती की है क्योंकि विलंब आईपीबीटीएल की ओर से नहीं हुआ। इस प्रकार, आईटीबीटीएल विलंब के प्रति इस दावे को देयता या आकस्मिक देयता के रुप में स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी का दृष्टिकोण है कि विलंब आईपीबीटीएल के कारण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 तक एनएचएआई द्वारा काटी गई 160.45 लाख रुपए की राशि को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूलीयोग्य (शोध्य) दर्शाया गया है।

55. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली घटनाएं

कृपया निदेशकों द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए नोट 14 का संदर्भ लें जो कि आगामी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

56. जारी मानक किन्तु जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी नहीं

(क) इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व :

निगमित कार्य मंत्रालय ने इंड एएस-11 निर्माण संविता और इंड एएस-18 राजस्व के अधिक्रमण में 1 अप्रेल 2018 को और उसके पश्चात आरंभ होने वाली अवधि के संबंध में इंड एएस-115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को अधिसूचित किया है।

कंपनी की वर्तमान राजस्व निर्धारण नीति व्यापक स्तर इंड एएस-115 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरुप है। प्रबंधन इंड एएस-115 के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और 31 मार्च 2018 को कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा इसके क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष यथा 1 अप्रैल 2018 से आरंभ होने वाला वित्तीय वर्ष से कंपनी के परिणामों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा

57. कतिपय पूर्व अवधि राशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरुपता हेतु पुन:वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों से प्रचालनों के निर्धारित परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

नोट 58

(i) भारतीय लेखा मानक (इंड एएस-112) के अनुसरण में प्रकटन : अन्य निकायों में हित का प्रकटन : संयुक्त उद्यम

(क) संयुक्त उद्यम (उद्यमों) के सारबद्ध तुलनपत्र

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड (बीआरपीएल)		छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)		छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
गैर चालू परिसंपत्तियां	34.23	10.23	1134.97	786.45	562.38	302.21	26.66	20.24
चालू परिसंपत्तियां	0.73	3.09	34.45	81.59	29.43	399.38	40.97	24.37
कुल परिसंपत्तियां (क)	**34.96**	**13.32**	**1,169.42**	**868.04**	**591.81**	**701.59**	**67.63**	**44.61**
गैर चालू देयताएं	-	-	838.86	189.16	54.03	167.16	0.06	0.05
चालू देयताएं	33.86	9.81	25.13	373.29	34.19	30.68	4.79	4.52
कुल देयताएं (ख)	**33.86**	**9.81**	**863.99**	**562.45**	**88.22**	**197.84**	**4.85**	**4.57**
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	**1.10**	**3.51**	**305.43**	**305.59**	**503.59**	**503.75**	**62.78**	**40.04**
क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य सहित	0.70	3.09	13.87	76.83	21.10	386.21	0.31	4.09
ख) इसमें वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय, प्रावधानों को छोड़कर)	33.86	9.81	863.54	560.98	87.81	193.94	4.31	3.87

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा.लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)		महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
गैर चालू परिसंपत्तिया	465.19	559.81	188.35	180.58	33.62	14.20
चालू परिसंपत्तियां	50.23	17.06	40.08	27.67	0.25	0.03
कुल परिसंपत्तियां (क)	**515.42**	**576.87**	**228.43**	**208.25**	**33.87**	**14.23**
गैर चालू देयताएं	437.16	503.20	175.58	175.58	-	-
चालू देयताएं	23.47	28.23	3.51	-	33.84	14.19
कुल देयताएं (ख)	**460.63**	**531.43**	**179.09**	**175.58**	**33.84**	**14.19**
निवल परिसंपत्तियां (क-ख)	**54.79**	**45.44**	**49.34**	**32.67**	**0.03**	**0.04**
क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य सहित	5.60	6.94	0.36	-	0.21	0.01
ख) इसमें वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देय और अन्य देय, प्रावधानों को छोड़कर)	376.09	471.24	-	-	22.87	9.68

नोट 58

(i) इंड एएस-112 के अनुसरण में प्रकटन : अन्य निकायों में हित का प्रकटन : संयुक्त उद्यम

(ख) संयुक्त उद्यम (उद्यमों) के सारबद्ध लाभ और हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड (बीआरपीएल)		छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)		छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
राजस्व	-	-	-	-	-	-	8.03	0.15
ब्याज आय	0.08	0.02	-	-	-	0.01	1.69	1.76
अन्य आय	-	-	-	-	-	-	0.26	0.20
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	-	-	-	-	-	-	1.58	5.65
ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
आयकर	-	-	-	-	-	-	(0.80)	(0.10)
वर्ष के लिए लाभ	(2.41)	(0.09)	(0.16)	(0.15)	(0.15)	(0.07)	2.74	(4.54)
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वृहत आय	(2.41)	(0.09)	(0.16)	(0.15)	(0.15)	(0.07)	2.74	(4.54)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा.लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)		महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
राजस्व	175.87	153.34	-	-	-	-
ब्याज आय	1.95	2.90	1.72	0.38	-	-
अन्य आय	0.07	1.65	-	-	-	-
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	58.29	58.31	-	-	-	-
ब्याज व्यय	51.71	56.15	-	0.21	-	-
आयकर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	9.34	11.70	(0.03)	(0.58)	(0.01)	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-
कुल वृहत आय	9.34	11.70	(0.03)	(0.58)	(0.01)	-

नोट 58

(i) भारतीय लेखा मानक (इंड एएस-112) के अनुसरण में प्रकटन : अन्य निकायों में हित का प्रकटन : संयुक्त उद्यम

(ग) संयुक्त उद्यमों की प्रतिधारण राशियों का समायोजन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लिमिटेड (बीआरपीएल)		छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)		छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	3.51	-	305.59	138.79	503.75	3.82	20.00	44.58
वर्ष के लिए लाभ	(2.41)	(0.09)	(0.16)	(0.15)	(0.15)	(0.07)	2.74	(4.54)
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	2.43	-	166.95	-	500.00	-	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यमों को घटक		-	-	-	-	-	-	
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	-	1.17	-	-	-	-	20.00	-
समापन निवल परिसंपत्तियां	**1.10**	**3.51**	**305.43**	**305.59**	**503.59**	**503.75**	**42.74**	**40.04**
समूह का भाग % में								
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	32.82%	0.53%	27.31%	27.31%	26.02%	26.02%	50.00%	51.00%
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में	0%	100%	-	-	-	-	-	-
समूह का भाग								
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	0.36	0.01	83.42	83.47	131.04	131.08	21.37	20.42
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में	0.00	1.17	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	**0.36**	**1.18**	**83.42**	**83.47**	**131.04**	**131.08**	**21.37**	**20.42**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा.लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)		महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	45.45	33.75	32.67	(0.06)	0.04	0.04
वर्ष के लिए लाभ	9.34	11.70	(0.03)	(0.58)	-	-
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	16.69	4.51	-	-
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यमों को घटक	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन (आवेदन राशि लंबित आवंटन)	-	-	-	28.80	-	-

(रूपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉन - सोमा टोलवे प्रा.लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)		महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	
	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को
समापन निवल परिसंपत्तियां	**54.79**	**45.45**	**49.33**	**32.67**	**0.04**	**0.04**
समूह का भाग % में						
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	50.00%	50.00%	26.00%	28.86%	26.00%	26.00%
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में	-	-	-	-	-	-
समूह का भाग						
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी व लाभ में	27.39	22.72	12.83	1.12	0.01	0.01
(ii) आवेदन राशि लंबित आवंटन में	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	**27.39**	**22.72**	**12.83**	**1.12**	**0.01**	**0.01**

(ii) 31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

(रूपए करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल परिसंपत्तियां यथा कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या (हानि) में भाग		अन्य वृहत आय में भाग		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित अन्य वृहत आय के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित कुल वृहत आय के % के रुप में	राशि (रु.)
मूल कंपनी								
इरकॉपन इंटरनेशनल लिमिटेड	81.31%	3,058.81	95.09%	391.41	100.00%	1.38	95.11%	392.79
सहायक कंपननियां								
इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लि. (आईएसजीटीएल)	3.98%	149.67	-0.01%	-0.06	0.00%	-	-0.01%	-0.06
इरकॉन पीबी टोलवे लि. (आईपीबीटीएल)	4.49%	168.92	0.20%	0.83	0.00%	-	0.20%	0.83
डीएचएचएल	0.02%	0.68	0.15%	0.63	0.00%	-	0.15%	0.63
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड (आईआईएसएल)	2.85%	107.25	3.32%	13.65	0.00%	-	3.31%	13.65
कुल सहायक कंपनियां		**426.52**		**15.05**		**-**		**15.05**
सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हित	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
सहायक कंपनियों में निवल राशि		**426.52**		**15.05**	**-**	**-**		**15.05**

(रूपए करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल परिसंपत्तियां यथा कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या (हानि) में भाग		अन्य वृहत आय में भाग		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित लाभ व हानि के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित अन्य वृहत आय के % के रुप में	राशि (रु.)	समेकित कुल वृहत आय के % के रुप में	राशि (रु.)
संयुक्त उद्यम								
बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)	0.01%	0.36	-0.19%	(0.79)	0.00%	-	-0.19%	(0.79)
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	2.22%	83.42	-0.01%	(0.04)	0.00%	-	-0.01%	(0.04)
छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	3.48%	131.04	-0.01%	(0.04)	0.00%	-	-0.01%	(0.04)
इरकॉन -सोमा टोलवे प्रा.लि	0.73%	27.39	1.13%	4.67	0.00%	-	1.13%	4.67
झारखंड सेंट्रल रेलवे लि. (जीसीआरएल)	0.34%	12.83	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)
महानदी कोल रेलवे लि. (एमसीआरएल)	0.00%	0.01	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी)	0.57%	21.37	0.33%	1.37	0.00%	-	0.33%	1.37
कुल संयुक्त उद्यम		**276.42**		**5.16**		**-**		**5.16**
निवल कुल	**100%**	**3,761.75**	**100%**	**411.62**	**100%**	**1.38**	**100%**	**413.00**

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

एम के सिंह
निदेशक वित्त
डीआईएन- 06607392

एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00515672

आशीष कुमार बट्टा
साझेदार
स.सं. 095597

रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 3 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के
समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013
के खंड 129 (4)के साथ पठित खंड 143 (6)(ख) के अंतर्गत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के 129(4) के साथ पठित अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 129 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 03 अगस्त, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 129(4) के साथ पठित अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने सहायक कंपनियों यथा इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड तथा इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग प्राधिकरण और संयुक्त उद्यमों यथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों (अनुबंध के अनुसार) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/0
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षक निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 13 सितंबर, 2018

अनुबंध

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2017-18 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

संयुक्त उद्यम

1. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)
2. छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
3. छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)
4. महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआरएल)
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)
6. बस्तर रेल प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

ह/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय)

रेल वाणिज्यिक

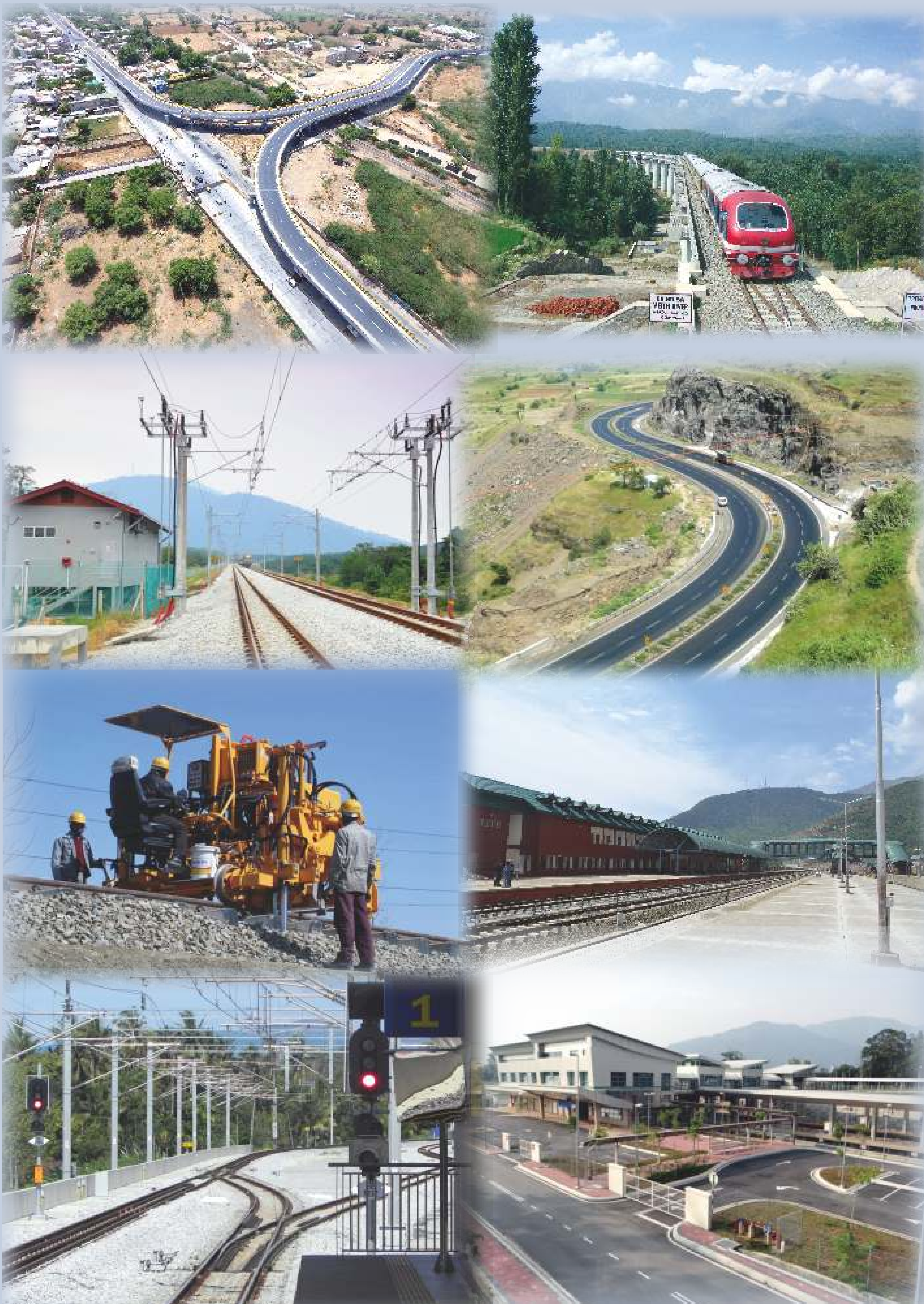
1

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 टेली: +91–11–29565666 फैक्स: +91–11–26522000/26854000

ई–मेल: info@ircon.org, वेबसाइट: www.ircon.org

सीआईएन: U45203DL1976GOI008171

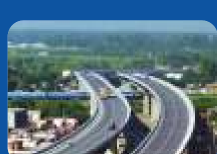
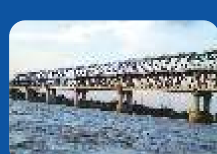
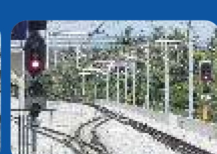
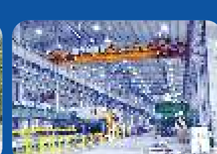

Designed and printed by delhi@spancom.in